



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276396
CG-DL-E-22092026-276396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 244]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

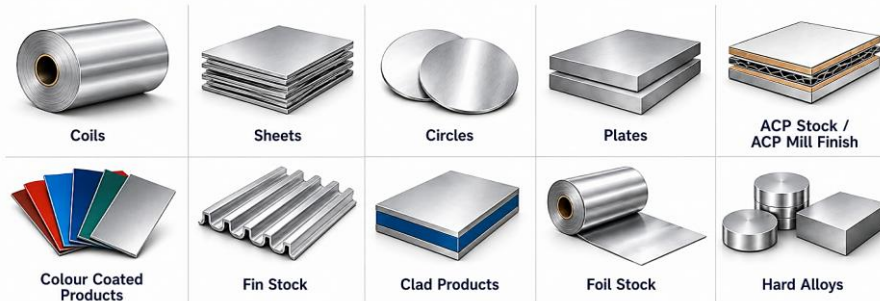
अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (एसएसआर)-07/2026

SETU ID - AD/SSR/007/2026

चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कुछ फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पाद" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच।



कुछ फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पाद का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

फा. सं. 7/11/2026-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क मामले की पृष्ठभूमि

2. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कुछ फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पादों” के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 6/27/2020-डीजीटीआर दिनांक 8 सितंबर, 2020 के माध्यम से शुरू की गई थी। उक्त जांच के उपरांत, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/27/2020-डीजीटीआर दिनांक 7 सितंबर, 2021 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पांच वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की।
3. और यतः, केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. 68/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 दिसंबर, 2021 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया। उक्त शुल्क 5 दिसंबर, 2026 तक प्रभावी हैं। शुल्क तालिका इस प्रकार है:

क्र.सं.	देश	उत्पादक	शुल्क(अमेरिकी डॉलर/मी.टन)
1	चीन जन. गण.	जियांगसु डिंगशेंग न्यू मटेरियल्स जॉइंट-स्टॉक कं. लि. / इनर मंगोलिया लियानशेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कं. लि.	65
2	चीन जन. गण.	आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कं. लि.	शून्य
3	चीन जन. गण.	ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं. लि.	शून्य
4	चीन जन. गण.	अन्य सभी	449

4. और यतः हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक”, “घरेलू उद्योग” अथवा “हिंडाल्को” कहा गया है) से दिनांक 31 जनवरी, 2026 को एक विधिवत प्रमाणित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कुछ फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पादों” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु”, “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की गई और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का दावा किया गया।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/11/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च, 2026 के माध्यम से, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना जारी कर, अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच

प्रारंभ की, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

ख प्रक्रिया

6. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

6.1. जांच की शुरुआत

- i. नियम 6 के अनुसार, आवेदन की जांच करने और पाटन, क्षति, और कारणात्मक संबंध का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने 20 मार्च, 2026 को एक जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देशों से आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटन रोधी जांच शुरू की गई।
- ii. नियम 5(5) के अनुसार, जांच प्रारंभ करने से पूर्व भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में सूचित किया गया।
- iii. नियम 6(2) के अनुसार, आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के बारे में हितबद्ध पक्षों को सूचित किया गया था।

6.2. जांच की अवधि और क्षति अवधि

- i. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2025 तक (18 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच हेतु वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा पीओआई की अवधि को विचार में लिया गया है। जहां भी उपयुक्त पाया गया है, पीओआई के आंकड़ों को बारह माह की अवधि के लिए वार्षिकीकृत भी किया गया है तथा इन अंतिम निष्कर्षों में इसे "पीओआई (ए)" के रूप में संदर्भित किया गया है।

6.3. आयात संबंधी आंकड़े

- i. क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के लेन-देन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने लेन-देन की समुचित जांच के बाद आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण तथा आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

6.4. आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- i. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति भारत में संबद्ध देश की सरकार को उसके दूतावास के माध्यम से, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई जिन्होंने आवेदन की प्रति के लिए लिखित अनुरोध किया था।

6.5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति का निर्धारण

- I. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया गया। टिप्पणियां दाखिल करने की समय-सीमा 11 अप्रैल, 2026 तक बढ़ाई गई। प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2026 द्वारा विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया।

6.6. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भागीदारी

- i. नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया है:
 - i. ज़ियामेन शेंगमाओ कंपनी लिमिटेड
 - ii. हेंग यू टोंग कंपनी लिमिटेड
 - iii. डिंगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज़
 - iv. ज़ियाशुन होलिंग्स लिमिटेड
 - v. लुओयांग लॉन्गडिंग एल्युमीनियम
 - vi. हेनान मिंगताई एल्युमीनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - vii. जियांगसू अल्चा एल्युमीनियम ग्रुप कंपनी लिमिटेड;
 - viii. जियांगसू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स जॉइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड;
 - ix. हांगजो डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड;
 - x. डिंगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज़ (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड;
 - xi. इनर मंगोलिया लियानशेंग न्यू एनर्जी मैटेरियल कंपनी लिमिटेड;
 - xii. आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड;
 - xiii. ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
- ii. भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार को भी निर्यातक प्रश्नावली भेजी गई थी। संबंधित देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को उनके संबंधित देश में जांच शुरूआत अधिसूचना और निर्यातक प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- iii. उपरोक्त के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:
 - i. नानतोंग हेंगजिन कम्पोजिट मैटेरियल कं. लि.
 - ii. अलचा शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि.
 - iii. अलचा इंटरनेशनल होलिंग्स लिमिटेड
 - iv. जियांगसू डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स जॉइंट-स्टॉक कं. लि.
 - v. इनर मंगोलिया लियानशेंग न्यू एनर्जी मैटेरियल कं. लि.
 - vi. हांगजो डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.

- vii. डिगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं. लि.
- viii. जियांगसु अलचा एल्युमीनियम ग्रुप कं. लि.
- ix. यिनबैंग क्लैड मटेरियल कं. लि.
- x. हुआफोंग एल्युमीनियम कं. लि.
- xi. आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कं., लि.
- xii. शंघाई हुआफोंग एल्युमीनियम ट्रेडिंग कंपनी
- xiii. शंघाई हुआफोंग एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन
- xiv. ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) लि.

6.7. आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक जानकारी के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को आयातक और उपयोगकर्ता प्रश्नावली भेजी। निम्नलिखित आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के संघों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और प्रस्तुतियां दी हैं:

- i. टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
- ii. एसकेएम स्टील लिमिटेड
- iii. जिंदल (इंडिया) लिमिटेड
- iv. बैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- v. ग्रीनबेरी फॉइल्स इंडिया लिमिटेड
- vi. टाटा टोयो रेडिएटर लिमिटेड
- vii. एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड
- viii. अलक्राफ्ट थर्मोटैक्रोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
- ix. रविराज फॉइल्स लिमिटेड
- x. इंडोमैक्स इंडस्ट्रीज
- xi. अलुडेकर लेमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड
- xii. माले अनंद थर्मल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. श्री वेंकटेश्वरा इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
- xiv. हानोन ऑटोमोटिव सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xv. एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- xvi. एल्युमीनियम सेकेंडरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- xvii. ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- xviii. ऑल इंडिया प्रेशर कुकर मैनुफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन
- xix. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- xx. पैकेजिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- xxi. एसीपी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

- ii. उपरोक्त के उत्तर में, भारत से निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने प्रतिक्रिया दी है और आयातक/उपयोगकर्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:
- यूनिस्टोन पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड
 - माहले अनंद थर्मल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
 - टाटा टोयो रेडिएटर लिमिटेड
 - पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड

6.8. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

- i. निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण करने वाली सभी इच्छुक पार्टियों की सूची, 5 जून 2026 के संचार के ज़रिए निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत इच्छुक पक्षों को यह निर्देश दिया गया था कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी इच्छुक पक्षों के साथ साझा करें।

6.9. आर्थिक हित प्रश्नावली

- i. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योग के साथ-साथ भारत में अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की, ताकि सभी हितधारकों को वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने की अनुमति दी जा सके, जिसमें उनके संचालन पर पाटन रोधी शुल्क की निरंतरता का संभावित प्रभाव भी शामिल है। घरेलू उद्योग और कुछ इच्छुक पक्षों से आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए।

6.10. मौखिक सुनवाई और सुनवाई के बाद की प्रस्तुतियां

- i. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों को 28 जुलाई 2026 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे 3 अगस्त 2026 तक मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करें, इसके बाद 10 अगस्त 2026 तक पुनः प्रस्तुतियां दाखिल करें। घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के संघों द्वारा लिखित प्रस्तुतियां और पुनः प्रस्तुतियां विधिवत दाखिल की गईं, और प्रासंगिक पाए जाने की सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार किया गया है।

6.11. अन्य प्रक्रियाएं

- i. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, यथासंभव, इच्छुक पक्षों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के बारे में संतुष्ट किया, जो वर्तमान अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है, और प्रासंगिक, व्यवहार्य और आवश्यक माने जाने वाले आंकड़े/दस्तावेजों को सत्यापित किया। सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों के आंकड़ों का सत्यापन किया गया था। उन्होंने ऐसी सत्यापन के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के अनुबंध-3 को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री की इष्टतम लागत के आधार पर क्षति रहित

- कीमत ("एनआईपी") इस आधार पर तैयार किया गया है कि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को नुकसान को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- iii. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी अनुबद्ध किया गया गोपनीयता दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पक्षों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले दलों को गोपनीय आधार पर दायर जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
 - iv. जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को गैर-सहयोगी माना है और नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।
 - v. इस जांच के दौरान इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध, साक्ष्यों के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम निष्कर्ष में उचित रूप से विचार किया गया है।
 - vi. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक 24.08.2026 को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया, जिसमें वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे प्रासंगिक और अपुनरावृत्त पाई गई, इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।
 - vii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी इच्छुक पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा माना जाता है।
 - viii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 86.03 है।

ग विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि 20 मार्च, 2026 की जांच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है और 13 मई, 2026 की अधिसूचना द्वारा पुष्टि की गई थी, निम्नानुसार है:

"विचाराधीन उत्पाद 'एल्युमीनियम के फ्लैट रोल्ड उत्पाद' (एफआरपी) है। एफआरपी विभिन्न आयामों की एल्युमीनियम रोल्ड कॉइल या एल्युमीनियम रोल्ड शीट के रूप में बनाया जाता है। उत्पाद दायरा में उत्पाद के सभी रूप और आकार शामिल हैं, जैसे कॉइल, शीट, सर्कल, प्लेट आदि, जिनमें मिल फिनिश या कोटेड उत्पाद शामिल हैं। पीयूसी के दायरा में सभी आयाम, व्यास, मोटाई, चौड़ाई, मिश्र धातु, फिनिश आदि शामिल हैं, निम्नलिखित को छोड़कर:

 - i. *कैन-बॉडी स्टॉक - जिसमें कैन एंड स्टॉक (सीईएस) भी शामिल है, जो एल्युमीनियम कैन बनाने के लिए उपयोग होता है;*
 - ii. *80 माइक्रोन तक एल्युमीनियम फॉइल (यह स्पष्ट है कि 'एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल स्टॉक' या 'एसीपी मिल फिनिश' और संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड इस जांच के दायरा में शामिल हैं); और*
 - iii. *1150 मिमी से ऊपर की चौड़ाई की लिथोग्राफिक एल्युमीनियम कॉइल।"*

8. निर्णायक समीक्षा जांचों के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त जांच-शुरुआत चरण का विवरण माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रवर्तनीय आदेशों तथा नीचे की गई जांच में अंतिम रूप दिए गए अतिरिक्त उत्पाद अपवर्जनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिनमें 80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली रंग-लेपित कॉइल और विनिर्दिष्ट क्लैड एल्युमीनियम ट्यूब सामग्री शामिल हैं।
9. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 76 के तहत टैरिफ शीर्षक 7606 और 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे, समान वस्तु और पीसीएन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध की गई हैं। अनुरोध मुद्देवार नीचे दिए गए हैं।

(i) विचाराधीन उत्पाद का दायरा माननीय सीईएसटीएटी के आदेशों के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है

11. टाटा टोयो रेडिएटर लिमिटेड (टीटीआरएल), माले अनंद थर्मल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (माले अनंद), पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड (पहाड़पुर), हेंगजिन/एसीपी समूह और हुआफोंग समूह ने प्रस्तुत किया है कि समीक्षा के अधीन उपाय का दायरा केवल 7 सितंबर, 2021 के अंतिम जांच परिणामों द्वारा नहीं, बल्कि उसके बाद पारित अपीलीय आदेशों द्वारा शासित है। माननीय सीईएसटीएटी ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 द्वारा, 'कलर कोटेड कॉइल' और 'संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड' को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया और अधिसूचना संख्या 68/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया।
12. यह प्रस्तुत किया गया है कि विलय के सिद्धांत के तहत, अपीलीय आदेश अपील में निर्णयित मुद्दे पर शासक आदेश बन जाता है, और मूल समावेशन स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केवल अंतरिम आदेश पारित किए हैं; उसने मूल दायरा को बिना शर्त बहाल नहीं किया है, और 'संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड' के मामले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि बहिष्करण "केवल 5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक पढ़ा जाना चाहिए"।
13. श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, (1992) 3 एससीसी 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि संचालन पर रोक केवल एक आदेश की प्रवर्तनीयता को निलंबित करती है; यह आदेश को अस्तित्व से मिटाता या मिटाता नहीं है। सीईएसटीएटी आदेशों को न तो रद्द किया गया है और न ही अलग रखा गया है, रिट कार्यवाही लंबित है, और न्यायाधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलटते हुए कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग

वाणिज्यिक मात्रा में रंगीन कोटिंग काँइल या संगत गैर-क्लैड एल्यूमीनियम पन्नी का निर्माण नहीं कर रहा था। सीईएसटीएटी का तर्क और तथ्यात्मक निष्कर्ष इसलिए कानून में बने हुए हैं और वर्तमान समीक्षा में अपने प्रेरक मूल्य को बनाए रखते हैं।

14. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि निर्णायक समीक्षा ऐसा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा मूल दायरा को प्रशासनिक निष्कर्ष के माध्यम से बहाल किया जा सके, जब कोई न्यायालय उस दायरा को बहाल नहीं करता है, और विवादित उत्पादों को शामिल करने से सीईएसटीएटी आदेशों के तहत एक दायरा और उसी शुल्क की निरंतरता के लिए एक अलग दायरा बनेगा।

(ii) 5 से 80 माइक्रोन की सीमा का संगत गैर-क्लैड एल्यूमीनियम फाँइल के साथ क्लैड, घरेलू उद्योग द्वारा मांगी गई निरंतरता का हिस्सा नहीं है

15. टीटीआरएल, महले आनंद और पहाड़पुर ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग के अपने आवेदन रिकॉर्ड के अनुसार 5 से 80 माइक्रोन रेंज के क्लैड के साथ संगत नॉन-क्लैड एल्यूमीनियम फाँइल को सीईएसटीएटी और उच्च न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप बाहर रखा गया है। धारा 9A (5) के साथ पठित नियम 23 के तहत समीक्षा उस लेख के अनुरूप होनी चाहिए जिसके लिए निरंतरता मांगी गई है और पाटन और क्षति की संभावना का समर्थन करने वाले साक्ष्य के साथ। घरेलू उद्योग ने न तो 5 से 80 माइक्रोन रेंज पर शुल्क की निरंतरता की मांग की और न ही इसके संबंध में कोई संभावना मामला प्रस्तुत किया, और अन्य एफआरपी उत्पादों से संबंधित आंकड़े किसी ऐसे उत्पाद के लिए क्षति या संभावना स्थापित नहीं कर सकता है जिसे आवेदक ने स्वयं बाहर रखा है। अधिसूचित दायरा तदनुसार वास्तव में अनुरोध की गई निरंतरता से व्यापक था, और सीमा को अंतिम दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
16. हुआफोन समूह ने घरेलू उद्योग की दलीलों में असंगति पर ध्यान दिया है, जिसमें आवेदन 25 मई 2023 के एक आदेश को संदर्भित करता है, जिसमें सीमा 5 से 80 माइक्रोन तय की गई है, जबकि लिखित अनुरोध 25 मार्च 2023 के एक आदेश को संदर्भित करता है, जिसमें सीमा 5.5 से 80 माइक्रोन तय की गई है। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह स्वतंत्र रूप से परिचालन न्यायिक आदेशों की जांच करे, सही स्थिति स्पष्ट करे, और उत्पाद-वार पाटन और क्षति विश्लेषण करने से पहले विचाराधीन उत्पाद द्वारा कवर किए गए और बाहर किए गए उत्पादों को निर्दिष्ट करे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी उत्पाद जो न्यायिक रूप से बाहर खड़ा है, उसे आयात की मात्रा, मूल्य तुलना, पाटन मार्जिन, क्षति विश्लेषण या संभावना विश्लेषण के उद्देश्यों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

(iii) एसीपी आवेदन के लिए रंगीन कोइल को शामिल करने का अनुरोध

17. एसीपी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नाटोंग हेंगजिन कंपोजिट मटेरियल कं, लिमिटेड, बैंको प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, यूनिस्टोन पैनल प्राइवेट लिमिटेड, अलुटेक पैनल प्राइवेट लिमिटेड, अल्डेको पैनल प्राइवेट लिमिटेड, इम्पेरिया डेकोर इंडस्ट्रीज, एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड, जीएलएस एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड (सामूहिक रूप से, "एसीपी समूह") ने निम्नलिखित आधारों पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से "एसीपी अनुप्रयोग के लिए रंगीन कोइल काँइल्स" को बाहर करने की मांग की है:

- क. एसीपी के लिए रंगीन कोटेड कॉइल छत की चादरों और नंगे एल्यूमीनियम कॉइल से एक अलग उत्पाद है। एसीपी कॉइल्स पतले गेज उत्पाद हैं, आमतौर पर 0.02-0.50 मिमी, विशेष रूप से एलडीपीई के साथ लैमिनेशन के लिए एक तरफ उपचार और लेपित और सजावटी/मौसम प्रतिरोधी उपयोग के लिए दूसरी तरफ। इसके विपरीत, छत की चादरें अधिक मोटी होती हैं, आम तौर पर 0.55-1.20 मिमी, दोनों तरफ से लेपित होती हैं और सीधे तैयार छत उत्पादों के रूप में उपयोग की जाती हैं। दोनों एक दूसरे के लिए विनिमेय नहीं हैं।
- ख. यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने संबंधित अवधि के दौरान एसीपी अनुप्रयोग के लिए व्यावसायिक रूप से रंगीन कोटेड कॉइल की आपूर्ति नहीं की। मौजूदा शुल्क के बावजूद उपयोगकर्ता आयात पर निर्भर रहे। घरेलू उद्योग पहले आपूर्ति प्रदर्शित करने के लिए अपनी 'एवरलास्ट' छत की चादर पर निर्भर था और मौखिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि तलोजा में इसकी अपनी रंग कोटिंग सुविधा हाल ही में शुरू की गई थी, पहले कोटिंग जॉब वर्क के माध्यम से की गई थी। इसलिए, एक कोटिंग लाइन की बाद की कमीशनिंग, पहले की अवधि के दौरान एसीपी-ग्रेड उत्पाद की वाणिज्यिक आपूर्ति स्थापित नहीं करती है।
- ग. इच्छुक पक्ष हाल ही में एल्यूमीनियम फ़ॉइल जांच में रंगीन एल्यूमीनियम फ़ॉइल के उपचार पर भी भरोसा करते हैं। उस मामले में, रंगीन लेपित एल्यूमीनियम पन्नी, चाहे एक या दोनों तरफ लेपित हो, को 20 मार्च 2025 के अंतिम जांच परिणाम में दायरे से बाहर रखा गया था। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि, जहां ऐसे रंगीन उत्पादों को उस जांच में सुरक्षा की आवश्यकता नहीं मानी गई थी, वहां वर्तमान समीक्षा में तुलनीय रंगीन उत्पादों के संबंध में क्षति होने की संभावना स्थापित नहीं की गई है।

(iv) 80 मिमी से 120 मिमी की कलर कोटेड कॉइल के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध

18. एसीपी समूह ने प्रस्तुत किया है कि रंगीन लेपित कॉइल के सभी मोटाई के 80 मिमी से अधिक के आयात पर वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है, जबकि रंगीन लेपित कॉइल के लिए पीसीएन 120 मिमी और उससे अधिक की मोटाई पर शुरू होता है। 80 मिमी से अधिक और 120 मिमी तक के रंगीन लेपित कॉइल इसलिए न तो अधिसूचित पीसीएन पद्धति के भीतर आते हैं और न ही घरेलू उद्योग के उत्पाद प्रो. के भीतर, जो केवल 120 मिमी और उससे अधिक के रंगीन लेपित शीट प्रदान करता है। प्राधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

(v) हीट एक्सचेंजर्स और पहचाने गए अनक्लाड ग्रेड में उपयोग किए जाने वाले संगत नॉन-क्लाड एल्यूमीनियम उत्पादों के साथ क्लैड को शामिल करने का अनुरोध

19. प्रयोक्ता हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग होने वाले स्पष्ट रूप से पहचाने गए क्लैड और अनक्लैड उत्पादों के बहिष्करण की मांग करते हैं। टीटीआरएल, माले अनंद, बैंको और पहाड़पुर धातुकर्म रूप से बंधे एल्यूमीनियम-सिलिकॉन क्लैड परतों से बने क्लैड एल्यूमीनियम उत्पादों के साथ-साथ निर्दिष्ट अनक्लैड ग्रेड जैसे एलॉय 1100, ए3102, एए3003 और एए3003एमओडी को पहचाने गए टेंपरो में बाहर करने की मांग करते हैं। ये उत्पाद रेडिएटर, कंडेनसर, इंटरकूलर, हीटर कोर, एचवीएसी सिस्टम, बैटरी कूलिंग सिस्टम और अन्य हीट-एक्सचेंजर अनुप्रयोगों में उपयोग होते हैं। पहाड़पुर ने विशेष रूप से 4343/3003-एच24 फिन स्ट्रिप को 0.23 मिमी, 0.25 मिमी और 0.30 मिमी मोटाई में पहचाना है।

20. उनका तर्क है कि ये उत्पाद तकनीकी रूप से अलग हैं और केवल इसलिए विनिमेय नहीं माने जा सकते क्योंकि वे एक ही व्यापक एफआरपी या मिश्र धातु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्लैड उत्पादों में, क्लैड परत ब्रेजिंग के दौरान पिघल जाती है जबकि कोर को ठोस रहना चाहिए और ताकत बनाए रखनी चाहिए। इसलिए, मिश्र धातु रसायन, क्लैड अनुपात, परत संरचना, टेम्पर, मोटाई और अंतिम उपयोग सीधे गठन, ब्रेजिंग, ताकत और संक्षारण प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एच 24 को केवल एच 14, एच 16 या ओ टेम्पर द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उपयोगकर्ताओं का कहना है कि समान-लेख विश्लेषण वास्तविक तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापन पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल टैरिफ वर्गीकरण, मिश्र धातु श्रृंखला या "क्लैड", "फिन स्टॉक" या "एफआरपी" जैसे सामान्य विवरणों पर।
21. उपयोगकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए विशिष्ट साक्ष्य रखे हैं कि घरेलू उद्योग ने कई आवश्यक ग्रेड और विशिष्टताओं को व्यावसायिक रूप से आपूर्ति नहीं की है। रिकॉर्ड में खरीद आदेश, सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र, तकनीकी पत्राचार, बैठक के मिनट, दोष रिकॉर्ड और मूल-कारण विश्लेषण शामिल हैं। पहाड़पुर ने जनवरी 2022 से शुरू होने वाले पत्राचार को रिकॉर्ड में रखा है जिसमें घरेलू उद्योग ने कहा कि वह एच 24 को संसाधित नहीं कर सकता है और नरम स्वभाव की पेशकश की, और फरवरी और मार्च 2026 के पत्राचार में जिसमें घरेलू उद्योग ने फिर से एच 14 की पेशकश की और कहा कि एच 24 को भविष्य की तारीख पर खोजा जा सकता है। महले आनंद ने दिखाया है कि घरेलू उद्योग की नियमित सीमा लगभग 0.14 मिमी थी जबकि 0.1 मिमी से नीचे की सामग्री की आवश्यकता थी, और नमूने निर्दिष्ट उपज और तन्य शक्ति आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। टीटीआरएल ने मोटाई, कैम्बर, एज-वर्न, क्लैड-मोटाई और सिलिकॉन-सामग्री विचलन, कम आपूर्ति और पोस्ट-ब्रेज दोषों के उदाहरण भी रखे हैं।
22. उपयोगकर्ताओं का तर्क है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और व्यावसायिक रूप से आपूर्ति नहीं की जाने वाली, या घरेलू उत्पादों के साथ प्रतिस्थापित नहीं की जाने वाली उत्पादों को शुल्क से बाहर रखा जाना चाहिए। वे नियम 2(डी), डीजीटीआर मैनुअल और ऑक्सो अल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और इंडियन रिफ़्रेक्टरी मेकर्स एसोसिएशन में निर्णयों पर भरोसा करते हैं कि केवल क्षमता, विकास परीक्षण, नमूने या कैप्टिव उत्पादन अपर्याप्त हैं; एक तुलनीय उत्पाद का वास्तविक निर्माण और वाणिज्यिक बिक्री होनी चाहिए। एसीपी/रेडिएटर उपयोगकर्ताओं ने आगे विशिष्ट क्लैड वस्तुओं की पहचान की है - जैसे कि क्लैड फिन, हेडर प्लेट, कोर चैनल, फोल्डेड ट्यूब, वेल्डेड ट्यूब और चार्ज-एयर-कूलर ट्यूब - जो, उनके अनुसार, सीमित मामलों को छोड़कर घरेलू स्तर पर निर्मित नहीं हैं।
23. वे यह भी तर्क देते हैं कि निर्णायक समीक्षा का दायरा उन उत्पादों को प्रभावी ढंग से कवर नहीं कर सकता है जो मूल जांच के दौरान उत्पादित नहीं किए गए थे, और उजागर मांग को विस्थापित घरेलू बिक्री के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में कहा कि एच 24 उत्पादों का उत्पादन पिछले चार से पांच वर्षों में ही शुरू हुआ, जो उपयोगकर्ताओं के अनुसार, दर्शाता है कि मूल जांच के दौरान ऐसे उत्पादों का उत्पादन नहीं किया गया था। इसलिए वे प्रस्तुत करते हैं कि निर्णायक समीक्षा मूल दायरे का विस्तार नहीं कर सकती है और जहां घरेलू आपूर्ति आवश्यकता के केवल एक हिस्से को पूरा करती है, वहां पूरे आयात की मात्रा पर शुल्क लगाना गलत तरीके से यह मान लेता है कि ऐसे सभी आयात घरेलू उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं या उसे विस्थापित करते हैं।

(iv) 1950 मिमी से ऊपर की चौड़ाई के फ्लैट रोल्ड एल्यूमीनियम उत्पादों के बहिष्करण का अनुरोध

24. एसीपी समूह ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित संयंत्र और मशीनरी 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई के उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सकती है, और उपयोगकर्ताओं को ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी मिलों की रोलिंग क्षमता का उपयोग करने के लिए 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई के फ़ॉइल स्टॉक की महत्वपूर्ण मात्रा का 2000 मिमी उपभोग करना पड़ता है। हालाँकि 1950 मिमी और उससे नीचे के फ़ॉइल स्टॉक का उपयोग करना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि बचा हुआ सामान मालसूची के रूप में जमा हो जाएगा। मौखिक सुनवाई में किया गया दावा कि भारत में अधिक चौड़ाई के उत्पादन के लिए एक नया एल्यूमीनियम फ़ॉइल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपूर्ति स्थापित नहीं करता है। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत लेनदेन-वार बिक्री सूची की जांच करे, जो यह दर्शाता है कि 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई की एफआरपी की कोई बिक्री नहीं हुई है।

(vii) विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सूर्यास्त समीक्षा में सीमित किया जा सकता है

25. एसीपी समूह ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ाया नहीं जा सकता है या समीक्षा में नए उत्पाद जोड़े नहीं जा सकते हैं, उत्पाद प्रकारों के बहिष्करण और उत्पाद दायरे के प्रतिबंध को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मानक संचालन प्रथाओं के मैनुअल का पैराग्राफ 3.28 प्रदान करता है कि हालांकि न तो आवेदक और न ही प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा के दौरान पीयूसी के दायरे को बदल सकते हैं, "मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के दायरे को सीमित करने के लिए एक मामला हो सकता है", और पैराग्राफ 17.11 प्रदान करता है कि उत्पाद का दायरा "उचित विचार के बाद, इच्छुक पार्टियों से विशिष्ट अनुरोध पर प्रतिबंधित किया जा सकता है" लेकिन किसी भी मामले में विस्तृत या विस्तारित नहीं किया गया है।
26. प्राधिकारी के चीन जन.गण. और थाईलैंड से विस्कोस स्टेपल फाइबर (अंतिम जांच परिणाम दिनांक 31 जुलाई 2021) के संबंध में निर्णायक समीक्षा में पिछले अभ्यास पर भरोसा किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने देखा कि निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सीमित करने पर अधिनियम या नियमों के तहत कोई रोक नहीं है; चीन पीआर और थाईलैंड से पॉलिएस्टर के सभी पूर्ण डॉ. एएन या पूर्ण उन्मुख यार्न/स्पिन डॉ. एएन यार्न/फ्लैट यार्न के संबंध में निर्णायक समीक्षा (अंतिम जांच परिणाम दिनांक 23 नवंबर 2020), जिसमें कम पिघलने वाले यार्न को एक इच्छुक पार्टी के अनुरोध पर बाहर रखा गया था क्योंकि घरेलू उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क की सुरक्षा के बावजूद उनका निर्माण बंद कर दिया था, जिसमें लो मेल्ट यार्न को इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था कि उसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता था; तथा चीन जन. गण. से सर्टेन ग्लास फाइबर एंड आर्टिकल्स देयरऑफ के संबंध में सूर्यास्त समीक्षा (अंतिम निष्कर्ष दिनांक 6 जुलाई 2016) में, एक इच्छुक पक्ष के अनुरोध पर वेट चॉण्ड स्ट्रैंड्स को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद घरेलू उत्पादकों ने उनका विनिर्माण बंद कर दिया था।

(viii) पीसीएन कार्यप्रणाली

27. शंघाई हुआफोन एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन ने प्रस्तुत किया है कि वह अपने उत्पादों को समग्र और गैर-समग्र सामग्रियों के बीच अंतर के संदर्भ में वर्गीकृत करता है, जो पीसीएन तालिका में निर्धारित "क्लैड" और "फिन स्टॉक" श्रेणियों से मेल नहीं खाता है। "क्लैड" और "फिन स्टॉक" के लिए निर्धारित मोटाई सीमा ओवरलैप होती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ समग्र सामग्री दोनों श्रेणियों की मोटाई सीमा के भीतर आती है और उन्हें किसी भी श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रारंभिक अधिसूचना में इस तरह के ओवरलैप को हल करने के लिए कोई प्राथमिकता नियम प्रदान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप असंगत रिपोर्टिंग, गलत वर्गीकरण या विभिन्न पीसीएन के तहत एक ही उत्पाद की दोहरी गिनती हो सकती है और पाटन मार्जिन निर्धारण की सटीकता को प्रभावित कर सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीसीएन संरचना गैर-समग्र सामग्रियों के लिए कोई उपयुक्त श्रेणी प्रदान नहीं करती है जिनकी मोटाई निर्धारित "फिन स्टॉक" सीमा से बाहर है, क्योंकि "क्लैड" के तहत बिना क्लैड सामग्री का वर्गीकरण तकनीकी रूप से गलत होगा। प्राधिकारी से दोनों श्रेणियों के बीच संबंध को परिभाषित करने, अतिव्यापी उत्पादों के लिए एक समान वर्गीकरण नियम निर्धारित करने और निर्दिष्ट श्रेणियों से बाहर आने वाले उत्पादों के उपचार को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

28. डिंगशेंग समूह ने पीसीएन तालिका से "लंबाई सीमा" विनिर्देश को हटाने और लिथोग्राफिक एल्युमीनियम कॉइल की चौड़ाई सीमा को "600 से 1460 मिमी" से "600 से 1150 मिमी" में संशोधित करने का अनुरोध किया है। ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि. ने विचाराधीन उत्पाद के स्पष्ट दायरा के अनुरूप एक नई पीसीएन रूपरेखा की मांग की है। बैंको प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और एसीपी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया है कि यदि संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड और एसीपी अनुप्रयोग के लिए कलर कोटेड कॉइल को बाहर नहीं किया जाता है, तो उनके लिए अलग पीसीएन मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

29. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे, समान वस्तु और पीसीएन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. चूंकि वर्तमान जांच लागू कर्तव्यों की निर्णायक समीक्षा है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति का दायरा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन, मूल जांच के समान रहना चाहिए।

ख. माननीय सीयूएसटीएटी ने दिनांक 13 अप्रैल 2023 के आदेशों के अनुसार, माना कि रंगीन लेपित कॉइल और संगत गैर-लेपित एल्युमीनियम कॉइल के साथ क्लैड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है और तदनुसार संशोधित अधिसूचना संख्या 68/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) है। घरेलू उद्योग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उन आदेशों को चुनौती दी, जिसने 18 मई 2023 के अंतरिम आदेश के माध्यम से रंगीन कोटेड कॉइल से संबंधित आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें प्रथम दृष्टया यह देखा गया कि सीयूएसटीएटी घरेलू विनिर्माण के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लौटाए गए स्पष्ट निष्कर्षों से निपटने में विफल रहा था, और यह कि विवादित आदेश उन वस्तुओं के बहिष्करण के बराबर था, जो कम से कम प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर, एल्युमीनियम के फ्लैट रोलड उत्पादों के दायरे में आते प्रतीत होते थे।

ग. अनुकूलित गैर-ढके एल्युमीनियम पन्नी के साथ क्लैड के संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अधिसूचना संख्या 68/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा कि अपवर्जन "को केवल 5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक विस्तारित पढ़ा जाना चाहिए"। मूल एफआरपी जांच में दिए गए अपवर्जन

का उद्देश्य 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के एल्यूमीनियम पन्नी की जांच में पहले से ही दिए गए अपवर्जन को वापस लेना नहीं था। परिणामस्वरूप, 80 माइक्रोन से ऊपर रंगीन लेपित कॉइल और संगत गैर-लेपित एल्यूमीनियम पन्नी के साथ क्लैड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं और लागू शुल्क के अधीन रहते हैं।

- घ. वर्तमान कार्यवाही में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई अपवर्जन अनुरोध सीधे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) 6655/2023, डब्ल्यू.पी.(सी) 6731/2023 और सीयूएसएए 50/2024 में तैयार किए गए कानून के दायरे में आते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के लिए नियम 2(बी) और 2(डी) के तहत एक प्रासंगिक मानदंड है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में एक लेख को शामिल करने के लिए; क्या विनिर्माण प्रक्रिया के एक हिस्से को नौकरी करने वाले श्रमिक को आउटसोर्स करना घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता प्राप्त करने से वंचित करता है; क्या मानक संचालन प्रथाओं के मैनुअल का पैराग्राफ 3.10 वैधानिक नियमों को रद्द कर सकता है; और क्या सीयूएसटीएटी ने यह मानते हुए गलती की कि संगत गैर-क्लैड एल्यूमीनियम पन्नी के साथ क्लैड एल्यूमीनियम के फ्लैट रोल्ड उत्पाद के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ङ. चूंकि वर्तमान निर्णायक समीक्षा एक अधिसूचना के तहत लगाए गए कर्तव्यों की निरंतरता से संबंधित है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं, प्राधिकरण वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को संशोधित नहीं कर सकता है।
- च. 1150 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले लिथोग्राड एल्यूमीनियम कॉइल्स के बहिष्करण के संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को पार्टियों के बीच समझौते के संदर्भ में निपटाया गया था, और प्राधिकारी ने पहले ही संशोधन अधिसूचना दिनांक 10 दिसंबर 2025 के माध्यम से बहिष्करण को स्पष्ट कर दिया है।
- छ. घरेलू उद्योग को पीसीएन तालिका से "लंबाई रेंज" विनिर्देश कॉलम को हटाने या लिथोग्राफिक एल्यूमीनियम कॉइल के लिए चौड़ाई विनिर्देश को "600 से 1150 मिमी" में संशोधन करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
- ज. "क्लैड" और "फिन स्टॉक" के बीच ओवरलैप के बारे में हुआफोन का आरोप अस्पष्ट और संदिग्ध है, क्योंकि हुआफोन ने उन उत्पादों के तकनीकी विनिर्देश प्रदान नहीं किए हैं जिनमें ऐसा ओवरलैप होने की बात कही गई है। प्राधिकारी अतिव्यापी उत्पादों की अतिरिक्त जानकारी और तकनीकी विशिष्टताओं के लिए कह सकता है और प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल करने की समय-सीमा में संशोधन किए बिना जांच के दौरान इसकी जांच कर सकता है।
- झ. पीसीएन प्राधिकरण द्वारा उचित तुलना सुनिश्चित करने के सीमित उद्देश्य के लिए निर्धारित किए जाते हैं और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सीमित या परिभाषित नहीं करते हैं। पीयूसी की परिभाषा स्पष्ट और अस्पष्ट है, और पीसीएन किसी उत्पाद के बहिष्करण के अनुरोध का आधार नहीं बना सकता है।
- ञ. संबद्ध देश से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं, और तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए गए हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे, समान वस्तु और पीसीएन पद्धति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों की प्रस्तुतियों की जांच की है। जांच मुद्देवार नीचे दी गई है।

(क) अपीलीय आदेशों का समीक्षा के अधीन उपाय के दायरा पर प्रभाव

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही धारा 9(5) के साथ पठित नियम 23 के तहत एक समीक्षा है, जो अधिसूचना संख्या 68/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 दिसंबर, 2021 द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच के लिए शुरू की गई है। समीक्षा का विषय उपाय है जैसा कि वह वर्तमान में है और वर्तमान में संचालित होता है।
32. यह विवाद से परे है कि माननीय सीईएसटीएटी ने 13 अप्रैल, 2023 के अंतिम आदेशों द्वारा कलर कोटेड कॉइल और संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड के बहिष्करण का निर्देश दिया था, और वे आदेश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती में थे। यह भी विवाद से परे है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 18 मई, 2023 के अंतरिम आदेश द्वारा कलर कोटेड कॉइल के संबंध में आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, और संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड के संबंध में निर्देश दिया कि अधिसूचना संख्या 68/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) को लागू किया जाए, ध्यान में रखते हुए कि बहिष्करण "केवल 5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक पढ़ा जाना चाहिए"। रिट कार्यवाहियां लंबित हैं और कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड के इस निवेदन पर संचालन पर रोक आदेश को रद्द किए बिना प्रवर्तनीयता को निलंबित कर देती है। कानून के एक कथन के रूप में यह प्रस्ताव संशय में नहीं है। हालांकि, इससे इच्छुक पक्ष जो परिणाम चाहते हैं, वह नहीं निकलता। श्री चामुंडी मोपेड्स में डॉ. के बीच अंतर एक आदेश के बीच है जिसे रद्द कर दिया गया है, जिसमें स्थिति उस स्थिति में बहाल हो जाती है जो आदेश से पहले थी, और एक आदेश जिसका संचालन रोक दिया गया है, जिसमें स्थिति बनी रहती है लेकिन स्थगन की अवधि के दौरान उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह ठीक यही कारण है कि सीईएसटीएटी आदेशों का संचालन निलंबित है कि प्राधिकारी वर्तमान में उन्हें प्रभावी करने में असमर्थ है। प्राधिकारी एक संस्था है जिसे कानून द्वारा बनाया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को वर्तमान में लागू करने के लिए बाध्य है, न कि किसी ऐसी स्थिति को लागू करने के लिए जो अंतिम निर्णय पर अस्तित्व में आ सकती है या नहीं।
34. तदनुसार, प्राधिकारी इस आधार पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का प्रारंभिक दायरा उपाय का दायरा है जैसा कि वह वर्तमान में संचालित होता है, अर्थात् 7 सितंबर, 2021 के अंतिम जांच परिणामों में परिभाषित दायरा, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों और 10 दिसंबर, 2025 की संशोधन अधिसूचना द्वारा संशोधित। प्राधिकारी ने उसके बाद जांच की है कि क्या वर्तमान समीक्षा के साक्ष्य के आधार पर, उस दायरा को विशेष रूप से पहचाने गए उत्पाद प्रकारों के लिए भविष्य में संकुचित किया जाना चाहिए। वर्तमान समीक्षा में किया गया निर्धारण और कोई भी सिफारिश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन रहेगी।

(ख) 5 से 80 माइक्रोन की सीमा का संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन, जो 25 मई, 2023 के आदेश और 5 से 80 माइक्रोन की सीमा का संदर्भ देता है, और लिखित अनुरोध, जो 25 मार्च, 2023 के आदेश और 5.5 से 80 माइक्रोन की सीमा का संदर्भ देती है, के बीच विसंगति है। प्राधिकारी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के संचालन आदेश की जांच की है। उसमें निहित निर्देश यह है कि "संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड" का बहिष्करण "केवल 5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक" पढ़ा जाना चाहिए। प्राधिकारी उस आदेश को उन शब्दों में लागू करने का फैसला करते हैं, और घरेलू उद्योग की लिखित प्रस्तुतियों में 5.5 माइक्रोन का संदर्भ एक अनजाने में हुई त्रुटि माना जाता है जो संचालन स्थिति को नहीं बदलती।
36. यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई वाले संगत नॉन-क्लैड एल्युमिनियम फॉइल के साथ क्लैड उत्पाद उपाय के दायरे से बाहर हैं, जबकि 80 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले संगत नॉन-क्लैड एल्युमिनियम फॉइल के साथ क्लैड उत्पाद सामान्यतः उपाय तथा वर्तमान समीक्षा के दायरे में आते हैं, तथापि नीचे उल्लिखित अतिरिक्त रूप से संकीर्ण एवं विशिष्ट अपवर्जनों के अधीन। प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि 5 से 80 माइक्रोन की बहिष्कृत सीमा के भीतर आने वाले आयातों को वर्तमान समीक्षा में आयात मात्रा, पहुँच मूल्य, पाटन अंतर, क्षति अंतर या संभावना के निर्धारण में नहीं लिया गया है।
37. प्राधिकारी इस आगे की दलील को स्वीकार नहीं करते कि 5 से 80 माइक्रोन की सीमा को अंतिम दायरा से सकारात्मक रूप से बाहर रखा जाना चाहिए, इस आधार पर कि आवेदक ने उसके संबंध में निरंतरता नहीं मांगी। वह सीमा पहले से ही उपाय के बाहर है। मांगा गया राहत उस अर्थ में पहले से उपलब्ध है, और कोई अलग निर्धारण आवश्यक नहीं है।

(ग) एसीपी अनुप्रयोग के लिए कलर कोटेड कॉइल, हीट एक्सचेंजर अनुप्रयोग के लिए क्लैड उत्पाद, पहचाने गए अनक्लैड ग्रेड और 1950 मिमी से ऊपर की चौड़ाई के एफआरपी के बहिष्करण के अनुरोध

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसीपी अनुप्रयोग के लिए रंगीन कोइल और संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम उत्पादों के साथ सभी क्लैड के व्यापक बहिष्करण के अनुरोध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित व्यापक प्रश्नों के साथ ओवरलैप होते हैं। प्राधिकारी वर्तमान समीक्षा में यह निर्धारित नहीं करते हैं कि सभी क्लैड एफआरपी की परिभाषा से बाहर है या पूरे क्लैड वर्ग को बाहर रखा जाना चाहिए। हालाँकि, इसने अधिनियम की धारा 9क (5) के साथ पठित नियम 23, नियम 4 (ख), नियम 2 (घ) और नियमावली के नियम 11 के तहत संभावित उत्पाद-विशिष्ट निर्धारण के रूप में ठीक से पहचाने गए क्लैड ट्यूब सामग्री से संबंधित संकीर्ण अनुरोध की अलग से जांच की है
39. प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए साक्ष्य की जांच की है। घरेलू उद्योग की सत्यापित जानकारी मिश्र धातुओं, टेपरों और विशिष्टताओं की एक सीमा को कवर करने वाले क्लैड एल्युमीनियम उत्पादों के निर्माण

और आपूर्ति को स्थापित करती है, जिसमें एच24 और अन्य टेंपरो में उत्पाद शामिल हैं। इसलिए, अभिलेख क्लैड उत्पादों को एक वर्ग के रूप में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने का समर्थन नहीं करता। प्राधिकारी ने, हालांकि, अलग से जांच की है कि क्या फोल्डेड या बी-टाइप रेडिएटर ट्यूब, वेल्डेड रेडिएटर ट्यूब और चार्ज-एयर-कूलर/इंटरकूलर अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष रूप से पहचानी गई उत्पाद संयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के संबंधित या तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद उपलब्ध हैं।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच अधिनियम की धारा 9क (5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के तहत निर्णायक समीक्षा है। उपाय की निरंतरता का निर्धारण संबंधित वस्तु के संबंध में पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर किया जाना आवश्यक है। नियम 4 (ख) में शुल्क के लिए उत्तरदायी वस्तु की पहचान की आवश्यकता है, जबकि नियम 11 में सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर क्षति और कारणात्मक संबंध निर्धारित करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने तदनुसार संबंधित उत्पादों की सटीक भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबंधित उत्पादों और उनके बीच तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापन की डिग्री के संदर्भ में बहिष्करण अनुरोधों की जांच की है।
41. प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तुत लेन-देन-स्तर की जानकारी क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान वास्तविक और बार-बार खरीद स्थापित करती है: (i) 0.20 मिमी से 0.25 मिमी की मोटाई एच24 टेंपर में फोल्डेड या बी-टाइप रेडिएटर ट्यूब के लिए क्लैड सामग्री; और (ii) 0.265 मिमी से 0.35 मिमी की मोटाई एच24 टेंपर में वेल्डेड रेडिएटर ट्यूब के लिए क्लैड सामग्री। ये विशेष रूप से पहचान योग्य उत्पाद संयोजन हैं जो वास्तव में भारत में आयात और उपभोग किए गए हैं और केवल काल्पनिक या काल्पनिक विशिष्टताएं नहीं हैं। यह सूचना चार्ज-एयर-कूलर/इंटरकूलर अनुप्रयोगों के लिए 0.40 मिमी से 0.45 मिमी मोटाई वाली सामग्री की भी पहचान करती है; तथापि, उस उत्पाद के टेम्पर और कुछ अन्य विनिर्देशों से संबंधित सहायक सूचना की पृथक रूप से जांच की गई है।
42. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबंधित घरेलू उत्पाद मौजूद है, प्राधिकारी ने उत्पाद को एक पूर्ण तकनीकी संयोजन के रूप में माना है। एक उत्पाद को केवल उसी स्थिति में आयातित लेख के अनुरूप माना गया है जहां प्रासंगिक कोर मिश्र धातु, क्लैड मिश्र धातु या मिश्र धातु, परत विन्यास, मोटाई, टेंपर और अनुप्रयोग को सामूहिक रूप से माना जाता है। किसी एक उत्पाद में एक मिश्र धातु, दूसरे उत्पाद में प्रासंगिक टेंपर और अलग उत्पाद में प्रासंगिक मोटाई से संबंधित साक्ष्य, अपने आप में, जांच के अधीन विशेष रूप से पहचाने गए संयोजन के निर्माण को प्रदर्शित नहीं कर सकते।
43. अभिलेख पर तकनीकी जानकारी आगे स्थापित करती है कि कोर मिश्र धातु, ब्रेजिंग क्लैड, सैक्रिफिशियल क्लैड, परत विन्यास, टेंपर और गेज एक साथ काम करते हैं ताकि ब्रेजिबिलिटी, यांत्रिक शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध और ट्यूब-निर्माण प्रदर्शन निर्धारित हो सके। ये विशेषताएं ग्राहक/ओईएम विशिष्टताओं का हिस्सा हैं और तकनीकी मूल्यांकन, परीक्षण और अनुमोदन के बिना आवश्यक रूप से स्वतंत्र रूप से बदली नहीं जा सकतीं। अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित कोई अन्य उत्पाद, जिसमें भौतिक रूप से भिन्न मिश्र धातु संयोजन, परत विन्यास, टेंपर या अन्य प्रासंगिक विनिर्देश है, जांच के अधीन सटीक फोल्डेड-ट्यूब और वेल्डेड-ट्यूब संयोजनों के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विनिमेय है।

44. प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि उसने किसी भी न्यूनतम मात्रा के उत्पादन या बिक्री, या "वाणिज्यिक मात्रा" में उत्पादन या बिक्री की आवश्यकता, को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उत्पाद शामिल करने की शर्त के रूप में लागू नहीं किया है। न ही किसी विशेष स्तर की बिक्री की अनुपस्थिति को, अपने आप में, बहिष्करण का आधार माना गया है। तकनीकी क्षमता, विकास प्रयासों, नमूनों, परीक्षणों या निर्माण की इच्छा के बयानों को अभिलेख पर अन्य साक्ष्यों के साथ विचार किया गया है। वर्तमान मामले में, बहिष्करण इस सामूहिक निष्कर्ष पर आधारित है कि सटीक रूप से परिभाषित उत्पाद संयोजनों के लिए, अभिलेख घरेलू उद्योग के संबंधित उत्पाद को स्थापित नहीं करता है, जिसमें प्रासंगिक विशेषताओं का पूर्ण संयोजन है, न ही उन संयोजनों के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय कोई अन्य घरेलू उत्पाद स्थापित करता है। प्राधिकारी ने किसी भी मांग-आपूर्ति अंतर को, अपने आप में, बहिष्करण के आधार के रूप में नहीं माना है।
45. चार्ज-एयर-कूलर/इंटरकूलर ट्यूब सामग्री के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद को परिशिष्ट डी1 में एच14 टेंपर के रूप में रिपोर्ट किया गया है, लेकिन लेन-देन-स्तर की खरीद जानकारी में एच24 टेंपर के रूप में रिपोर्ट किया गया है। चौड़ाई सीमा 30 मिमी से 145 मिमी भी लेन-देन-लिंकड मिल टेस्ट प्रमाणपत्रों, खरीद आदेशों या पैकिंग अभिलेख के माध्यम से प्रमाणित नहीं की गई है, और अभिलेख एच22 टेंपर में प्रासंगिक ट्यूब उत्पादों को स्थापित नहीं करता है। सुसंगत और सत्यापन योग्य साक्ष्य की अनुपस्थिति में जो पूर्ण उत्पाद संयोजन की पहचान करता है, प्राधिकारी चार्ज-एयर-कूलर/इंटरकूलर ग्रेड, एच22 टेंपर में उत्पाद, असत्यापित चौड़ाई सीमा, मध्यवर्ती मोटाई सीमाएं, या 0.20 मिमी से 0.50 मिमी की पूरी सतत सीमा के बहिष्करण नहीं करता है।
46. उपरोक्त जांच को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित संकीर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित उत्पादों को उपाय के प्रस्तावित निरंतरता से बाहर रखने का प्रस्ताव करते हैं: एए3003 मॉडिफाइड या एए3005 मिश्र धातु का कोर, एए4343 एल्युमीनियम-सिलिकॉन ब्रेज़िंग क्लैड परत और एए7072 सैक्रिफिशियल क्लैड परत के साथ धातुकर्म रूप से बंधे क्लैड एल्युमीनियम ट्यूब सामग्री काँइल रूप में, जो निम्न में से किसी एक के अनुरूप हो: (i) 0.20 मिमी से 0.25 मिमी, दोनों समावेशी, एच24 टेंपर में, फोल्डेड या बी-टाइप रेडिएटर ट्यूब के निर्माण के लिए; या (ii) 0.265 मिमी से 0.35 मिमी और 0.40 मिमी से 0.45 मिमी, दोनों समावेशी, एच24 टेंपर में, वेल्डेड रेडिएटर ट्यूब के निर्माण के लिए। बहिष्करण निर्दिष्ट उत्पाद संयोजनों तक सीमित है और हर पात्र वास्तविक प्रयोक्ता के लिए उपलब्ध होगा जो निर्धारित उत्पाद, दस्तावेजी और अंतिम-उपयोग शर्तों को पूरा करता है। यह आयातक-विशिष्ट छूट नहीं है।
47. अंतिम मात्रात्मक निर्धारण के प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से बहिष्कृत उत्पादों से संबंधित लेनदेन को विचाराधीन उत्पाद के बाहर माना जाएगा और जहां भी लागू हो, आयात मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, पहुंच मूल्य, कीमत प्रभाव, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और संभावना के निर्धारण से साथ ही संबंधित घरेलू बिक्री, लागत और गैर-हानिकारक-मूल्य जानकारी से भी बाहर रखा जाएगा, । यह उपाय ऊपर निर्धारित उत्पाद-विशिष्ट बहिष्कार के लिए परिणामी है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आने वाले अन्य क्लैड उत्पादों के उपचार को प्रभावित नहीं करता है।

48. पहचाने गए अनक्लैड ग्रेडों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये ग्रेड विचाराधीन उत्पाद द्वारा कवर किए गए 1xxx और 3xxx मिश्र धातु श्रृंखलाओं और अधिसूचित पीसीएन श्रेणियों फिन स्टॉक और सामान्य इंजीनियरिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख पर साक्ष्य इन मिश्र धातु श्रृंखलाओं के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति को स्थापित करते हैं। प्रयोक्ताओं द्वारा भरोसा किया गया साक्ष्य गुणवत्ता विचलन, वितरण में देरी और विशेष खेपों या अनुसूचियों के विरुद्ध कम आपूर्ति के उदाहरणों को इंगित करता है। ऐसे उदाहरण लेख में सामग्री अंतर की अनुपस्थिति या घरेलू समान लेख की अनुपस्थिति को स्थापित नहीं करते हैं। विशेष खेपों की संविदात्मक विशिष्टताओं, वितरण अनुसूचियों या व्यक्तिगत गुणवत्ता शिकायतों के अनुरूपता से संबंधित मुद्दे, लेख में भौतिक अंतर स्थापित करने वाले आगे के साक्ष्य के बिना, नियम 2(डी) के तहत बहिष्करण का आधार नहीं बन सकते। प्राधिकारी इसलिए पहचाने गए अनक्लैड ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं करता है।
49. टेंपर के संबंध में, प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि टेंपर निर्माण, यांत्रिक व्यवहार और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण को प्रभावित करता है। टेंपर, अपने आप में और प्रत्येक मामले में, उत्पाद दायरे से बहिष्करण की आवश्यकता नहीं रखते, क्योंकि अधिसूचित पीसीएन पद्धति टेंपर को तुलना मानदंड के रूप में प्रदान करती है। हालांकि, जहां टेंपर ग्राहक या ओईएम विशिष्टताओं द्वारा शासित पूर्ण उत्पाद संयोजन का हिस्सा बनता है और साक्ष्य स्थापित करता है कि किसी अन्य टेंपर में उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विनिमेय नहीं है, यह उत्पाद बहिष्करण के साथ-साथ निष्पक्ष तुलना के लिए भी प्रासंगिक है। यह वह आधार है जिस पर एच24 को उपरोक्त विशिष्ट फोल्डेड-ट्यूब और वेल्डेड-ट्यूब बहिष्करणों के एक तत्व के रूप में माना गया है। शेष उत्पादों के लिए, टेंपर में अंतर पीसीएन पद्धति के माध्यम से संबोधित किए जाते हैं जब तक कि पूर्ण-उत्पाद और गैर-प्रतिस्थापनशीलता परीक्षण स्वतंत्र रूप से संतुष्ट न हों।
50. 1950 मिमी से ऊपर की चौड़ाई के एफआरपी के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फाईल स्टॉक के लिए अधिसूचित पीसीएन "540 और ऊपर" की चौड़ाई को कवर करता है, और सामान्य इंजीनियरिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए पीसीएन 10 से 1950 मिमी की चौड़ाई को कवर करता है। हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग के पास 1950 मिमी से ऊपर एफआरपी उत्पादित करने की क्षमता या क्षमता नहीं है और उसकी लेन-देन-वार सूची में ऐसी कोई बिक्री नहीं दिखाई देती है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि उच्च चौड़ाई के उत्पादन के लिए भारत में एक नया एल्युमीनियम फाईल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्थापित होने वाली क्षमता उत्पादन नहीं है, और मानक संचालन प्रथाओं की नियमावली के पैरा 3.10 के तहत, उत्पादन या व्यापारी बिक्री के बिना केवल क्षमता विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में किसी वस्तु को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।
51. उपर्युक्त तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के चरण में इस मुद्दे की आगे जांच की है।

52. प्राधिकारी ने अधिक चौड़ाई वाले भावी संयंत्र से संबंधित पूर्ववर्ती कथन को विचार से बाहर रखा है। निर्माणाधीन संयंत्र अथवा भावी क्षमता का कथन जांच अवधि के दौरान उत्पादन स्थापित नहीं कर सकता। अतः इस मुद्दे का निर्धारण केवल वास्तविक समकालीन साक्ष्य के आधार पर किया गया है।
53. घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर और प्रदर्श 12 में संदर्भित लेन-देन-वार सामग्री में ऐसी प्रविष्टियां हैं, जो प्रासंगिक अवधि के दौरान 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले एफआरपी के वाणिज्यिक विनिर्माण और व्यापारिक बिक्री को दर्शाती हैं। प्रयोक्ताओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि वे प्रविष्टियां उस व्यापक चौड़ाई श्रेणी से सारभूत रूप से भिन्न किसी उत्पाद से संबंधित हैं जिसके लिए अपवर्जन मांगा गया है, अथवा 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले आयातित उत्पाद, एक वर्ग के रूप में, ऐसी विशेषताएं रखते हैं जो उन्हें अप्रतिस्थापनीय बनाती हों।
54. अतः यह तथ्यात्मक आधार टिकाऊ नहीं है कि 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाला कोई घरेलू उत्पाद वाणिज्यिक रूप से उत्पादित नहीं किया गया था। चूंकि यह अनुरोध चौड़ाई-आधारित एकमुश्त अपवर्जन के रूप में किया गया है और इससे उन उत्पादों को दायरे से बाहर किया जाएगा जिनकी घरेलू आपूर्ति अभिलेख पर उपलब्ध है, इसलिए यह अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

(घ) 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई की रंगीन कोटेड कॉइल

55. प्राधिकारी ने 80 माइक्रोन से ऊपर और 120 माइक्रोन से नीचे की मोटाई वाली कलर कोटेड कॉइल के संबंध में अनुरोध की जांच की है। यह नोट किया गया है कि 80 माइक्रोन तक एल्युमीनियम फॉइल स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा गया है, जबकि मूल जांच में, कलर कोटेड कॉइल के लिए पीसीएन 120 माइक्रोन और उससे ऊपर की मोटाई के उत्पादों को कवर करता था। इस प्रकार, 80 माइक्रोन से ऊपर लेकिन 120 माइक्रोन से नीचे की मोटाई की कलर कोटेड कॉइल मूल जांच में उस पीसीएन के लिए निर्धारित मोटाई सीमा के भीतर शामिल नहीं थीं। चूंकि निर्णायक समीक्षा मूल जांच के उत्पाद दायरा या पीसीएन कवरेज से परे विस्तार करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती, प्राधिकारी अनुरोध स्वीकार करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि 80 माइक्रोन से ऊपर और 120 माइक्रोन से नीचे की मोटाई वाली कलर कोटेड कॉइल विचाराधीन उत्पाद और वर्तमान समीक्षा के दायरा से बाहर रखी गई हैं।
56. प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आलोक में इस मुद्दे की पुनः जांच की है। प्रकटन विवरण में 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले रंग-लेपित एल्युमीनियम उत्पादों के अपवर्जन का प्रस्ताव इस आधार पर किया गया था कि मूल जांच में “रंग-लेपित” उत्पादों के लिए विशिष्ट पीसीएन में 0.12 मिमी से 1.63 मिमी (120–1,630 माइक्रोन) की मोटाई सीमा का उल्लेख था, जबकि 80 माइक्रोन तक की एल्युमीनियम फॉइल स्पष्ट रूप से अपवर्जित थी। तथापि, प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियों के उपरांत प्राधिकारी के संज्ञान में यह लाया गया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क वर्तमान में 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई सीमा में आने वाले रंग-लेपित एल्युमीनियम उत्पादों पर लागू है। हिंडालको ने तदनुसार प्रस्तुत किया है कि इस मोटाई सीमा पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की निरंतर लागूता यह दर्शाती है कि ऐसे उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद का भाग हैं, भले ही विशिष्ट रंग-लेपित पीसीएन में निम्नतर मोटाई सीमा 120 माइक्रोन दर्शाई गई हो।

57. प्राधिकारी नोट करता है कि 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई सीमा में आने वाले रंग-लेपित एल्युमीनियम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का निरंतर अधिरोपण पीयूसी के मौजूदा दायरे के निर्धारण के लिए एक प्रासंगिक और सारभूत तथ्य है। पीसीएन मुख्यतः विभिन्न उत्पाद प्रकारों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने की व्यवस्था है और वह, अपने आप में, पीयूसी के विधिक दायरे को निर्धारित या सीमित नहीं करता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मौजूदा पाटनरोधी उपाय विवादित मोटाई सीमा में आने वाले रंग-लेपित उत्पादों तक विस्तारित है, प्राधिकारी यह मानता है कि उक्त उत्पादों को मात्र इस आधार पर मौजूदा पीयूसी से बाहर नहीं माना जा सकता कि मूल जांच में विशिष्ट रंग-लेपित पीसीएन 120 माइक्रोन से आरंभ होता था। अतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच मुख्यतः इस आधार पर पीयूसी से 80-120 माइक्रोन की सीमा के अपवर्जन के अनुरोध के रूप में की गई है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई सीमा वाले विवादित रंग-लेपित उत्पादों का निर्माण और/या बिक्री नहीं की। ऐसे अपवर्जन के गुण-दोषों की जांच नीचे की गई है।
58. हिंडाल्को द्वारा 80-120 माइक्रोन की रंग-लेपित कॉइल के उत्पादन और बिक्री संबंधी तर्क की जांच जांच अवधि के लिए उसके अपने लेन-देन-वार बिक्री रजिस्टर से की गई है। उक्त रजिस्टर में हिंडाल्को द्वारा स्वयं “रंग-लेपित” के अंतर्गत वर्गीकृत 1,472 बिक्री प्रविष्टियां हैं और इन उत्पादों की मोटाई 0.40 मिमी से 1.22 मिमी, अर्थात् 400 से 1,220 माइक्रोन तक है। 400 माइक्रोन से नीचे एक भी बिक्री नहीं है, और परिणामस्वरूप विवादित 80-120 माइक्रोन सीमा में कोई बिक्री नहीं है। यहां तक कि “एवरलास्ट (कॉइल/शीट)” के रूप में वर्णित प्रविष्टियां भी 400 से 1,000 माइक्रोन तक की हैं। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती अवधि के लिए अभिलेख पर रखे गए ऐतिहासिक बीजकों की भी जांच की है; उनमें चिह्नित न्यूनतम मोटाई 0.18 मिमी (180 माइक्रोन) है। अतः न तो जांच अवधि का बिक्री रजिस्टर और न ही ऐतिहासिक बिक्री अभिलेख (अगस्त 2020 से की अवधि) 80-120 माइक्रोन सीमा में रंग-लेपित कॉइल की वाणिज्यिक बिक्री स्थापित करते हैं।
59. यह साक्ष्य विशेष महत्व रखता है क्योंकि हिंडाल्को ने अपनी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से यह दावा किया है कि उसने 80-120 माइक्रोन की रंग-लेपित कॉइल के उत्पादन और बिक्री को दर्शाने वाले बीजक प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी ने उस दावे को मात्र उसके वर्णन के आधार पर स्वीकार नहीं किया है। ऐसे किसी दावे के लिए जिस किसी नमूना बीजक पर भरोसा किया गया हो, उसका घरेलू उद्योग के संपूर्ण बिक्री अभिलेख से आवश्यक रूप से पुनर्मिलन होना चाहिए। जहां स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा संधारित और प्रस्तुत किए गए संपूर्ण जांच अवधि रजिस्टर में दावा की गई मोटाई सीमा में कोई लेन-देन नहीं है, वहां कोई पृथक दस्तावेज अथवा विनिर्माण क्षमता का सामान्य कथन जांच अवधि के दौरान उस उत्पाद के वाणिज्यिक विनिर्माण और व्यापारिक बिक्री का साक्ष्य नहीं माना जा सकता। अतः प्राधिकारी यह पाता है कि अभिलेख जांच अवधि के दौरान 80-120 माइक्रोन की रंग-लेपित कॉइल की वाणिज्यिक आपूर्ति के हिंडाल्को के दावे को सिद्ध नहीं करता।

60. सीईएसटीएटी ने एसोसिएशन ऑफ़ मैन मेड फ़ाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया बनाम डेज़िग्रेटेड अथॉरिटी में स्पष्ट रूप से यह मान्यता दी है कि निर्णायक समीक्षा में पीयूसी के दायरे को संकुचित किया जा सकता है, विशेष रूप से जहां किसी विशिष्ट ग्रेड अथवा उत्पाद प्रकार के संबंध में संरक्षण को जारी रखने की मांग नहीं की गई हो अथवा उसका औचित्य सिद्ध न हो। ऐसा संकुचन समीक्षा जांचों को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत के अनुरूप है कि पाटनरोधी उपाय केवल उतनी अवधि तक और केवल उस सीमा तक जारी रहना चाहिए, जितना क्षतिकारक पाटन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो।
61. इसी तरह, इसी प्रकार, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने *Epigral Limited v. Union of India* में यह मान्यता दी कि विभिन्न ग्रेड, रूप, प्रकार, क्षमता और आकार पीसीएन हो सकते हैं, किंतु उत्पाद दायरा, एक बार निर्धारित हो जाने पर, संकुचित किया जा सकता है और उसे विस्तारित नहीं किया जा सकता। अतः मोटाई, चौड़ाई, मिश्रधातु, टेम्पर, ग्रेड अथवा आकार से संबंधित पीसीएन सीमाओं का विस्तार मात्र पीसीएन कार्यप्रणाली में परिवर्तन बताकर उचित नहीं ठहराया जा सकता, यदि उससे ऐसे उत्पाद जांच के दायरे में आ जाते हैं जो मूल दायरे से बाहर थे। यह अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र के भी अनुरूप है। *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review* में अपीलीय निकाय ने स्पष्ट किया कि निर्णायक समीक्षा “शुल्क के अधीन उत्पाद” और मौजूदा उपाय की निरंतरता से संबंधित होती है। अतः निर्णायक समीक्षा मौजूदा पीयूसी/पीसीएन कवरेज को संकुचित कर सकती है, किंतु उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विस्तारित करके ऐसे अतिरिक्त उत्पादों अथवा तकनीकी सीमाओं को शामिल नहीं कर सकती जो मूल उपाय के अंतर्गत शामिल नहीं थे।
62. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी 80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली रंग-लेपित कॉइल के अपवर्जन की पुष्टि करता है। इस अपवर्जित सीमा में आने वाले लेन-देनों को, जहां कहीं लागू हो, आयात मात्रा, अवतरित मूल्य, कीमत प्रभाव, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और संभावना विश्लेषण के प्रयोजनार्थ सुसंगत रूप से पीयूसी से बाहर माना जाएगा।

(ड) क्या विचाराधीन उत्पाद का दायरा निर्णायक समीक्षा में संकुचित किया जा सकता है

63. प्राधिकारी कानून और अपनी सुसंगत प्रथा के रूप में स्वीकार करते हैं कि जबकि विचाराधीन उत्पाद का दायरा निर्णायक समीक्षा में चौड़ा या विस्तारित नहीं किया जा सकता, अधिनियम या नियमावली के तहत मौजूदा उपाय के दायरा को संकुचित करने पर कोई रोक नहीं है। यह मानक संचालन प्रथाओं की नियमावली के पैरा 3.28 और 17.11 और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए निर्धारणों द्वारा समर्थित है, जिसमें विस्कॉस स्टेपल फाइबर, फुली ड्रॉन या फुली ओरिएंटेड यार्न और ग्लास फाइबर की निर्णायक समीक्षाएं शामिल हैं।
64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विरोध, अपने आप में, दायरा के संकुचन को रोकता नहीं है जहां वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित उत्पाद प्रकार के लिए निरंतरता की वैधानिक आवश्यकताएं स्थापित नहीं होती हैं। वर्तमान मामले में, अभिलेख सामान्य रूप से क्लैड के वाणिज्यिक उत्पादन को स्थापित करता है और इसलिए थोक बहिष्करण का औचित्य नहीं देता; फिर भी यह उन निर्दिष्ट फोल्डेड-ट्यूब और वेल्डेड-ट्यूब उत्पादों के संकीर्ण

बहिष्करण का समर्थन करता है जिनके लिए पूर्ण-उत्पाद और गैर-प्रतिस्थापनशीलता परीक्षण संतुष्ट हैं। यह सीमित अभ्यास मूल पीयूसी का विस्तार नहीं करता और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित व्यापक प्रश्नों का निर्णय नहीं करता।

(च) पीसीएन पद्धति

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन पद्धति को 13 मई, 2026 की अधिसूचना द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। पद्धति को अंतिम रूप देते समय, प्राधिकारी ने "लंबाई सीमा" विनिर्देश स्तंभ को हटा दिया और लिथोग्राफिक एल्युमीनियम कॉइल की चौड़ाई सीमा को "600 से 1150 मिमी" में संशोधित किया, जैसा कि डिंगशेंग समूह द्वारा अनुरोध किया गया था और घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया था, और फॉइल स्टॉक की चौड़ाई सीमा को "540 और ऊपर" में संशोधित किया। माले अनंद और एसीपी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉइल के साथ क्लैड और एसीपी अनुप्रयोग के लिए कलर कोटेड कॉइल के लिए अलग पीसीएन मानदंड के अनुरोध पहले से ही संबोधित पाए गए, क्योंकि दोनों मानदंड पीसीएन तालिका में मौजूदा श्रेणियों द्वारा कवर किए गए हैं।
66. हुआफोंग की प्रस्तुति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दो श्रेणियां न केवल मोटाई से बल्कि निर्माण और अनुप्रयोग से प्रतिष्ठित हैं। "क्लैड" एक कम्पोजिट सामग्री को दर्शाता है जिसमें कोर से धातुकर्म रूप से बंधी एक या अधिक एल्युमीनियम-सिलिकॉन परतें होती हैं, जबकि "फिन स्टॉक" सामग्री को दर्शाता है, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड, मिश्र धातु श्रृंखला और गेज जो हीट एक्सचेंजर्स में फिन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग होता है। दो श्रेणियों की मोटाई सीमाओं में ओवरलैप इसलिए वर्गीकरण में अस्पष्टता उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि मोटाई उनके बीच अंतर का संचालन मानदंड नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों ने वास्तव में अपने लेन-देन दो श्रेणियों के तहत बिना किसी स्पष्ट कठिनाई के रिपोर्ट किए हैं, और हुआफोंग समूह, डिंगशेंग समूह और अलचा समूह ने क्लैड, फिन स्टॉक, कलर कोटेड और फॉइल स्टॉक के तहत अलग-अलग मात्राएं रिपोर्ट की हैं। प्राधिकारी ने प्रत्येक उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक द्वारा अपनाए गए पीसीएन-वार वर्गीकरण को उसके उत्पाद कैटलॉग, सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र और चालानों के विरुद्ध सत्यापित किया है और संतुष्ट है कि रिपोर्टिंग सुसंगत है और कोई दोहरी गिनती नहीं हुई है।
67. गैर-कम्पोजिट सामग्री के संबंध में जिसकी मोटाई फिन स्टॉक के लिए निर्धारित सीमा से बाहर आती है, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि ऐसी सामग्री को "सामान्य इंजीनियरिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों सहित अनुप्रयोगों" के लिए पीसीएन के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए, न कि "क्लैड" के तहत। जहां तक किसी उत्पादक या निर्यातक ने ऐसी सामग्री को किसी अन्य श्रेणी के तहत रिपोर्ट किया है, प्राधिकारी ने तुलना के प्रयोजन के लिए लेन-देन को तदनुसार पुनर्वर्गीकृत किया है।

(छ) समान वस्तु

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, ऊपर जांच किए गए विशिष्ट उत्पाद प्रकारों को छोड़कर, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह स्थापित नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान लेख नहीं है। दायरा में बनाए गए घरेलू और आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, मूल्य निर्धारण, वितरण, विपणन और टैरिफ वर्गीकरण में तुलनीय हैं, और उपभोक्ताओं द्वारा विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। निर्दिष्ट फोल्डेड-ट्यूब और वेल्डेड-ट्यूब क्लैड सामग्री को बाहर रखा गया है क्योंकि साक्ष्य पूर्ण संयोजनों के उत्पादन और स्वीकृत व्यापारी आपूर्ति या तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विनिमेय घरेलू उत्पाद को स्थापित नहीं करते हैं। उक्त अपवर्जनों के अधीन, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद नियमों के नियम 2(घ) के अर्थ में समान वस्तु है।
69. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे को यथावत रखता है, जैसा कि 20 मार्च, 2026 की जांच शुरू करने की अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था और 13 मई, 2026 की अधिसूचना द्वारा पुष्टि की गई, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों और 10 दिसंबर, 2025 की संशोधन अधिसूचना के साथ पठित, (i) 80 माइक्रोन से ऊपर और 120 माइक्रोन से नीचे की मोटाई वाली कलर कोटेड कॉइल के बहिष्करण, और (ii) निर्धारित वास्तविक-प्रयोक्ता और अंतिम-उपयोग शर्तों के तहत, फोल्डेड या बी-टाइप रेडिएटर ट्यूब और वेल्डेड रेडिएटर ट्यूब के लिए दो निर्दिष्ट क्लैड एल्युमीनियम ट्यूब सामग्री के बहिष्करण के अधीन। अन्य सभी क्लैड उत्पाद 80 माइक्रोन से ऊपर, जिसमें अनसुलझे चार्ज-एयर-कूलर/इंटरकूलर ग्रेड और एच22 टेंपर में उत्पाद शामिल हैं, दायरा के भीतर रहते हैं। 13 मई, 2026 को अधिसूचित पीसीएन पद्धति अन्यथा बरकरार है, लेकिन बहिष्कृत उत्पादों से संबंधित लेन-देन पीयूसी आंकड़े आंकड़े का हिस्सा नहीं बनेंगे।
70. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अंतिम पीयूसी इस प्रकार है:-
“विचाराधीन उत्पाद ‘एल्युमीनियम के फ्लैट रोल्ड उत्पाद’ (‘एफआरपी’) हैं। एफआरपी विभिन्न आयामों की एल्युमीनियम रोल्ड कॉइल अथवा एल्युमीनियम रोल्ड शीट के रूप में बनाए जाते हैं। उत्पाद दायरे में उत्पादों के सभी रूप और आकार, अन्य बातों के साथ-साथ, कॉइल, शीट, सर्किल, प्लेट आदि शामिल हैं, जिनमें मिल-फिनिशड अथवा लेपित उत्पाद भी शामिल हैं।
पीयूसी के दायरे में सभी आयामों, व्यासों, मोटाइयों, चौड़ाइयों, मिश्रधातुओं, फिनिश आदि के उत्पाद शामिल हैं, सिवाय निम्नलिखित के:
i. कैन-बॉडी स्टॉक — इसमें एल्युमीनियम कैन बनाने के लिए प्रयुक्त कैन एंड स्टॉक (सीईएस) भी शामिल है;
ii. 80 माइक्रोन तक की एल्युमीनियम फॉयल। यह स्पष्ट किया जाता है कि ‘एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल स्टॉक’ अथवा ‘एसीपी मिल फिनिश’ इस जांच के दायरे में शामिल है;
iii. 5 से 80 माइक्रोन तक की संगत नॉन-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल सहित क्लैड;
iv. 1150 मिमी से अधिक चौड़ाई वाली लिथोग्रेड एल्युमीनियम कॉइल;
v. 80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली रंग-लेपित कॉइल; और”

vi. क्लैड का निम्नलिखित ग्रेड, अर्थात् "काँइल स्वरूप में क्लैड एल्युमीनियम ट्यूब सामग्री, जिसमें एए3003 मॉडिफाइड अथवा एए3005 मिश्रधातु का कोर हो, जो एए4343 एल्युमीनियम-सिलिकॉन ब्रेजिंग क्लैड परत तथा एए7072 बलिदायी क्लैड परत के साथ धातुकर्मिक रूप से आवद्ध हो, और जो या तो (i) एच24 टेम्पर में 0.20 मिमी से 0.25 मिमी तक की मोटाई, दोनों सम्मिलित, फोल्डेड अथवा बी-टाइप रेडिएटर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए; अथवा (ii) एच24 टेम्पर में 0.265 मिमी से 0.35 मिमी और 0.40 मिमी से 0.45 मिमी तक की मोटाई, दोनों सम्मिलित, वेल्डेड रेडिएटर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए, के अनुरूप हो"; तथा वायु-शीतित कंडेंसर और औद्योगिक शुष्क-शीतलन उद्योग में प्रयुक्त एच24 उत्पाद, अर्थात् एए4343/एए3003-एच24 मिश्रधातु की क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप, जिसकी मोटाई 0.23 मिमी से 0.30 मिमी तक हो, दोनों सम्मिलित, चौड़ाई 200 मिमी हो और मोटाई सह्यता ± 0.0075 मिमी हो, जो वायु-शीतित कंडेंसरों और औद्योगिक शुष्क-शीतलन प्रणालियों के लिए फिन ट्यूबों के विनिर्माण में उपयोग हेतु हो। यह अपवर्जन उत्पाद-विशिष्ट है और वास्तविक-प्रयोक्ता शर्त के अधीन आयातक को उपलब्ध होगा।

71. यहां अंतिम पीसीएन कार्यप्रणाली इस प्रकार है:

क्र. सं.	पीसीएन	मोटाई सीमा (मिमी)	चौड़ाई सीमा (मिमी)	टेम्पर	मिश्रधातु श्रेणी	प्राथमिक अनुप्रयोग
1	एसीपी स्टॉक / एसीपी मिल फिनिश (एसीपी)	0.12 से 0.98	760 से 1550	H12, H14, H16, H18, H22, H24, H28	1xxx, 3xxx, 5xxx	एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल, अग्रभाग, विभाजन, साइनेज आदि के लिए
2	रंग-लेपित	0.12 से 1.63	760 से 1550	H12, H14, H16, H18, H22, H24, H28, H4X	1xxx, 3xxx, 5xxx	एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल, अग्रभाग, इन्सुलेशन, छत/क्लैडिंग के लिए
3	फिन स्टॉक	0.04 से 1.5	10 से 1220	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, व F	1xxx, 3xxx, 8xxx	ऑटोमोटिव/परिवहन, औद्योगिक ऊष्मा विनिमयक और वातानुकूलन के लिए एचवीएसी अनुप्रयोग
4	क्लैड	0.045 से 4.0	10 से 1200	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, व F	3xxx, 4xxx, 5xxx, 7xxx	ऑटोमोटिव/परिवहन के लिए एचवीएसी अनुप्रयोग
5	सर्कल	0.6 से 7.25	102 से 1350 (व्यास)	O, H12, H14, H16, H18, H24, T6	1xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx	प्रेशर कुकर और रसोई उपकरण
6	फॉयल स्टॉक	0.08 से अधिक	540 और उससे अधिक	H14, H16, H18, H24 व F	1xxx, 3xxx, 8xxx	पैकेजिंग

		और 0.60 तक				
7	हार्ड अलॉय	0.20 से 5	20 से 1900	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, T4, T5, T6	2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx	औद्योगिक, निर्माण और रक्षा अनुप्रयोग
8	लिथोग्राफिक एल्युमीनियम	0.20 से 0.35	600 से 1150	H18	1xxx	मुद्रण प्लेट
9	प्लेट	5 से 300	140 से 1900	T6, F, O, H111	1xxx, 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx	रक्षा और औद्योगिक अनुप्रयोग
10	क्लोजर स्टॉक	0.13 से 0.52	38 से 1940	O, H14, H16, H18, H34, H36, H39	1xxx, 3xxx, 5xxx, 8xxx	पीपी कैप और पैकेजिंग
11	सामान्य इंजीनियरिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों सहित अनुप्रयोग (जिन्हें जीईक्यू कहा जा सकता है)	0.07 से 5	10 से 1950	O, H12, H14, H15, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, F, H2X, H3X, H4X, T4, T6	1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx	औद्योगिक, ऑटोमोटिव, निर्माण, टिकाऊ वस्तुएं, इन्सुलेशन आदि

घ घरेलू उद्योग दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

72. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक की स्थिति या नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग बनाने की पात्रता पर विवाद नहीं किया है। अलचा समूह, डिंगशेंग समूह, हुआफोंग समूह और ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि. ने, हालांकि, प्रस्तुत किया है कि क्षति अवधि के दौरान अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण सुधार क्षति और कारण के आकलन में एक प्रासंगिक विचार है, और आवेदक के प्रदर्शन को उन उत्पादकों द्वारा डाले गए प्रतिस्पर्धी दबाव से अलग नहीं देखा जा सकता। यह प्रस्तुति इस प्रकटीकरण विवरण के खंड में दी गई है।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

73. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वह भारत में कुल घरेलू उत्पादन का ***% हिस्सा रखता है, और आवेदक अपने समर्थकों, अर्थात् विरगो एल्युमीनियम लिमिटेड, इनाल्को एलॉयज लिमिटेड और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कुल घरेलू उत्पादन का *** % हिस्सा रखता है। यह नियम 2(ख) के संदर्भ में "प्रमुख अनुपात" का गठन करता है, और आवेदन नियम 23(1बी) के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किया गया है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया है कि अतिरिक्त उत्पादकों का बाजार में प्रवेश एक सकारात्मक विकास है जो शुल्कों की निरंतरता की आवश्यकता की पुष्टि करता है, और अपने आवेदन के साथ दाखिल समर्थन पत्रों पर भरोसा किया है जिसमें इनाल्को प्राइवेट लिमिटेड कहता है कि उसने 2023 में ***मी.टन की क्षमता वाला पीयूसी उत्पादन संयंत्र स्थापित किया और विरगो एल्युमीनियम लिमिटेड कहता है कि उसने अपनी निर्माण क्षमता *** मी.टन से ***मी.टन तक बढ़ाई, दोनों कहते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के बिना ऐसी स्थापना और क्षमता वृद्धि संभव नहीं होती।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

74. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:
"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।
75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और विरगो एल्युमीनियम लिमिटेड, इनाल्को एलॉयज लिमिटेड और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा समर्थित है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक द्वारा कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में प्रदान की गई जानकारी की जांच और सत्यापन किया गया है। आवेदक जांच अवधि के दौरान भारत में कुल घरेलू उत्पादन का ***% हिस्सा रखता है और समर्थकों के साथ मिलकर ***% हिस्सा रखता है।
76. प्राधिकरण तदनुसार यह निष्कर्ष निकालता है कि आवेदक भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का "एक प्रमुख अनुपात" बनाता है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग के रूप में योग्य है, और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के साथ नियम 23(1ख) के तहत खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करता है।

ड गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

77. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन, क्षमता, बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, लागत और लाभप्रदता से संबंधित जानकारी पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, और अनुरोध किया है कि पर्याप्त गैर-गोपनीय सारांश उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रस्तुत जानकारी के सार की सार्थक समझ संभव हो सके। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा मूल्यांकन किया गया है, पर्याप्त गैर-गोपनीय सारांश के बिना अभिलेख पर रखा गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

78. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि जिन सभी सूचनाओं के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है, वे स्वभाव से गोपनीय हैं और उनका खुलासा करने से उसके प्रतिस्पर्धियों को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा और उसके व्यवसाय पर इसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसने प्रस्तुत किया है कि जहां भी सूचना एक अवधि से संबंधित है, वहां अनुक्रमित रूप में पर्याप्त गैर-गोपनीय सारांश प्रदान किए गए हैं, जो व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार हैं और इच्छुक पक्षों ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं में सूचना की तुलनीय श्रेणियों पर गोपनीयता का दावा किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

79. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। नियम 7 के अनुसार, गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता की जांच की गई। नियम 7 प्रावधान करता है:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) (2) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

80. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं समुचित था वहां गोपनीयता दावे स्वीकार किए हैं और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करें।
81. यह देखा गया है कि आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्राओं, बाजार हिस्सेदारी, मालसूचियों, विक्रय मूल्यों, लागतों, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, पाटन अंतर, क्षति अंतर, मूल्य समायोजनों, बिक्री चैनलों, क्रय और विक्रय दस्तावेजों, तथा ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नामों जैसी सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां कहीं सूचना क्षति अवधि से संबंधित है, वहां वह सूचकांकित आधार पर प्रदान की गई है। प्राधिकारी संतुष्ट है कि हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावे, जिस सीमा तक स्वीकार किए गए हैं, समुचित हैं, और यह कि सूचना के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त गैर-गोपनीय सारांश रखे गए हैं।

च प्रक्रियात्मक मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) 18 महीने की जांच अवधि को अपनाना

82. अलचा समूह और डिंगशेंग समूह ने अनुरोध किया है कि 18 माह की जांच अवधि नियत करना पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3क)(ii) के विपरीत है और उसमें पर्याप्त औचित्य का अभाव है। नियम 5(3क)(ii) में यह उपबंध है कि जांच अवधि "सामान्यतः बारह माह की अवधि के लिए होगी और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छह माह या अधिकतम अठारह माह पर विचार कर सकते हैं"। अतः नियम बारह माह को मानक के रूप में और 18 माह की अवधि को ऐसे अपवाद के रूप में स्थापित करता है जिसके लिए औचित्य अपेक्षित है। 2021 में नियम के अधिनियमन के पश्चात से ऐसी जांचें या समीक्षाएं नगण्य हैं जिनमें 18 माह की जांच अवधि अपनाई गई हो।
83. यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में दर्ज कारण सामान्य प्रकृति के हैं और वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए विशिष्ट नहीं हैं। यह तर्क कि 18 माह की अवधि किसी वित्तीय वर्ष और उसके बाद के छह माह में अधिक व्यापक विश्लेषण की अनुमति देगी, मार्च माह में शुरू की गई प्रत्येक निर्णायक समीक्षा पर लागू हो सकता है, और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसी वित्तीय वर्ष के साथ उसके बाद के छह माह मिलकर सर्वाधिक हाल की बारह माह की अवधि की तुलना में अधिक प्रतिनिधिक संभावना विश्लेषण किस प्रकार देते हैं। यह अतिरिक्त कारण कि 18 माह की अवधि यह सुनिश्चित करती है कि क्षति विश्लेषण में कोई मध्यवर्ती अवधि न रहे, गलत

बताया गया है, क्योंकि अंतराल से बचने के लिए जांच अवधि और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के बीच अतिव्यापी अवधियां नियमित रूप से अपनाई जाती हैं।

84. यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच 20 मार्च 2026 को शुरू की गई होने के कारण, 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की बारह माह की जांच अवधि इस अपेक्षा को पूरा करती कि जांच अवधि शुरुआत की तारीख को छह माह से अधिक पुरानी न हो, और क्षति अवधि 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 को कवर करती। यह प्रतीत होता है कि 18 माह की अवधि केवल घरेलू उद्योग के लिए अधिक अनुकूल क्षति चित्रित करने के लिए अपनाई गई है, और यदि सर्वाधिक हाल की बारह माह की अवधि अपनाई गई होती, तो क्षति की संभावना का अभाव अधिक स्पष्ट होता।

(ii) प्रतिचयन का अनुरोध

85. अलचा समूह और डिंगशेंग समूह ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकारी को अपनी सुसंगत हालिया प्रथा के अनुसार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) के तहत वर्तमान जांच में प्रतिचयन करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि, जैसा कि 5 जून 2026 की पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार सूचना से स्पष्ट है, वर्तमान जांच में सात से आठ उत्पादक/निर्यातक समूह भाग ले रहे हैं, और यह कि प्राधिकारी ने मूल और समीक्षा दोनों प्रकार की जांचों में प्रतिचयन का सहारा लिया है जहां सहयोगी उत्पादक/निर्यातक समूहों की संख्या पांच या अधिक रही है। चीन जन. गण. से बेल्टिंग फैब्रिक (5 जनवरी 2026), बांग्लादेश, चीन जन. गण., थाईलैंड और यूएसए से पीईटी फिल्म (9 जनवरी 2026), चीन जन. गण. और वियतनाम से नायलॉन फिलामेंट यार्न (5 जून 2025) तथा चीन जन. गण. से टीपीयू-आधारित सरफेस/पेंट प्रोटेक्शन फिल्म (15 अप्रैल 2026) से संबंधित जांचों में किए गए प्रतिचयन निर्धारणों पर भरोसा किया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

86. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि जांच अवधि आवेदन में प्रस्तावित और न्यायोचित ठहराई गई थी, और नियम 5(3ए)(ii) के अनुसार शुरुआत अधिसूचना में लिखित में दर्ज कारणों से प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई है। यदि अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक की बारह माह की जांच अवधि अपनाई गई होती, तो अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक की अवधि पाटन या क्षति, किसी भी विश्लेषण में कवर नहीं होती, क्योंकि प्रस्तावित क्षति अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 को कवर करती है। संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2024-25 के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम छह माह को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि जांच अवधि संपूर्ण अवधि के आयात और क्षति रुझान की प्रतिनिधिक है, बिना किसी मध्यवर्ती अवधि के अपरीक्षित रहे, और इससे किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता बल्कि वस्तुतः लंबी अवधि में अधिक व्यापक विश्लेषण की अनुमति मिलती है।
87. घरेलू उद्योग ने प्रतिचयन के प्रश्न पर कोई अनुरोध नहीं किया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

(क) जांच अवधि

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 5(3क) में यह उपबंध है कि जांच अवधि जांच शुरू होने की तारीख को छह माह से अधिक पुरानी नहीं होगी, और सामान्यतः बारह माह की अवधि के लिए होगी, तथा प्राधिकारी को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से न्यूनतम छह माह या अधिकतम अठारह माह पर विचार करने की शक्ति प्राप्त है। अतः नियम कारणों के अभिलेखन के अधीन, अठारह माह की अवधि पर स्पष्ट रूप से विचार करता है। यह विवादित नहीं है कि शुरुआत अधिसूचना में कारण दर्ज किए गए हैं। प्रश्न यह है कि क्या वे कारण पर्याप्त हैं।
89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में आवेदन 31 जनवरी 2026 को दायर किया गया था और जांच 20 मार्च 2026 को शुरू की गई थी। जांच की अवधि छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जांच की अवधि 30 सितंबर 2025 से पहले समाप्त नहीं होनी चाहिए। अपनाई गई क्षति की अवधि में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के साथ-साथ जांच की अवधि भी शामिल है। यदि 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक बारह महीने की जांच अवधि को अपनाया गया होता, तो छह महीने की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक क्षति की अवधि और जांच की अवधि दोनों से बाहर आ जाती और पूरी तरह से जांच के दायरे से बाहर हो जाती।
90. प्राधिकारी इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं कि ऐसे अंतराल से बचने के लिए अतिव्यापी अवधियां नियमित रूप से अपनाई जाती हैं। जांच अवधि और क्षति अवधि का भाग बनने वाले किसी वित्तीय वर्ष के बीच अतिव्यापन में उसी छह माह की अवधि को दो बार गिनना पड़ेगा, एक बार क्षति अवधि के किसी वित्तीय वर्ष के भाग के रूप में और पुनः जांच अवधि के भाग के रूप में, जिससे रुझानों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना विकृत होगी, जिसे उत्पन्न करना क्षति विश्लेषण का आशय है। क्षति अवधि के अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात, 1 अप्रैल 2024 से आरंभ होने वाली जांच अवधि अपनाने से अंतराल और द्विगुणन दोनों से बचाव होता है और रुझान विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए सतत तथा गैर-अतिव्यापी श्रृंखला प्राप्त होती है।
91. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि लंबी जांच अवधि अपनाना, यदि कुछ है तो, इस प्रकृति की समीक्षा में सहायक ही है। धारा 9ए(5) के साथ पठित नियम 23 के तहत अपेक्षित परीक्षा भविष्योन्मुखी है, और संभावना का निर्धारण छोटी श्रृंखला की अपेक्षा लंबी और अधिक हाल की आंकड़े श्रृंखला पर बेहतर रूप से आधारित होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने लंबी अवधि अपनाने से उत्पन्न कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया है; उत्तरदाता उत्पादकों और निर्यातकों ने संपूर्ण जांच अवधि के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और प्राधिकारी ने नीचे खंड III में दिए गए विश्लेषण में जांच अवधि के आंकड़े को वार्षिकीकृत बारह माह के आधार पर भी प्रस्तुत किया है, ताकि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के साथ समरूप तुलना उपलब्ध हो।
92. तदनुसार, प्राधिकारी यह पाता है कि 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की जांच अवधि नियमों के नियम 5(3क) के अनुसार निर्धारित की गई है और अभिलिखित कारणों के आधार पर इसे यथावत रखा जाता है।

(ख) प्रतिचयन

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 17(3) प्राधिकारी को अपनी परीक्षा को हितबद्ध पक्षकारों की उचित संख्या तक सीमित करने की अनुमति देता है, किंतु ऐसा करना अपेक्षित नहीं करता, जहां संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि व्यक्तिगत निर्धारण अव्यवहार्य हो जाए। यह शक्ति जांच के व्यवस्थित और समयबद्ध संचालन के हित में प्रयोग की जानी है, और इसका प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रत्येक उत्तरदाता पक्ष के संबंध में व्यक्तिगत निर्धारण वस्तुतः अव्यवहार्य है।
94. वर्तमान मामले में, सात समूहों का गठन करने वाले चौदह उत्पादकों और निर्यातकों से प्रश्नावली उत्तर प्राप्त हुई हैं, अर्थात् डिंगशेंग समूह, अलचा समूह, हुआफोंग समूह, आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कं., लि., ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि., नानतोंग हेंगजिन कम्पोजिट मटेरियल कं., लि., और यिनबेंग क्लैड मटेरियल कं., लि.। यह नोट किया गया है कि मामले की तथ्यात्मक स्थिति और प्राप्त उत्तरों को देखते हुए, प्राधिकारी ने इस मामले में प्रतिचयन का सहारा लेना उपयुक्त नहीं पाया है। अतः व्यक्तिगत निर्धारण अव्यवहार्य नहीं हुआ है। तथापि, व्यक्तिगत अंतर केवल वहां प्रदान किया जा सकता है जहां संबंधित उत्पादक/निर्यातक की उत्तर पूर्ण, विश्वसनीय और संतोषजनक सत्यापन में सक्षम पाई जाए; प्रश्नावली उत्तर का मात्र दाखिल किया जाना, अपने आप में, सहयोगी या व्यक्तिगत उपचार प्रदान नहीं करता।
95. प्रत्येक ऐसे उत्पादक/निर्यातक समूह के संबंध में, जिसकी प्रश्नावली प्रतिक्रिया पूर्ण, विश्वसनीय तथा सत्यापन योग्य पाई गई है, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच अवधि के लिए पृथक निर्धारण किया है। जहां कोई उत्तर इस मानदंड को पूरा नहीं करती, वहां प्राधिकारी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा है।
96. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23(1ख) के तहत निर्णायक समीक्षा है। नियम 23(3) स्पष्ट रूप से यह उपबंध है कि नियम 23(2) के अधीन रहते हुए, नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 समीक्षा पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। अतः समीक्षा मूल जांच में निर्धारित उत्पादक-वार दरों के यांत्रिक पुनरुत्पादन तक सीमित नहीं है। प्राधिकारी, जहां कहीं आवश्यक वर्तमान सूचना उपलब्ध हो, वर्तमान जांच अवधि से संबंधित आंकड़े के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन अंतर, पहुँच कीमत और क्षति अंतर निर्धारित करने में सक्षम है और साथ ही पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की पृथक रूप से जांच करते हुए ऐसा करना अपेक्षित है।
97. तदनुसार, मूल जांच में भागीदारी न तो व्यक्तिगत दर का चिरस्थायी हक है और न ही वर्तमान समीक्षा में व्यक्तिगत उपचार के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। मूल जांच में भाग लेने वाला कोई उत्पादक/निर्यातक व्यक्तिगत उपचार के लिए अर्हता खो सकता है यदि नियमावली के तहत उसकी वर्तमान उत्तर स्वीकार्य न हो; इसके विपरीत, वर्तमान समीक्षा में पहली बार भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक को व्यक्तिगत उपचार प्रदान किया जा सकता है जहां उसकी वर्तमान

उत्तर पूर्ण, विश्वसनीय और सत्यापनीय हो तथा नियमावली के अनुसार व्यक्तिगत अंतर का निर्धारण करने की अनुमति देती हो।

छ सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) मलेशिया से आयात मूल्य पर आधारित प्रस्तावित सामान्य मूल्य कार्यप्रणाली उपयुक्त नहीं है

98. अलचा समूह और डिंगशेंग समूह ने प्रस्तुत किया है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली, अर्थात् मलेशिया से भारत को मूल्य, गलत है और निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं की जानी चाहिए:
- क. प्राधिकारी ने स्वयं शुरुआत के चरण में इस कार्यप्रणाली को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने शुरुआत अधिसूचना में दर्ज किया था कि आवेदक ने मलेशिया को उपयुक्त तीसरा देश मानने के आधार को पर्याप्त रूप से न्यायोचित नहीं ठहराया था, और सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया था।
- ख. नियमावली के परिशिष्ट I का पैरा 7 चयनित तीसरे देश से किसी एक विशिष्ट आयातक देश को निर्यात मूल्य को मात्र इसलिए चयनात्मक रूप से अपनाने की अनुमति नहीं देता कि ऐसा मूल्य अनुकूल पाटन अंतर देता है। यदि ऐसी कार्यप्रणाली को अपनाया ही जाना हो, तो तीसरे देश से अन्य सभी देशों को सामूहिक रूप से औसत निर्यात मूल्य लिया जाना चाहिए, ऐसा न होने पर घरेलू उद्योग चुन-चुनकर पाटन अंतर को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकेगा।
- ग. जांच अवधि के दौरान मलेशिया से भारत में आयातों की मात्रा 16,716 मी.टन थी, जो भारत में कुल आयातों का केवल 4.51% और चीन जन.गण. से आयातों का 6.29% है। इतनी कम मात्रा प्रतिनिधिक नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद ग्यारह पीसीएन श्रेणियों के संदर्भ में परिभाषित है, और उस स्तर की मात्रा आवश्यक रूप से उन श्रेणियों की छोटी संख्या तक सीमित रहेगी और सभी उत्पाद प्रकारों को कवर नहीं करेगी।
- घ. जब तीसरे देश का मूल्य सामान्य मूल्य के आधार के रूप में प्रस्तावित किया गया, तब प्राधिकारी ने लगातार तीसरे देश से आयातों की मात्रा की जांच की है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट फिल्म के आयातों से संबंधित 21 मार्च 2026 के प्रारंभिक जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश से भारत में आयातों को इस आधार पर अपनाने से इनकार किया कि ऐसे आयात मात्रा में कम थे, और सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य के रूप में किया, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित करके परिकलित किया गया।
- ड. मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली से हटने का कोई कारण नहीं है, जिसमें चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया था, जो विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा अतिरिक्त उचित लाभ सहित विधिवत समायोजित था।

(ii) शुल्क की व्यक्तिगत दरों का अनुरोध

99. अलचा समूह ने प्रस्तुत किया है कि जियांगसु अलचा एल्युमीनियम ग्रुप कं., लि. ने मूल जांच में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि उसने उस कार्यवाही की जांच अवधि के दौरान भारत को बहुत कम मात्राएं निर्यात की थीं, और उसी कारण से न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सका। वह अपने संबंधित निर्यातकों के साथ वर्तमान समीक्षा

में पहली बार भाग ले रहा है और उसने पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दाखिल की है। उसने प्रस्तुत किया है कि निर्णायक समीक्षा में पहली बार भाग लेने वाले उत्पादक या निर्यातक के लिए पाटनरोधी शुल्क की व्यक्तिगत दर विहित करना प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है, और उसने चीन जन. गण. से सोडियम सिट्रेट, चीन जन. गण. से एट्राजीन टेक्निकल, मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, जर्मनी और दक्षिण कोरिया से एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, चीन जन. गण. से नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक, बांग्लादेश और नेपाल से जूट उत्पाद, चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर, इंडोनेशिया से नायलॉन फिलामेंट यार्न, सऊदी अरब से हेक्सामाइन और चीन पीआर से एल्युमीनियम फॉइल से संबंधित निर्णायक समीक्षा समीक्षाओं में किए गए निर्धारणों पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि प्राधिकारी विद्यमान शुल्क दरों को जारी रखने का निर्णय करता है, तो जियांगसू अल्चा को मूल जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागू शुल्क दर प्रदान की जानी चाहिए। यदि प्राधिकारी विद्यमान शुल्क दरों में संशोधन करने का निर्णय करता है, तो जियांगसू अल्चा के लिए उसके स्वयं के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पृथक शुल्क दर निर्धारित की जानी चाहिए।

100. डिंगशेंग समूह ने प्रस्तुत किया है कि उसने वर्तमान समीक्षा में पूर्ण सहयोग किया है और अनुरोध किया है कि उसे व्यक्तिगत दर प्रदान की जाए। नानतोंग हेंगजिन कम्पोजिट मटेरियल कं., लि. ने प्रस्तुत किया है कि उसने पूर्ण सहयोग किया है और व्यक्तिगत अंतर के निर्धारण के लिए अपेक्षित समस्त सूचना प्रदान की है, कि उसके निर्यात महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रतिनिधिक हैं, और यह कि चूंकि वह वर्तमान में अवशिष्ट दर का शुल्क आकर्षित कर रहा है, उसके निर्यातों पर भुगतान किया जा रहा शुल्क उसके पाटन और क्षति अंतरों की सीमा से अधिक है। उसने व्यक्तिगत पाटन अंतर, क्षति अंतर और शुल्क की मात्रा के निर्धारण का अनुरोध किया है।

(iii) वर्तमान समीक्षा उपाय से अपवर्जित निर्यातक पर लागू नहीं है

101. ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि. ("जीएसएच") ने प्रस्तुत किया है कि उसने मूल जांच में भाग लिया और पूर्ण सहयोग किया, कि प्राधिकारी ने उसके निर्यातों के संबंध में ऋणात्मक पाटन अंतर के साथ-साथ ऋणात्मक क्षति अंतर भी निर्धारित किया, और परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध कोई पाटन रोधी शुल्क सिफारिशित नहीं किया गया तथा शुल्क तालिका में शून्य दर अधिसूचित की गई। उसने प्रस्तुत किया है कि:
- क. अधिनियम की धारा 9ए(5) और नियमावली का नियम 23(1बी) संभावना विश्लेषण को किसी मौजूदा शुल्क की समाप्ति या अवसान से जोड़ते हैं। चूंकि मूल जांच में जीएसएच पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था, इसलिए जीएसएच पर लागू ऐसा कोई शुल्क नहीं है जिसकी समाप्ति या अवसान की परीक्षा वर्तमान समीक्षा में की जा सके।
- ख. डब्ल्यूटीओ पाटन रोधी करार का अनुच्छेद 11.3 समान रूप से शब्दांकित है और इस आधार पर आगे बढ़ता है कि निश्चयात्मक शुल्क पहले से लागू है। *मेक्सिको - डेफिनिटिव एंटी-पाटन मेजर्स ऑन बीफ एंड राइस*, डब्ल्यूटी/डीएस295/एबी/आर में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह प्रेक्षण किया गया था कि जांच प्राधिकारी निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय से अपवर्जित निर्यातकों पर शुल्क नहीं लगाता, जिसमें शून्य प्रतिशत के शुल्क भी शामिल हैं, और यह कि इसका तार्किक परिणाम यह है कि ऐसे निर्यातकों को समीक्षा कार्यवाहियों के अधीन नहीं किया जा सकता।

- ग. घरेलू उद्योग ने स्वयं केवल अधिसूचना संख्या 68/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत पहले से लगाए गए शुल्कों को जारी रखने और उस अधिसूचना की प्रचालन अवधि के विस्तार की मांग की है, व्यक्तिगत निर्यातकों पर लागू शुल्क के पुनर्निर्धारण के बिना, और मौखिक सुनवाई में उस स्थिति को दोहराया।
- घ. यदि प्राधिकारी मौजूदा शुल्क अधिसूचना की प्रचालन अवधि के विस्तार की सिफारिश करते हैं, तो जीएसएच द्वारा उत्पादित और निर्यातित माल पर लागू मौजूदा शून्य दर जारी रखी जानी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्राधिकारी जीएसएच द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि जांच अवधि के दौरान भारत को उसके निर्यात पाटित की गई कीमतों पर नहीं किए गए थे।

(iv) मौजूदा शुल्कों को समाप्त होने दिया जाना चाहिए

102. अलचा समूह और डिंगशेंग समूह ने प्रस्तुत किया है कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.3 पांच वर्षों के पश्चात शुल्क की समाप्ति को अनिवार्य नियम और जारी रखने को अपवाद के रूप में स्थापित करता है, जो कठोर परीक्षा के पश्चात ही लागू हो सकता है। यूएस - करोजन-रेजिस्टेंट स्टील सनसेट रिव्यू में अपीलिय निकाय के इन प्रेक्षणों पर भरोसा किया गया है कि अनुच्छेद 11.3 का अनिवार्य नियम अनुच्छेद 11.1 और 11.2 के दायित्वों के अतिरिक्त और उनसे निरपेक्ष रूप से लागू होता है, और यह कि शुल्क जारी रखने का अपवाद लागू होने से पूर्व प्राधिकारियों को निर्णायक समीक्षा में कठोर परीक्षा करनी चाहिए; अधिनियम की धारा 9ए(5) और नियमावली के नियम 23(1बी) पर; तथा ऑल इंडिया लैमिनेटेड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम नामित प्राधिकारी में सेस्टेट के निर्णय पर, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्णायक समीक्षा समीक्षा में निर्धारण अनुमान, कल्पना या पूर्वधारणा पर आधारित नहीं हो सकता बल्कि मूर्त और सकारात्मक साक्ष्य पर टिका होना चाहिए, और यह कि प्राधिकारी को समुचित सतर्कता की मात्रा के साथ कठोर परीक्षा करनी चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

103. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. प्राधिकारी द्वारा जारी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों पर पूरक प्रश्नावली का उत्तर देकर किसी भी इच्छुक पक्ष ने चीन जन.गण. के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है, और रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है, चीन जन.गण. में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। प्रतिभागी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तदनुसार नियमों के अनुलग्नक के पैराग्राफ 7 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. माननीय सर्वोच्च न्यायालय शेनयांग मात्सुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड में एक्ससाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, (2005) 3 एससीसी 39, ने देखा कि पहले पैराग्राफ 7 में निर्धारित पद्धतियों में से पहली या दूसरी के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और केवल जहां यह संभव नहीं है, प्राधिकारी को तीसरी पद्धति अर्थात् भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित कोई अन्य उचित आधार का सहारा लेना चाहिए।
- ग. घरेलू उद्योग ने दूसरी कार्यप्रणाली के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रदान किए हैं, अर्थात् भारतीय सहित अन्य देशों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश से मूल्य। भारत में सबसे अधिक मात्रा में आयात चीन से होता है, इसके बाद थाईलैंड और मलेशिया का स्थान है। थाईलैंड में प्रमुख उत्पादक और निर्यातक

चीन से कच्चा माल खरीदते हैं और चीनी संस्थाओं से संबद्ध हैं, और यूरोपीय आयोग ने निर्धारित किया है कि चीन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को दरकिनार करने के लिए चीन में उत्पादित सामान थाईलैंड के माध्यम से भेजे गए हैं। इसलिए थाईलैंड से कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करना उचित नहीं होगा, और घरेलू उद्योग ने मलेशिया से भारत के लिए कीमत का प्रस्ताव दिया है।

- घ. उस आधार पर, सामान्य मूल्य ₹*** प्रति एमटी है और चीन का निर्यात मूल्य ₹*** प्रति एमटी है, जिससे प्रति एमटी का पाटन मार्जिन ₹***या ₹***% है। इसलिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण बना रहता है, भले ही पाटनरोधी शुल्क मौजूद हो।
- ड. जांच की अवधि के दौरान चीन से निर्यातकों द्वारा दायर प्रभावली प्रतिक्रियाएं भारत को निर्यात मूल्य में उल्लेखनीय कमी दर्शाती हैं। प्रत्येक उत्तरदायी उत्पादक/निर्यातक की भारत को निर्यात से बिक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति, जिसे आधार के रूप में पिछले वर्ष के आधार के साथ सूचकांकित शब्दों में व्यक्त किया गया है, प्रत्येक उत्तरदायी पार्टी के मामले में गिरावट दिखाती है। इसलिए चीन जन.गण. के उत्पादकों और निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क के अस्तित्व के बावजूद भारत में अपनी कीमतें कम कर दी हैं, और मौजूदा शुल्क ने उनके अनुचित व्यापार प्रथाओं को नहीं रोका है।
- च. घरेलू उद्योग ने अधिसूचना संख्या 68/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और उस अधिसूचना के संचालन की अवधि के विस्तार की मांग की है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

104. चीन के विश्व व्यापार संगठन परिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

15.(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों पर एक पूरक प्रश्नावली संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों को जारी की गई थी। किसी भी उत्तरदाता ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया या पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया, और अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि चीन जन. गण. में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं। सामान्य मूल्य तदनुसार नियमावली के परिशिष्ट I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो प्रावधान करता है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य, या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को मूल्य, जिसमें भारत भी शामिल है, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें भारत में समान लेख के लिए वास्तव में भुगतान किया गया या देय मूल्य भी शामिल है, यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया जाएगा। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का चयन प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से किया जाएगा, देश के विकास स्तर और प्रश्न में उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, और चयन के समय उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित ध्यान रखा जाएगा..."

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की प्रस्तुति सामान्य मूल्य मलेशिया से भारत को मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जो परिशिष्ट I के पैरा 7 में निर्धारित दूसरी पद्धति है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने जांच शुरू करने के चरण में इस पद्धति को अपनाने से इनकार कर दिया था, यह दर्ज करते हुए कि आवेदक ने

मलेशिया के चयन के आधार को पर्याप्त रूप से उचित नहीं ठहराया था। घरेलू उद्योग ने जांच के दौरान मलेशिया के चयन को उचित ठहराने वाली कोई और सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी है।

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि परिशिष्ट I का पैरा 7 आवश्यकता रखता है कि एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का चयन "उचित तरीके से, देश के विकास स्तर और प्रश्न में उत्पाद को ध्यान में रखते हुए" किया जाए। जो मूल्य संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के स्थानापन्न के रूप में काम करेगा, वह उत्पाद के समग्र रूप से प्रतिनिधि होना चाहिए। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में ग्यारह अलग-अलग उत्पाद नियंत्रण संख्या श्रेणियां शामिल हैं जो मोटाई, चौड़ाई, टेपर, मिश्र धातु श्रृंखला और अंतिम अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैली हुई हैं, और उन श्रेणियों की कीमतें एक दूसरे से भौतिक रूप से भिन्न हैं। जांच अवधि के दौरान मलेशिया से भारत में आयात 16,716 मी.टन थे, जो कुल आयातों का 4.51% हैं। इतनी मात्रा को ग्यारह पीसीएन श्रेणियों में संबद्ध देश से आयातों के तुलनीय तरीके से वितरित नहीं माना जा सकता। उस क्रम की मात्रा को आयातित देश से आयात की तुलना में ग्यारह पीसीएन श्रेणियों में वितरित नहीं माना जा सकता है, और प्राधिकारी का मानना है कि ऐसे आयात की कीमत समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
108. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में प्रचलित मूल्य या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं लाया है, जो पहली पद्धति है। पहली और दूसरी पद्धतियां इसलिए वर्तमान अभिलेख पर अनुपलब्ध हैं, प्राधिकारी तीसरी पद्धति की ओर बढ़े हैं, अर्थात् भारत में समान लेख के लिए वास्तव में भुगतान किया गया या देय मूल्य, उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित। यह मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति भी है, और पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म पर 21 मार्च, 2026 के प्रारंभिक जांच परिणामों में उसके निर्धारण के अनुरूप है।
109. सामान्य मूल्य तदनुसार भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर विधिवत समायोजित, और कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग और उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ मार्जिन के जोड़ के साथ निर्मित किया गया है। निर्मित सामान्य मूल्य कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है और संबद्ध देश के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए समान रूप से अपनाया गया है। संबद्ध देश के लिए निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर/मी.टन है, और पाटन अंतर तालिका में परिलक्षित है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

110. प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक समूह के लिए जिसकी उत्तर सहयोगी के रूप में स्वीकार की गई है, निर्यात मूल्य भारत में पहले असंबंधित ग्राहक को लगाए गए मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है, जैसा कि रिपोर्ट की गई और संतोषजनक ढंग से सत्यापित किया गया, कारखाना द्वार स्तर पर पहुंचने के लिए केवल ऐसे समायोजनों की अनुमति देते हुए जो अभिलेख के आधार पर स्थापित किए गए हैं। प्राधिकारी ने रिपोर्ट किए गए निर्यात आंकड़ों की जांच करते समय स्वतंत्र पुष्टिकारक नियंत्रण के रूप में लेन-देन-वार डीजी सिस्टम्स आयात संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया है। जहां व्यक्तिगत निर्धारण के लिए आवश्यक सामग्री जानकारी विश्वसनीय, आंतरिक रूप से सुसंगत या संतोषजनक पुनर्मिलन और सत्यापन में सक्षम नहीं पाई गई, प्राधिकारी नियम 6(8) के साथ पठित नियम 23(3) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा है।

अलचा समूह के लिए निर्यात मूल्य

111. जियांगसु अलचा एल्युमीनियम ग्रुप कं., लि. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है, और अलचा शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं., लि. और अलचा इंटरनेशनल होल्लिंग्स लिमिटेड इसके संबंधित निर्यातक हैं जो भारत को निर्यात में शामिल हैं। जांच अवधि के दौरान, समूह ने भारत को ***मी.टन संबद्ध वस्तुएं निर्यात कीं, सभी फिन स्टॉक की पीसीएन श्रेणी में, जिनमें से ***मी.टन सीधे उत्पादक द्वारा और ***मी.टन संबंधित व्यापारियों के माध्यम से निर्यात किए गए। समायोजनों के बाद निर्धारित एक्स-फैक्ट्री स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन अंतर तालिका में दिया गया है।

हुआफोंग समूह के लिए निर्यात कीमत

112. शंघाई हुआफोंग एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन और हुआफोंग एल्युमीनियम कं., लि. संबंधित उत्पादक हैं, और शंघाई हुआफोंग एल्युमीनियम ट्रेडिंग कंपनी उनकी संबंधित निर्यातक है। जांच अवधि के दौरान, समूह ने भारत को ***मी.टन संबद्ध वस्तुएं निर्यात कीं, जिसमें क्लैड और फिन स्टॉक शामिल थे, जो सीधे उत्पादक द्वारा साथ ही संबंधित व्यापारी के माध्यम से निर्यात किए गए। समायोजनों के बाद निर्धारित एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन अंतर तालिका में दिया गया है।

आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कं., लि. के लिए निर्यात कीमत

113. आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कं., लि. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है और उसने भारत को सीधे संबद्ध वस्तुएं निर्यात की हैं। जांच अवधि के दौरान, उसने भारत को ***मी.टन संबद्ध वस्तुएं निर्यात कीं, जो क्लैड की पीसीएन श्रेणी में आती हैं। ऐसे निर्यातों का बीजक मूल्य ***अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन था। समायोजनों के बाद निर्धारित एक्स-फैक्ट्री स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन अंतर तालिका में दिया गया है।

नानतोंग हेंगजिन कम्पोजिट मटेरियल कं., लि. के लिए निर्यात कीमत

114. नानतोंग हेंगजिन कम्पोजिट मटेरियल कं., लि. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है और उसने भारत को सीधे संबद्ध वस्तुएं निर्यात की हैं। जांच अवधि के दौरान, उसने भारत को ***मी.टन संबद्ध वस्तुएं निर्यात कीं, जिसमें ***मी.टन क्लैड, ***मी.टन फिन स्टॉक और ***मी.टन सामान्य इंजीनियरिंग और औद्योगिक अनुप्रयोग शामिल थे। समायोजनों के बाद निर्धारित एक्स-फैक्ट्री स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन अंतर तालिका में दिया गया है।
115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नानतोंग हेंगजिन ने अपने निर्यात कीमत की तुलना चीन जन. गण. में अपनी घरेलू बिक्री मूल्य से करके पाटन अंतर की गणना की है। ऊपर दर्ज कारणों के लिए, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने चीन जन. गण. में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां स्थापित नहीं की हैं, इसलिए चीन जन. गण. में घरेलू मूल्य

सामान्य मूल्य के आधार के रूप में अपनाए नहीं जा सकते। नानतोंग हेंगजिन द्वारा की गई तुलना इसलिए नहीं अपनाई गई है, और उसके निर्यात मूल्य की तुलना संबद्ध देश के लिए निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य से की गई है।

ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि. के लिए निर्यात कीमत

116. ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि. ने एक प्रश्नावली उत्तर दाखिल की है और वर्तमान जांच में सहयोग किया है। उसका निर्यात मूल्य ऊपर निर्धारित आधार पर निर्धारित किया गया है और पाटन अंतर तालिका में परिलक्षित है।

डिंगशेंग समूह के लिए निर्यात मूल्य

117. जिआंग्सु डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स जॉइंट स्टॉक कं., लिमिटेड और इनर मंगोलिया लियनशेंग न्यू एनर्जी मैटेरियल कं., लिमिटेड विषय वस्तुओं के संबंधित उत्पादक हैं और सीधे तथा संबंधित संस्थाओं हांगजो डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं., लिमिटेड और डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं., लिमिटेड के माध्यम से निर्यात करते हैं। चार संस्थाओं ने डिंगशेंग समूह के रूप में प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल की हैं। उत्तरों की जांच के दौरान, प्राधिकारी ने निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक सामग्री जानकारी और रिपोर्ट किए गए निर्यात आंकड़े के उत्पादक-वार, निर्यातक-वार, व्यापारी-वार और चैनल-वार समेकित समाधान की मांग करना आवश्यक समझा। समूह को एक विशिष्ट सुलह का अवसर दिया गया और अतिरिक्त समय भी दिया गया। प्राधिकारी ने डिंगशेंग समूह द्वारा दायर संशोधित प्रतिक्रिया, मास्टर स्टेटमेंट, प्रमाणन और सहायक रिकॉर्ड की जांच की है। जानकारी को समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का अवसर दिए जाने के बावजूद, बुनियादी निर्यात आंकड़े में प्रमुख अंतर बने हुए हैं। ये अंतर निर्यात की मात्रा, संबंधित-व्यापारी बिक्री, निर्यात-मूल्य गणना और संशोधित आंकड़ेबेस की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। सामग्री की कमियों को नीचे बताया गया है।
118. प्राधिकारी ने डिंगशेंग समूह की प्रश्नावली उत्तर की जांच की और पाया कि समूह द्वारा रिपोर्ट की गई कुल निर्यात मात्रा आधिकारिक डीजी सिस्टम्स आयात संबंधी आंकड़े के साथ मेल नहीं खाती। समूह ने ***मी.टन भारत को निर्यात रिपोर्ट किए हैं, जबकि डीजी सिस्टम्स में संबंधित मात्रा लगभग ***मी.टन है, जिससे लगभग ***मी.टन का अंतर रह जाता है। मुद्दा यह नहीं है कि दोनों आंकड़े बिल्कुल समान होने चाहिए, बल्कि इतने बड़े अंतर को चालान-वार स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। समूह ने संतोषजनक पुनर्मिलन प्रदान नहीं किया है जो दर्शाता है कि कौन से लेन-देन इस अंतर के लिए जिम्मेदार हैं।
119. दूसरा, डिंगशेंग हांगकांग द्वारा रिपोर्ट की गई बिक्री मात्रा व्यापारी के खर्चों और लाभप्रदता की गणना के लिए उपयोग की गई मात्रा से मेल नहीं खाती। परिशिष्ट 3ए भारत को अंतिम बिक्री ***मी.टन रिपोर्ट करता है, जबकि लाभप्रदता गणना केवल ***मी.टन को कवर करती है। इस प्रकार, *** मी.टन, या रिपोर्ट की गई बिक्री का लगभग **%, व्यापारी लाभप्रदता गणना द्वारा कवर नहीं किया जाता है। चूंकि शुद्ध निर्यात मूल्य का निर्धारण करते समय व्यापारी खर्च और लाभ पर विचार करना पड़ता है, प्राधिकारी डिंगशेंग हांगकांग के माध्यम से पूर्ण मात्रा के लिए निर्यात मूल्य विश्वसनीय रूप से निर्धारित नहीं कर सकता।

120. तीसरा, निर्यातों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संबंधित व्यापारियों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन पूरी बिक्री श्रृंखला संतोषजनक ढंग से मेल नहीं खाती। संबंधित व्यापारियों को उत्पादकों के केवल विस्तारित बिक्री विभाग नहीं माना गया है। इसलिए, प्राधिकारी को उत्पादक से संबंधित व्यापारी के माध्यम से भारत में पहले असंबंधित ग्राहक तक मूल्य का पता लगाना होगा और व्यापारी खर्च और लाभ या हानि का उचित हिसाब रखना होगा। हालांकि, व्यापारी-स्तर की बिक्री और लाभप्रदता आंकड़े पूर्ण भारतीय-बिक्री मात्रा के साथ मेल नहीं खाता। परिणामस्वरूप, संबंधित-व्यापारी चैनलों के लिए एक विश्वसनीय एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।
121. चौथा, संशोधित मास्टर स्टेटमेंट केवल पहले के आंकड़े को समेकित करता है; यह अंतर्निहित अंतरों को हल नहीं करता है। समूह ने स्वयं कहा है कि मास्टर स्टेटमेंट मुख्य रूप से मूल परिशिष्टों 3क और 3ख से तैयार किया गया था। इसलिए, एक ही लेनदेन को एक समेकित विवरण में लाने से मूल परिशिष्टों, व्यापारी प्रो. के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता है। यहतालता आंकड़े और डीजी सिस्टम आंकड़े। प्राधिकारी ने विसंगतियों को समेकित करने के लिए मास्टर स्टेटमेंट मांगा था, न कि केवल पहले की जानकारी को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। वह समाधान अधूरा है।
122. पांचवां, समूह द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र उस तरीके से पूरी तरह सुसंगत नहीं हैं जिसमें लेन-देन वास्तव में रिपोर्ट किए गए हैं। प्रमाणपत्र इंगित करते हैं कि रिपोर्ट किए गए लेन-देन जांच अवधि के दौरान भारत में आयातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, समूह ने यह भी समझाया है कि जांच अवधि के दौरान उठाए गए कुछ चालान जांच अवधि के बाद आयातों में परिणामित हो सकते हैं, और जांच अवधि से पहले उठाए गए कुछ चालान जांच अवधि के दौरान आयातों में परिणामित हो सकते हैं। ऐसी समय भिन्नताएं अपने आप में अस्वीकृति का आधार नहीं हैं। हालांकि, अनसुलझी मात्रा भिन्नताओं के साथ, वे एक स्पष्ट और सामान्य लेन-देन सेट की पहचान करना मुश्किल बनाती हैं जिस पर व्यक्तिगत निर्यात मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।
123. छठा, संशोधित आंकड़े मूल उत्तर से अंतिम संशोधित आंकड़ेबेस तक स्पष्ट लेखापरीक्षा निशान प्रदान नहीं करता। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि वास्तविक त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। हालांकि, जहां सामग्री के आंकड़े या समायोजन संशोधित किए जाते हैं, उत्तरदाता को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि मूल रूप से क्या रिपोर्ट किया गया था, क्या बदला गया, क्यों बदला गया, और परिवर्तन निर्यात मूल्य को कैसे प्रभावित करता है। यह सामग्री संशोधनों के लिए पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। अन्य अनसुलझी विसंगतियों को देखते हुए, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने में असमर्थ है कि अंतिम आंकड़ेबेस व्यक्तिगत निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए पूर्ण और विश्वसनीय है।
124. साथ में, ये अलग-अलग क्लर्किकल त्रुटियां नहीं हैं। ये मूल निर्यात मात्रा, व्यापारी-स्तर की लाभप्रदता, संबंधित-पक्ष बिक्री श्रृंखला और अंतिम आंकड़ेबेस की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। प्राधिकारी इसलिए डिगिशंग समूह की प्रश्नावली उत्तर को व्यक्तिगत निर्धारण के लिए स्वीकार करने में असमर्थ है।

125. प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि डिंगशेंग समूह की उत्तर की अस्वीकृति इस आवश्यकता पर आधारित नहीं है कि उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक हर व्यक्तिगत लेन-देन के संबंध में अंतर्निहित वाणिज्यिक और शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत करे। परीक्षण का वही मानक सभी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक समूहों पर लागू किया गया है। सहयोगी उत्तरदाता के संबंध में, प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या प्रश्नावली उत्तर, उसके सहायक अभिलेख, लेन-देन-वार आंकड़े और प्रस्तुत पुनर्मिलन, एक साथ लिए गए, प्राधिकारी को व्यक्तिगत अंतर के निर्धारण के लिए आवश्यक सामग्री मानदंडों को संतोषजनक ढंग से स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं। अन्य सहयोगी उत्पादक/निर्यातक समूहों की उत्तर उस सीमा तक स्वीकार की गई हैं जहां तक प्रासंगिक बिक्री आंकड़े, मात्राएं, चैनल, मूल्य और सामग्री समायोजन निर्यात मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से संतोषजनक ढंग से पुनर्मिलित और सत्यापित किए जा सकते थे। डिंगशेंग समूह के मामले में, हालांकि, ऊपर पहचानी गई कमियां समूह को दिए गए विशिष्ट पुनर्मिलन अवसर के बाद भी अनसुलझी रहीं और उसी आंकड़े और पद्धति को भौतिक रूप से प्रभावित किया जिनसे उसका व्यक्तिगत निर्यात मूल्य निर्धारित किया जाना था। विभेदक उपचार इसलिए क्रमशः उत्तरों की विश्वसनीयता और सत्यापनशीलता में सामग्री अंतर से अनुसरण करता है, न कि प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों की मात्रा या प्रतिशत से।
126. प्राधिकारी ने उपरोक्त विसंगतियों में से प्रत्येक पर व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से विचार किया है। किसी एक लिपिकीय विसंगति या किसी विशेष सहायक दस्तावेज की अनुपस्थिति को उत्तर की अस्वीकृति के लिए पर्याप्त नहीं माना गया है। वास्तविक चिंता यह है कि अनसुलझे अंतर उन मौलिक तत्वों से संबंधित हैं जो व्यक्तिगत निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं, अर्थात् सुसंगत निर्यात-बिक्री आंकड़े की पहचान, स्वतंत्र आयात सूचना के साथ पुनर्मिलन, उत्पादकों और संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों के बीच लेन-देनों का आवंटन, संबंधित-व्यापारी लाभप्रदता आंकड़े का पुनर्मिलन, और अंतिम संशोधित लेन-देन आंकड़ेबेस की विश्वसनीयता। समूह को देखी गई विसंगतियों के बारे में विशेष रूप से सूचित किया गया था और उसे समेकित पुनर्मिलन तथा सहायक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय सहित उचित अवसर दिया गया था। फिर भी, ऊपर वर्णित वास्तविक विसंगतियां समूह द्वारा प्रस्तुत सूचना से उत्पादक-वार/निर्यातक-वार/चैनल-वार निवल निर्यात मूल्य के संतोषजनक निर्धारण को रोकती रहती हैं। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि व्यक्तिगत अंतर के निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना ऐसे रूप में प्रदान नहीं की गई है जो जांच में संतोषजनक सत्यापन और उपयोग में सक्षम हो। प्राधिकारी ने इसलिए व्यक्तिगत अंतर के निर्धारण के लिए डिंगशेंग समूह की प्रश्नावली उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और समूह के संबंध में, नियमावली के नियम 23(3) के साथ पठित नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा है। तदनुसार, डिंगशेंग समूह को वर्तमान समीक्षा में पृथक उत्पादक-विशिष्ट उपचार के लिए पात्र नहीं माना जाता है और उसे चीन जन. गण. के अन्य/असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर लागू अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है।

यिनबैंग क्लैड मटेरियल कं., लि. और गैर-सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

127. प्राधिकारी ने यिनबैंग क्लैड मटेरियल कं., लि. की प्रश्नावली उत्तर, पूरक जानकारी, प्रमाणपत्र और सहायक दस्तावेजों की जांच की है। उत्तर व्यक्तिगत पाटन अंतर के निर्धारण के लिए एक सुसंगत और सत्यापन योग्य आंकड़ेबेस स्थापित नहीं करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, परिशिष्ट-1 और लेन-देन-वार भारत बिक्री विवरण भारत को *** मी.टन निर्यात रिपोर्ट करते हैं, जबकि पीसीएन-वार लागत और व्यय अनुसूचियां ***मी.टन की भारत मात्रा का उपयोग करती हैं, जिससे ***मी.टन का अनसुलझा अंतर रह जाता है, जो रिपोर्ट की गई भारत बिक्री का लगभग

***% है। चूंकि ये मात्राएं और अनुसूचियां निर्यात मूल्य, पीसीएन-वार लागत और सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बनती हैं, प्राधिकारी विश्वसनीय व्यक्तिगत अंतर निर्धारित करने में असमर्थ है जब तक कि दोनों आंकड़े पूरी तरह से पुनर्मिलित न हों।

128. प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि लेन-देन-वार निर्यात आंकड़े बेस अंतर्निहित वाणिज्यिक दस्तावेजों के साथ पूरी तरह सुसंगत नहीं हैं। प्रश्नावली के लिए आवश्यक है कि जांच अवधि के दौरान लेन-देन-वार रिपोर्टिंग के लिए वाणिज्यिक चालान तिथि का उपयोग किया जाए; हालांकि, परिशिष्ट-3ए में रिपोर्ट की गई तिथियां जांच किए गए सहायक दस्तावेजों में वाणिज्यिक-चालान तिथियों के अनुरूप नहीं हैं। दिनांक क्षेत्र जांच अवधि समावेशन, विनिमय-दर चयन, क्रेडिट-अवधि गणना और सीमा प्रशुल्क अभिलेख के साथ पुनर्मिलन के लिए सामग्री है। इसके अलावा, भारत बिक्री पर भिन्न क्रेडिट शर्तों के बावजूद, संबंधित क्रेडिट-अवधि और क्रेडिट-लागत जानकारी लगातार रिपोर्ट नहीं की गई है। ये कमियां दावा किए गए एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य की लेखापरीक्षा क्षमता को और प्रभावित करती हैं।
129. प्राधिकारी ने उपरोक्त कमियों को सामूहिक रूप से माना है। वे किसी अलग-थलग लिपिकीय त्रुटि या किसी एक असमर्थित समायोजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मूल मात्रा आंकड़े, पीसीएन आवंटन, लागत जानकारी, लेन-देन तिथियां और व्यक्तिगत निर्धारण के लिए आवश्यक निर्यात-मूल्य समायोजन को प्रभावित करती हैं। उत्तरदाता द्वारा दिए गए सामान्य प्रमाणपत्र आंकड़े में अंतर्निहित विसंगतियों को ठीक नहीं कर सकते। तदनुसार, प्राधिकारी ने यिनबैंग क्लैड मटेरियल कं., लि. की प्रश्नावली उत्तर को व्यक्तिगत सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन या पहुँच कीमत के निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं किया है, और नियम 6(8) के साथ पठित नियम 23(3) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यिनबैंग का इलाज किया है। यिनबैंग और अन्य गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात मूल्य अभिलेख पर उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी, जिसमें जांच अवधि के लिए लेन-देन-वार डीजी सिस्टम्स के आंकड़े शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य

छ.3.3 पाटन मार्जिन

130. जहां संबंधित उत्पादक और निर्यातक एक सहयोगी समूह का हिस्सा बनते हैं और उत्तर स्वीकार किए गए हैं, उन्हें एक एकल आर्थिक इकाई माना गया है और स्वीकृत संबंधित उत्पादक/निर्यातक चैनलों के लिए भारित-औसत निर्धारण के आधार पर एक एकल पाटन अंतर आरोपित किया गया है। जहां उत्तर स्वीकार नहीं की गई है, कोई व्यक्तिगत भारित-औसत अंतर नहीं दिया गया है और लागू तथ्य-उपलब्ध/अवशिष्ट उपचार अपनाया गया है।
131. निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन अंतर इस प्रकार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	निर्यात मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	पाटन अंतर (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	पाटन अंतर (%)	सीमा
1	अलचा समूह	***	***	***	***	10-20
2	हुआफोंग समूह	***	***	***	***	(0-10)
3	आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कं. लि.	***	***	***	***	0-10
4	नानतोंग हेंगजिन कम्पोजिट मटेरियल कं. लि.	***	***	***	***	(0-10)
5	ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं. लि.	***	***	***	***	(0-10)
6	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	25-35

132. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए वर्तमान-अवधि के पाटन अंतर ऊपर निर्धारित पद्धति के आधार पर निर्धारित किए गए हैं जिनकी उत्तर स्वीकार की गई हैं। डिंगशेंग समूह को व्यक्तिगत वर्तमान-अवधि अंतर नहीं दिया गया है और ऊपर दर्ज कारणों के लिए तथ्यों के आधार पर इलाज किया गया है। यिनबेंग क्लैड मटेरियल कं., लि. को भी व्यक्तिगत वर्तमान-अवधि अंतर नहीं दिया गया है और ऊपर दर्ज कारणों के लिए तथ्यों के आधार पर इलाज किया गया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान निर्धारित अंतर उस अवधि को दर्शाते हैं जिसमें पाटनरोधी शुल्क लागू थे। धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23 के तहत समीक्षा में, वर्तमान-अवधि का निर्धारण एक आवश्यक तथ्यात्मक इनपुट है लेकिन, अपने आप में, यह निर्धारित नहीं करता कि उपाय समाप्त होना चाहिए; उस मुद्दे के लिए अतिरिक्त रूप से खंड III में निर्धारित भविष्य-उन्मुखी संभावना जांच की आवश्यकता होती है।

छ.3.4 व्यक्तिगत शुल्क दरों के अनुरोध और उपाय से बाहर किए गए निर्यातकों की स्थिति

133. प्रकटन विवरण में, प्राधिकारी ने वर्तमान समीक्षा में पहली बार भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत उपचार का निर्धारण उनकी सत्यापित प्रतिक्रियाओं और वर्तमान जांच अवधि के लिए निर्धारित मार्जिनों के आधार पर करने का प्रस्ताव किया था। तदनुसार, जहां ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों ने पूर्ण और स्वीकार्य प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थीं, वहां उनके सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण

वर्तमान अभिलेख के आधार पर करने का प्रस्ताव किया गया था, और परिणामी शुल्क उपचार को ऐसे वर्तमान-समीक्षा निर्धारण से जोड़ा जाना प्रस्तावित था।

134. प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियों के आलोक में इस मुद्दे की पुनः जांच की है। प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान कार्यवाही अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत एक निर्णायक समीक्षा है, जिसका मूल उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है। अतः निर्णायक समीक्षा मुख्यतः मौजूदा उपाय के जारी रहने अथवा समाप्त होने से संबंधित है और मात्र भागीदारी तथा सहयोग के कारण ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नए व्यक्तिगत शुल्क निर्धारण की अपेक्षा नहीं करती, जिन्हें मौजूदा उपाय के अंतर्गत व्यक्तिगत दर प्रदान नहीं की गई थी।
135. तदनुसार, प्राधिकारी यह मानता है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा में पहली बार भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक, मौजूदा पाटनरोधी उपाय के जारी रहने की स्थिति में, मौजूदा शुल्क संरचना के अंतर्गत अवशिष्ट श्रेणी पर लागू शुल्क के अधीन बने रहेंगे। ऐसे सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना, जिसमें वर्तमान जांच अवधि के दौरान उनकी निर्यात कीमतें और मार्जिन शामिल हैं, संभावना विश्लेषण के प्रयोजनार्थ जांची जा सकती है और उसे ध्यान में रखा जा सकता है; तथापि, ऐसा सहयोग अथवा ऋणात्मक या कम वर्तमान पाटन मार्जिन का निर्धारण, अपने आप में, निर्णायक समीक्षा में नई शून्य अथवा अन्य व्यक्तिगत दर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं करता।
136. प्राधिकारी नोट करता है कि धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23 के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा मूलतः एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है अथवा नहीं। यह कोई नई मूल जांच नहीं है, जिसमें समीक्षा में भाग लेने वाले प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण आवश्यक हो। *P.T. Asahimas Chemicals v. Designated Authority*, 2015 (328) E.L.T. 417 (Tri.-Del.) में अधिकरण ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि निर्णायक समीक्षा में निर्यातक-विशिष्ट पाटन मार्जिन निर्धारित करने की कोई विधिक अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार, *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. v. Designated Authority*, 2010 (253) E.L.T. 564 (Tri.-Del.) में अधिकरण ने कम वर्तमान पाटन मार्जिन के बावजूद मौजूदा शुल्क को जारी रखने को बरकरार रखा और इस बात पर बल दिया कि प्रासंगिक जांच पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना से संबंधित होती है।
137. यही सिद्धांत डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र में भी परिलक्षित होता है। *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*, WT/DS244/AB/R, paras 124, 149 and 155 में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 11.3 न तो निर्णायक समीक्षा में पाटन मार्जिनों की गणना की अपेक्षा करता है और न ही कंपनी-विशिष्ट संभावना निर्धारणों की अपेक्षा करता है। विशेष रूप से, ज्ञात निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करने संबंधी अनुच्छेद 6.10 के अंतर्गत दायित्व, सिद्धांततः, निर्णायक समीक्षाओं पर लागू नहीं होता। अतः किसी

उत्पादक/निर्यातक की समाप्ति समीक्षा में पहली बार भागीदारी अथवा सहयोग, अपने आप में, किसी नई व्यक्तिगत दर का अधिकार उत्पन्न नहीं करता।

138. वास्तव में, नियमावली किसी वास्तविक नए उत्पादक/निर्यातक के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करने हेतु एक पृथक तंत्र प्रदान करती है। नियम 22 विशेष रूप से उन निर्यातकों/उत्पादकों के लिए नए शिपर समीक्षा का प्रावधान करता है जिनकी मूल अवधि में जांच नहीं की गई थी। *H & R Johnson (India) Ltd. v. Designated Authority, 2005 (185) E.L.T. 125 (Tri.-Del.)* में सीईएसटीएटी ने ऐसी समीक्षा, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण है, को नियम 23 के अंतर्गत की जाने वाली समीक्षा से स्पष्ट रूप से पृथक माना है, जो मौजूदा पाटनरोधी उपाय की निरंतर आवश्यकता से संबंधित होती है। तदनुसार, जहां प्राधिकारी वर्तमान निर्णायक समीक्षा में यह निष्कर्ष निकालता है कि मौजूदा उपाय जारी रहना चाहिए, वहां पहली बार भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक जारी रखे गए उपाय की लागू अवशिष्ट दर से आच्छादित रहेंगे; पृथक व्यक्तिगत दर का कोई भी दावा नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध उपयुक्त समीक्षा तंत्र के माध्यम से, विहित शर्तों की पूर्ति के अधीन, किया जाना चाहिए।
139. आगे यह भी नोट किया जाता है कि जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने मूल जांच में भाग लिया था और जिन्हें व्यक्तिगत दर प्रदान की गई थी, वे उपाय के जारी रहने की स्थिति में उसी व्यक्तिगत दर से शासित होते रहेंगे, जब तक कि वर्तमान समीक्षा में उनकी प्रतिक्रिया अस्वीकार न कर दी जाए अथवा वे नियमावली के अनुसार ऐसे उपचार के लिए अन्यथा अपात्र न पाए जाएं। इसके विपरीत, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में पहली बार भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक, जिनमें ऐसे नए उत्पादक/निर्यातक समूह भी शामिल हैं जिनकी मूल जांच में व्यक्तिगत रूप से जांच नहीं की गई थी, मौजूदा शुल्क संरचना के अंतर्गत लागू अवशिष्ट दर के अधीन रहेंगे।

ज क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन/क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का आकलन

140. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध की गई हैं। अनुरोध मुद्देवार नीचे दी गई हैं।

(i) नकारात्मक मूल्य कटौती और नकारात्मक क्षति अंतर किसी प्रतिकूल मूल्य प्रभाव की अनुपस्थिति स्थापित करते हैं।

141. अलचा समूह, डिंगशेंग समूह, हुआफोंग समूह और ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि. ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग की अपनी क्षति तालिका दर्शाती है कि जांच अवधि के दौरान मूल्य कटौती नकारात्मक था, आयातों की पहुँच वैल्यू घरेलू बिक्री मूल्य से ऊपर थी। क्षति अंतर भी नकारात्मक है। इसलिए चीन जन. गण. से आयातों से कोई प्रतिकूल मूल्य प्रभाव नहीं है।
142. हुआफोंग समूह ने आगे प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि जांच की अवधि के दौरान मूल्य में कटौती नकारात्मक थी और इसके बजाय जांच की अवधि के दौरान वास्तविक मूल्य निर्धारण स्थिति को उचित महत्व देते हुए, जांच की अवधि के ठीक पहले के वर्ष, 2023-24 में देखी गई सकारात्मक कटौती पर भरोसा करने की मांग की है। घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान वास्तविक स्थिति की अवहेलना करते हुए पहले के वर्ष पर

भरोसा नहीं कर सकता है। यह दावा कि शुल्क वापस लेने पर कटौती "अधिक स्पष्ट होगी" सकारात्मक साक्ष्य द्वारा समर्थित एक धारणा है, और प्राधिकारी को रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर जांच की अवधि के दौरान वास्तविक मूल्य निर्धारण स्थिति को उचित महत्व देते हुए एक दूरदर्शी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

(ii) घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड सुधरे हैं और क्षति का संकेत नहीं देते

143. अल्चा ग्रुप, डिंगशेंग ग्रुप और ग्रेंजेस ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग के अपने आंकड़ों से पता चलता है कि क्षति की अवधि के दौरान परिचालन और मात्रा मापदंडों में सुधार हुआ है: सूचकांकित शब्दों में घरेलू बिक्री 100 से बढ़कर 127 हो गई, स्थापित क्षमता 100 से बढ़कर 126 हो गई, उत्पादन 100 से बढ़कर 120 हो गया, कर्मचारियों की संख्या 100 से बढ़कर 111 हो गई और प्रति कर्मचारी उत्पादकता 100 से बढ़कर 120 हो गई, जबकि क्षमता उपयोग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद यह व्यापक रूप से स्थिर रहा। ये आंकड़े शुल्क की समाप्ति पर क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का सामना कर रहे उद्योग की स्थिति के साथ असंगत हैं।

(iii) घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में कमी संबद्ध देश से आयातों के कारण नहीं है

144. अलचा समूह, डिंगशेंग समूह, हुआफोंग समूह और ग्रेंजेस ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में कमी संबद्ध देश से आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी क्षति अवधि में 1 सूचकांक अंक घटी, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 16 सूचकांक अंक घटी। उसी अवधि में, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री 82 सूचकांक अंकों और उनकी बाजार हिस्सेदारी 20 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, और गैर-संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी 48 सूचकांक अंकों तक बढ़ी। घरेलू उद्योग ने स्वयं कहा है कि बाजार में कई नए प्रवेशकों के प्रवेश के कारण अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री की मात्रा में सुधार हुआ है। जहां संबद्ध आयात ने स्वयं बाजार हिस्सेदारी खो दी, जबकि अन्य घरेलू उत्पादकों ने अपनी उपस्थिति में काफी वृद्धि की, सबूत भारतीय उद्योग के भीतर बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और गैर-संबद्ध आयात सक्रिय कारणों के रूप में इंगित करते हैं, और प्राधिकारी को संबद्ध आयात को कोई भी क्षति देने से पहले उन कारणों की अलग से जांच करने की आवश्यकता है।

(iv) बिक्री लागत में वृद्धि और लाभप्रदता में गिरावट घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार के कारण है

145. अलचा समूह और डिंगशेंग समूह ने प्रस्तुत किया है कि अभिलेख पर जानकारी दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपनी स्थापित क्षमता 100 से 126 सूचकांक अंकों, औसत नियोजित पूंजी 100 से 142 और निवल स्थिर परिसंपत्तियां 100 से 241 सूचकांक अंकों तक बढ़ाई है, और बिक्री लागत 100 से 110 तक बढ़ी है। लाभप्रदता में गिरावट इसलिए क्षमता, स्थिर परिसंपत्तियों और नियोजित पूंजी में वृद्धि से जुड़ी है, न कि आयातों से। ग्रैन्जेस ने इसी तरह यह भी कहा है कि क्षमता विस्तार के परिणाम, जिसमें निश्चित लागत में कोई भी अस्थायी वृद्धि और नई क्षमता के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक समय शामिल है, को संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, और प्राधिकारी से कच्चे माल की लागत, ऊर्जा और वित्त लागत, उत्पाद मिश्रण और घरेलू प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन सहित अन्य कारकों के प्रभाव की जांच करने का अनुरोध किया है।

(v) आयात मात्राओं में वृद्धि मांग में वृद्धि का परिणाम है

146. अलचा समूह, डिंगशेंग समूह और ग्रेजसे ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप है और इसने घरेलू उद्योग या अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री को प्रतिस्थापित नहीं किया है। मांग 100 से 152 सूचकांक अंकों तक बढ़ी जबकि संबद्ध देश से आयात 100 से 150 तक बढ़े। इसलिए आयात में हलचल मांग है। आयात ने बढ़ते बाजार में आपूर्ति को केवल पूरक किया है, और घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों दोनों की बिक्री उसी अवधि में बढ़ी है।

(vi) शुल्क की अवधि के दौरान आयातों का अस्तित्व यह स्थापित नहीं करता कि समाप्ति से क्षति होगी

147. हुआफोन समूह ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा चाहा गया निष्कर्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से प्राप्त नहीं होता है। यह तथ्य कि शुल्क लागू रहने के दौरान आयात जारी रहा या बढ़ा, यह स्थापित नहीं करता है कि शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप हानिकारक आयात होंगे; यदि उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो शुल्क की अवधि के दौरान किसी भी आयात का अस्तित्व स्वतः ही समाप्ति पर क्षति की संभावना को स्थापित करेगा, जो निर्णायक समीक्षा में सही परीक्षण नहीं हो सकता है। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या इस बात का सकारात्मक प्रमाण है कि शुल्क की समाप्ति पर आयात में भौतिक रूप से वृद्धि होने की संभावना है या ऐसी कीमतों पर प्रवेश करने की संभावना है जिससे क्षति हो सकती है। इसके अलावा, जबकि चीन जन.गण. से आयात में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई, कुल मांग में 52 सूचकांक अंक की वृद्धि हुई और संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी में 1 सूचकांक अंक की गिरावट आई, ताकि मात्रा में वृद्धि को भारतीय बाजार के विस्तार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

(vii) उत्तरदाताओं का व्यक्तिगत निर्यात प्रदर्शन क्षति की किसी संभावना का संकेत नहीं देता

148. अलचा समूह ने प्रस्तुत किया है कि जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात जिआंगसू अलचा की कुल बिक्री मात्रा का केवल ***% था, कि भारत को इसकी निर्यात कीमत 2022 में प्रति किलोग्राम से बढ़कर जांच की अवधि में प्रति किलोग्राम हो गई, और इसकी क्षमता पूरे समय में ***% से ***% की क्षमता उपयोग के साथ अपरिवर्तित रही, ताकि कोई अतिरिक्त क्षमता स्थिति न हो जो भारत को हानिकारक निर्यात की संभावना का अनुमान लगाने की आवश्यकता हो।
149. डिंगशेंग समूह ने प्रस्तुत किया है कि जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात उसकी कुल बिक्री का केवल ***% था, कि भारत को उसका कुल निर्यात 2021-22 में *** एमटी से जांच की अवधि में *** एमटी हो गया, जिससे क्षति की अवधि में कोई वृद्धि नहीं हुई, और यह इस तथ्य के बावजूद है कि इस पर केवल प्रति एमटी पर शुल्क लागू था।

(viii) पहले की एल्युमीनियम फॉइल जांच पर भरोसा गलत है

150. हुआफोन समूह ने प्रस्तुत किया है कि एल्युमीनियम फॉइल से संबंधित एक पूर्व जांच के तथ्य एल्युमीनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों के संबंध में वर्तमान जांच में संभावना को स्वचालित रूप से स्थापित नहीं कर सकते हैं। संभावना को विचाराधीन विशिष्ट उत्पाद, बाजार, निर्यातकों, मूल्य निर्धारण, क्षमता और वर्तमान समीक्षा में प्रचलित मांग की स्थितियों से संबंधित साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि किसी अन्य उत्पाद से

जुड़ी एक अन्य जांच में शुल्क की समाप्ति के बाद आयात में वृद्धि हुई, यह स्थापित नहीं करता है कि यही परिणाम आवश्यक रूप से यहां भी होगा।

(ix) तीसरे देश के व्यापार उपचारात्मक उपाय और भारतीय बाजार की कथित आकर्षकता संभावना स्थापित नहीं करते।

151. हुआफोन समूह ने प्रस्तुत किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, जीसीसी देशों और अन्य न्यायालयों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी और प्रतिकारी उपायों से भारत को निर्यात में वृद्धि की संभावना स्वतः स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि उन उपायों द्वारा कवर किए गए उत्पाद आवश्यक रूप से विचाराधीन उत्पाद के समान नहीं हैं और उन उपायों के दायरे, विनिर्देशों, उत्पादकों, बाजार की स्थितियों और कारणों में भिन्नता हो सकती है।
152. जहां तक भारतीय बाजार के आकर्षण का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किया गया आंकड़े, आईटीसी ट्रेड मैप आंकड़े हैं जो दर्शाता है कि चीन से भारत में औसत निर्यात मूल्य कुछ अन्य गंतव्यों के लिए निर्यात मूल्य से अधिक था, यह स्थापित नहीं करता है कि शुल्क की समाप्ति पर भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन जाएगा। इसके विपरीत, यदि चीनी निर्यातक वर्तमान में भारत में कई अन्य बाजारों की तुलना में अधिक कीमत प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आंकड़े तर्कसंगत रूप से दर्शाता है कि भारत को पाटित या संकटग्रस्त कीमतों पर बेचने की क्षमता के कारण लक्षित नहीं किया जा रहा है। आंकड़े किसी भी मामले में व्यापक व्यापार-स्तर की जानकारी है जो वर्तमान जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों के भविष्य के निर्यात व्यवहार को स्थापित नहीं करता है।

(x) कथित भौतिक क्षति का खतरा अटकलों पर आधारित है

153. हुआफोंग समूह ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग स्वयं स्वीकार करता है कि खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि आरोप, अनुमान या दूर की संभावना पर, और कथित परिस्थितियों में बदलाव स्पष्ट रूप से दूरदर्शी और आसन्न होना चाहिए, लेकिन उसकी अनुरोध उस मानक को पूरा नहीं करतीं। चीन में उत्पादन क्षमता का अस्तित्व मात्र यह स्थापित नहीं करता है कि विचाराधीन विशिष्ट उत्पाद के लिए ऐसी क्षमता उपलब्ध है या इसका उपयोग किया जाएगा; न ही निष्क्रिय क्षमता का अस्तित्व यह स्थापित करता है कि अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात किया जाएगा, कि ऐसे निर्यात भारत को निर्देशित किए जाएंगे, या कि ऐसे किसी भी आयात को पाटित किए गए मूल्यों पर किया जाएगा और इससे नुकसान होगा। घरेलू उद्योग वास्तव में प्राधिकारी से उस श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी को स्थापित करने वाले सकारात्मक साक्ष्य को बिना रखे, अतिरिक्त क्षमता से लेकर बढ़े हुए उत्पादन तक, बढ़े हुए उत्पादन से लेकर निर्यात तक, निर्यात से लेकर भारत में मोड़ तक, और ऐसे आयात से लेकर नुकसान तक, घटनाओं की पूरी श्रृंखला को मान लेने के लिए कह रहा है

(xi) उन उत्पादों के संबंध में क्षति की कोई संभावना नहीं है जो घरेलू उद्योग उत्पादित नहीं करता

154. एसीपी समूह, टीटीआरएल, माले अनंद और पहाड़पुर ने प्रस्तुत किया है कि एसीपी अनुप्रयोग के लिए कलर कोटेड कॉइल, क्लैड उत्पादों या 1950 मिमी से ऊपर के एफआरपी के संभावित पाटन के संबंध में क्षति के जारी रहने या

पुनरावृत्ति की संभावना का मामला नहीं हो सकता, जहां घरेलू उद्योग ने उत्पादन सुविधाएं विकसित नहीं की हैं या मापने योग्य मात्रा में ऐसे उत्पादों की आपूर्ति नहीं की है। एक उत्पाद जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है, वह इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और ऐसे उत्पाद पर शुल्क केवल आयातक की लागत को बढ़ाता है, बिना घरेलू उत्पादक को कोई सुरक्षा प्रदान किए।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

155. घरेलू उद्योग ने क्षति, कारणात्मक संबंध और संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 और अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जाते, जब तक कि यह निर्धारित न किया जाए कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना होगी। निर्णायक समीक्षा में अपेक्षित परीक्षा भविष्योन्मुखी है, और अपीलीय निकाय ने यूएस - करोजन-रेजिस्टेंट स्टील सनसेट रिव्यू में अभिनिर्धारित किया कि प्राधिकारी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि "यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाए तो क्या होने की संभावना है"।
- ख. ईयू - कॉस्ट एडजस्टमेंट मेथडोलॉजीज II (रूस) में पैनल ने यह प्रेक्षण किया कि मूल जांच में ध्यान निर्धारण के समय वास्तविक क्षति के अस्तित्व पर होता है, जबकि समाप्ति समीक्षा में उपाय कुछ समय से लागू रहा होता है और प्राधिकारियों को, नए विश्लेषण पर, यह निर्धारित करना होता है कि क्या उपाय की समाप्ति से क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना होगी। पैनल ने आगे अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 11.3 के तहत अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्षति का निर्धारण अपेक्षित नहीं है, और यह कि संभावना निर्धारण करते समय जांच प्राधिकारी अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि वह निर्धारण वास्तविक क्षति के निष्कर्ष पर आधारित न हो।
- ग. अनुच्छेद 11.3 और धारा 9क(5) में "पुनरावृत्ति" शब्द का प्रयोग स्वयं यह संकेत देता है कि वर्तमान क्षति निर्णायक नहीं है, क्योंकि यह शब्द यह पूर्वधारणा करता है कि पाटन या क्षति समाप्त हो चुकी हो सकती है किंतु प्रतिसंहरण पर पुनरावृत्ति हो सकती है। यूएस - डीआरएएमएस में पैनल ने यह प्रेक्षण किया कि ऐसी व्याख्या जो वर्तमान पाटन के समाप्त पाए जाते ही प्रतिसंहरण की अपेक्षा करे, अनुच्छेद 11.3 के एक भाग को निष्प्रभावी कर देगी।
- घ. उपर्युक्त के बावजूद, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति उठाई है। संबद्ध देश से आयात मात्राएं आधार वर्ष में 1,18,280 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि में वार्षिकीकृत आधार पर 1,77,192 मी.टन हो गईं, जो 50% की वृद्धि है, और प्रेक्षित अवधि के दौरान उच्चतम स्तर पर थीं। घरेलू उद्योग के उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध आयात 32 सूचकांक अंकों तक बढ़े।
- ङ. मांग आधार वर्ष से जांच अवधि तक 52 सूचकांक अंकों तक बढ़ी जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री केवल 27 सूचकांक अंकों तक बढ़ी। संबद्ध वस्तुओं की निरंतर पाटन के कारण घरेलू उद्योग घरेलू मांग में वृद्धि का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है, इसके बावजूद कि उसकी स्थापित क्षमता का महत्वपूर्ण भाग अनुपयुक्त बना हुआ है।
- च. जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती ऋणात्मक थी, किंतु ठीक पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24 के दौरान महत्वपूर्ण धनात्मक कीमत कटौती थी। यह स्थापित करता है कि पाटनरोधी शुल्क के उद्ग्रहण ने चीनी निर्यातकों को घरेलू उद्योग के

मूल्यों को न्यून करने से नहीं रोका, और शुल्क वापस लिए जाने पर ऐसी कार्रवाई और अधिक स्पष्ट होगी। मूल्यों के संबंध में बाजार स्थितियां अनिश्चित हैं और शुल्क वापस लिए जाने पर पुनरावृत्त होंगी।

- छ. घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री वसूली आधार वर्ष से जांच अवधि तक केवल 2 सूचकांक अंकों तक बढ़ी जबकि बिक्री लागत 11 सूचकांक अंकों तक बढ़ी। 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि के दौरान धनात्मक कीमत ह्रास था, और घरेलू विक्रय मूल्यों में वृद्धि ने बिक्री लागत में वृद्धि के ***% को भी कवर नहीं किया।
- ज. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 16 सूचकांक अंकों तक घटी जबकि संबद्ध आयातों की केवल 1 सूचकांक अंक घटी। अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति में सुधार एक सकारात्मक संकेत है जो शुल्कों के जारी रहने की अपेक्षा की पुनःपुष्टि करता है; उन उत्पादकों ने अभिलेख पर कहा है कि पाटनरोधी शुल्कों ने उन्हें अपनी क्षमताएं स्थापित करने और विस्तारित करने की अनुमति दी, और वे शुल्कों के जारी रहने का समर्थन करते हैं। प्रतिसंहरण का न केवल आवेदक पर बल्कि अन्य घरेलू उत्पादकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- झ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रारंभिक, समापन और औसत मालसूचियां लगातार बढ़ीं, औसत मालसूची आधार वर्ष से जांच अवधि तक 23 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, जो स्टॉक के महत्वपूर्ण संचय को दर्शाता है।
- ञ. कर से पूर्व लाभ आधार वर्ष से जांच अवधि तक 86 सूचकांक अंकों तक घटा, 2022-23 और 2023-24 में ऋणात्मक हो गया और जांच अवधि में केवल मामूली रूप से सुधरा। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 88 सूचकांक अंकों तक घटा और, जांच अवधि में ***% पर, क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमत 22% की दर से महत्वपूर्ण रूप से नीचे बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि उद्योग की वित्तीय स्थिति नाजुक बनी हुई है।
- ट. चीन जन. गण. के उत्पादकों और निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्कों के अस्तित्व के बावजूद भारत को अपने मूल्य घटाए हैं, जैसा कि प्रत्येक उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक की भारत को निर्यात से बिक्री वसूली में घटते रुझान से प्रमाणित होता है।
- ठ. चीन जन. गण. से एल्युमीनियम फॉइल पर लागू पाटनरोधी शुल्कों के अनुभव पर भरोसा किया गया है, जो प्राधिकारी की सिफारिश को लागू न करने के वित्त मंत्रालय के निर्णय के पश्चात 15 मई 2022 को समाप्त हो गए। आयात मात्राएं अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 की अवधि में 20,524 मी.टन (वार्षिकीकृत) से बढ़कर अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि में 61,546 मी.टन हो गईं, जो एक वर्ष के भीतर लगभग तिगुनी हो गईं, जिसके कारण उस मामले में घरेलू उद्योग को नए सिरे से प्राधिकारी के पास जाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचना संख्या 15/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क लगाए गए। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चीन के उत्पादक निर्यात-अभिमुख हैं और पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में आक्रामक पाटन करते हैं।
- ड. संबद्ध देश के उत्पादक विभिन्न तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं की पाटन कर रहे हैं, जैसा कि चीन से एल्युमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, यूरेशियाई आर्थिक संघ राज्यों, घाना, जीसीसी राज्यों और कोरिया आरपी द्वारा लगाए गए व्यापार उपचारात्मक उपायों से स्थापित होता है। यूएसआईटीसी ने कॉमन अलॉय एल्युमीनियम शीट्स से संबंधित 7 मई 2024 के अपने निर्णायक समीक्षा निर्धारण में चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को पांच वर्षों की और अवधि के लिए विस्तारित किया।
- ढ. वैश्विक व्यापार में हाल के घटनाक्रमों ने एल्युमीनियम उत्पादों के वैश्विक बाजार में गंभीर रिक्तियां उत्पन्न की हैं। 3 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एल्युमीनियम उत्पादों पर धारा 232 शुल्कों की दर 25% से बढ़ाकर 50% कर दी और सभी देश-छूटें निरस्त कर दीं, जिसके परिणामस्वरूप चीनी निर्यातकों की अमेरिकी बाजार तक

पहुंच नहीं होगी। 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र अपने निश्चयात्मक चरण में प्रवेश कर गया, जिसके तहत ईयू आयातकों को अंतर्निहित उत्सर्जन के लिए प्रमाणपत्र क्रय और अभ्यर्पित करने होंगे तथा मुफ्त भत्ते चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने हैं। चूंकि यूरोपीय संघ चीन के शीर्ष चार निर्यात बाजारों में से एक है, चीन के उत्पादकों और निर्यातकों को यूरोपीय संघ को निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और वे भारत जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर देख सकते हैं।

- ण. भारतीय बाजार मूल्य की दृष्टि से आकर्षक है। जांच अवधि के दौरान चीन से भारत को निर्यात मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन था, जबकि शेष विश्व को *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन, मैक्सिको को *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन, कोरिया आरपी को *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन और वियतनाम को *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन था। संबद्ध वस्तुओं की पाटन के बावजूद, संबद्ध देश के उत्पादक शेष विश्व की तुलना में भारत को निर्यात पर अधिक अनुकूल मूल्य प्राप्त करते हैं, और भारत संबद्ध वस्तुओं के चीनी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
- त. चीन के उत्पादक अत्यधिक निर्यात-अभिमुख हैं, चीन की हिस्सेदारी शीर्ष 7606 के अंतर्गत वर्गीकरणीय वस्तुओं के कुल वैश्विक निर्यात में संपूर्ण प्रेक्षित अवधि के दौरान 34% से 38% और जांच अवधि के दौरान 37% रही।
- थ. चीन के पास 14 मी.टन की द्वितीयक एल्युमीनियम उत्पादन क्षमता है। 2023 में चीन ने 1.25 करोड़ मी.टन एल्युमीनियम फ्लैट उत्पादों का उत्पादन किया और लगभग 11 करोड़ मी.टन की खपत की, जिससे उसकी घरेलू खपत उसके उत्पादन से 1.5 मिलियन मी.टन कम और उसकी क्षमता से 3 मी.टन कम रही। पंचवर्षीय योजना के तहत द्वितीयक एल्युमीनियम उत्पादन के 2025 तक बढ़कर 1.15 करोड़ मी.टन और 2030 तक 1.8 करोड़ मी.टन होने की अपेक्षा है। यूएसआईटीसी ने इन चिंताओं का संज्ञान लिया है कि 2025 में एल्युमीनियम फ्लैट रोलड उत्पादों की चीन की निर्माणाधीन क्षमता 44.4 लाख शॉर्ट टन होगी, जो निर्माणाधीन लगभग 25 एल्युमीनियम प्लेट, शीट, स्ट्रिप और फॉयल परियोजनाओं से उत्पन्न होगी।
- द. उठाई गई क्षति और क्षति के जारी रहने तथा पुनरावृत्ति की संभावना के अतिरिक्त, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.7 के अर्थ में वास्तविक क्षति की स्पष्ट और आसन्न आशंका है, पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर, संबद्ध देश में मुक्त रूप से निपटान योग्य और बढ़ती क्षमता, तथा ऊपर संदर्भित वैश्विक व्यापार गतिकी को ध्यान में रखते हुए।
- ध. शुल्कों के लगाने का भारतीय एल्युमीनियम उद्योग पर समग्र सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और शुल्कों का जारी रहना सार्वजनिक हित में है। शुल्कों ने भारत में उत्पादन क्षमता की स्थापना और संवर्धन को सुगम बनाया है, और हिंडालको आगामी वर्षों में अपनी अपस्ट्रीम एल्युमीनियम क्षमता *** केटी तक बढ़ाने के लिए लगभग *** अरब रुपये का निवेश कर रहा है। विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण और आपूर्ति कई भारतीय उत्पादकों द्वारा की जाती है और यह विभिन्न देशों से आयातों के माध्यम से सहज उपलब्ध है; जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि यह संकेत देती है कि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के आयात में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंतिम प्रयोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव अत्यल्प है, जैसा कि आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर के साथ प्रस्तुत शुल्क प्रभाव आकलन से प्रदर्शित होता है, जो 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की उच्चतम लागू दर के आधार पर परिकलित किया गया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

ज.3.1 कानूनी ढांचा

156. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के साथ अनुलग्नक में कहा गया है कि क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें पाटित किए गए आयात की मात्रा, घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव जैसे लेखों के लिए और ऐसे आयात का घरेलू उत्पादकों पर ऐसे लेखों के परिणामी प्रभाव शामिल है। कीमतों पर पाटित किए गए आयात के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान लेख की कीमत की तुलना में पाटित किए गए आयात द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्थिति तक हुई होगी।
157. वर्तमान कार्यवाही धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23 के तहत एक समीक्षा होने के कारण, प्राधिकारी को जो निर्धारण करना है, वह यह है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों की प्रस्तुति स्वीकार करता है, जो यूएस - कोरोजन-रेसिस्टेंट स्टील सनसेट रिव्यू और अखिल भारतीय लेमिनेटेड फ़ैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम प्राधिकारी में सीईएसटीएटी के निर्णय पर आधारित है, कि पांच वर्षों के बाद शुल्क की समाप्ति नियम है और इसकी निरंतरता अपवाद है, और संभावना का निर्धारण अनुमान या धारणा पर नहीं, बल्कि ठोस और सकारात्मक साक्ष्य पर कठोर जांच के बाद आधारित होना चाहिए, ।
158. प्राधिकारी घरेलू उद्योग की प्रस्तुति भी स्वीकार करता है, जो ईयू - कॉस्ट एडजस्टमेंट मेथडोलॉजीज II (रूस) और यूएस - डीआरएएमएस पर आधारित है, कि समीक्षा में जांच भविष्य-उन्मुखी है, वर्तमान भौतिक क्षति की अनुपस्थिति अपने आप में निर्णायक नहीं है, और "पुनरावृत्ति" शब्द पूर्वधारणा करता है कि पाटन या क्षति उपाय की अवधि के दौरान समाप्त हो सकती है और फिर भी इसकी समाप्ति पर पुनरावृत्ति हो सकती है। ये दो प्रस्ताव संघर्ष में नहीं हैं। वर्तमान में क्षति की अनुपस्थिति निरसन के लिए बाध्य नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि निरंतरता के लिए सकारात्मक मामला सकारात्मक साक्ष्य पर बनाया जाना चाहिए जो समाप्ति पर होने की संभावना है, और घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
159. प्राधिकारी ने तदनुसार पहले क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की है, और उसके बाद अलग से जांच की है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

ज.3.2 मांग और प्रत्यक्ष खपत का आकलन

160. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। मांग इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (ए)	जांच अवधि
संबद्ध देश से आयात	मी.टन	1,51,878	1,74,413	1,62,570	1,88,091	2,82,136
गैर-संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	34,205	41,011	46,445	1,32,573	1,98,859
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	104	105	127	191
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	132	129	182	274
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	113	155	233

161. यह नोट किया गया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग पूरी क्षति अवधि के दौरान लगातार और पर्याप्त रूप से बढ़ी है, आधार वर्ष से जांच अवधि तक 55 सूचकांक अंकों तक बढ़ी। यह आगे नोट किया गया है कि जांच अवधि में संबद्ध देश से आयातों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री भी आधार वर्ष की तुलना में बढ़ी।

ज.3.3 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

162. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में आयातों की मात्रा इस प्रकार थी:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (ए)	जांच अवधि
संबद्ध देश से आयात	मी.टन	1,51,878	1,74,413	1,62,570	1,88,091	2,82,136
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	115	107	125	187
घरेलू उद्योग का उत्पादन (कैप्टिव खपत घटाकर)	मी.टन	***	***	***	***	***
मांग के सापेक्ष संबद्ध आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	95	80	80

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (ए)	जांच अवधि
उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	108	109	109
कुल आयातों के सापेक्ष संबद्ध आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	95	72	72

163. यह नोट किया गया है कि:

- क. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आधार वर्ष में 1,51,878 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर 1,88,091 मी.टन हो गई, जो लगभग 24% की वृद्धि है। जांच अवधि के दौरान आयात अपने उच्चतम स्तर पर थे। यह वृद्धि पूरे क्षति अवधि में लागू पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद हुई।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन के सापेक्ष, संबद्ध आयात आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान ***% हो गए।
- ग. मांग के सापेक्ष, संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी आधार वर्ष में ***% से घटकर जांच अवधि के दौरान ***% हो गई।
- घ. कुल आयातों के सापेक्ष, संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी आधार वर्ष में ***% से घटकर जांच अवधि के दौरान ***% हो गई।

ज.3.4 पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव कीमत कटौती

164. नीचे दिए गए मूल्य कटौती विश्लेषण के प्रयोजन हेतु, घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है। यह नोट किया गया है कि कीमत कटौती 2023-24 में धनात्मक था, तथा 2021-22, 2022-23 और जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक था।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (ए)
घरेलू विक्रय मूल्य	₹/मी.टन	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	122	124	131
पहुँच मूल्य	₹/मी.टन	2,86,100	3,15,120	2,87,498	3,23,981
रुझान	सूचकांक	100	110	100	113
मूल्य कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
मूल्य कटौती	%	***	***	***	***
मूल्य कटौती	सीमा	(0-15)	(0-10)	0-10	(0-5)

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

165. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक ह्रासित कर रहे हैं, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक ह्रास या कीमतों में वृद्धि को रोकना है, प्राधिकारी ने

क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और शुद्ध बिक्री वसूली की गति, साथ ही संबद्ध आयातों के पहुँच मूल्य की जांच की है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (ए)
निवल बिक्री वसूली	₹/मी.टन	2,83,984	2,81,738	2,58,267	2,88,658
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	91	102
बिक्री लागत (एक्स-फैक्ट्री)	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	117	101	111
पहुँच मूल्य	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	110	100	113

166. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 11 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, जबकि उसकी निवल बिक्री प्राप्ति केवल 2 सूचकांक अंकों तक बढ़ी। घरेलू उद्योग इसलिए अपनी लागतों में वृद्धि को संबंधित मूल्य वृद्धि के माध्यम से वसूलने में असमर्थ रहा है, और इसलिए कीमत दमन है।

ज.3.5 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

167. पाटनरोधी नियमावली के नियम II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में पाटित किए गए आयात के परिणामी प्रभाव की घरेलू उत्पादकों पर वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी, जिसमें उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल है। तदनुसार, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच की गई है।

क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (ए)	जांच अवधि
स्थापित क्षमता	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	126	189
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	120	180

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (ए)	जांच अवधि
निवल आबद्ध खपत का उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	99	113	170
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	105	127	191
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	113	155	233

168. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता 26 सूचकांक अंकों, उत्पादन 20 सूचकांक अंकों और घरेलू बिक्री 27 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, जबकि क्षमता उपयोग मामूली रूप से 1 सूचकांक अंक घटा।

169. यह नोट किया गया है कि, जबकि मांग क्षति अवधि में 55 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, घरेलू उद्योग की बिक्री केवल 27 सूचकांक अंकों तक बढ़ी और इसलिए मांग में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रखा।

बाजार हिस्सेदारी

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई (ए)	पीओआई
संबद्ध देश से आयात	मी.ट.	1,51,878	1,74,413	1,62,570	1,88,091	2,82,136
गैर-संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	34,205	41,011	46,445	1,32,573	1,98,859
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	104	105	127	191
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	132	129	182	274
कुल मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	114	113	155	233

संबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***	***
	प्रवृ ति	100	101	95	80	80
असंबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***	***
	प्रवृ ति	100	105	121	250	250
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***	***
	प्रवृ ति	100	91	93	82	82
अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***	***
	प्रवृ ति	100	116	114	117	117

170. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी क्षति अवधि में 18 सूचकांक अंकों तक घटी, जबकि संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी उसी अवधि में 20 सूचकांक अंक घटी।

171. घरेलू उद्योग के निवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति में सुधार एक सकारात्मक विकास है जो कर्तव्यों द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के कारण है, और वे उत्पादक कर्तव्यों की निरंतरता का समर्थन करते हैं। इनाल्को प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र की स्थापना और वर्गो एल्युमिनियम लिमिटेड की क्षमता के विस्तार से यह स्पष्ट है कि ये विकास हैं जिन्हें मौजूदा कर्तव्यों ने सुगम बनाया है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई (क)	पीओआई
प्रारंभिक	मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृति	100	101	120	116	116
अंतिम	मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृति	100	119	115	129	129
औसत	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृति	मी.ट.	100	110	118	123	123

172. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची आधार वर्ष से जांच अवधि तक 23 सूचकांक अंकों तक बढ़ी और जांच अवधि के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी।

लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई (क)	पीओआई
लाभ/हानि	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	-71	-2	14	14
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	- 63	-0	14	14
मूल्यहास, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	-39	16	30	30
नकद लाभ	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	-45	16	32	32
नियोजित पूंजी पर आय	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	- 56	-0	12	12

173. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2022-23 में तेजी से गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान केवल मामूली रूप से ठीक हुई। जांच की अवधि के दौरान, कर से पहले लाभ केवल 14 सूचकांक अंक था, जबकि नियोजित पूंजी पर आय केवल ***% था, जो क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए माना गया ***% रिटर्न से काफी कम था।

रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई (क)	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	98	97	111	111
वेतन और मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	106	106	119	179
प्रति दिन उत्पादकता	संख्या	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	96	99	120	120
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	संख्या	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	98	101	109	109

174. यह नोट किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या, वेतन और मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता प्रत्येक आधार वर्ष से जांच की अवधि तक बढ़ी है।

ज.3.6 जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति पर टिप्पणियां

175. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नवत रही:
- क. मांग काफी बढ़ी, क्षति अवधि में 55 सूचकांक अंकों तक।
- ख. संबद्ध आयातों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई, जबकि मांग में उनकी हिस्सेदारी आधार वर्ष के ***% से घटकर जांच अवधि के दौरान ***% रह गई। कीमत कटौती जांच अवधि के दौरान नकारात्मक था, संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से ऊपर था।
- ग. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग के कीमत दमन का नेतृत्व किया, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि बिक्री लागत क्षति अवधि में 11 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, जबकि शुद्ध बिक्री वसूली में केवल 2 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई।
- घ. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, रोजगार और उत्पादकता बढ़ी, और क्षमता उपयोग क्षति अवधि के दौरान मामूली रूप से घटा।
- ङ. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 18 सूचकांक अंकों तक घटी, अर्थात् आधार वर्ष में ***% से जांच अवधि में ***% तक।
- च. मालसूची 23 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, मोटे तौर पर उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के अनुपात में।
- छ. लाभप्रदता सभी मूल्य क्षति मानदंडों में काफी बिगड़ गई। कर पूर्व लाभ 86 सूचकांक अंकों तक घटा और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल जांच अवधि के दौरान केवल ***% था।
- ज. कुछ सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन अंतर सकारात्मक हैं, और सभी सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति अंतर नकारात्मक हैं।

ज.3.7 कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

176. घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग के मापदंडों में जो गिरावट आई है, उसे नियमों के तहत सूचीबद्ध पाटित किए गए आयात के अलावा किसी अन्य कारक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

177. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में 34,205 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर 1,32,573 मी.टन हो गए, और मांग में उनकी हिस्सेदारी ***% से बढ़कर ***% हो गई। उसी अवधि में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी मांग में मामूली घटी। घरेलू उद्योग द्वारा खोई गई बाजार हिस्सेदारी का एक हिस्सा इसलिए गैर-संबद्ध देशों से आयातों द्वारा लिया गया है, और उस सीमा तक बाजार हिस्सेदारी का नुकसान संबद्ध आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

अन्य घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा

178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री आधार वर्ष में ***मी.टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर ***मी.टन हो गई, जो 82 सूचकांक अंकों की वृद्धि है, और उनकी बाजार हिस्सेदारी ***% से बढ़कर जांच अवधि में ***% हो गई। घरेलू उद्योग ने स्वयं कहा है कि यह कई नए उत्पादकों के बाजार में प्रवेश के कारण है, और इसे सकारात्मक विकास बताया है। प्राधिकारी तदनुसार पाता है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट कुछ हद तक अन्य घरेलू उत्पादकों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा के कारण है।

घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार

179. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपनी स्थापित क्षमता 26 सूचीबद्ध अंकों, औसत नियोजित पूंजी 42 सूचीबद्ध अंकों और निवल स्थिर परिसंपत्तियां 141 सूचीबद्ध अंकों तक बढ़ाई है। नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट का एक हिस्सा पूंजी आधार के विस्तार के कारण है, और नई शुरू की गई क्षमता से जुड़ी निश्चित लागत सामान्यतः उस अवधि में अवशोषित होती हैं जिसके दौरान क्षमता स्थिर होती है।

मांग में संकुचन और खपत की पद्धति

180. मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है; मांग क्षति अवधि में 55 सूचीबद्ध अंकों तक बढ़ी है। खपत की पद्धति में कोई बदलाव चिन्हित नहीं गया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।

व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी और उत्पादकता में विकास

181. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती थीं। जांच ने प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं दिखाया है जो घरेलू उद्योग द्वारा रखी गई प्रौद्योगिकी के अप्रचलन का कारण बन सकता था। घरेलू उद्योग की उत्पादकता, चाहे प्रति दिन या प्रति कर्मचारी मापी जाए, क्षति अवधि में बढ़ी है, और क्षति उत्पादकता में किसी गिरावट के कारण नहीं है।

निर्यात प्रदर्शन और अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

182. ऊपर जांची गई क्षति जानकारी केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है, और दावा की गई क्षति केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है। घरेलू उद्योग का निर्यात बाजार में प्रदर्शन और उसके अन्य उत्पादों के संबंध में प्रदर्शन तदनुसार ध्यान में नहीं लिया गया है।

कारणात्मक संबंध पर अवलोकन

183. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के मानदंडों में, मुख्यतः उसकी बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता में, जो गिरावट हुई है, वह मुख्य रूप से संबद्ध आयातों के कारण है तथा कुछ सीमा तक अन्य घरेलू उत्पादकों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और गैर-संबद्ध देशों से आयातों में हुई वृद्धि के कारण भी है।

ज.3.8 पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

184. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान आयात के कारण घरेलू उद्योग को कीमत क्षति हुई है। प्रश्न यह उठता है कि क्या लागू शुल्कों की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए प्रत्येक आधार और अन्य हितधारक पक्षों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न की जांच की है।

(क) लागू शुल्कों के बावजूद आयात मात्राओं में वृद्धि

185. घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों की मात्रा में आधार वर्ष में 1,51,878 मी.टन से जांच अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर 1,88,091 मी.टन तक वृद्धि पर भरोसा किया है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि आयात निरपेक्ष रूप में बढ़े हैं और लागू शुल्कों के बावजूद वृद्धि हुई है।
186. प्राधिकारी नोट करते हैं, हालांकि हुआफोन समूह द्वारा उठाई गई आपत्ति के दबाव पर ध्यान दिया कि किसी उपाय की अवधि के दौरान आयात के अस्तित्व या वृद्धि से यह स्थापित नहीं होता है कि उपाय की समाप्ति के परिणामस्वरूप हानिकारक आयात होंगे। यदि उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हर उपाय जिसके तहत आयात जारी रहा, जारी रहना होगा, जो अधिनियम की धारा 9क (5) या पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 11.3 द्वारा विचारित परीक्षण नहीं है।
187. प्राधिकारी एक ही समय में नोट करते हैं कि 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन का शुल्क शुल्क तालिका में नामित तीन के अलावा सभी उत्पादकों और निर्यातकों पर लागू होता है, और आयातों की मात्रा उस शुल्क के बावजूद बढ़ी है। आयात शुल्क हटने पर और कितनी वृद्धि होगी, यह नीचे जांचे गए मूल्य और क्षमता विचारों के आलोक में आकलन किया जाना चाहिए।

(ख) संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों का मूल्य निर्धारण व्यवहार

188. घरेलू उद्योग प्रत्येक उत्तरदायी उत्पादक और निर्यातक के भारत में निर्यात से विक्री प्राप्ति के रुझान पर निर्भर है, जिसे आधार वर्ष के रूप में पिछले तीसरे वर्ष के साथ सूचीबद्ध शब्दों में व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार है:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	पिछला वर्ष 3	पिछला वर्ष 2	पिछला वर्ष 1	जांच अवधि
1	डिंगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं. लि.	100	81	80	87
2	हांगजो डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	100	90	79	80
3	हुआफोंग एल्युमीनियम कं. लि.	-	-	100	95
4	इनर मंगोलिया लियानशेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कं. लि.	100	89	93	97
5	जियांगसु अलचा एल्युमीनियम ग्रुप कं. लि.	100	91	89	91

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	पिछला वर्ष 3	पिछला वर्ष 2	पिछला वर्ष 1	जांच अवधि
6	जियांगसु डिगशेंग न्यू मटेरियल्स जॉइंट-स्टॉक कं. लि.	100	95	95	97
7	नानतोंग हेंगजिन कम्पोजिट मटेरियल कं. लि.	100	91	93	95
8	यिनबेंग क्लैड मटेरियल कं. लि.	100	92	94	97

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात से बिक्री वसूली प्रत्येक प्रतिक्रियाशील उत्पादक और निर्यातक के मामले में देखी गई अवधि में घट गई है, गिरावट 3 से 20 सूचकांक अंकों तक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्रवृत्ति एक अवधि के दौरान प्राप्त हुई है जिसमें पाटनरोधी शुल्क लागू थे, और उन शुल्कों की घटना के बावजूद गिरावट आई है।

(ग) जांच अवधि के बाद की आयात मात्रा और मूल्य

190. प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर, 2025 से 13 फरवरी, 2026 तक जांच अवधि के बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आयात संबंधी आंकड़े की जांच की है और जांच अवधि (अप्रैल 2024 से सितंबर 2025) के दौरान दर्ज आयातों के साथ तुलना की है। चूंकि जांच अवधि में 18 महीने शामिल थे जबकि जांच अवधि के बाद की अवधि 136 दिनों को कवर करती है, दो अवधियों के लिए पूर्ण आयात मात्राएं सीधे तुलनीय नहीं हैं। प्राधिकारी ने इसलिए मासिक और वार्षिक आधार पर आयातों की तुलना की है।
191. जांच अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों की मात्रा 2,82,135 मी.टन थी, जो लगभग 15,674 मी.टन प्रति माह और वार्षिक मात्रा 1,88,090 मी.टन के बराबर थी। जांच अवधि के बाद की अवधि के दौरान, आयात *** मी.टन थे, जो दिन-समायोजित आधार पर लगभग *** मी.टन प्रति माह और वार्षिक मात्रा *** मी.टन के बराबर थे। इस प्रकार, आयातों की दर जांच अवधि के बाद लगभग ***% बढ़ी। जांच अवधि के बाद का आंकड़ा इसलिए दर्शाता है कि संबद्ध देश से आयात कम नहीं हुए हैं बल्कि और भी अधिक दर पर जारी रहे हैं।
192. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का औसत मूल्यांकन योग्य मूल्य जांच अवधि के दौरान ₹3,08,136 प्रति मी.टन से घटकर जांच अवधि के बाद की अवधि के दौरान ₹*** प्रति मी.टन हो गया, जो लगभग ***% की गिरावट है। आयातों की दर में वृद्धि इस प्रकार उनके औसत इकाई मूल्य में गिरावट के साथ एक साथ हुई है। यह संयोजन इंगित करता है कि संबद्ध देश के निर्यातक तेजी से कम मूल्य वाले निर्यातों के माध्यम से भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखना और विस्तार करना जारी रखते हैं।
193. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि जांच अवधि के बाद का मूल्यांकन योग्य मूल्य, अपने आप में, पाटन का निर्धारण नहीं है, जिसके लिए नियमावली के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना अपेक्षित है। फिर भी, वर्तमान समीक्षा के दौरान निर्धारित पाटन अंतरों और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक संभावना कारकों के साथ मिलाकर विचार करने पर, जांच अवधि के बाद का रुझान महत्वपूर्ण पुष्टिकारक साक्ष्य है। घटते इकाई मूल्यों पर पर्याप्त और बढ़ती मात्राओं का लगातार प्रवेश संबद्ध देश के निर्यातकों की संबद्ध वस्तुओं को उत्तरोत्तर कम मूल्यों

पर भारत की ओर निर्देशित करने की सतत क्षमता और वाणिज्यिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। अतः यह रुझान इस निष्कर्ष को सुदृढ़ करता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

194. प्राधिकारी जांच अवधि के बाद के घटनाक्रम को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के लिए भी प्रासंगिक मानते हैं। घटते इकाई मूल्यों पर आयातों की बढ़ती मात्रा से भारतीय बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा तीव्र होने और घरेलू उद्योग के मूल्यों तथा लाभप्रदता पर अधोमुखी दबाव पड़ने की संभावना है। संबद्ध देश में उपलब्ध पर्याप्त क्षमताओं, उसके निर्यात अभिमुखीकरण, भारतीय बाजार के आकर्षण और वैकल्पिक निर्यात बाजारों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले व्यापार-उपचारात्मक उपायों के साथ मिलाकर पढ़े जाने पर, जांच अवधि के बाद का आंकड़े यह दर्शाता है कि नवीनीकृत मूल्य अवनमन और परिणामी क्षति का जोखिम वास्तविक तथा उचित रूप से पूर्वानुमेय है। तदनुसार प्राधिकारी यह मानता है कि जांच अवधि के बाद का आयात रुझान इस निष्कर्ष को वास्तव में पुष्ट करता है कि मौजूदा शुल्कों की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

(घ) संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमता और क्षमता विस्तार

195. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि चीन में 14 मिलियन एमटी की द्वितीयक एल्यूमीनियम उत्पादन क्षमता है, जो 2023 में लगभग 11 मिलियन एमटी की घरेलू खपत के मुकाबले 12.5 मिलियन एल्यूमीनियम फ्लैट उत्पादों का उत्पादन करती है, और पांच वर्षीय योजना के तहत 2030 तक द्वितीयक एल्यूमीनियम उत्पादन 18 मिलियन एमटी तक बढ़ने की उम्मीद है। इसने आगे यूएसआईटीसी के निष्कर्ष पर भरोसा किया है कि चीनी उद्योग में लगभग 4.44 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता के साथ लगभग 25 मिलियन मी.टन एल्यूमीनियम प्लेट, शीट, स्ट्रिप और फॉइल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
196. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 12.5 मिलियन मी.टन फ्लैट रोलड उत्पादों का उत्पादन 2023 में लगभग 11 मिलियन मी.टन की खपत के विरुद्ध विशेष रूप से फ्लैट रोलड उत्पादों से संबंधित है, और यूएसआईटीसी द्वारा पहचानी गई निर्माणाधीन क्षमता भी एल्यूमीनियम प्लेट, शीट, स्ट्रिप और फॉइल से संबंधित है।
197. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगभग 1.5 मिलियन मी.टन का अधिशेष जांच अवधि के दौरान भारत में सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आयातों से 4.7 से अधिक है, जो *** मी.टन था। यदि इस अधिशेष क्षमता का एक छोटा हिस्सा भी भारत की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है, तो वह भारत की वर्तमान कुल मांग को पूरा कर देगा। अतः उपलब्ध अधिशेष की मात्रा आयात मात्राओं में पर्याप्त वृद्धि करने तथा भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति और मूल्य स्थितियों को सारभूत रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है।
198. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि भारत एक बड़ा और विस्तारित होता बाजार है जिसमें संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों के पहले से ही स्थापित ग्राहक और वितरण चैनल हैं। पाटनरोधी शुल्क के बावजूद उनका निरंतर पर्याप्त निर्यात भारतीय बाजार में उनके सतत वाणिज्यिक हित को दर्शाता है। इन परिस्थितियों में, शुल्क की समाप्ति से उपलब्ध अधिशेष क्षमता के उपयोग के लिए भारत अधिक सुलभ और मूल्य की दृष्टि से अधिक आकर्षक हो जाएगा। ऐसे अधिशेष के सीमित हिस्से का भी परिणामी विपथन संबद्ध आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि करने, मूल्य

प्रतिस्पर्धा को तीव्र करने, घरेलू मूल्यों को हास या न्यून करने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की ओर ले जाने की संभावना रखता है।

(च) निर्यात अभिमुखीकरण और तृतीय-देश व्यापार उपचार उपाय

199. प्राधिकारी नोट करते हैं कि शीर्ष 7606 के अंतर्गत वर्गीकरणीय वस्तुओं के कुल वैश्विक निर्यात में चीन की हिस्सेदारी संपूर्ण प्रेक्षित अवधि के दौरान 34% से 38% रही और जांच अवधि के दौरान 37% रही, जो संबद्ध देश के उद्योग की ओर से निर्यात अभिमुखीकरण की महत्वपूर्ण मात्रा स्थापित करती है।
200. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में चीन से एल्युमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, यूरेशियाई आर्थिक संघ राज्यों, घाना, खाड़ी सहयोग परिषद राज्यों और कोरिया आरपी में व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू हैं, तथा यह कि यूएसआईटीसी ने 7 मई 2024 के अपने निर्धारण द्वारा चीन से कॉमन अलॉय एल्युमीनियम शीट्स पर पाटनरोधी शुल्कों को पांच वर्षों की और अवधि के लिए विस्तारित किया। यह भी नोट किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद राज्यों के उपायों में शामिल उत्पाद टैरिफ शीर्ष 7606 और 7607 के अंतर्गत आते हैं तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के उपसमुच्चय हैं। प्रमुख वैकल्पिक बाजारों में उपायों के अस्तित्व से भारत में उपाय हटाए जाने पर निर्यातों की दिशा मुड़ने की संभावना होगी।

(छ) वैश्विक व्यापार घटनाक्रम

201. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 3 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एल्युमीनियम उत्पादों पर धारा 232 शुल्कों की दर 25% से बढ़ाकर 50% कर दी और सभी देश-छूटें निरस्त कर दीं, तथा 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) अपने निश्चयात्मक चरण में प्रवेश कर गया, जिसके तहत ईयू आयातकों से अंतर्निहित उत्सर्जन के लिए प्रमाणपत्र क्रय करने और अभ्यर्पित करने की अपेक्षा है तथा मुफ्त भत्तों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान है। ये अभिलेख के विषय हैं और विवादित नहीं हैं। इनका प्रभाव संबद्ध वस्तुओं के दो प्रमुख निर्यात बाजारों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना है, और इस प्रकार इस संभावना को बढ़ाना है कि निर्यात भारत जैसे बाजारों की ओर निर्देशित होंगे, जो खुले बने हुए हैं।

(ज) भारतीय बाजार का आकर्षण

202. घरेलू उद्योग ने आईटीसी ट्रेड मैप आंकड़े पर भरोसा किया है जो दर्शाता है कि जांच अवधि के दौरान चीन से भारत को निर्यात मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन था, जबकि शेष विश्व को *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन, मैक्सिको को *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन, कोरिया आरपी को *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन और वियतनाम को *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन था।
203. प्राधिकारी हुआफोंग समूह की इस आपत्ति को नोट करते हैं कि यदि चीनी निर्यातक वर्तमान में कई अन्य बाजारों की तुलना में भारत में उच्चतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पाटित या संकटग्रस्त मूल्यों पर बेचने की क्षमता के कारण भारत को लक्षित नहीं किया जा रहा है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस

आंकड़े पर भरोसा किया गया है वह एक भिन्न और अधिक प्रासंगिक प्रतिपादन स्थापित करता है, अर्थात् भारत एक ऐसा बाजार है जिसमें संबद्ध देश के निर्यातक वर्तमान में शेष विश्व से अपनी वसूली की तुलना में प्रीमियम प्राप्त करते हैं, और यह प्रीमियम भारत को निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्कों की घटना के बावजूद बना हुआ है। जो बाजार उच्चतर वसूली देता है, अन्य बातें समान होने पर, वह ऐसा बाजार है जिसकी ओर निर्यात अन्य बाजारों की अपेक्षा निर्देशित होने की संभावना है, और 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन के शुल्क को हटाने से वह प्रीमियम और बढ़ जाएगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत संबद्ध वस्तुओं के चीनी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और भारत में मांग क्षति अवधि में 55 सूचकांक अंकों तक बढ़ी है, जबकि फ्लैट रोल्ड उत्पादों की चीनी घरेलू खपत उसके उत्पादन से नीचे बनी रही है।

(झ) एल्युमीनियम फॉइल पर पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के बाद का अनुभव

204. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. से 5.5 से 80 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉइल पर पाटनरोधी शुल्कों की 15 मई 2022 को समाप्ति के बाद के अनुभव पर भरोसा किया है, जिसमें वित्त मंत्रालय ने उन शुल्कों को जारी रखने की प्राधिकारी की सिफारिश को लागू करने से इनकार कर दिया था। आयात अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 की अवधि में वार्षिकीकृत आधार पर 20,524 मी.टन से बढ़कर अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि में 61,546 मी.टन हो गए, और प्राधिकारी ने तत्पश्चात सिफारिश की तथा केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 15/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा नए पाटनरोधी शुल्क लगाए।
205. प्राधिकारी इस आपत्ति को नोट करते हैं कि भिन्न उत्पाद से संबंधित जांच के तथ्य वर्तमान मामले में संभावना स्थापित नहीं कर सकते, और यह कि संभावना का निर्धारण विचाराधीन विशिष्ट उत्पाद से संबंधित साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि एल्युमीनियम फॉइल मामले का अनुभव निर्णायक नहीं है और उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस मामले का उत्पाद एक निकटवर्ती उत्पाद है, जो अध्याय 76 के अंतर्गत आता है और उसी संबद्ध देश में उत्पादकों के एक अतिव्यापी समूह द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिनमें से कई, हुआफोंग एल्युमीनियम कं., लि. और यिनबैंग क्लैड मटेरियल कं., लि. सहित, वर्तमान जांच में उत्तरदाता पक्षों में शामिल हैं। तदनुसार यह अनुभव उपाय हटाए जाने के प्रति संबद्ध देश से निर्यातों की उत्तरशीलता के साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक है, यद्यपि यह उत्पाद-विशिष्ट के बजाय सामान्य प्रकृति का साक्ष्य है और उसे उसी रूप में तौला गया है।

(ज) वास्तविक क्षति की आशंका

206. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त रूप से यह प्रस्तुत किया है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.7 के अर्थ में वास्तविक क्षति की स्पष्ट और आसन्न आशंका है। अनुच्छेद 3.7 यह अपेक्षा करता है कि वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित हो, न कि केवल अनुरोध, अनुमान या दूरस्थ संभावना पर, और यह कि परिस्थितियों में वह परिवर्तन जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें पाटन क्षति कारित करेगी, स्पष्ट रूप से पूर्वानुमेय और आसन्न हो।

207. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9ए(5) के तहत समीक्षा में, वास्तविक क्षति की आशंका की परीक्षा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की परीक्षा से स्वतंत्र रूप से नहीं होती; दोनों जांचें एक ही प्रश्न की ओर निर्देशित हैं, अर्थात् उपाय की समाप्ति पर क्या होने की संभावना है। प्राधिकारी ने क्षति की संभावना की परीक्षा करते समय अनुच्छेद 3.7 में सूचीबद्ध कारकों पर विचार किया है और इसलिए वास्तविक क्षति की आशंका पर पृथक निष्कर्ष आवश्यक नहीं मानता।
208. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जारी रखने का मामला केवल घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पर आधारित नहीं है, बल्कि संबद्ध देश में और संबद्ध वस्तुओं के वैश्विक बाजार में प्रचलित स्थितियों पर, तथा भारत को निर्यात से उनकी वसूली में घटते रुझान द्वारा प्रकट निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार पर भी आधारित है।
209. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानता है कि लागू पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना होगी, और तदनुसार लागू शुल्क जारी रखे जाने के योग्य हैं।

झ क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन

210. प्राधिकारी ने नियमावली के साथ पठित परिशिष्ट III, जैसा कि संशोधित है, में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित किया है। संबद्ध वस्तुओं का क्षतिरहित कीमत जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना और आंकड़े को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय उत्पादन लागत में नहीं लगाया गया। नियमावली के परिशिष्ट III में यथाविहित, क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी, अर्थात् औसत शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां जमा औसत कार्यशील पूंजी, पर 22% का उचित प्रतिफल (पूर्व-कर) कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया है।
211. प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए जिसकी उत्तर स्वीकार की गई है, पहुँच मूल्य सत्यापित वर्तमान-जांच अवधि आयात/निर्यात सूचना के आधार पर, लागू मूल बुनियादी सीमा प्रशुल्क और समाज कल्याण अधिभार के साथ, तुलनीय उत्पाद आधार पर निर्धारित किया गया है। गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, और किसी भी उत्तरदाता पक्ष के लिए जिसका प्रासंगिक आंकड़े स्वीकार नहीं किया गया है, पहुँच मूल्य नियम 23(3) के साथ पठित नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, अभिलेख पर विश्वसनीय सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए वर्तमान जांच अवधि आंकड़े का उपयोग समीक्षा में नियम 10, 11 और 17 के यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुप्रयोग के अनुरूप है।

212. डिगशेंग समूह के मामले में, प्राधिकारी ने समूह की दावा की गई पहुँच-मूल्य गणना को व्यक्तिगत क्षति-अंतर निर्धारण के लिए स्वतंत्र आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया है। समूह के रिपोर्ट किए गए निर्यात आंकड़े और डीजी सिस्टम्स आयात आंकड़े के बीच अनसुलझे अंतर के अलावा, समूह की पहुँच-मूल्य गणना वास्तविक एफओबी/सीएफआर लेन-देनों को सीआईएफ-समतुल्य आधार पर परिवर्तित करती है, जिसमें वास्तव में भिन्न उत्पादकों, मार्गों और चैनलों में फैले लेन-देनों के सीमित समुच्चय से प्राप्त सामान्य भाड़ा/बीमा कारक लागू किए जाते हैं। ऐसे निर्मित कारक संपूर्ण आंकड़े का वास्तविक लेन-देन-विशिष्ट पहुँच मूल्य स्थापित नहीं करते। एक बार जब अंतर्निहित समूह उत्तर व्यक्तिगत उपचार के लिए स्वीकार नहीं की गई है, तो प्राधिकारी समूह के लिए पहुँच मूल्य उन्हीं उपलब्ध-तथ्यों के आधार पर निर्धारित करना उचित मानता है जो अवशिष्ट/गैर-सहयोगी श्रेणी पर लागू होता है, न कि अस्वीकृत उत्तर से प्राप्त पृथक व्यक्तिगत पहुँच-मूल्य गणना को बनाए रखना।
213. यिनबेंग क्लैड मटेरियल कं., लि. के मामले में, प्राधिकारी ने ऊपर पैराग्राफ 127 से 129 में दर्ज कारणों से, व्यक्तिगत क्षति-मार्जिन निर्धारण के लिए स्वतंत्र आधार के रूप में दावा की गई अवतरित-कीमत गणना अथवा अन्य उत्तरदाता-विशिष्ट आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया है। चूंकि अंतर्निहित प्रतिक्रिया पूर्ण, विश्वसनीय और संतोषजनक सत्यापन योग्य नहीं पाई गई है, अतः प्राधिकारी यिनबेंग के लिए अवतरित कीमत का निर्धारण अस्वीकृत प्रतिक्रिया से प्राप्त पृथक व्यक्तिगत अवतरित-कीमत गणना को बनाए रखने के बजाय, अवशिष्ट/असहयोगी श्रेणी पर लागू समान उपलब्ध-तथ्य आधार पर करना उपयुक्त मानता है।
214. ऊपर निर्धारित पहुँच मूल्य और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति अंतर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	पहुँच मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	क्षति अंतर (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	क्षति अंतर (%)	सीमा
1	अलचा समूह	***	***	***	***	(5-15)
2	हुआफोंग समूह	***	***	***	***	(10-20)
3	आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कं., लि.	***	***	***	***	(0-10)
4	नानतोंग हेंगजिन कम्पोजिट मटेरियल कं., लि.	***	***	***	***	(10-20)

5	ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि.	***	***	***	***	(5-15)
6	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20

215. ऊपर परिलक्षित क्षति अंतर वर्तमान-अवधि के निर्धारण हैं जो प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए स्वीकृत सूचना के आधार पर और, गैर-सहयोगी या अस्वीकृत उत्तरदाताओं के मामले में, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन वर्तमान-अवधि के क्षति अंतरों को धारा 9ए(5) और नियम 23(1बी) के तहत संभावना विश्लेषण के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए।
216. वर्तमान निर्णायक समीक्षा की प्रकृति और दायरे को, धारा 9क(5) सहपठित नियम 23 के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानता है कि उपाय के विस्तार की स्थिति में, संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों की सहयोग स्थिति के अधीन, मौजूदा शुल्क संरचना सामान्यतः जारी रहनी चाहिए। तदनुसार, जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने मूल जांच में भाग लिया था और जिन्हें व्यक्तिगत दरें प्रदान की गई थीं, वे अपनी-अपनी मौजूदा व्यक्तिगत दरों से शासित होते रहेंगे, बशर्ते वर्तमान समीक्षा में उनकी प्रतिक्रियाएं स्वीकार की जाएं और वे सहयोगी उपचार के लिए पात्र बने रहें। वर्तमान समीक्षा में पहली बार भाग लेने वाले वे उत्पादक/निर्यातक, जिन्हें मूल जांच में व्यक्तिगत दरें प्रदान नहीं की गई थीं, मौजूदा शुल्क संरचना के अंतर्गत लागू अवशिष्ट दर से आच्छादित होंगे। इसके विपरीत, जहां किसी मौजूदा उत्पादक/निर्यातक की प्रतिक्रिया अस्वीकार की जाती है, जैसा कि डिंगशेंग समूह के मामले में प्रस्तावित है, ऐसा उत्पादक/निर्यातक अपने पूर्व व्यक्तिगत उपचार की निरंतरता के लिए पात्र नहीं रहेगा और अवशिष्ट/असहयोगी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अन्य सभी भाग न लेने वाले अथवा असहयोगी उत्पादक/निर्यातक भी इसी प्रकार जारी रखे गए उपाय के अंतर्गत लागू अवशिष्ट दर के अधीन होंगे।

ब. भारतीय उद्योग का हित, सार्वजनिक हित और अन्य मुद्दे

ब.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) वास्तविक-प्रयोक्ता और अंतिम-उपयोग आधारित बहिष्करण का अनुरोध

217. टीटीआरएल, माहले आनंद और पहाड़पुर ने प्रस्तुत किया है कि उत्पाद अपवर्जन के उनके अनुरोध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी चिह्नित क्लैड और अनक्लैड उत्पादों को अपवर्जित कर सकता है जब वे ऊष्मा विनिमयकों के विनिर्माण के लिए वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा आयात किए जाएं। लो एंश मेटलर्जिकल कोक से संबंधित अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है, जिसमें फेरो-मिश्रधातु और पिग-आयरन विनिर्माण से जुड़े उत्पाद अपवर्जनों के लिए वास्तविक-प्रयोक्ता शर्तें और सीमा प्रशुल्क वचनबंध अपनाए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि उसी तंत्र में ऊष्मा विनिमयक विनिर्माता या अन्य वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा आयात, आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में वचनबंध, तथा खपत का प्रमाणन या सत्यापन अपेक्षित किया जा सकता है, और यह कि ऐसी शर्त इस

संभावना का समाधान करेगी कि वही टैरिफ विवरण किसी अन्य क्षेत्र में उपयोग को भी कवर करता है, जिससे ऊष्मा विनिमयक क्षेत्र के लिए अपेक्षित उत्पादों से शुल्क हट जाएगा जबकि अन्य उपयोगों में घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्पादों पर उपाय बना रहेगा।

(ii) टैरिफ-दर कोटा लगाने का अनुरोध

218. टीटीआरएल, माहले आनंद और पहाड़पुर ने क्लैड उत्पादों और विनिर्दिष्ट अनक्लैड ग्रेडों के लिए टैरिफ-दर कोटा (टीआरक्यू) का अनुरोध किया है, जिसके अंतर्गत विहित वार्षिक मात्रा तक के आयातों को शून्य पाटनरोधी शुल्क पर अनुमत किया जाएगा, जबकि कोटा से अधिक आयात लागू शुल्क के अधीन बने रहेंगे। कोटा उत्पाद-विशिष्ट हो सकता है और पात्र वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो सकता है।

219. प्रस्तावित कोटा का आशय केवल उस मात्रा को कवर करना है जिसका विनिर्माण या आपूर्ति घरेलू उद्योग करने में असमर्थ है, ताकि उन आयातों से संरक्षण हटाए बिना प्रयोक्ता की आवश्यकताएं पूरी हों जो घरेलू उत्पादन से प्रतिस्पर्धा करते हैं। शुल्क-मुक्त कोटा पहुंच को कोटा से परे पाटनरोधी शुल्क के साथ संयोजित करने के उदाहरण के रूप में ईयू फ्यूज्ड एल्युमिना उपाय पर भी भरोसा किया गया है।

(iii) शुल्कों के जारी रहने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव

220. प्रयोक्ता उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी उसके द्वारा अपेक्षित उत्पादों की आपूर्ति करने में विफल रहा है, और यह कि प्रयोक्ता अवशिष्ट दर के शुल्क का भुगतान करके आयात करने के लिए बाध्य हुए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां घरेलू आपूर्ति मांग के केवल एक भाग को कवर करती है, वहां आयातों की संपूर्ण मात्रा पर शुल्क अनावृत मांग के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो उसने घरेलू बिक्री को विस्थापित किया हो। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उन उत्पादों पर शुल्क लगाने से, जिनका विनिर्माण घरेलू उद्योग नहीं करता, घरेलू उत्पादक को कोई संरक्षण दिए बिना प्रयोक्ता की लागत बढ़ती है।

अ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

221. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित और सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. शुल्कों के लगाने का भारतीय एल्युमीनियम उद्योग पर समग्र सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसने भारत में उत्पादन क्षमता की स्थापना और संवर्धन को सुगम बनाया है। इनाल्को प्राइवेट लिमिटेड ने 2023 में *** मी.टन की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया और वर्गों एल्युमीनियम लिमिटेड ने अपनी क्षमता *** मी.टन से बढ़ाकर *** मी.टन की, दोनों ने कहा कि पाटनरोधी शुल्कों के बिना यह संभव नहीं होता। हिंदालको अपनी अपस्ट्रीम एल्युमीनियम क्षमता *** केटी तक बढ़ाने के लिए लगभग ₹ *** अरब का निवेश कर रहा है।
- ख. अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा क्षमता की स्थापना और विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि घरेलू उद्योग द्वारा कोई एकाधिकारीकरण नहीं है, और यह कि शुल्कों ने संपूर्ण भारतीय उद्योग की वृद्धि और विस्तार सुनिश्चित किया है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण और आपूर्ति कई भारतीय उत्पादकों द्वारा की जाती है और यह विभिन्न देशों से आयातों के माध्यम से सहज उपलब्ध है। जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि यह संकेत देती है कि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के आयात में कोई कठिनाई या बाधा नहीं हुई। अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री आधार

वर्ष में *** मी.टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** मी.टन हो गई, जो यह संकेत देती है कि घरेलू उत्पादक घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम हैं।

- घ. शुल्कों का अंतिम प्रयोक्ताओं पर अत्यल्प प्रभाव पड़ा है और पड़ता रहेगा। आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर के साथ प्रस्तुत प्रभाव आकलन, जो 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की उच्चतम लागू दर और 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 92 की विनिमय दर के आधार पर परिकलित है, अंतिम उत्पाद की लागत पर 0.0% से 2.8% तक का प्रभाव दर्शाता है, जिसमें एलईडी बल्ब के मामले में प्रभाव 0.1%, एयर कंडीशनर के मामले में 0.4%, एसीपी मिल फिनिश और रंग-लेपित सामग्री का उपयोग करने वाले भवन अग्रभाग के मामले में क्रमशः 0.074% और 0.100%, न्यूजप्रिंट के मामले में 0.2%, सीएनसी मशीन घटकों के मामले में 0.2%, फॉर्मवर्क के मामले में 0.5%, औषधीय बोतल क्लोजर के मामले में 0.1%, प्रेशर कुकर के मामले में 2.8% और मोटर कार के मामले में 0.1% है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. शुल्कों के जारी रहने का प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव का आकलन

222. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के हितों के साथ-साथ आयातकों, प्रयोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं के हितों पर भी विचार किया है। पाटनरोधी उपाय व्यापार-उपचारात्मक उपाय हैं जिनका आशय अनुचित रूप से मूल्यांकित आयातों के क्षतिकर प्रभावों का समाधान करना है। निर्णायक समीक्षा समीक्षा में, प्रासंगिक परीक्षा यह है कि क्या मौजूदा उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। साथ ही, प्राधिकारी यह जांच करना उचित मानते हैं कि क्या उपाय के जारी रहने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर अनुपातहीन बोझ पड़ेगा या भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता वास्तव में क्षीण होगी। ऐसी परीक्षा का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि उपचारात्मक उपाय, यदि जारी रखा जाए, तो वैध व्यापार को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित किए बिना या प्रयोक्ता उद्योग पर अत्यधिक बोझ डाले बिना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियां बहाल करे।
223. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच शुरू होने के पश्चात, उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता संघों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अभिलेख पर प्रासंगिक सूचना रखने का अवसर प्रदान किया गया था। प्राधिकारी ने हितधारकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने के संभावित प्रभाव के संबंध में सूचना प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए विशेष रूप से एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी विहित की। कई प्रयोक्ताओं और संघों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और उत्पाद उपलब्धता, आयात लागत, वास्तविक-प्रयोक्ता अपवर्जनों और विशेष उत्पाद ग्रेडों की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। प्राधिकारी ने इन अनुरोधों पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के साथ विचार किया है।
224. प्राधिकारी यह मानते हैं कि एल्युमीनियम के फ्लैट रोल्ड उत्पाद एक महत्वपूर्ण औद्योगिक मध्यवर्ती हैं जिनके अनुप्रयोग कई डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में हैं। मिश्रधातु, टेम्पर, गेज, चौड़ाई, फिनिश और अन्य तकनीकी विशेषताओं के आधार पर, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनलों और भवन अग्रभागों, छत और क्लैडिंग, वातानुकूलन और ऊष्मा-विनिमय अनुप्रयोगों, ऑटोमोटिव घटकों, प्रेशर कुकर और रसोई उपकरणों, पैकेजिंग, मुद्रण, फॉर्मवर्क, क्लोजर और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। अतः वर्तमान

मामले में सार्वजनिक-हित आकलन को डाउनस्ट्रीम विनिर्माण उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर संबद्ध वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता के महत्व को मान्यता देनी चाहिए।

225. तथापि, औद्योगिक निवेश के रूप में उत्पाद का महत्व अपने आप में यह स्थापित नहीं करता कि पाटनरोधी उपाय का जारी रहना प्रयोक्ताओं के हितों के विपरीत है। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या उपाय उस निवेश तक पहुंच को सारभूत रूप से प्रतिबंधित करता है या ऐसा लागत बोझ उत्पन्न करता है जो डाउनस्ट्रीम उत्पाद के मूल्य के संबंध में देखे जाने पर अनुपातहीन है। पाटन रोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता, मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाता, या भारतीय बाजार को घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित नहीं करता। संबद्ध वस्तुएं लागू शुल्क के भुगतान पर चीन जन. गण. से आयात की जाती रह सकती हैं और गैर-संबद्ध देशों से या घरेलू उत्पादकों से भी प्राप्त की जा सकती हैं। उपाय केवल उन मूल्य स्थितियों पर प्रचालित होता है जिनके तहत पाटित आयात भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं।

ख. उत्पाद की उपलब्धता और आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत

226. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत नहीं देता कि वर्तमान में लागू शुल्कों से भारत में एल्युमीनियम के फ्लैट रोल्ड उत्पादों की कोई सामान्य कमी उत्पन्न हुई है। इसके विपरीत, क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार का उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है। मांग 55 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, जबकि संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष में 1,18,280 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान वार्षिकीकृत आधार पर 1,77,192 मी.टन हो गए। इस प्रकार, लागू पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्राएं भारत में प्रवेश करती रहीं। उपाय की अवधि के दौरान आयातों का जारी रहना यह दर्शाता है कि उपाय ने आयातों पर प्रतिषेध के रूप में कार्य नहीं किया है।
227. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में 34,205 से बढ़कर जांच अवधि के दौरान वार्षिकीकृत आधार पर 1,32,573 मी.टन हो गए। साथ ही, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री *** मी.टन से बढ़कर *** मी.टन हो गई। अतः भारतीय प्रयोक्ता उद्योग के पास आपूर्ति के तीन पृथक चैनलों तक पहुंच है, अर्थात् संबद्ध देश से आयात, गैर-संबद्ध देशों से आयात और भारतीय उत्पादकों से आपूर्तियां। तदनुसार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के कारण अर्थव्यवस्था-व्यापी आपूर्ति बाधा स्थापित नहीं करती।
228. यह स्थिति मौजूदा उपायों के लगाए जाने के पश्चात घरेलू उत्पादन क्षमता के विस्तार से और पुष्ट होती है। प्राधिकारी ने इस अंतिम निष्कर्ष में अन्यत्र नोट किया है कि अतिरिक्त उत्पादकों ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है या विस्तार किया है। इनाल्को प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग *** मी.टन की क्षमता स्थापित की, जबकि वर्गो एल्युमीनियम लिमिटेड ने अपनी क्षमता लगभग *** मी.टन से बढ़ाकर *** मी.टन की। आवेदक ने भी महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार और निवेश किया है। कई घरेलू उत्पादकों का उदय और विस्तार प्रयोक्ताओं के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है क्योंकि इससे घरेलू आपूर्ति आधार व्यापक होता है और आपूर्ति के एकल स्रोत पर निर्भरता घटती है।
229. तदनुसार प्राधिकारी यह नहीं मानते कि पाटनरोधी उपाय का जारी रहना, अपने आप में, एकाधिकार उत्पन्न करता है या प्रतिस्पर्धी विकल्प को समाप्त करता है। विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण कई भारतीय उत्पादकों द्वारा किया जाता है, जबकि संबद्ध देश से और अन्य देशों से आयात जारी हैं। विशेष क्लैड उत्पादों या विशेष ग्रेडों की उपलब्धता से संबंधित विशिष्ट दावों की पृथक रूप से उन खंडों में जांच की गई है जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से संबंधित

हैं। उन उत्पाद-विशिष्ट विवादों को, समर्थक मात्रात्मक आकलन के बिना, इस निष्कर्ष तक विस्तारित नहीं किया जा सकता कि विचाराधीन उत्पाद समग्र रूप से भारतीय प्रयोक्ता उद्योग के लिए अनुपलब्ध है।

ग. डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का मात्रात्मक आकलन

230. प्राधिकारी संभावित अंतिम-प्रयोक्ता प्रभाव के मात्रात्मक आकलन को वर्तमान जांच में विशेष रूप से प्रासंगिक मानते हैं। किसी औद्योगिक मध्यवर्ती पर लगाया गया शुल्क आदान की लागत में वृद्धि के माध्यम से डाउनस्ट्रीम उत्पादक को प्रभावित कर सकता है। तथापि, ऐसी घटना का महत्व डाउनस्ट्रीम उत्पाद में उपभुक्त विषय आदान की मात्रा, समग्र लागत संरचना में उस आदान के मूल्य, आगे के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सीमा, तथा तैयार उत्पाद के मूल्य पर निर्भर करता है। अतः संबद्ध वस्तुओं की खरीद लागत में मात्र वृद्धि को डाउनस्ट्रीम उत्पाद के मूल्य या लागत में समतुल्य वृद्धि के बराबर नहीं माना जा सकता।
231. घरेलू उद्योग ने अपनी आर्थिक हित प्रभावली उत्तर के साथ उत्पाद-वार प्रभाव आकलन प्रस्तुत किया है। उक्त आकलन 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन के वर्तमान में लागू उच्चतम अवशिष्ट पाटनरोधी शुल्क और ₹92 प्रति अमेरिकी डॉलर की दृष्टांतात्मक विनिमय दर को लागू करके तैयार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में अन्यत्र अपनाई गई विनिमय दर ₹86 प्रति अमेरिकी डॉलर है और इसलिए, प्रभाव आकलन में प्रयुक्त ₹92 की दर को केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतात्मक अभ्यास के भाग के रूप में माना जाता है, न कि पाटन, क्षति या शुल्क की राशि के निर्धारण के लिए विनिमय-दर आधार के रूप में।

232. प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्रतिनिधि डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत पर उच्चतम मौजूदा अवशिष्ट शुल्क का दृष्टांतात्मक प्रभाव इस प्रकार है:

Impact of Anti-Dumping Duty (ADD) on Flat Rolled Aluminium Products (FRP)

User Industry, Domestic Industry and Illustrative End-Use Cost Impact

Illustrative example based on residual duty of US\$ 449/MT

PART 1 | Impact on User Industry / Purchasers

-  Imports continue; ADD addresses unfair pricing, not import access.
-  Users may source from domestic suppliers, non-subject countries, and fairly priced imports.
-  At US\$ 100/MT, the burden is modest in per-kg terms: about ₹8-9/kg.
-  Import cost is diluted by fabrication, coating, conversion, assembly and installation value addition.
-  FRP remains available for key applications such as ACP panels, roofing/cladding, appliances, auto components and other fabricated aluminium uses.

 FRP is an important industrial input, not a niche premium discretionary product.
 Actual end-use impact varies by thickness, alloy, finish and downstream value addition.

PART 2 | Impact on Domestic Industry

-  Offsets injury from dumped imports and restores fair competition.
-  Supports the viability of FRP producers and sustains Indian manufacturing.
-  Encourages capacity utilisation, technology upgradation and fresh investment.
-  Strengthens supply reliability and resilience for downstream users.
-  Supports employment across rolling, finishing, coating, fabrication, logistics and sales.
-  Reduces long-term vulnerability to dependence on unfairly priced imports.

PART 3 | Illustrative End-Use Cost Impact — Air Conditioner Example



 This example shows that the duty incidence on FRP is diluted when spread across the total value of the finished downstream product.

Illustrative impact across selected end uses (US\$ 449/MT)

 Motor Car	 LED Bulb	 Newsprint	 Formwork	 Closure	 Pressure Cooker
0.1%	0.1%	0.2%	0.5%	0.1%	2.8%

KEY CLARIFICATIONS



ADD is a remedy for dumping, not general tariff protection.



Basic Customs Duty and INR depreciation are not substitutes for ADD.



The measure does not create a monopoly.



Duty is calibrated to the dumping margin / injury margin framework.



FRP is a critical industrial input used across several downstream sectors.

Note: Figures are illustrative and based on a residual duty of US\$ 449/MT. Actual end-use impact may vary depending on model, design, FRP content, alloy, thickness, finish and downstream value addition.

घ. फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद (एफआरपी) पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) का प्रभाव

233. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आकलन अनुप्रयोगों की विविध श्रेणी को कवर करता है और यह संकेत देता है कि, 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन का उच्चतम अवशिष्ट शुल्क मान लेने पर भी, दृष्टांतात्मक प्रेशर-कुकर उदाहरण के अतिरिक्त पहचाने गए सभी अनुप्रयोगों में डाउनस्ट्रीम उत्पाद के मूल्य पर परिणामी प्रभाव 1% से नीचे रहता है। प्रेशर कुकर के मामले में, जहां एल्युमीनियम तैयार उत्पाद का अपेक्षाकृत बड़ा घटक है, अनुमानित प्रभाव 2.8% है। अतः प्रभाव की मात्रा मुख्यतः डाउनस्ट्रीम वस्तु की समग्र लागत में एफआरपी के अनुपात पर निर्भर करती है और वहां उत्तरोत्तर तनूकृत हो जाती है जहां डाउनस्ट्रीम उत्पाद में अन्य सामग्रियां, घटक, फैब्रिकेशन, मशीनिंग, कोटिंग, संयोजन, प्रौद्योगिकी, श्रम, वितरण और अन्य मूल्य संवर्धन शामिल होते हैं।
234. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पूर्वोक्त गणना 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की उच्चतम अवशिष्ट दर पर की गई है। व्यक्तिगत रूप से नामित उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू मौजूदा शुल्क वास्तव में कम या शून्य है। अतः ऐसे उत्पादकों से उत्पाद प्राप्त करने वाले प्रयोक्ताओं पर लागत भार तदनु रूप कम या शून्य होगा। इसके अतिरिक्त, यदि वर्तमान समीक्षा के पूरा होने पर अंततः उपयुक्त माना गया शुल्क मौजूदा अवशिष्ट दर से कम हो, तो अन्य कारकों के अपरिवर्तित रहने पर, डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर परिणामी भार ऊपर दर्शाए गए दृष्टांतात्मक प्रभाव से आवश्यक रूप से कम होगा। तदनुसार प्राधिकारी 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन पर आधारित आकलन को संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभाव का उपयोगी ऊपरी-सीमा दृष्टांत मानता है, न कि इस बात का संकेत कि प्रत्येक आयात लेन-देन पर उस स्तर का शुल्क लगता है।
235. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने अभिलेख पर ऐसा वैकल्पिक उत्पाद-वार मात्रात्मक आकलन नहीं रखा है जो यह दर्शाता हो कि शुल्क के जारी रहने से अंतिम डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर सारभूत रूप से अधिक भार पड़ेगा। प्रयोक्ता उद्योग ने विशेष उत्पाद प्रकारों की उपलब्धता और लागत के संबंध में चिंताएं उठाई हैं, और उन चिंताओं की गुणावगुण के आधार पर जांच की गई है। तथापि, महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम लागत वृद्धि दर्शाने वाली सिद्ध वैकल्पिक गणना के अभाव में, उपलब्ध मात्रात्मक साक्ष्य यह प्रदर्शित नहीं करता कि उपाय के जारी रहने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर अनुपातहीन वित्तीय बोझ पड़ेगा।
236. प्राधिकारी आगे यह प्रासंगिक मानते हैं कि वर्तमान कार्यवाही ऐसे उपाय के जारी रहने से संबंधित है जो पहले ही लगभग पांच वर्षों से लागू है। अतः उपाय का जारी रहना, अपने आप में, डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए पूर्णतः नए लागत तत्व का प्रवर्तन नहीं होगा। शुल्कों की अवधि के दौरान, भारतीय बाजार का विस्तार जारी रहा है, संबद्ध आयात पर्याप्त मात्राओं में जारी रहे हैं, गैर-संबद्ध आयात बढ़े हैं और घरेलू उत्पादन का विस्तार हुआ है। तदनुसार उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत नहीं देता कि शुल्कों ने डाउनस्ट्रीम खपत की वृद्धि को क्षीण किया है या प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुएं प्राप्त करने से रोका है।

ड. प्रतिस्पर्धा, निवेश और घरेलू आपूर्ति क्षमता पर उपाय का प्रभाव

237. प्राधिकारी ने भारतीय एल्युमीनियम उद्योग पर उपाय के व्यापक प्रभाव पर भी विचार किया है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना यह संकेत देती है कि जिस अवधि में शुल्क लागू रहे हैं, उसमें अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रवेश और विस्तार देखा गया है। अतिरिक्त घरेलू क्षमता की स्थापना सार्वजनिक हित के लिए न केवल आवेदक के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है, बल्कि इसलिए भी कि व्यापक भारतीय उत्पादन आधार प्रयोक्ताओं को आपूर्ति का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की अधिक प्रत्यास्थता में योगदान करता है।
238. इस संबंध में, प्राधिकारी इनाल्को प्राइवेट लिमिटेड और वर्गो एल्युमीनियम लिमिटेड द्वारा दिए गए उन कथनों को नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों ने उनके निवेश और क्षमता सृजन या विस्तार को सुगम बनाया। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा अपने एल्युमीनियम प्रचालनों में किए जा रहे पर्याप्त निवेश को भी संज्ञान में लिया है। ये घटनाक्रम यह स्थापित नहीं करते कि घरेलू उत्पादकों को निष्पक्ष आयात प्रतिस्पर्धा से पृथक् रखा जाना चाहिए; बल्कि, वे यह दर्शाते हैं कि ऐसा बाजार जिसमें आयात निष्पक्ष मूल्यों पर उपलब्ध बने रहते हैं, भारत में निवेश और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है।
239. प्राधिकारी मानते हैं कि दीर्घकालिक प्रयोक्ता हित अनुचित रूप से मूल्यांकित आयातों पर निर्भरता से आवश्यक रूप से पूरा नहीं होता, मात्र इसलिए कि ऐसे आयात आदान मूल्यों में अल्पकालिक कमी प्रदान कर सकते हैं। संधारणीय प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए व्यवहार्य घरेलू उत्पादन, अनेक मूलों से आयात और आपूर्तिकर्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सह-अस्तित्व अपेक्षित है। जहां पाटनरोधी उपाय के जारी रहने की सांविधिक अपेक्षाएं अन्यथा पूरी होती हैं, वहां सार्वजनिक-हित जांच का प्रश्न यह है कि क्या उपचारात्मक लाभ के साथ अत्यधिक या अनुपातहीन डाउनस्ट्रीम बोझ जुड़ा हुआ है। वर्तमान में उपलब्ध सामग्री पर, ऐसा कोई अनुपातहीन बोझ प्रदर्शित नहीं किया गया है।
240. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि भारतीय पाटनरोधी ढांचे में स्वयं अत्यधिक संरक्षण के विरुद्ध रक्षोपाय अंतर्विष्ट हैं। अंततः सिफारिशित किए जा सकने वाले किसी भी शुल्क की मात्रा और स्वरूप लागू सांविधिक ढांचे के अधीन बने रहते हैं, जिसमें प्रासंगिक अंतरों और क्षतिरहित कीमत का प्राधिकारी द्वारा निर्धारण शामिल है। प्रयोक्ता-प्रभाव परीक्षा शुल्क की दर को पूर्वनिर्धारित नहीं करती और इसे पाटन तथा संभावित क्षति के परिणामों का समाधान करने के लिए विधि के तहत अपेक्षित शुल्क से अधिक शुल्क के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

च. वास्तविक-प्रयोक्ता और अंतिम-उपयोग आधारित अपवर्जन का अनुरोध

241. प्राधिकारी नोट करता है कि वास्तविक-प्रयोक्ता अथवा अंतिम-उपयोग आधारित अपवर्जन वहां उपयुक्त होता है जहां कोई सटीक रूप से पहचान योग्य उत्पाद, विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए आयात किए जाने पर, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए समरूप अथवा निकट सदृश उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। प्राधिकारी ने उपयुक्त मामलों में ऐसी शर्तें अपनाई हैं, जिनमें लो ऐश मेटलर्जिकल कोक से संबंधित अंतिम जांच परिणाम भी शामिल हैं। ऊपर उत्पाद-दायरा संबंधी जांच में दर्ज कारणों से, प्राधिकारी ऊपर विनिर्दिष्ट एच24 टेम्पर तथा एए3003 और एए3005 मिश्रधातुओं से संबंधित दो विनिर्दिष्ट फोल्डेड-ट्यूब और वेल्डेड-ट्यूब क्लैड सामग्रियों पर वास्तविक-प्रयोक्ता और अंतिम-उपयोग आधारित अपवर्जन लागू करने का निर्णय करता है। यह अपवर्जन वस्तुनिष्ठ उत्पाद और

अंतिम-उपयोग शर्तों को पूरा करने वाले प्रत्येक पात्र वास्तविक प्रयोक्ता पर समान रूप से लागू होगा और किसी नामित आयातक तक सीमित नहीं रहेगा।

242. अपवर्जन का दावा करने वाली प्रत्येक खेप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए: (i) सुसंगत उत्पाद विवरण वाला वाणिज्यिक बीजक और क्रय आदेश; (ii) लागू ग्राहक अथवा ओईएम विनिर्देश या रेखांकन द्वारा समर्थित अंतिम-उपयोग प्रमाणपत्र; और (iii) संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष विधिक रूप से प्रवर्तनीय वचनबंध कि माल का उपभोग आयातक की अपनी विनिर्माण सुविधा में घोषित ट्यूब अथवा ऊष्मा-विनिमयक अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा और उसे बेचा, अंतरित अथवा विपणित नहीं किया जाएगा। व्यापारियों के माध्यम से किए गए आयात, पुनर्विक्रय के लिए आयात, भिन्न मिश्रधातु संयोजन, परत विन्यास, मोटाई, टेम्पर अथवा अंतिम उपयोग वाले उत्पाद, तथा दस्तावेजी शर्तों को पूरा न करने वाली खेपें अन्यथा लागू पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहेंगी।

छ. टैरिफ-दर कोटा का अनुरोध

243. प्राधिकारी ने कतिपय क्लैड उत्पादों और पहचाने गए अनक्लैड ग्रेडों के संबंध में टैरिफ-दर कोटा की अनुमति देने के हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में या हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आधार बनाई गई मौजूदा भारतीय पाटनरोधी प्रथा के तहत पाटनरोधी उपाय के स्वरूप के रूप में कोई टैरिफ-दर कोटा नहीं अपनाया गया है। फ्यूज्ड एल्युमिना के संबंध में यूरोपीय संघ द्वारा अपनाए गए उपाय का हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया संदर्भ उस अधिकारिता में लागू विधिक और संस्थागत ढांचे के तहत अपनाए गए उपाय से संबंधित है और अपने आप में, वर्तमान जांच में समान तंत्र अपनाने का आधार प्रदान नहीं करता। वर्तमान मामले में, दो विशेष रूप से स्थापित फोल्डेड-ट्यूब और वेल्डेड-ट्यूब क्लैड सामग्रियों से संबंधित चिंताओं का समाधान संकीर्ण रूप से परिभाषित वास्तविक-प्रयोक्ता अपवर्जन के माध्यम से किया गया है। शेष क्लैड उत्पादों और पहचाने गए अनक्लैड ग्रेडों के लिए, अवशिष्ट उत्पाद-विशिष्ट आपूर्ति अंतराल का ऐसा कोई विश्वसनीय मात्रात्मक आकलन स्थापित नहीं किया गया है जो प्रशासनीय टैरिफ-दर कोटा का आधार बन सके।
244. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने अभिलेख पर उस मात्रा का मात्रात्मक आकलन नहीं रखा है जिसकी आपूर्ति करने में वह घरेलू उद्योग को असमर्थ बताता है, और जिसके संबंध में कोटा तैयार किया जा सके। ऐसे मात्रात्मक आकलन के अभाव में, टैरिफ-दर कोटा का प्रशासन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी तदनुसार वर्तमान जांच में टैरिफ-दर कोटा की सिफारिश नहीं करता है।

ज. प्रयोक्ता उद्योग और सार्वजनिक हित पर प्रभाव का समग्र आकलन

245. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- संबद्ध वस्तुएं एक महत्वपूर्ण औद्योगिक आदान हैं जिनका उपयोग डाउनस्ट्रीम उद्योगों की विस्तृत श्रेणी में किया जाता है, और इसलिए ऐसे प्रयोक्ताओं के हितों पर विशेष रूप से विचार किया गया है;
 - पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता और मौजूदा उपाय की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्राएं आयात होती रही हैं;
 - प्रयोक्ताओं के पास गैर-संबद्ध देशों से और विस्तारित होते भारतीय उत्पादक आधार से आपूर्तियों तक भी पहुंच है;

- iv. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है और पाटनरोधी उपाय के कारण कोई सामान्य कमी प्रदर्शित नहीं की गई है;
 - v. अभिलेख पर प्रस्तुत मात्रात्मक आकलन, 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन का उच्चतम मौजूदा अवशिष्ट शुल्क मान लेने पर भी, दृष्टांतात्मक प्रेशर-कुकर अनुप्रयोग, जहां प्रभाव 2.8% है, के अतिरिक्त पहचाने गए प्रत्येक डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग पर 1% से नीचे प्रभाव दर्शाता है;
 - vi. उच्चतम अवशिष्ट दर सभी आयातों पर लागू नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से नामित उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू मौजूदा दरें कम या शून्य हैं;
 - vii. उपाय लगभग पांच वर्षों से लागू है, जिसके दौरान डाउनस्ट्रीम बाजार, आयात और भारतीय उत्पादन का विस्तार जारी रहा है; और
 - viii. उपलब्ध सामग्री यह स्थापित नहीं करती कि समुचित रूप से निर्धारित पाटनरोधी उपाय के जारी रहने से एकाधिकार उत्पन्न होगा, उत्पाद की उपलब्धता सारभूत रूप से प्रतिबंधित होगी या डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर अनुपातहीन बोझ पड़ेगा।
- 246.** अतः प्राधिकारी यह मानता है कि अभिलेख पर उपलब्ध मात्रात्मक और गुणात्मक साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि समुचित रूप से निर्धारित पाटनरोधी उपाय के जारी रहने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- 247.** साथ ही, प्राधिकरण यह मानते हैं कि पाटनरोधी उपाय का उद्देश्य उपचारात्मक है और सामान्य टैरिफ अर्थ में सुरक्षात्मक नहीं है। उपाय की निरंतरता, यदि अंततः पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच पर वारंट किया जाता है, तो पाटन से उत्पन्न होने वाले अनुचित मूल्य लाभ को दूर करते हुए आयात तक वैध पहुंच को संरक्षित किया जाना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, आयात तक निरंतर पहुंच, घरेलू क्षमता का विस्तार और प्रतिनिधि डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर सीमित मात्रात्मक प्रभाव इंगित करता है कि इन उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने में सक्षम हैं।
- 248.** तदनुसार, संभावना पर प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण और उपाय की उचित राशि और रूप के अधीन, प्राधिकारी यह मानता है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता उचित प्रतिस्पर्धा और उपयोगकर्ता उद्योग पर असमान बोझ डाले बिना एक विविध घरेलू आपूर्ति आधार का समर्थन करेगी, और इसलिए सार्वजनिक हित के विपरीत नहीं होगा
- 249.** प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का मुख्य उद्देश्य पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सके। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य संबंधित देश से आयात को कम करना या प्रतिस्पर्धा को रोकना नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।

ट प्रकटन-पश्चात टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ

प्रकटन की पर्याप्तता, टिप्पणियों के लिए समय और पूर्ववर्ती अभिकथनों पर विचार

250. अलचा और डिंगशेंग ने अनुरोध किया है कि अवकाशों और सप्ताहांत को ध्यान में रखने के पश्चात प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के लिए दिया गया समय अपर्याप्त था। निर्यातकों ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि कोई आवश्यक गोपनीय गणना सारभूत रूप से बदली जाती है तो नया प्रकटन किया जाए। आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि अंतिम निष्कर्षों में प्रत्येक अपवर्जन अनुरोध पर पृथक रूप से कारण दिए जाने चाहिए। डिंगशेंग ने आगे कहा है कि जिन डीजी सिस्टम्स लेन-देनों पर भरोसा किया गया और बाद में दर्ज की गई छह कमियां प्रकटन विवरण से पूर्व पृथक रूप से प्रकट नहीं की गई थीं, और अनुरोध किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में उसकी रिट याचिका में उठाए गए आधारों पर भी विचार किया जाए।

80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम की रंग-लेपित कॉइल

251. एसीपी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन और उपयोगकर्ता 80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम की रंग-लेपित कॉइल के अपवर्जन का समर्थन करते हैं। उनका अनुरोध है कि मूल रंग-लेपित पीसीएन 120 माइक्रोन से आरंभ होता था, जबकि 80 माइक्रोन तक की फॉयल अपवर्जित थी; अतः बीच की सीमा उस उत्पाद ब्रह्मांड का भाग नहीं थी जिसकी मूल जांच में वास्तव में तुलना की गई थी। उनके अनुसार, निरंतर आयात और हिंडाल्को की बाद की एसीपी-संबंधी आपूर्तियां उस मूल दायरे को नहीं बदलतीं।

एसीपी अनुप्रयोग के लिए 120 माइक्रोन और उससे अधिक की रंग-लेपित कॉइल के अपवर्जन का अनुरोध

252. एसीपी एसोसिएशन और उपयोगकर्ता एसीपी उपयोग के लिए 120 माइक्रोन और उससे अधिक की रंग-लेपित कॉइल का अपवर्जन भी चाहते हैं। उनका अनुरोध है कि हिंडाल्को ने प्रासंगिक अवधि के दौरान अपेक्षित एसीपी-ग्रेड सामग्री की वाणिज्यिक आपूर्ति नहीं की, छत-ग्रेड लेपित सामग्री पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है, और किसी अनुप्रयोग-विशिष्ट उत्पाद को मात्र इसलिए दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए कि वह उसी व्यापक टैरिफ शीर्ष के अंतर्गत आता है। वे किसी अन्य कार्यवाही में भिन्न रंग-लेपित एल्युमीनियम उत्पाद के लिए दिए गए अपवर्जन पर भी भरोसा करते हैं।

फोल्डेड/बी-टाइप और वेल्डेड रेडिएटर ट्यूबों के लिए विनिर्दिष्ट एच24 क्लैड ट्यूब सामग्री

253. उपयोगकर्ता दो विनिर्दिष्ट एच24 क्लैड ट्यूब सामग्रियों के प्रस्तावित अपवर्जन का समर्थन करते हैं। उनका अनुरोध है कि उत्पाद की जांच कोर मिश्रधातु, क्लैड परतों, परत विन्यास, टेम्पर, मोटाई और अंतिम-उपयोग के संपूर्ण संयोजन के रूप में की जानी चाहिए; किसी अन्य एच24 अथवा 3003/3005 उत्पाद की आपूर्ति यह सिद्ध नहीं करती कि ग्राहक/ओईएम द्वारा अपेक्षित विशिष्ट ट्यूब सामग्री की आपूर्ति की गई थी।

माहले, टाटा टोयो और एसीपी/उपयोगकर्ता समूह द्वारा मांगे गए अतिरिक्त क्लैड और अनक्लैड ऊष्मा-विनिमयक उत्पाद

254. माहले और टाटा टोयो रेडिएटर्स, कंडेंसरों, चार्ज-एयर कूलर्स, एवैपोरेटर्स और अन्य ऊष्मा विनिमयकों के लिए अतिरिक्त क्लैड उत्पादों की पहचान करते हैं, जिनमें भिन्न मिश्रधातुएं, क्लैड परतें, क्लैडिंग विन्यास, टेम्पर और गेज शामिल हैं। वे विनिर्दिष्ट अनक्लैड ग्रेडों के अपवर्जन की, अथवा वैकल्पिक रूप से, संगत गैर-क्लैड ऊष्मा-विनिमयक सामग्री के साथ क्लैड की व्यापक श्रेणी के अपवर्जन की मांग करते हैं। क्रय आदेशों, मिल प्रमाणपत्रों, पत्राचार, गुणवत्ता अभिलेखों, विकास परीक्षणों, विलंबित आपूर्ति और अस्वीकृत नमूनों पर भरोसा करते हुए, उनका अनुरोध है कि ये उत्पाद वाणिज्यिक रूप से विनिमय नहीं थे। एसीपी/उपयोगकर्ता समूह पृथक रूप से चार्ज-एयर-कूलर/इंटरकूलर उपयोग के लिए 0.40-0.45 मिमी क्लैड सामग्री का अपवर्जन चाहता है।

4343/3003-एच24 क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप के लिए पहाड़पुर का अनुरोध

255. पहाड़पुर एक-ओर क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप के अपवर्जन की मांग करता है, जिसमें एए4343 एल्युमीनियम-सिलिकॉन क्लैड परत एए3003 कोर के साथ धातुकर्मिक रूप से आवद्ध हो, एच24 टेम्पर में, मोटाई 0.23-0.30 मिमी, चौड़ाई 200 मिमी और मोटाई सह्यता ± 0.0075 मिमी, जो वायु-शीतित कंडेंसरों तथा औद्योगिक शुष्क-शीतलन प्रणालियों में प्रयुक्त फिन ट्यूबों के विनिर्माण के लिए हो। वह लेन-देन-संबद्ध खरीद साक्ष्य, हिंडाल्को द्वारा एच14 सामग्री की पेशकश और यह कथन कि एच24 पर विचार किया जा सकता है, तथा उन तकनीकी परीक्षणों पर भरोसा करता है जो कथित रूप से यह दर्शाते हैं कि एच14 विनिर्मेय प्रतिस्थापन नहीं था। वह मिल प्रमाणपत्रों, क्रय अभिलेखों और सीमा शुल्क रक्षोपायों द्वारा समर्थित संकीर्ण वास्तविक-उपयोगकर्ता/अंतिम-उपयोग अपवर्जन चाहता है, और डाउनस्ट्रीम उपकरण के विद्युत-क्षेत्र तथा औद्योगिक-शीतलन अनुप्रयोगों को भी रेखांकित करता है।

1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले फ्लैट रोलड एल्युमीनियम उत्पाद

256. उपयोगकर्ता पक्षकार 1950 मिमी से अधिक के एफआरपी के अपवर्जन की मांग करते हैं, यह तर्क देते हुए कि वास्तविक घरेलू उत्पादन और वाणिज्यिक आपूर्ति स्थापित नहीं की गई थी और आवश्यकताएं आयातों के माध्यम से पूरी होती रहीं। उनका अनुरोध है कि क्षमता अथवा भावी निवेश प्रासंगिक अवधि के दौरान वास्तविक आपूर्ति के साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते।

वास्तविक-उपयोगकर्ता/अंतिम-उपयोग अपवर्जन और टैरिफ-दर कोटा का अनुरोध

257. माहले, टाटा टोयो, पहाड़पुर और अन्य उपयोगकर्ता उन उत्पादों के लिए वास्तविक-उपयोगकर्ता/अंतिम-उपयोग अपवर्जन चाहते हैं जिनके भारत में अनुपलब्ध अथवा अप्रतिस्थापनीय होने का प्रदर्शन किया गया है, जो मिल प्रमाणपत्रों, क्रय आदेशों, बीजकों, अंतिम-उपयोग अभिलेखों और सीमा शुल्क वचनबंधों द्वारा समर्थित हैं। वैकल्पिक रूप से, माहले और टाटा टोयो पहचाने गए प्रतिधारित उत्पादों के लिए टीआरक्यू चाहते हैं, यह तर्क देते हुए कि पूर्ववर्ती भारतीय पाटनरोधी टीआरक्यू का अभाव, अपने आप में, इस तंत्र को अस्वीकार करने का कारण नहीं है।

उत्पादकों/निर्यातकों का प्रतिचयन

258. अलचा और डिंगशेंग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को नियम 17(3) के तहत प्रतिचयन का उपयोग करना चाहिए था। वे उन हालिया जांचों पर भरोसा करते हैं जिनमें उत्तरदाता समूहों की तुलनीय संख्या के साथ प्रतिचयन अपनाया गया था। डिंगशेंग यह भी कहता है कि प्रकटन विवरण में 'तथ्यात्मक स्थिति' का संदर्भ यह स्पष्ट नहीं करता कि यहां व्यक्तिगत परीक्षा क्यों व्यवहार्य थी।

निर्मित सामान्य मूल्य की कार्यप्रणाली

259. स्वीकृत सहयोगी निर्यातक प्रकट की गई निर्मित सामान्य मूल्य कार्यप्रणाली पर भरोसा करते हैं और अपने अंतिम व्यक्तिगत पाटन मार्जिनों की पुष्टि चाहते हैं।

निर्णायक समीक्षा में सहयोगी निर्यातकों का व्यक्तिगत उपचार और शून्य शुल्क के अनुरोध

260. हुआफोंग, अलचा, नानतोंग हेंगजिन, आर्कोनिक और ग्रेंजेस अपने अंतिम मार्जिनों के आधार पर व्यक्तिगत उपचार चाहते हैं। हुआफोंग और ग्रेंजेस कहते हैं कि पाटन और क्षति दोनों मार्जिन ऋणात्मक हैं; आर्कोनिक कहता है कि उसका पाटन मार्जिन धनात्मक है किंतु क्षति मार्जिन ऋणात्मक है; अलचा और नानतोंग ऋणात्मक क्षति मार्जिनों पर भरोसा करते हैं। वे न्यून-शुल्क नियम के तहत शून्य शुल्क चाहते हैं। ग्रेंजेस यह भी तर्क देता है कि धारा 9क(5) का उपयोग उस पर धनात्मक शुल्क लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जब वह मूल उपाय में धनात्मक दर के अधीन नहीं था। डिंगशेंग पृथक् रूप से अपने अवशिष्ट उपचार को चुनौती देता है।

डिंगशेंग समूह: प्रश्नावली प्रतिक्रिया, पुनर्मिलन, व्यक्तिगत उपचार और अवतरित मूल्य

261. डिंगशेंग कहता है कि उसने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं, समेकित मास्टर विवरण, बीजक, सहायक दस्तावेज और प्रमाणन दाखिल करके पूर्ण सहयोग किया, और तर्क देता है कि नियम 6(8) का आह्वान मात्र इसलिए नहीं किया जा सकता कि प्राधिकारी को पुनर्मिलन संबंधी चिंताएं हैं। वह तुलना के लिए प्रयुक्त लेन-देन-वार डीजी सिस्टम्स डेटा और गोपनीय समग्र आंकड़े चाहता है, पूर्ववर्ती जांचों का हवाला देते हुए और यह तर्क देते हुए कि आयातकों के नाम प्रच्छन्न किए जा सकते हैं तथा धारा 135एए उसके अपने निर्यात लेन-देनों के प्रकटन पर रोक नहीं लगाती।
262. डिंगशेंग यह भी अनुरोध करता है कि डीजी सिस्टम्स के प्रत्यक्ष अंतर शीर्ष 7607 के अंतर्गत गैर-पीयूसी फॉयल, बीजक/आयात-निकासी समय, इकाइयों, एक प्रवेश बिल के अंतर्गत अनेक बीजकों और उत्पाद-विवरण छंटाई से उत्पन्न हो सकते हैं। डिंगशेंग एचके के संबंध में, वह स्वीकार करता है कि परिशिष्ट 3ए *** मी.टन दर्शाता है जबकि लाभप्रदता गणना केवल *** मी.टन को कवर करती है, जिससे *** मी.टन (***) का अंतर है। वह कहता है कि परिशिष्ट 3ए बीजक तिथि का अनुसरण करता है जबकि परिशिष्ट 5 राजस्व मान्यता का अनुसरण करता है, कि समय-अंतर इस अंतराल को स्पष्ट करते हैं, और किसी भी स्थिति में व्यापारी व्यय/लाभ प्रति मी.टन के आधार पर लागू किए जा सकते हैं। वह नोट करता है कि डिंगशेंग एचके समूह के निर्यातों का लगभग ***% है और ***% से अधिक निर्यात प्रत्यक्ष उत्पादक बिक्री थे।
263. समूह आगे कहता है कि मास्टर विवरण प्राधिकारी के अनुरोध पर तैयार किया गया था और वह उत्पादकों, संबंधित व्यापारियों, भारतीय ग्राहकों, मात्राओं और मूल्यों को जोड़ता है; सामान्य समय-अंतर उसके प्रमाणनों को कमजोर नहीं करते; और किसी भी सीमित व्यापारी-संबंधी मुद्दे को प्रभावित लेन-देनों तक सीमित रखा जाना चाहिए। अवतरित मूल्य के संबंध में, वह एफओबी/सीएफआर बिक्री को सीआईएफ-समतुल्य मूल्यों में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त सामान्य भाड़ा/बीमा कारकों का बचाव करता है और कहता है कि प्राधिकारी कोई अन्य उचित पद्धति अपना सकता था। वह व्यक्तिगत सत्यापन बैठक के अभाव पर भी आपत्ति करता है और व्यक्तिगत दर का अनुरोध करता है।

यिनबैंग क्लैड मटेरियल कं., लि.: व्यक्तिगत मार्जिन का अनुरोध और उपलब्ध-तथ्य उपचार को चुनौती

264. यिनबैंग अनुरोध करता है कि परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 3ए में भारत-बिक्री की मात्रा समान है और प्रकट किया गया अंतर परिशिष्ट 8 तथा 9 के बीच अनवधानतः हुए संबंध से उत्पन्न हुआ। चूंकि उसने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया, वह तर्क देता है कि परिशिष्ट 8 का लागत डेटा उसकी निर्यात कीमत की स्वीकृति निर्धारित नहीं करना चाहिए। वह 10 अगस्त 2026 को दाखिल पीसीएन-वार निवल निर्यात और अवतरित कीमतों पर भी भरोसा करता है, कहता है कि कुछ तिथि और ऋण-अवधि क्षेत्रों को स्रोत दस्तावेजों से सुधारा जा सकता है, और डीजी सिस्टम्स के अंतर को आंशिक रूप से पोत-परिवहन/आयात-निकासी समय के कारण बताता है। वह तर्क देता है कि आधिकारिक आयात डेटा केवल एक प्रति-जांच है और पुनर्मिलन तथा व्यक्तिगत मार्जिन के लिए एक और अवसर चाहता है।

ऋणात्मक कीमत कटौती, ऋणात्मक क्षति मार्जिन और वर्तमान क्षति

265. अलचा, डिंगशेंग और उपयोगकर्ता स्वीकृत सहयोगियों के लिए ऋणात्मक पीओआई कीमत कटौती और ऋणात्मक क्षति मार्जिनों पर भरोसा करते हैं। उनका अनुरोध है कि ये आयात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से ऊपर थे और वर्तमान कीमत क्षति कारित नहीं कर रहे थे। वे उत्पादन, बिक्री, क्षमता, उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में सुधार की ओर भी संकेत करते हैं, और तर्क देते हैं कि किसी भी संभावना संबंधी निष्कर्ष में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि समाप्ति के पश्चात कीमतें क्यों गिरेगी, न कि पूर्ववर्ती धनात्मक कीमत कटौती अथवा मालसूची पर पृथक् रूप से भरोसा किया जाना चाहिए।

गैर-पाटित/गैर-क्षतिकारक सहयोगी आयातों और अवशिष्ट आयातों का उपचार

266. अलचा अनुरोध करता है कि ऋणात्मक पाटन मार्जिन वाले निर्यातकों से आयातों को पाटित आयात नहीं माना जा सकता और धनात्मक अवशिष्ट क्षति मार्जिन ऋणात्मक सहयोगी मार्जिनों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। डिंगशेंग यह भी कहता है कि तीन स्वीकृत समूहों के पाटन मार्जिन ऋणात्मक हैं, और मूल जांच तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्टरफेरेंस स्टील मामले पर भरोसा करते हुए 10-20% की अवशिष्ट क्षति-मार्जिन सीमा को चुनौती देता है। उपयोगकर्ता भी इसी प्रकार स्वीकृत निर्यातकों के ऋणात्मक क्षति मार्जिनों पर भरोसा करते हैं।

बाजार हिस्सेदारी, अन्य घरेलू उत्पादक, गैर-संबद्ध आयात और कारणात्मक संबंध

267. अलचा और डिंगशेंग अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग की बाजार-हिस्सेदारी की हानि मुख्यतः चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि संबद्ध-आयातों की हिस्सेदारी घटी जबकि गैर-संबद्ध आयातों और अन्य भारतीय उत्पादकों ने हिस्सेदारी प्राप्त की। वे घरेलू उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की ओर भी संकेत करते हैं और तर्क देते हैं कि क्षमता विस्तार ने नियोजित पूंजी पर प्रत्याय को प्रभावित किया। उपयोगकर्ता यह भी कहते हैं कि आयातों को सुदृढ़ मांग वृद्धि और उत्पाद-विशिष्ट आपूर्ति आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

पीओआई-पश्चात डेटा तथा जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

268. अलचा तुलनीय पीओआई-पश्चात घरेलू-उद्योग डेटा के बिना पीओआई-पश्चात आयातों पर भरोसा करने पर आपत्ति करता है और कहता है कि आयात दर अथवा मूल्यांकन योग्य मूल्य में अल्पकालिक परिवर्तन पाटन का निर्धारण नहीं है। निर्यातकर्ता तर्क देते हैं कि बढ़ती मांग, वैश्विक क्षमता, तृतीय-देश उपाय और भारत की कीमत आकर्षकता अपने आप में पुनरावृत्ति सिद्ध नहीं कर सकते। डिंगशेंग अन्य निर्णायक समीक्षाओं का हवाला देता है और कहता है कि यदि पीओआई-पश्चात आयात डेटा पर भरोसा किया जाता है तो पीओआई-पश्चात उत्पादन, बिक्री, लागत और लाभप्रदता की भी जांच की जानी चाहिए।

जांच की अवधि की लंबाई

269. अलचा और डिंगशेंग 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की 18 माह की पीओआई पर आपत्ति करते हैं। उनका अनुरोध है कि 12 माह सामान्य अवधि है, 18 माह के लिए मामला-विशिष्ट कारण अपेक्षित थे, और अधिक हालिया 12 माह की अवधि सुदृढ़तर सुधार दर्शाती। वे यह भी तर्क देते हैं कि आधार वर्ष के रूप में 2021-22 पर भरोसा गिरावट को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शा सकता है, क्योंकि 2022-23 के पश्चात लाभप्रदता में सुधार हुआ।

क्षतिरहित कीमत: लागत और आवंटन कार्यप्रणाली पर प्रकटन-पश्चात आपत्तियां

270. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षतिरहित कीमत की कार्यप्रणाली को कोई पृथक विस्तृत चुनौती नहीं दी है। वे मुख्यतः स्वीकृत निर्यातकों के ऋणात्मक क्षति मार्जिनों पर भरोसा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि शुल्क निर्धारण में उन अंतिम मार्जिनों का सम्मान किया जाए।

सार्वजनिक हित और डाउनस्ट्रीम प्रभाव

271. उपयोगकर्ता अनुरोध करते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा-विनिमयक आदानों की तकनीकी उपलब्धता और डाउनस्ट्रीम प्रतिस्पर्धात्मकता उन उत्पादों पर शुल्क के विरुद्ध हैं जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं। पहाड़पुर विद्युत-क्षेत्र, सार्वजनिक-क्षेत्र और नाभिकीय-विद्युत अनुप्रयोगों को रेखांकित करता है। उपयोगकर्ता यह भी तर्क देते हैं कि ऋणात्मक क्षति मार्जिन वाले स्वीकृत निर्यातकों को घरेलू निवेश के समर्थन हेतु मात्र धनात्मक शुल्क वहन नहीं करना चाहिए।

नामों और अन्य लिपिकीय विवरणों में सुधार

272. ग्रेजिस, हुआफोंग, आर्कोनिक और अलचा अंतिम निष्कर्षों तथा शुल्क तालिका में अपने विधिक नामों के सुधार की मांग करते हैं।

ट.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

प्रकटन की पर्याप्तता, टिप्पणियों के लिए समय और पूर्ववर्ती अभिकथनों पर विचार

273. हिंडाल्को अनुरोध करता है कि 10 अगस्त 2026 के उसके प्रत्युत्तर के कुछ भाग प्रकटन विवरण में प्रतिबिंबित नहीं हुए, विशेषकर 80-120 माइक्रोन उत्पाद, प्रस्तावित क्लैड अपवर्जनों और 1950 मिमी से अधिक चौड़ाइयों के संबंध में। वह अनुरोध करता है कि प्रत्युत्तर पर पूर्ण रूप से विचार किया जाए और नया प्रकटन चाहता है।

80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम की रंग-लेपित कॉइल

274. हिंडाल्को 80-120 माइक्रोन सीमा के अपवर्जन का विरोध करता है। उसका अनुरोध है कि मूल विधिक पीयूसी में, स्पष्ट अपवर्जनों को छोड़कर, लेपित उत्पादों सहित सभी आयामों के एफआरपी शामिल थे, और पीसीएन केवल तुलना का साधन है तथा पीयूसी को संकुचित नहीं कर सकता।

एसीपी अनुप्रयोग के लिए 120 माइक्रोन और उससे अधिक की रंग-लेपित कॉइल के अपवर्जन का अनुरोध

275. हिंडाल्को 120 माइक्रोन और उससे अधिक के रंग-लेपित उत्पादों के लिए एकमुश्त एसीपी-उपयोग अपवर्जन का विरोध करता है। उसका अनुरोध है कि ये उत्पाद मूल दायरे के भीतर हैं, उसके पास रंग-लेपित सामग्री की आपूर्ति की सुविधाएं हैं, और लेपन, अंतिम-उपयोग अथवा ग्राहक विनिर्देश स्वतः कोई पृथक उत्पाद नहीं बनाते।

फोल्डेड/बी-टाइप और वेल्डेड रेडिएटर ट्यूबों के लिए विनिर्दिष्ट एच24 क्लैड ट्यूब सामग्री

276. हिंडाल्को दो एच24 ट्यूब-सामग्री अपवर्जनों का विरोध करता है। वह कहता है कि सटीक विनिर्देश पूर्व में उसके समक्ष उसी रूप में नहीं रखा गया था, एफआरपी एक व्यापक उत्पाद परिवार है, और आदेशानुसार-निर्मित संयोजनों में से प्रत्येक को पृथक वस्तु नहीं माना जा सकता। वह उत्पादन क्षमता और आपूर्ति के साक्ष्य के रूप में अतिव्यापी मोटाइयों में 3003/3005 मिश्रधातुओं का उपयोग करने वाले एच24 क्लैड उत्पादों की बिक्री पर भरोसा करता है।

माहले, टाटा टोयो और एसीपी/उपयोगकर्ता समूह द्वारा मांगे गए अतिरिक्त क्लैड और अनक्लैड ऊष्मा-विनिमयक उत्पाद

277. हिंडाल्को अनुरोध करता है कि पीयूसी में अनेक ग्रेड और ग्राहक-विशिष्ट प्रकार शामिल हैं तथा उसे प्रत्येक संभावित संयोजन की बिक्री सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वह मिश्रधातुओं, टेम्परो और मोटाइयों में उत्पादन तथा बिक्री पर भरोसा करता है, उपयोगकर्ताओं के साक्ष्य को अनुकूलन/गुणवत्ता संबंधी विवाद बताता है, और अनक्लैड 1xxx तथा 3xxx उत्पादों के अपवर्जन का विरोध करता है क्योंकि वह उन मिश्रधातु शृंखलाओं का विनिर्माण करता है।

4343/3003-एच24 क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप के लिए पहाड़पुर का अनुरोध

278. हिंडाल्को 3003/3005 मिश्रधातु परिवारों और अतिव्यापी मोटाइयों में एच24 क्लैड सामग्री के अपने विनिर्माण पर भरोसा करता है और अनुकूलित पहाड़पुर प्रकार के अपवर्जन का विरोध मात्र इस आधार पर करता है कि उस ग्राहक ने पीओआई के दौरान उसकी खरीद नहीं की।

1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पाद

279. हिंडाल्को कहता है कि प्रकटन विवरण में भूलवश किसी भावी संयंत्र का संदर्भ दिया गया। वह इसके स्थान पर प्रदर्श 12 और लेन-देन-वार बिक्री पर भरोसा करता है, जो कथित रूप से 1950 मिमी से अधिक के एफआरपी के विद्यमान वाणिज्यिक विनिर्माण और आपूर्ति को दर्शाती है, और अनुरोध करता है कि अपवर्जन अस्वीकार किया जाए।

वास्तविक-उपयोगकर्ता/अंतिम-उपयोग अपवर्जन और टैरिफ-दर कोटा का अनुरोध

280. हिंडाल्को व्यापक अपवर्जनों का विरोध करता है और यह बनाए रखता है कि वह प्रतिधारित उत्पादों की आपूर्ति कर सकता है। वह कोई परिमाणित टीआरक्यू प्रस्तावित नहीं करता और मौजूदा उपचारात्मक ढांचे के जारी रहने की मांग करता है।

उत्पादकों/निर्यातकों का प्रतिचयन

281. घरेलू उद्योग ने प्रतिचयन पर कोई विशिष्ट प्रकटन-पश्चात अभिकथन नहीं किया है।

निर्मित सामान्य मूल्य की कार्यप्रणाली

282. हिंडाल्को अनुरोध करता है कि प्रकट किए गए निर्मित सामान्य मूल्य में भूलवश परिशिष्ट III से 'सर्वोत्तम उपयोग' और 'इष्टतम क्षमता उपयोग' की अवधारणाएं ले ली गईं, जो क्षतिरहित कीमत पर लागू होती हैं। वह अनुरोध करता है कि निर्मित सामान्य मूल्य परिशिष्ट I के तहत सत्यापित वास्तविक लागत पर, उपयुक्त एसजीएंडए तथा उचित लाभ सहित, आधारित हो।

निर्णायक समीक्षा में सहयोगी निर्यातकों का व्यक्तिगत उपचार और शून्य शुल्क के अनुरोध

283. हिंडाल्को उन निर्यातकों के लिए नई व्यक्तिगत दरों पर आपत्ति करता है जिन्होंने मूल जांच में भाग नहीं लिया, विशेषकर अलचा, हुआफोंग और नानतोंग, यह तर्क देते हुए कि निर्णायक समीक्षा की पीओआई में कीमतें मौजूदा शुल्क की जानकारी के साथ प्रबंधित की जा सकती हैं। वह उपलब्ध-तथ्यों के उपचार का भी समर्थन करता है जहां प्रतिक्रिया विश्वसनीय गणना की अनुमति नहीं देती, और अनुरोध करता है कि मार्जिनों की पुष्टि से पूर्व अंतिम सामान्य मूल्य को सुधारा जाए।

डिगशेंग समूह: प्रश्नावली प्रतिक्रिया, पुनर्मिलन, व्यक्तिगत उपचार और अवतरित मूल्य

284. हिंडाल्को डिगशेंग की प्रतिक्रिया की अस्वीकृति का समर्थन करता है जहां डेटा विश्वसनीय व्यक्तिगत निर्धारण की अनुमति नहीं देता, और कहता है कि ऐसे उत्तरदाताओं को अवशिष्ट/उपलब्ध-तथ्य श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

यिनबैंग क्लैड मटेरियल कं., लि.: व्यक्तिगत मार्जिन का अनुरोध और उपलब्ध-तथ्य उपचार को चुनौती

285. हिंडाल्को इसी प्रकार यिनबैंग की प्रतिक्रिया की अस्वीकृति का समर्थन करता है, यह अनुरोध करते हुए कि प्रकट की गई कमियां सारभूत और संचयी हैं तथा किसी अपुनर्मिलित डेटाबेस को व्यक्तिगत दर नहीं मिलनी चाहिए।

ऋणात्मक कीमत कटौती, ऋणात्मक क्षति मार्जिन और वर्तमान क्षति

286. हिंडाल्को बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति के बीच बढ़ते अंतर, दुर्बल लाभ, नियोजित पूंजी पर न्यून प्रत्याय, मालसूची संचय और शुल्क के बावजूद पर्याप्त आयातों पर भरोसा करता है। उसका अनुरोध है कि समीक्षा भविष्योन्मुखी है और ऋणात्मक पीओआई कीमत कटौती अपने आप में समाप्ति की अपेक्षा नहीं करती।

गैर-पाटित/गैर-क्षतिकारक सहयोगी आयातों और अवशिष्ट आयातों का उपचार

287. हिंडाल्को चीन पीआर के विरुद्ध उपाय के जारी रहने की मांग करता है और अनुरोध करता है कि सहयोगी मार्जिन संभावना संबंधी जांच को समाप्त नहीं करते, क्योंकि पर्याप्त निर्यात अन्य अथवा गैर-सहयोगी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं।

बाजार हिस्सेदारी, अन्य घरेलू उत्पादक, गैर-संबद्ध आयात और कारणात्मक संबंध

288. हिंडाल्को अनुरोध करता है कि उसकी बिक्री मांग के साथ तालमेल नहीं रख सकी और बाजार वृद्धि के बावजूद वह पर्याप्त प्रत्याय अर्जित नहीं कर सका। वह इसे आंशिक रूप से चीन से निरंतर बड़े पैमाने के आयातों को जिम्मेदार ठहराता है।

पीओआई-पश्चात डेटा तथा जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

289. हिंडाल्को शुल्क के बावजूद निरंतर/बढ़ते आयातों, उत्तरदाता चीनी आपूर्तिकर्ताओं की घटती निर्यात प्राप्ति, पीओआई-पश्चात मात्रा और इकाई मूल्यों, चीन की विशाल क्षमता तथा निर्यात अभिमुखीकरण, भारत की तुलनात्मक रूप से आकर्षक कीमतों, तृतीय-देश उपायों और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ से संभावित विपथन पर भरोसा करता है। वह पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में एल्युमीनियम फॉयल के समाप्ति-पश्चात अनुभव का भी हवाला देता है।

जांच की अवधि की लंबाई

290. हिंडाल्को अधिसूचित 18 माह की पीओआई में कोई परिवर्तन नहीं चाहता और प्रकटन विवरण में प्रयुक्त सतत क्षति शृंखला पर भरोसा करता है।

क्षतिरहित कीमत: लागत और आवंटन कार्यप्रणाली पर प्रकटन-पश्चात आपत्तियां

291. हिंडाल्को क्षतिरहित कीमत संबंधी छह मुद्दे उठाता है: वेतन/मजदूरी तथा कॉर्पोरेट/सामान्य व्ययों का उपचार; निर्यात प्रोत्साहन; बंदी कच्चे माल का मूल्य; कच्चे माल का उपयोग और स्कैप; प्रशासनिक ऊपरिव्ययों के लिए हर; और नवीन चालू किए गए आदित्य संयंत्र का रैंप-अप के दौरान सामान्यीकरण।

सार्वजनिक हित और डाउनस्ट्रीम प्रभाव

292. हिंडाल्को अनुरोध करता है कि उपाय ने आयातों को रोके बिना घरेलू क्षमता सृजन का समर्थन किया और उच्चतम अवशिष्ट शुल्क का परिमाणित भार अधिकांश डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए अल्प है। वह संबद्ध आयातों, गैर-संबद्ध आयातों और अन्य भारतीय आपूर्तिकर्ताओं तक निरंतर पहुंच की ओर संकेत करता है।

नामों और अन्य लिपिकीय विवरणों में सुधार

293. हिंडाल्को सहायक उत्पादक के नाम को 'इनाल्को अलॉयज लिमिटेड' से सुधारकर 'इनाल्को प्राइवेट लिमिटेड' किए जाने की मांग करता है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

प्रकटन की पर्याप्तता, टिप्पणियों के लिए समय और पूर्ववर्ती अभिकथनों पर विचार

294. प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के लिए दिए गए समय, पूर्ववर्ती अभिकथनों के कथित लोप और आगे प्रकटन के अनुरोध से संबंधित आपत्तियों की जांच की है। नियम 16 उन आवश्यक तथ्यों के प्रकटन की अपेक्षा करता है जो विचाराधीन हैं और जो अंतिम निर्धारण का आधार बनते हैं। यह अपेक्षा नहीं करता कि प्रकटन विवरण पक्षकारों द्वारा दाखिल प्रत्येक अभिवचन अथवा प्रत्येक दस्तावेज को पुनरुत्पादित करे। प्रासंगिक कसौटी यह है कि क्या पक्षकारों को प्रासंगिक तथ्यों, कार्यप्रणाली और प्रस्तावित निष्कर्षों की जानकारी इतनी स्पष्टता से दी गई थी कि वे प्रभावी उत्तर दे सकें।

295. प्रकटन विवरण में प्रस्तावित उत्पाद दायरा, पाटन और क्षति गणनाओं का आधार, प्रत्येक उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक के लिए प्रस्तावित उपचार, प्रमुख क्षति संकेतक, संभावना संबंधी कारक तथा प्रस्तावित उत्पाद

अपवर्जन दिए गए थे। विस्तृत प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां, जो अलचा, डिंगशेंग, माहले, टाटा टोयो और पहाड़पुर सहित पक्षकारों द्वारा दाखिल की गईं, यह दर्शाती हैं कि पक्षकारों ने प्रकटन विवरण में किए गए प्रस्तावों को समझा और वे उन्हें तथ्यों, कार्यप्रणाली और विधि के आधार पर चुनौती देने में सक्षम थे। किसी भी पक्षकार ने ऐसे किसी विशिष्ट अभिकथन की पहचान नहीं की है जिसे करने से वह केवल दिए गए समय के कारण वंचित रहा हो। अतः प्राधिकारी यह पाता है कि टिप्पणी करने का उचित और प्रभावी अवसर उपलब्ध था।

296. नया प्रकटन केवल तब अपेक्षित होता है जब प्राधिकारी किसी नए आवश्यक तथ्य अथवा सारभूत रूप से भिन्न प्रतिकूल कार्यप्रणाली पर भरोसा करने का प्रस्ताव करे, जिस पर प्रभावित पक्षकार को टिप्पणी करने का अवसर न मिला हो। किसी अंकगणितीय त्रुटि का सुधार, किसी सत्यापित आंकड़े का समावेशन, अथवा पहले से प्रकट कार्यप्रणाली के भीतर किसी गणना को अंतिम रूप देना, अपने आप में, दूसरे प्रकटन की अपेक्षा नहीं करता। यदि अंतिम निष्कर्षों में कोई निष्कर्ष सारभूत रूप से नए प्रतिकूल तथ्यात्मक आधार पर टिका हो, तो लागू प्रकटन अपेक्षा का पालन किए बिना उस आधार का उपयोग नहीं किया जा सकता। नीचे की गई जांच में ऐसा कोई नया आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।
297. जहां तक डिंगशेंग का संबंध है, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स डेटा, चिह्नित छह कमियों, मास्टर विवरण, व्यापारी लाभप्रदता, समय-अंतरों, प्रमाणनों, लेखापरीक्षा शृंखला, अवतरित मूल्य और सत्यापन से संबंधित उसके अभिकथनों पर विचार किया है। 28 जुलाई के पत्र में उत्पादक-वार, निर्यातक-वार, व्यापारी-वार और चैनल-वार संपूर्ण पुनर्मिलन तथा सभी सारभूत समायोजनों के समर्थन की अपेक्षा की गई थी। बाद के छह बिंदु उस अपेक्षा के उत्तर में प्रस्तुत सूचना की जांच के विशिष्ट अनसुलझे परिणाम हैं; वे कोई असंबद्ध नई कार्यप्रणाली नहीं हैं। समूह को प्रकटन विवरण प्राप्त हुआ जिसमें उन चिंताओं की पहचान की गई थी और उसने उनमें से प्रत्येक पर विस्तृत उत्तर दाखिल किया। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि समूह द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिका, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डीजी सिस्टम्स डेटा के प्रकटन की मांग की गई थी और पर्याप्त अवसर से इनकार का आरोप लगाया गया था, खंडपीठ द्वारा सुनवाई हेतु ली गई और 31 अगस्त 2026 के आदेश द्वारा प्रवेश-स्तर पर ही खारिज कर दी गई। न्यायालय ने उन आधारों को याचिका के प्रवेश अथवा जांच में हस्तक्षेप के योग्य नहीं माना। यह खारिजी इस बात की पुष्टि करती है कि सांविधिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के लिए न्यायालय के समक्ष कोई प्रक्रियागत आधार स्थापित नहीं किया गया था। खारिजी से स्वतंत्र रूप से, प्राधिकारी ने जांच अभिलेख पर दोहराए गए प्रत्येक आधार की गुणावगुण के आधार पर जांच की है। अतः समूह की प्रतिक्रिया का उपचार इन अंतिम निष्कर्षों में दर्ज विशिष्ट और संचयी कमियों पर टिका है, न कि मात्र रिट याचिका की खारिजी पर।
298. प्राधिकारी यह भी स्वीकार करता है कि अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों के लिए प्रस्तावित भावी संयंत्र का पूर्ववर्ती संदर्भ अंतिम निर्धारण का आधार नहीं बनना चाहिए। अतः चौड़ाई संबंधी मुद्दे का विनिश्चय केवल प्रासंगिक अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन और व्यापारिक बिक्री के साक्ष्य के आधार पर किया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दूसरे प्रकटन विवरण का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम की रंग-लेपित कॉइल

299. प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियों और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आलोक में इस मुद्दे की पुनः जांच की है। प्रकटन विवरण में 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले रंग-लेपित एल्युमीनियम उत्पादों के अपवर्जन का प्रस्ताव इस आधार पर किया गया था कि मूल जांच में “रंग-लेपित” उत्पादों के लिए विशिष्ट पीसीएन में 0.12 मिमी से 1.63 मिमी (120–1,630 माइक्रोन) की मोटाई सीमा का उल्लेख था, जबकि 80

माइक्रोन तक की एल्युमीनियम फॉयल स्पष्ट रूप से अपवर्जित थी। तथापि, प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियों के उपरांत प्राधिकारी के संज्ञान में यह लाया गया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क वर्तमान में 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई सीमा में आने वाले रंग-लेपित एल्युमीनियम उत्पादों पर लागू है। हिंडालको ने तदनुसार प्रस्तुत किया है कि इस मोटाई सीमा पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की निरंतर लागूता यह दर्शाती है कि ऐसे उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का भाग हैं, भले ही विशिष्ट रंग-लेपित पीसीएन में निम्नतर मोटाई सीमा 120 माइक्रोन दर्शाई गई हो।

300. प्राधिकारी नोट करता है कि 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई सीमा में आने वाले रंग-लेपित एल्युमीनियम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का निरंतर अधिरोपण पीयूसी के मौजूदा दायरे के निर्धारण के लिए एक प्रासंगिक और सारभूत तथ्य है। पीसीएन मुख्यतः विभिन्न उत्पाद प्रकारों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने की व्यवस्था है और वह, अपने आप में, पीयूसी के विधिक दायरे को निर्धारित या सीमित नहीं करता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मौजूदा पाटनरोधी उपाय विवादित मोटाई सीमा में आने वाले रंग-लेपित उत्पादों तक विस्तारित है, प्राधिकारी यह मानता है कि उक्त उत्पादों को मात्र इस आधार पर मौजूदा पीयूसी से बाहर नहीं माना जा सकता कि मूल जांच में विशिष्ट रंग-लेपित पीसीएन 120 माइक्रोन से आरंभ होता था। अतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच मुख्यतः पीयूसी से 80–120 माइक्रोन की सीमा के अपवर्जन के अनुरोध के रूप में की गई है, इस आधार पर कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई सीमा वाले विवादित रंग-लेपित उत्पादों का निर्माण और/या बिक्री नहीं की। ऐसे अपवर्जन के गुण-दोषों की तदनुसार नीचे जांच की गई है।
301. हिंडालको द्वारा 80–120 माइक्रोन की रंग-लेपित कॉइल के उत्पादन और बिक्री संबंधी तर्क की जांच जांच अवधि के लिए उसके अपने लेन-देन-वार बिक्री रजिस्टर से की गई है। उक्त रजिस्टर में हिंडालको द्वारा स्वयं “रंग-लेपित” के अंतर्गत वर्गीकृत 1,472 बिक्री प्रविष्टियां हैं और इन उत्पादों की मोटाई 0.40 मिमी से 1.22 मिमी, अर्थात् 400 से 1,220 माइक्रोन तक है। 400 माइक्रोन से नीचे एक भी बिक्री नहीं है, और परिणामस्वरूप विवादित 80–120 माइक्रोन सीमा में कोई बिक्री नहीं है। यहां तक कि “एवरलास्ट (कॉइल/शीट)” के रूप में वर्णित प्रविष्टियां भी 400 से 1,000 माइक्रोन तक की हैं। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती अवधि के लिए अभिलेख पर रखे गए ऐतिहासिक बीजकों की भी जांच की है; उनमें चिह्नित न्यूनतम मोटाई 0.18 मिमी (180 माइक्रोन) है। अतः न तो जांच अवधि का बिक्री रजिस्टर और न ही ऐतिहासिक बिक्री अभिलेख (अगस्त 2020 से की अवधि) 80–120 माइक्रोन सीमा में रंग-लेपित कॉइल की वाणिज्यिक बिक्री स्थापित करते हैं।
302. यह साक्ष्य विशेष महत्व रखता है क्योंकि हिंडालको ने अपनी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से यह दावा किया है कि उसने 80–120 माइक्रोन की रंग-लेपित कॉइल के उत्पादन और बिक्री को दर्शाने वाले बीजक प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी ने उस दावे को मात्र उसके वर्णन के आधार पर स्वीकार नहीं किया है। ऐसे किसी दावे के लिए जिस किसी नमूना बीजक पर भरोसा किया गया हो, उसका घरेलू उद्योग के संपूर्ण बिक्री अभिलेख से आवश्यक रूप से पुनर्मिलन होना चाहिए। जहां स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा संधारित और प्रस्तुत किए गए संपूर्ण जांच अवधि रजिस्टर में दावा की गई मोटाई सीमा में कोई लेन-देन नहीं है, वहां कोई पृथक दस्तावेज अथवा विनिर्माण क्षमता का सामान्य कथन जांच अवधि के दौरान उस उत्पाद के वाणिज्यिक विनिर्माण और व्यापारिक बिक्री का साक्ष्य नहीं

माना जा सकता। अतः प्राधिकारी यह पाता है कि अभिलेख जांच अवधि के दौरान 80–120 माइक्रोन की रंग-लेपित कॉइल की वाणिज्यिक आपूर्ति के हिंडाल्को के दावे को सिद्ध नहीं करता।

303. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई सीमा वाली रंग-लेपित एल्युमीनियम कॉइल के लिए कोई पृथक क्षतिरहित कीमत दावा नहीं की थी और न ही इस सीमा के लिए कोई पृथक क्षतिरहित कीमत अथवा तत्संबंधी निर्मित सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था। रंग-लेपित उत्पादों के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत केवल 120 माइक्रोन और उससे अधिक से आरंभ होने वाली विशिष्ट पीसीएन सीमा से संबंधित है और इसलिए उसे 80–120 माइक्रोन श्रेणी पर लागू नहीं किया जा सकता। पृथक रूप से निर्धारित क्षतिरहित कीमत और निर्मित सामान्य मूल्य के अभाव में, इस मोटाई सीमा के लिए कोई विश्वसनीय क्षति मार्जिन की गणना नहीं की जा सकती। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि 80–120 माइक्रोन सीमा के लिए किसी पृथक लागत, क्षतिरहित कीमत अथवा क्षति संबंधी आंकड़ों का अभाव स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान इस सीमा में रंग-लेपित कॉइल का विनिर्माण अथवा वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया था; यदि ऐसा उत्पादन विद्यमान होता, तो संबंधित लागत और क्षतिरहित कीमत संबंधी आंकड़े सामान्यतः घरेलू उद्योग के क्षति-दावे और प्राधिकारी के निर्धारण का भाग होते। अतः अभिलेख इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि 80 माइक्रोन से अधिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई सीमा वाली रंग-लेपित कॉइल का जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्माण नहीं किया गया था।
304. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी आयातकों/प्रयोक्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करता है और तदनुसार 80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली रंग-लेपित कॉइल को पीयूसी के दायरे से अपवर्जित करने का निर्णय करता है। इस अपवर्जित सीमा में आने वाले लेन-देनों को, जहां कहीं लागू हो, आयात मात्रा, अवतरित मूल्य, कीमत प्रभाव, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और संभावना विश्लेषण के प्रयोजनार्थ सुसंगत रूप से पीयूसी से बाहर माना जाएगा।
305. सीईएसटीएटी ने एसोसिएशन ऑफ़ मैन मेड फ़ाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया बनाम डेज़िग्रेटेड अथॉरिटी में स्पष्ट रूप से यह मान्यता दी है कि निर्णायक समीक्षा में पीयूसी के दायरे को संकुचित किया जा सकता है, विशेष रूप से जहां किसी विशिष्ट ग्रेड अथवा उत्पाद प्रकार के संबंध में संरक्षण को जारी रखने की मांग नहीं की गई हो अथवा उसका औचित्य सिद्ध न हो। ऐसा संकुचन समीक्षा जांचों को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत के अनुरूप है कि पाटनरोधी उपाय केवल उतनी अवधि तक और केवल उस सीमा तक जारी रहना चाहिए, जितना क्षतिकारक पाटन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो।
306. इसी तरह, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने *Epigral Limited v. Union of India* में यह मान्यता दी कि विभिन्न ग्रेड, रूप, प्रकार, क्षमता और आकार पीसीएन हो सकते हैं, किंतु उत्पाद दायरा, एक बार निर्धारित हो जाने पर, संकुचित किया जा सकता है और उसे विस्तारित नहीं किया जा सकता। अतः मोटाई, चौड़ाई, मिश्रधातु, टेम्पर, ग्रेड अथवा आकार से संबंधित पीसीएन सीमाओं का विस्तार मात्र पीसीएन कार्यप्रणाली में परिवर्तन बताकर उचित

नहीं ठहराया जा सकता, यदि उससे ऐसे उत्पाद जांच के दायरे में आ जाते हैं जो मूल दायरे से बाहर थे। यह अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र के भी अनुरूप है। *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review* में अपीलीय निकाय ने स्पष्ट किया कि निर्णायक समीक्षा “शुल्क के अधीन उत्पाद” और मौजूदा उपाय की निरंतरता से संबंधित होती है। अतः निर्णायक समीक्षा मौजूदा पीयूसी/पीसीएन कवरेज को संकुचित कर सकती है, किंतु उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विस्तारित करके ऐसे अतिरिक्त उत्पादों अथवा तकनीकी सीमाओं को शामिल नहीं कर सकती जो मूल उपाय के अंतर्गत शामिल नहीं थे।

एसीपी अनुप्रयोग के लिए 120 माइक्रोन और उससे अधिक की रंग-लेपित कॉइल के अपवर्जन का अनुरोध

307. 120 माइक्रोन और उससे अधिक की रंग-लेपित कॉइल से संबंधित अनुरोध भिन्न आधार पर खड़ा है। यह मोटाई सीमा मूल रंग-लेपित तुलना ब्रह्मांड का भाग थी और उसे मात्र इसलिए अपवर्जित नहीं किया जा सकता कि आयातित सामग्री एसीपी अनुप्रयोग के लिए आशयित है अथवा इसलिए कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता विशेष लेपन, फिनिश, रंग अथवा ग्राहक विनिर्देशों को वरीयता देते हैं।
308. अनुरोध करने वाले पक्षकारों ने संपूर्ण एसीपी श्रेणी को कवर करने वाला कोई एक संकीर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य तकनीकी संयोजन परिभाषित नहीं किया है, और न ही यह स्थापित किया है कि एसीपी में प्रयुक्त 120 माइक्रोन और उससे अधिक की प्रत्येक रंग-लेपित कॉइल के लिए भारत में विनिर्मित कोई समरूप, निकट सदृश अथवा तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विनिर्मेय उत्पाद नहीं है। निरंतर आयातों, ग्राहक वरीयता अथवा पृथक आपूर्ति कठिनाई का साक्ष्य संपूर्ण उत्पाद वर्ग के गैर-उत्पादन अथवा अप्रतिस्थापनीयता को स्थापित नहीं करता।
309. किसी अन्य जांच में दिया गया अपवर्जन उस कार्यवाही के साक्ष्य और उत्पाद परिभाषा से संबंधित था और उसे यहां यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। चूंकि अनुरोधित अपवर्जन एक व्यापक अंतिम-उपयोग श्रेणी को हटा देगा जो घरेलू उत्पादन के साथ अतिव्यापी है, अतः एसीपी अनुप्रयोग के लिए 120 माइक्रोन और उससे अधिक की रंग-लेपित कॉइल के अपवर्जन का एकमुश्त अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

फोल्डेड/बी-टाइप और वेल्डेड रेडिएटर ट्यूबों के लिए विनिर्दिष्ट एच24 क्लैड ट्यूब सामग्री

310. प्राधिकारी ने संपूर्ण-उत्पाद कसौटी लागू करके विनिर्दिष्ट एच24 क्लैड ट्यूब सामग्रियों की पुनः जांच की है। इन उत्पादों के लिए, घरेलू वस्तु के साथ अनुरूपता मिश्रधातु, टेम्पर, मोटाई अथवा अंतिम उपयोग का पृथक-पृथक मिलान करके स्थापित नहीं की जा सकती। कोर मिश्रधातु, ब्रेजिंग क्लैड, बलिदायी क्लैड, परत अनुक्रम, टेम्पर, गेज, कॉइल स्वरूप और विनिर्दिष्ट ट्यूब अनुप्रयोग मिलकर ब्रेजेबिलिटी, संक्षारण प्रतिरोध, संरूपण व्यवहार, यांत्रिक सामर्थ्य और ओईएम स्वीकृति निर्धारित करते हैं। अतः इनमें से प्रत्येक विशेषता पर संचयी रूप से विचार किया जाना चाहिए।
311. घरेलू उद्योग के लेन-देन-वार पीओआई बिक्री रजिस्टर की जांच इन सभी मापदंडों को एक साथ लागू करके की गई। रजिस्टर में सामान्यतः क्लैड उत्पादों, सामान्यतः एच24 उत्पादों, तथा व्यापक रूप से संबंधित मिश्रधातु शृंखलाओं या गेजों वाले उत्पादों की बिक्री है। तथापि, केवल एच24 से मेल खाने वाली, केवल व्यापक रूप से संबंधित क्लैड संरचना से मेल खाने वाली, अथवा केवल किसी प्रासंगिक मोटाई से मेल खाने वाली प्रविष्टियां संपूर्ण अपवर्जित संयोजनों की व्यापारिक बिक्री स्थापित नहीं करतीं। ऐसी कोई सटीक बिक्री चिह्नित नहीं की गई जो एक साथ विनिर्दिष्ट एए3003 मॉडिफाइड अथवा एए3005 कोर, एए4343 ब्रेजिंग क्लैड, एए7072 बलिदायी क्लैड, एच24 टेम्पर, प्रासंगिक मोटाई, कॉइल स्वरूप और ट्यूब अनुप्रयोग को संतुष्ट करती हो।

312. अतः सामान्य एच24 क्षमता तथा 3003/3005 मिश्रधातु परिवारों में बिक्री का घरेलू उद्योग का साक्ष्य प्रासंगिक तो है किंतु निर्णायक नहीं। वह यह दर्शाता है कि एच24 क्लैड एक व्यापक वर्ग के रूप में अनुपस्थित नहीं है; वह यह नहीं दर्शाता कि प्रासंगिक अवधि के दौरान सटीक ट्यूब सामग्रियों का उत्पादन और वाणिज्यिक आपूर्ति की गई थी। और न ही भिन्न क्लैड परत, परत अनुक्रम, टेम्पर अथवा गेज वाले किसी वैकल्पिक घरेलू उत्पाद के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसे अपेक्षित ग्राहक/ओईएम अनुमोदन प्राप्त हुआ अथवा वह विनिर्दिष्ट ट्यूब-संरूपण और ब्रेजिंग प्रचालनों के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विनिमेय है।
313. यह अपवर्जन मात्र किसी मांग-आपूर्ति अंतर, किसी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की आवश्यकता के आकार, अथवा भावी विकास क्षमता के कथन पर आधारित नहीं है। यह संपूर्ण उत्पाद संयोजनों की घरेलू व्यापारिक आपूर्ति के साक्ष्य की संचयी अनुपस्थिति और किसी स्थापित विनिमेय घरेलू उत्पाद के अभाव पर टिका है। यह एक संकीर्ण उत्पाद-विशिष्ट निष्कर्ष है और वर्ग के रूप में क्लैड उत्पादों के अपवर्जन का समर्थन नहीं करता।
314. तदनुसार, प्राधिकारी निम्नलिखित के अपवर्जन की पुष्टि करता है: (i) कॉइल स्वरूप में क्लैड एल्युमीनियम ट्यूब सामग्री जिसमें एए3003 मॉडिफाइड अथवा एए3005 कोर हो, जो एए4343 एल्युमीनियम-सिलिकॉन ब्रेजिंग क्लैड परत तथा एए7072 बलिदायी क्लैड परत के साथ धातुकर्मिक रूप से आवद्ध हो, एच24 टेम्पर में तथा 0.20 मिमी से 0.25 मिमी तक की मोटाई में, दोनों सम्मिलित, फोल्डेड अथवा बी-टाइप रेडिएटर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए; और (ii) वही संरचना एच24 टेम्पर में तथा 0.265 मिमी से 0.35 मिमी और 0.40 मिमी से 0.45 मिमी तक की मोटाई में, दोनों सम्मिलित, वेल्डेड रेडिएटर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए। एए3003 मॉडिफाइड अथवा एए3005 का संदर्भ केवल एक वैकल्पिक कोर मिश्रधातु प्रदान करता है; प्रत्येक अन्य तकनीकी और अंतिम-उपयोग शर्त संचयी बनी रहती है।
315. यह अपवर्जन उत्पाद-विशिष्ट है, आयातक-विशिष्ट नहीं। यह विहित उत्पाद, स्व-उपभोग, दस्तावेजी और अंतिम-उपयोग शर्तों को पूरा करने वाले प्रत्येक पात्र वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगा। भिन्न मिश्रधातु संयोजन, परत विन्यास, टेम्पर, मोटाई, स्वरूप अथवा अंतिम उपयोग वाले उत्पाद पीयूसी के भीतर बने रहेंगे।
- 4343/3003-एच24 क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप तथा विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा मांगे गए अतिरिक्त क्लैड और अनक्लैड ऊष्मा-विनिमयक उत्पादों के अपवर्जन का अनुरोध**
316. प्राधिकारी ने ऊष्मा-विनिमयक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त एच24 और संबंधित एल्युमीनियम सामग्रियों के संबंध में माहले आनंद, टाटा टोयो, पहाड़पुर तथा अन्य भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए आगे के अपवर्जन अनुरोधों की एक साथ जांच की है। यद्यपि व्यक्तिगत अनुरोध भिन्न मिश्रधातु संरचनाओं, उत्पाद स्वरूपों, मोटाइयों और अंतिम उपयोगों को कवर करते हैं, वे यह सामान्य मुद्दा उठाते हैं कि क्या किसी संकीर्ण रूप से पहचाने गए उत्पाद को दायरे में बना रहना चाहिए जहां संपूर्ण उत्पाद संयोजन की घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक आपूर्ति नहीं की जाती और कोई तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से विनिमेय घरेलू प्रतिस्थापन स्थापित नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी ने ऐसे सभी अनुरोधों पर पैराग्राफ 56-61 में अपनाई गई वही संपूर्ण-उत्पाद कसौटी लागू की है, जिसमें कोर और क्लैड मिश्रधातुओं, परत विन्यास, टेम्पर, मोटाई, आयामों, उत्पाद स्वरूप, तकनीकी अनुमोदन और आशयित अनुप्रयोग पर संचयी रूप से विचार किया गया है।
317. इस आधार पर, प्राधिकारी सभी क्लैड सामग्रियों, संगत गैर-क्लैड सामग्रियों, पहचानी गई अनक्लैड मिश्रधातु शृंखलाओं, अथवा कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपवर्जित कराने हेतु मांगी गई चार्ज-एयर-कूलर, इंटरकूलर तथा अन्य ऊष्मा-विनिमयक सामग्रियों की व्यापक श्रेणी के संबंध में किए गए व्यापक अनुरोधों को स्वीकार करना उपयुक्त

नहीं मानता। ये अनुरोध अनेक उत्पाद विन्यासों को समाहित करते हैं और प्रत्येक विन्यास के लिए किसी सटीक तथा सीमा शुल्क-सत्यापन योग्य तकनीकी विवरण, सुसंगत लेन-देन-संबद्ध साक्ष्य और इस प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं हैं कि तत्संबंधी घरेलू उत्पाद न तो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध है और न ही तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से विनिमेय है। सीएसी/इंटरकूलर उत्पादों से संबंधित साक्ष्य में भी टेम्पर, क्लैडिंग संरचना और अनुप्रयोग के संबंध में सारभूत अंतर हैं। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से पहचाने गए संकीर्ण रूप से स्थापित उत्पादों की सीमा को छोड़कर, व्यापक और अवशिष्ट अपवर्जन अनुरोध अस्वीकार किए जाते हैं।

318. तथापि, तथापि, प्राधिकारी एए4343/एए3003-एच24 मिश्रधातु की क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप, जिसकी मोटाई 0.23 मिमी से 0.30 मिमी तक हो, दोनों सम्मिलित, चौड़ाई 200 मिमी हो और मोटाई सह्यता ± 0.0075 मिमी हो, तथा जिसका उपयोग वायु-शीतित कंडेंसरों और औद्योगिक शुष्क-शीतलन प्रणालियों के लिए फिन ट्यूबों के विनिर्माण में किया जाना हो, को पीयूसी के दायरे से अपवर्जित करना उपयुक्त मानता है। अभिलेख इसे वायु-शीतित कंडेंसर और औद्योगिक शुष्क-शीतलन उद्योग में प्रयुक्त एक संकीर्ण रूप से परिभाषित एच24 उत्पाद के रूप में स्थापित करता है। लेन-देन-संबद्ध खरीद दस्तावेज, तकनीकी पत्राचार और उत्पाद-परीक्षण साक्ष्य एच24 टेम्पर की विशिष्ट आवश्यकता को स्थापित करते हैं और यह दर्शाते हैं कि विकल्प के रूप में प्रस्तावित एच14 सामग्री प्रासंगिक तकनीकी और निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती थी। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर रखी गई सामग्री घरेलू उद्योग द्वारा संपूर्ण उत्पाद संयोजन अथवा किसी स्वीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विनिमेय प्रतिस्थापन के उत्पादन और वाणिज्यिक बिक्री को स्थापित नहीं करती। अतः प्राधिकारी इस उत्पाद को इन जांच परिणामों के संबंधित पैराग्राफों में अपनाए गए एच24 अपवर्जन ढांचे के भीतर तीसरी, पृथक रूप से परिभाषित श्रेणी मानता है।

319. तदनुसार, प्राधिकारी उपर्युक्त पैराग्राफ में पहचाने गए उत्पाद को इन जांच परिणामों के संबंधित पैराग्राफों में पहले से विनिर्दिष्ट दो एच24 क्लैड ट्यूब-सामग्री श्रेणियों में जोड़कर प्रस्तावित एच24 अपवर्जन को उपांतरित करता है। यह अपवर्जन उत्पाद-विशिष्ट होगा और विहित तकनीकी, दस्तावेजी, स्व-उपभोग तथा अंतिम-उपयोग शर्तों को पूरा करने वाले प्रत्येक पात्र वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा। भिन्न मिश्रधातु संयोजन, क्लैड विन्यास, टेम्पर, मोटाई, आयाम, उत्पाद स्वरूप अथवा अंतिम उपयोग वाले अन्य सभी उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर बने रहेंगे।

1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पाद

320. प्राधिकारी ने अधिक चौड़ाई वाले भावी संयंत्र से संबंधित पूर्ववर्ती कथन को विचार से अपवर्जित कर दिया है। निर्माणाधीन कोई संयंत्र अथवा भावी क्षमता का कथन पीओआई के दौरान उत्पादन स्थापित नहीं कर सकता। अतः इस मुद्दे का निर्धारण केवल वास्तविक समकालीन साक्ष्य पर किया गया है।

321. घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर और प्रदर्श 12 में संदर्भित लेन-देन-वार सामग्री में ऐसी प्रविष्टियां हैं जो प्रासंगिक अवधि के दौरान 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले एफआरपी के वाणिज्यिक विनिर्माण और व्यापारिक बिक्री को दर्शाती हैं। उपयोगकर्ताओं ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि वे प्रविष्टियां उस व्यापक चौड़ाई श्रेणी से सारभूत रूप से भिन्न किसी उत्पाद से संबंधित हैं जिसके लिए अपवर्जन मांगा गया है, अथवा यह कि 1950 मिमी से अधिक के आयातित उत्पादों में एक वर्ग के रूप में ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें अप्रतिस्थापनीय बनाती हैं।

322. अतः यह तथ्यात्मक आधार कि 1950 मिमी से अधिक का कोई घरेलू उत्पाद वाणिज्यिक रूप से उत्पादित नहीं किया गया, टिकाऊ नहीं है। चूंकि यह अनुरोध चौड़ाई-आधारित एकमुश्त अपवर्जन के रूप में तैयार किया गया है और उन उत्पादों को हटा देगा जिनकी घरेलू आपूर्ति अभिलेख पर है, अतः वह अस्वीकार किया जाता है।

वास्तविक-उपयोगकर्ता/अंतिम-उपयोग अपवर्जन और टैरिफ-दर कोटा का अनुरोध

323. वास्तविक-उपयोगकर्ता/अंतिम-उपयोग शर्त वहां उपयुक्त है जहां अपवर्जित उत्पाद की वस्तुनिष्ठ रूप से पहचान की जा सके, उसका गैर-प्रतिस्पर्धी अंतिम उपयोग स्थापित हो, और रक्षोपाय यह रोक सके कि अपवर्जन का उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाए जो घरेलू समान वस्तु से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये अपेक्षाएं दो एच24 क्लैड ट्यूब सामग्रियों तथा ऊपर उल्लिखित 4343/3003-एच24 फिन स्ट्रिप के लिए संतुष्ट होती हैं। वास्तविक-उपयोगकर्ता तंत्र उन व्यापक क्लैड अथवा अनक्लैड श्रेणियों तक विस्तारित नहीं किया गया है जिनके लिए संपूर्ण-उत्पाद और अप्रतिस्थापनीयता की कसौटियां पूरी नहीं हुई हैं।
324. प्रत्येक अपवर्जित उत्पाद के लिए, आयातक को अपने स्वयं के उपभोग हेतु आयात करने वाला वास्तविक उपयोगकर्ता होना चाहिए। प्रत्येक खेप के साथ विनिर्माता द्वारा जारी मिल परीक्षण प्रमाणपत्र अथवा विश्लेषण प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें प्रत्येक परत की मिश्रधातु, परत अनुक्रम, मोटाई, टेम्पर, चौड़ाई और कॉइल स्वरूप की पहचान हो; सुसंगत विवरण वाला वाणिज्यिक बीजक और क्रय आदेश; लागू ग्राहक/ओईएम विनिर्देश अथवा रेखांकन द्वारा समर्थित अंतिम-उपयोग प्रमाणपत्र; और यह प्रवर्तनीय वचनबंध कि माल घोषित विनिर्माण सुविधा में उपभुक्त किया जाएगा और बेचा, अंतरित अथवा विपथित नहीं किया जाएगा। ये शर्तें सीमा शुल्क (रियायती दर पर शुल्क अथवा विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 के अंतर्गत सीमा शुल्क निकासी के समय प्रशासित की जाएंगी। किसी भी शर्त को पूरा न करने वाली खेप अन्यथा लागू शुल्क के अधीन बनी रहेगी। इन अपवर्जनों को पूरा करने वाले सभी लेन-देनों को अंतिम गणनाओं में पीयूसी से बाहर माना जाएगा।
325. प्राधिकारी ने टीआरक्यू के अनुरोध की जांच की है। यह अनुरोध इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा रहा है कि टीआरक्यू विधितः अननुज्ञेय है, बल्कि इसलिए कि वर्तमान मामले में आवश्यक तथ्यात्मक आधार उपलब्ध नहीं है। अभिलेख सटीक आपूर्ति अंतर, उपयुक्त कोटा मात्रा, कोटा के लिए पात्र उत्पादों और उपयोगकर्ताओं, अथवा आवंटन तथा अनुवीक्षण के लिए किसी कार्यसाध्य और वस्तुनिष्ठ तंत्र को स्थापित नहीं करता। अतः उपलब्ध साक्ष्य पर टीआरक्यू की सिफारिश नहीं की जा सकती।
326. जिन पहचानी गई अनुपलब्धता संबंधी चिंताओं को सिद्ध किया गया है, उनका समाधान तीन संकीर्ण वास्तविक-उपयोगकर्ता अपवर्जनों के माध्यम से अधिक सटीक रूप से किया गया है। शेष उत्पादों के लिए, विश्वसनीय मात्रा-आधार के बिना कोई कोटा या तो उन आयातों से संरक्षण हटा देगा जो घरेलू आपूर्ति से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अथवा वैध उपयोगकर्ता पहुंच को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित करेगा। अतः वर्तमान अभिलेख पर टीआरक्यू का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

उत्पादकों/निर्यातकों का प्रतिचयन

327. नियम 17(3) प्राधिकारी को व्यक्तिगत परीक्षा सीमित करने की अनुमति देता है जब निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों अथवा उत्पाद प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि व्यक्तिगत निर्धारण अव्यवहार्य हो जाए। यह प्रावधान कोई संख्यात्मक सीमा विहित नहीं करता और प्रतिचयन को तब भी अनिवार्य नहीं बनाता जब कोई विशेष संख्या में समूह भाग लेते हों।

328. वर्तमान मामले में, सात समूहों के चौदह उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल कीं। चूंकि प्राधिकारी उपलब्ध समय के भीतर सभी सात समूहों की जांच करने में समर्थ था, अतः प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं था। अलचा और डिंगशेंग द्वारा उद्धृत मामलों में भिन्न तथ्य थे, जैसे अधिक कार्यभार, भिन्न प्रतिक्रिया प्रतिरूप और अधिक उत्पाद जटिलता। वे केवल यह दर्शाते हैं कि आवश्यकता होने पर प्रतिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है; उनका यह अर्थ नहीं है कि जब भी उत्तरदाता समूहों की संख्या समान हो तब प्रतिक्रिया का उपयोग किया ही जाना चाहिए।
329. प्रतिक्रिया न अपनाए जाने के कारण किसी भी उत्तरदाता को परीक्षा से वंचित नहीं किया गया। प्रत्येक समूह पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया गया, और जहां कहीं वर्तमान प्रतिक्रिया पूर्ण, विश्वसनीय, पुनर्मिलित और सत्यापनीय थी वहां व्यक्तिगत उपचार प्रदान किया गया है। अतः प्रतिक्रिया संबंधी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

निर्मित सामान्य मूल्य की कार्यप्रणाली

330. प्राधिकारी सहमत है कि निर्मित सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत पृथक् सांविधिक अभ्यास हैं। निर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण परिशिष्ट I के साथ पठित धारा 9क(1)(ग) के तहत किया जाता है, जबकि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण परिशिष्ट III के तहत किया जाता है। क्षतिरहित कीमत पर लागू दक्षता अथवा क्षमता-उपयोग संबंधी समायोजनों को निर्मित सामान्य मूल्य में मात्र इसलिए यांत्रिक रूप से नहीं लाया जा सकता कि दोनों गणनाओं में लागत सूचना का उपयोग होता है।
331. अतः निर्मित सामान्य मूल्य की पुनः जांच उस सत्यापित लागत आधार पर की गई है जो परिशिष्ट I के प्रयोजन के लिए उचित पाया गया, साथ ही उपयुक्त विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ सहित। केवल वे समायोजन किए गए हैं जो निर्मित सामान्य मूल्य के लिए स्वतंत्र रूप से न्यायोचित हैं। इसके विपरीत, किसी दावाकृत बहीगत आंकड़े को मात्र इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता कि वह लेखों में प्रकट होता है, यदि सहायक आवंटन अथवा पीयूसी से उसका संबंध सत्यापित न हो।

निर्णायक समीक्षा में सहयोगी निर्यातकों का व्यक्तिगत उपचार और शून्य शुल्क के अनुरोध

332. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान कार्यवाही पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत एक निर्णायक समीक्षा है। ऐसी समीक्षा में केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक की वर्तमान सूचना की जांच की है जिसकी प्रतिक्रिया पूर्ण और सत्यापनीय पाई गई, जिनमें पहली बार भाग लेने वाले भी शामिल हैं। तदनुसार उनके सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, अवतरित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और उन्हें ध्यान में रखा गया है। ये वर्तमान-अवधि के निर्धारण महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, किंतु वे व्यापक संभावना परीक्षा का केवल एक भाग हैं।
333. प्राधिकारी ने पहली बार भाग लेने वाले निर्यातकों के व्यक्तिगत उपचार के संबंध में प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 87 और 204 में व्यक्त स्थिति पर भी पुनर्विचार किया है। प्रकटन विवरण में जांच के उस चरण पर प्राधिकारी का प्रस्तावित दृष्टिकोण दर्ज था, अर्थात् प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर विचार से पूर्व और उपाय के स्वरूप पर अंतिम निर्धारण से पूर्व। उसमें यह प्रस्ताव था कि पहली बार सहयोग करने वाले निर्यातकों को व्यक्तिगत उपचार दिया जा सकता है जहां उनकी प्रतिक्रियाएं व्यक्तिगत निर्धारण की अनुमति देती हों। निर्णायक समीक्षा के सांविधिक प्रयोजन तथा प्रकटन के पश्चात प्राप्त अभिकथनों की आगे जांच करने पर, प्राधिकारी यह स्पष्ट करना आवश्यक मानता है कि किसी व्यक्तिगत वर्तमान-अवधि मार्जिन का निर्धारण, अपने आप में, किसी नई निर्यातक-विशिष्ट शुल्क दर के सृजन की अपेक्षा नहीं करता।

334. इन उत्पादकों/निर्यातकों की मूल जांच में व्यक्तिगत रूप से परीक्षा नहीं की गई थी और अब समीक्षाधीन उपाय के तहत उनके लिए कोई पृथक शुल्क दर सृजित नहीं की गई थी। अतः उनके निर्यात उपाय की पूरी अवधि में मौजूदा अवशिष्ट दर के अधीन रहे हैं। वर्तमान निर्णायक समीक्षा में भागीदारी प्राधिकारी को उनके वर्तमान आचरण की जांच करने और संभावना का आकलन करने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराती है; तथापि, समीक्षा में सहयोग स्वतः उस शुल्क स्थिति को नहीं बदलता जिसके तहत वे मौजूदा उपाय के दौरान प्रचालन करते रहे हैं। वर्तमान पीओआई के मार्जिन भी उस समय देखे गए जब पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू था और अतः उन्हें उस संभावित स्थिति के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए जो उस शुल्क के हटाए जाने पर होती।
335. अतः प्राधिकारी ने व्यक्तिगत वर्तमान-अवधि मार्जिनों पर संपूर्ण संभावना साक्ष्य के साथ विचार किया है, जिसमें आयातों की मात्रा और प्रवृत्ति, चीन पीआर में उपलब्ध और अधिशेष क्षमताएं, निर्यात अभिमुखीकरण, तृतीय-देश निर्यात, भारतीय बाजार का आकर्षण, प्रचलित कीमत स्थितियां और संबद्ध आयातों की निरंतर उपस्थिति शामिल हैं। इस समग्र आकलन पर, प्राधिकारी यह पाता है कि पहली बार भाग लेने वाले किसी निर्यातक के लिए न्यूनतर अथवा शून्य वर्तमान पाटन या क्षति मार्जिन, पृथक रूप से देखे जाने पर, व्यापक संभावना संबंधी निष्कर्ष को विस्थापित करने अथवा मौजूदा शुल्क तालिका के पुनर्गठन की अपेक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। निर्णायक समीक्षा में जांच भविष्योन्मुखी है: प्रासंगिक प्रश्न मात्र यह नहीं है कि किसी निर्यातक ने शुल्क के लागू रहते अपने माल का मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया, बल्कि यह है कि संरक्षण हटाए जाने पर क्या होने की संभावना है।
336. तदनुसार, प्राधिकारी ने इन पहली बार सहयोग करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं और उनके लिए निर्धारित व्यक्तिगत मार्जिनों पर पूर्ण रूप से विचार किया है, किंतु संपूर्ण जांच के आधार पर यह उपयुक्त मानता है कि मौजूदा उपाय के तहत उन पर पहले से लागू शुल्क उपचार, अर्थात् 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की अवशिष्ट दर, जारी रखी जाए। यह उपचार असहयोग, उनकी प्रतिक्रियाओं की अस्वीकृति अथवा उनके लेन-देनों के संबंध में किसी प्रतिकूल अनुमान पर आधारित नहीं है। यह प्राधिकारी के इस अंतिम निष्कर्ष से उद्भूत होता है कि सहयोग और वर्तमान-अवधि मार्जिनों का निर्धारण समीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, किंतु वे स्वतः किसी नई शुल्क दर के सृजन की अपेक्षा नहीं करते जहां समग्र संभावना परीक्षा मौजूदा उपाय और शुल्क संरचना के जारी रहने का समर्थन करती हो। इस निष्कर्ष में कोई भी बात किसी पात्र उत्पादक/निर्यातक को अधिनियम और नियमावली के लागू प्रावधानों के तहत उपयुक्त निर्यातक-विशिष्ट अनुतोष मांगने से नहीं रोकती, जहां विहित शर्तें पूरी होती हों।
337. प्राधिकारी नोट करता है कि धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23 के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा मूलतः एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है अथवा नहीं। यह कोई नई मूल जांच नहीं है, जिसमें समीक्षा में भाग लेने वाले प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण आवश्यक हो। *P.T. Asahimas Chemicals v. Designated Authority*, 2015 (328) E.L.T. 417 (Tri.-Del.) में अधिकरण ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि निर्णायक समीक्षा में निर्यातक-विशिष्ट पाटन मार्जिन निर्धारित करने की कोई विधिक अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार, *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. v. Designated Authority*, 2010 (253) E.L.T. 564 (Tri.-Del.) में अधिकरण ने कम वर्तमान पाटन मार्जिन के बावजूद मौजूदा शुल्क को जारी रखने को बरकरार रखा और इस बात पर बल दिया कि प्रासंगिक जांच पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना से संबंधित होती है।

338. यही सिद्धांत डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र में भी परिलक्षित होता है। *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*, WT/DS244/AB/R, paras 124, 149 and 155 में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 11.3 न तो निर्णायक समीक्षा में पाटन मार्जिनों की गणना की अपेक्षा करता है और न ही कंपनी-विशिष्ट संभावना निर्धारणों की अपेक्षा करता है। विशेष रूप से, ज्ञात निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करने संबंधी अनुच्छेद 6.10 के अंतर्गत दायित्व, सिद्धांततः, निर्णायक समीक्षाओं पर लागू नहीं होता। अतः किसी उत्पादक/निर्यातक की समाप्ति समीक्षा में पहली बार भागीदारी अथवा सहयोग, अपने आप में, किसी नई व्यक्तिगत दर का अधिकार उत्पन्न नहीं करता।

339. वास्तव में, नियमावली किसी वास्तविक नए उत्पादक/निर्यातक के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करने हेतु एक पृथक तंत्र प्रदान करती है। नियम 22 विशेष रूप से उन निर्यातकों/उत्पादकों के लिए नए शिपर समीक्षा का प्रावधान करता है जिनकी मूल अवधि में जांच नहीं की गई थी। *H & R Johnson (India) Ltd. v. Designated Authority*, 2005 (185) E.L.T. 125 (Tri.-Del.) में सीईएसटीएटी ने ऐसी समीक्षा, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण है, को नियम 23 के अंतर्गत की जाने वाली समीक्षा से स्पष्ट रूप से पृथक माना है, जो मौजूदा पाटनरोधी उपाय की निरंतर आवश्यकता से संबंधित होती है। तदनुसार, जहां प्राधिकारी वर्तमान निर्णायक समीक्षा में यह निष्कर्ष निकालता है कि मौजूदा उपाय जारी रहना चाहिए, वहां पहली बार भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक जारी रखे गए उपाय की लागू अवशिष्ट दर से आच्छादित रहेंगे; पृथक व्यक्तिगत दर का कोई भी दावा नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध उपयुक्त समीक्षा तंत्र के माध्यम से, विहित शर्तों की पूर्ति के अधीन, किया जाना चाहिए।

डिंगशेंग समूह: प्रश्नावली प्रतिक्रिया, पुनर्मिलन, व्यक्तिगत उपचार और अवतरित मूल्य

340. प्राधिकारी ने डिंगशेंग समूह की संपूर्ण प्रकटन-पश्चात प्रतिक्रिया पर पुनर्विचार किया है, जिसमें जियांगसु डिंगशेंग न्यू मटेरियल्स जॉइंट स्टॉक कं., लि., इनर मंगोलिया लियानशेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कं., लि., हांगजो डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं., लि. और डिंगशेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं., लि. शामिल हैं। मुद्दा यह नहीं है कि समूह ने व्यापक रूप से भाग लिया अथवा सहयोग का आशय रखा। विधिक प्रश्न यह है कि क्या अंतिम सूचना निर्यात-बिक्री ब्रह्मांड, संबंधित-व्यापारी समायोजनों, एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत और अवतरित कीमत का एक संपूर्ण, आंतरिक रूप से सुसंगत तथा सत्यापनीय निर्धारण करने की अनुमति देती है।

341. नियम 6(8) का आह्वान किसी मामूली लिपिकीय त्रुटि, किसी एक दस्तावेज के अभाव अथवा सीमा शुल्क और निर्यातक डेटा के बीच मात्र किसी अंतर के लिए नहीं किया जाता। प्राधिकारी ने प्रत्येक विसंगति की पृथक रूप से तथा संचयी रूप से जांच की है। उपलब्ध तथ्य केवल इसलिए आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि अनसुलझे अंतर उन मूल मात्राओं, चैनलों और समायोजनों से संबंधित हैं जिनसे व्यक्तिगत मार्जिन की गणना की जानी है। व्यापक दाखिले और प्रमाणन उन मौलिक तत्वों के पुनर्मिलन का स्थान नहीं ले सकते।

342. प्रथम, समूह ने पीओआई के दौरान भारत को *** मी.टन के निर्यात की रिपोर्ट की, जबकि डीजी सिस्टम्स में चिह्नित तत्संबंधी पीयूसी मात्रा लगभग *** मी.टन थी, जिससे लगभग *** मी.टन का अंतर रह जाता है। प्रत्येक मामले में सटीक समानता अपेक्षित नहीं है क्योंकि बीजक तिथि, प्रेषण तिथि और सीमा शुल्क-निकासी तिथि भिन्न हो सकती हैं, और आधिकारिक डेटा में उत्पाद-विवरण अथवा इकाई संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अतः प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स को एक स्वतंत्र प्रति-जांच और पुष्टिकारक स्रोत माना है, न कि अस्वीकृति का एकमात्र आधार।

343. डिगिशेग ने कई संभावित स्पष्टीकरण चिह्नित किए, जिनमें शीर्ष 7607 के अंतर्गत गैर-पीयूसी फॉयल, समय-अंतर, एक प्रवेश बिल के अंतर्गत अनेक बीजक और उत्पाद-विवरण छंटाई शामिल हैं। ये स्पष्टीकरण अमूर्त रूप में प्रशंसनीय हैं, किंतु वे लेन-देन-दर-लेन-देन यह नहीं बताते कि कौन-सी रिपोर्ट की गई बिक्रियां *** मी.टन के अंतर के लिए उत्तरदायी हैं। संभावित कारणों की सूची पुनर्मिलन नहीं है। आवश्यक सेतु रिपोर्ट किए गए बीजक को प्रेषण और सीमा शुल्क-निकासी सूचना से जोड़ता, गैर-पीयूसी प्रविष्टियों की पहचान करता, कट-ऑफ लेन-देनों को स्पष्ट करता और एक समर्थित पीयूसी ब्रह्मांड तक पहुंचता। वह सेतु अपूर्ण बना हुआ है।
344. संपूर्ण लेन-देन-वार डीजी सिस्टम्स डेटाबेस के अनुरोध पर भी पुनर्विचार किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए गए प्रकटन विवरण के अगोपनीय रूपांतर में डीजी सिस्टम्स में चिह्नित सटीक समग्र मात्रा, उस मात्रा और समूह द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा के बीच का सटीक संख्यात्मक अंतर, अथवा अंतर्निहित लेन-देन-वार सीमा शुल्क डेटाबेस प्रकट नहीं किया गया था। ये आंकड़े और अभिलेख आयातकों तथा अन्य वाणिज्यिक पक्षकारों से संबंधित गोपनीय सीमा शुल्क सूचना का भाग हैं और अतः लागू गोपनीयता ढांचे के तहत संरक्षित थे। नियम 16 विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के प्रकटन की अपेक्षा करता है; वह नियम 7 के तहत संरक्षित गोपनीय स्रोत अभिलेखों अथवा सटीक गोपनीय आंकड़ों के प्रकटन की अपेक्षा नहीं करता। प्रकटन विवरण में आवश्यक प्रतिकूल तथ्य प्रकट किया गया था, अर्थात् यह कि समूह का रिपोर्ट किया गया निर्यात ब्रह्मांड डीजी सिस्टम्स डेटा से पुनर्मिलित नहीं होता, कि संपूर्ण बीजक-वार पुनर्मिलन स्थापित नहीं किया गया था, और यह कि अनसुलझी विसंगति व्यक्तिगत निर्धारण के लिए प्रतिक्रिया की स्वीकृति को प्रभावित करती है। 28 जुलाई के पत्र में पहले ही उत्पादक-वार, निर्यातक-वार, व्यापारी-वार और चैनल-वार संपूर्ण पुनर्मिलन की अपेक्षा की गई थी, और समूह ने तत्पश्चात अपनी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। इस प्रकार समूह को इस चिंता की प्रकृति और प्रासंगिकता की सूचना तथा उत्तर देने का अवसर प्राप्त था, जबकि सीमा शुल्क डेटा की गोपनीयता संरक्षित रही। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स को केवल बाह्य प्रति-जांच के रूप में माना है और किसी अप्रकटित व्यक्तिगत सीमा शुल्क लेन-देन पर स्वतंत्र प्रतिकूल निष्कर्ष के रूप में भरोसा नहीं किया है; अंतिम उपचार संचयी रूप से उपर्युक्त जांच में चिह्नित अपुनर्मिलित और आंतरिक रूप से असंगत सूचना पर टिका है।
345. द्वितीय, डिगिशेग एचके ने परिशिष्ट 3ए में *** मी.टन की भारत-बिक्री रिपोर्ट की, जबकि व्यापारी व्यय और लाभप्रदता गणना केवल *** मी.टन को कवर करती है। अनाच्छादित *** मी.टन डिगिशेग एचके की रिपोर्ट की गई भारत-बिक्री का ***% है। यह सारभूत है क्योंकि किसी संबंधित व्यापारी द्वारा प्रथम असंबंधित भारतीय ग्राहक से ली गई कीमत को विश्वसनीय एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए व्यापारी के व्ययों तथा लाभ या हानि हेतु समायोजित किया जाना चाहिए। यदि व्यापारी के बिक्री ब्रह्मांड का कोई भाग लाभप्रदता गणना से बाहर है, तो संपूर्ण चैनल के लिए समायोजन सत्यापित नहीं किया जा सकता।
346. परिशिष्ट 3ए में बीजक तिथि और परिशिष्ट 5 में राजस्व मान्यता पर आधारित स्पष्टीकरण, अपने आप में, इस अंतर का समाधान नहीं करता। प्रश्नावली पीओआई लेन-देन ब्रह्मांड को वाणिज्यिक बीजक तिथि के आधार पर परिभाषित करती है। लेखांकन मान्यता वैध रूप से किसी अन्य अवधि में हो सकती है, किंतु तब उत्तरदाता को एक कट-ऑफ सेतु प्रस्तुत करना होगा जो यह दर्शाए कि बीजक-तिथि आधारित बिक्रियां पीओआई से पूर्व और पश्चात की बहियों से किस प्रकार पुनर्मिलित होती हैं। कोई पीओआई-पूर्व बीजक मात्र इसलिए पीओआई बीजक नहीं बन सकता कि उसकी सीमा शुल्क निकासी हुई अथवा उसे बाद में मान्यता दी गई, और कोई पीओआई बीजक मात्र इसलिए हटाया नहीं जा सकता कि राजस्व को पीओआई के पश्चात मान्यता दी गई। निकटवर्ती लेखांकन अवधियों तक अपेक्षित लेन-देन-वार सेतु संतोषजनक रूप से स्थापित नहीं किया गया है।

347. यह सुझाव कि व्यापारी व्यय और लाभ को केवल प्रति मी.टन औसत के रूप में लागू किया जा सकता है, अनुपस्थित ब्रह्मांड की पूर्ति नहीं करता। कोई औसत समायोजन तभी विश्वसनीय होता है जब अंतर्निहित अंश और हर उसी प्रतिनिधिक बिक्री समूह से संबंधित हों और यह दर्शाया जाए कि छोड़े गए लेन-देनों की व्यय तथा लाभप्रदता संबंधी विशेषताएं समान हैं। यहां वह आधार स्थापित नहीं किया गया है। किसी असत्यापित औसत को लागू करना पुनर्मिलन के स्थान पर एक अनुमान रख देगा और निर्यात कीमत को विकृत कर सकता है।
348. तृतीय, समूह के निर्यातों का महत्वपूर्ण भाग संबंधित व्यापारियों के माध्यम से गया। समूह का यह कथन कि ***% से अधिक निर्यात प्रत्यक्ष थे, और यह कि डिंगशेंग एचके लगभग ***% था, संबंधित-व्यापारी चैनल को महत्वहीन नहीं बनाता। समूह-व्यापी भारत मार्जिन को संपूर्ण स्वीकृत ब्रह्मांड को कवर करना चाहिए। उत्पादक-से-व्यापारी बिक्री, व्यापारी-से-असंबंधित-ग्राहक बिक्री, व्यापारी व्यय और व्यापारी लाभ या हानि को इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि कीमत को एक्स-फैक्टरी स्तर तक वापस अनुरेखित किया जा सके। अपूर्ण व्यापारी-लाभप्रदता ब्रह्मांड प्रभावित चैनल के लिए, और परिणामस्वरूप समेकित समूह निर्धारण के लिए, उस अभ्यास को रोकता है।
349. चतुर्थ, समेकित मास्टर विवरण उत्पादकों, व्यापारियों, ग्राहकों, मात्राओं और मूल्यों की प्रस्तुति के रूप में उपयोगी है, किंतु वह स्वतः अंतर्निहित अभिलेखों का पुनर्मिलन नहीं करता। समूह कहता है कि मास्टर विवरण मुख्यतः परिशिष्ट 3ए और 3बी से तैयार किया गया था। उन्हीं स्रोत प्रविष्टियों को एक नई तालिका में समेकित करना डीजी सिस्टम्स, व्यापारी-लाभप्रदता गणना अथवा लेखांकन कट-ऑफ के साथ पृथक अंतरों को स्पष्ट नहीं कर सकता। प्राधिकारी ने ऐसा सेतु अपेक्षित किया था जो प्रत्येक अंतर की उत्पत्ति और समाधान दर्शाए, न कि पूर्ववर्ती डेटा का मात्र पुनर्विन्यास।
350. पंचम, समूह द्वारा प्रस्तुत प्रमाणनों पर विचार किया गया है, किंतु कोई सामान्य प्रमाणन अंतर्निहित लेन-देन डेटा की असंगतियों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। प्रमाणन रिपोर्ट किए गए ब्रह्मांड को पीओआई के दौरान भारत को आयात अथवा निर्यात के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि समूह के स्पष्टीकरण बीजक तिथि, आयात-निकासी तिथि और लेखांकन-मान्यता तिथि के बीच बदलते रहते हैं। समय-अंतर तब आपत्तिजनक नहीं होते जब उनका पारदर्शी रूप से पुनर्मिलन किया जाए; वे तब सारभूत हो जाते हैं जब एक ही ब्रह्मांड को परिभाषित करने के लिए भिन्न-भिन्न समय-आधारों का उपयोग किसी सामान्य लेन-देन-स्तरीय सेतु के बिना किया जाए।
351. षष्ठ, संशोधित सूचना मूल प्रतिक्रिया से अंतिम डेटाबेस तक कोई संपूर्ण लेखापरीक्षा शृंखला प्रदान नहीं करती। सुधार अनुज्ञेय हैं और, जहां वास्तविक हों, स्वीकार किए जाने चाहिए। तथापि, किसी सारभूत संशोधन में मूल प्रविष्टि, संशोधित प्रविष्टि, परिवर्तन का कारण, सहायक स्रोत तथा मात्रा, मूल्य और समायोजन पर प्रभाव दर्शाया जाना चाहिए। समूह के दाखिले सभी सारभूत संशोधनों के लिए वह शृंखला प्रदान नहीं करते। अतः प्राधिकारी यह स्थापित करने में असमर्थ है कि अंतिम डेटाबेस मूल प्रतिक्रिया का संपूर्ण और सत्यापित उत्तराधिकारी है।
352. अवतरित-मूल्य की गणना एक अतिरिक्त कठिनाई प्रस्तुत करती है। एफओबी अथवा सीएफआर लेन-देनों के लिए सीआईएफ-समतुल्य समायोजन अपेक्षित हो सकता है, किंतु वह वास्तविक भाड़े और बीमा पर अथवा प्रदर्शनीय रूप से प्रतिनिधिक आवंटन पर आधारित होना चाहिए। भिन्न उत्पादकों, मार्गों, प्रेषण शर्तों और बिक्री चैनलों में फैले सीमित संख्या के सीआईएफ लेन-देनों से प्राप्त सामान्य कारकों के बारे में यह नहीं दर्शाया गया कि वे पर्याप्त एफओबी/सीएफआर ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। समूह की यह पेशकश कि प्राधिकारी कोई अन्य उचित पद्धति उपयोग कर सकता है, उत्तरदाता के अपने दावाकृत समायोजनों को सिद्ध करने के दायित्व को प्राधिकारी पर

अंतरित नहीं कर सकती। किसी सत्यापित साक्ष्य-आधार के बिना कोई वैकल्पिक उत्तरदाता-विशिष्ट पद्धति नहीं अपनाई जा सकती।

353. व्यक्तिगत सत्यापन बैठक का अभाव इस निष्कर्ष को अविधिमान्य नहीं करता। नियमावली किसी भौतिक बैठक को ऐसी सूचना की अस्वीकृति की पूर्ववर्ती शर्त नहीं बनाती जो अपुनर्मिलित बनी हुई है। समूह को लिखित पुनर्मिलन अनुरोध, अतिरिक्त समय, सारभूत चिंताओं का प्रकटन तथा स्पष्टीकरण और सहायक अभिलेख प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। कोई बैठक प्रतिक्रिया को स्पष्ट कर सकती थी, किंतु वह अनुपस्थित लेन-देन-स्तरीय सेतु और लेखापरीक्षा शृंखला का स्थान नहीं ले सकती थी।
354. प्राधिकारी ने यह भी जांचा कि क्या समस्याएं केवल डिंगशेंग एचके तक अथवा कुछ लेन-देनों तक सीमित की जा सकती हैं। तथापि, कमियां समूह के समग्र बिक्री डेटा को प्रभावित करती हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कुल बिक्री की पहचान कैसे की जाती है, बिक्री को संबंधित उत्पादकों और व्यापारियों के बीच कैसे विभाजित किया जाता है, और एक्स-फैक्टरी तथा अवतरित कीमतों की गणना कैसे की जाती है। जब तक संपूर्ण और सही बिक्री ब्रह्मांड पहले स्थापित न हो, प्राधिकारी विश्वसनीय रूप से वैध लेन-देनों को संदिग्ध लेन-देनों से पृथक् नहीं कर सकता। अतः डेटा के केवल चुनिंदा भागों को स्वीकार करने से विकृत परिणाम मिल सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं होगा कि वे भाग समूह की वास्तविक बिक्री के संपूर्ण अथवा प्रतिनिधिक हैं या नहीं।
355. समग्र रूप से देखने पर, कमियां सारभूत, परस्पर संबंधित और परिणाम-प्रासंगिक हैं। वे निवल निर्यात कीमत और अवतरित कीमत के संतोषजनक उत्पादक-वार, निर्यातक-वार तथा चैनल-वार निर्धारण को रोकती हैं। अतः यह प्रतिक्रिया नियम 23(3) के साथ पठित नियम 6(8) के तहत व्यक्तिगत निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं की जाती, और समूह का उपचार अवशिष्ट/गैर-सहयोगी श्रेणी में विश्वसनीय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह उपचार दंडात्मक नहीं है और मात्र डीजी सिस्टम्स के अंतर से उत्पन्न नहीं होता; यह समूह के अपने अंतिम डेटा से विश्वसनीय वर्तमान-समीक्षा मार्जिन की गणना करने में असमर्थता का आवश्यक परिणाम है।

यिनबैंग क्लैड मटेरियल कं., लि.: व्यक्तिगत मार्जिन का अनुरोध और उपलब्ध-तथ्य उपचार को चुनौती

356. प्राधिकारी ने यिनबैंग के इस अभिकथन पर पुनर्विचार किया है कि परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 3ए में भारत-बिक्री की मात्रा समान है और प्रकट किया गया एक अंतर लागत परिशिष्टों के बीच अनवधानतः हुए संबंध से उत्पन्न हुआ। प्राधिकारी इस विधिक बिंदु को भी स्वीकार करता है कि बाजार अर्थव्यवस्था के दावे के अभाव में, यिनबैंग की अपनी घरेलू लागत सामान्य मूल्य का निर्धारण उसी प्रकार नहीं करती जिस प्रकार किसी बाजार अर्थव्यवस्था उत्पादक की लागत करती है। तथापि, ये बिंदु इस प्रश्न का समाधान नहीं करते कि निवल निर्यात कीमत और अवतरित कीमत के लिए अपेक्षित निर्यात डेटाबेस संपूर्ण और लेखापरीक्षा योग्य है या नहीं।
357. *** मी.टन की लेन-देन-वार भारत-बिक्री मात्रा पीसीएन-वार लागत और व्यय अनुसूचियों में प्रयुक्त *** मी.टन से पुनर्मिलित नहीं होती, जिससे *** मी.टन, अथवा लगभग **%, अस्पष्टीकृत रह जाता है। उन अनुसूचियों से प्राप्त बिक्री मूल्य और पीसीएन आवंटन भी लेन-देन-वार विवरण से संतोषजनक रूप से नहीं जुड़ते। चूंकि पीसीएन आवंटन, मात्रा और मूल्य तुलना तथा निर्यात-कीमत समायोजनों को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं, अतः यह मात्र इसलिए महत्वहीन नहीं है कि सामान्य मूल्य किसी अन्य आधार पर निर्मित किया गया है।
358. लेन-देन विवरण में प्रयुक्त तिथि क्षेत्र प्रश्नावली में विहित वाणिज्यिक बीजक तिथि के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि वह पीओआई में समावेशन, विनिमय दर, ऋण अवधि और सीमा शुल्क अभिलेखों के साथ पुनर्मिलन निर्धारित

करता है। परीक्षित सहायक दस्तावेज कुछ अभिलेखों में आंतरिक अथवा लेखांकन तिथियों का उपयोग दर्शाते हैं, और ऋण-अवधि तथा ऋण-लागत क्षेत्र अपूर्ण हैं। पोत-परिवहन अथवा सीमा शुल्क-निकासी का समय डीजी सिस्टम्स के साथ किसी अंतर को केवल तभी स्पष्ट कर सकता है जब कोई बीजक-वार सेतु कट-ऑफ लेन-देनों की पहचान करे और अंतिम ब्रह्मांड को पीसीएन तथा समायोजन अनुसूचियों से जोड़े।

359. 10 अगस्त को दाखिल पीसीएन-वार निवल निर्यात और अवतरित कीमतें व्युत्पन्न परिणाम हैं; वे मात्राओं, तिथियों, पीसीएन आवंटन और समायोजनों में स्रोत-स्तरीय असंगति की पूर्ति नहीं करतीं। इसी प्रकार सामान्य प्रमाणन अंतर्निहित डेटा के पुनर्मिलन का स्थान नहीं ले सकते। यिनबैंग को इन विषयों पर स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया था, किंतु एक सुसंगत और सत्यापनीय भारत-बिक्री ब्रह्मांड स्थापित नहीं किया गया।

360. अतः कमियों पर संचयी रूप से विचार किया गया है, न कि पृथक लिपिकीय त्रुटियों के रूप में। चूंकि वे मूल लेन-देन ब्रह्मांड और व्यक्तिगत निर्धारण के लिए अपेक्षित सारभूत समायोजनों को प्रभावित करती हैं, अतः व्यक्तिगत मार्जिन का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है और नियम 23(3) के साथ पठित नियम 6(8) के तहत उपलब्ध-तथ्य उपचार बनाए रखा जाता है।

ऋणात्मक कीमत कटौती, ऋणात्मक क्षति मार्जिन और वर्तमान क्षति

361. प्राधिकारी स्वीकार करता है कि ऋणात्मक पीओआई कीमत कटौती और स्वीकृत सहयोगी निर्यातकों के ऋणात्मक क्षति मार्जिन सारभूत तथ्य हैं और उन्हें कमजोर अथवा उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। पीओआई के दौरान अवतरित कीमत घरेलू विक्रय कीमत से ऊपर थी, और ऋणात्मक क्षति मार्जिन वाले स्वीकृत सहयोगी चैनलों को मात्र इसलिए वर्तमान कीमत क्षति कारित करने वाला नहीं माना जा सकता कि किसी अन्य अथवा अवशिष्ट चैनल का मार्जिन धनात्मक है।

362. प्राधिकारी ने उत्पादन, बिक्री, क्षमता, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार को भी ध्यान में रखा है। ये संकेतक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की प्रचालनगत स्थिति में एकसमान रूप से गिरावट नहीं आई। साथ ही, अन्य संकेतक दुर्बल बने रहे: बिक्री लागत निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी, मालसूची बढ़ी, कर-पूर्व लाभ आधार वर्ष के स्तर का केवल एक छोटा अंश रह गया, और नियोजित पूंजी पर प्रत्याय लगभग ***% था, जो क्षतिरहित कीमत के लिए प्रयुक्त मानक से सारभूत रूप से नीचे है।

363. ये वित्तीय प्रवृत्तियां स्वतः संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराई जातीं। क्षमता विस्तार, पूंजी आधार का विस्तार, अन्य भारतीय उत्पादकों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा, गैर-संबद्ध आयातों की वृद्धि, उत्पाद मिश्रण और लागत में उतार-चढ़ाव लागत अवशोषण, कीमत और नियोजित पूंजी पर प्रत्याय को प्रभावित कर सकते हैं। उन कारकों को गैर-आरोपण विश्लेषण में पृथक रूप से मान्यता दी गई है।

364. अतः सही निष्कर्ष यह है कि वर्तमान क्षति की स्थिति मिश्रित है। उपाय का जारी रहना इस यांत्रिक निष्कर्ष पर आधारित नहीं है कि प्रत्येक वर्तमान आयात कीमत कटौती कर रहा है अथवा यह कि घरेलू उद्योग को प्रत्येक स्वीकृत निर्यातक द्वारा वर्तमान में क्षति हो रही है। पीओआई के साक्ष्य का उपयोग वर्तमान स्थिति और निर्यातक-विशिष्ट मार्जिनों को स्थापित करने के लिए किया गया है।

365. निर्णायक समीक्षा में पृथक सांविधिक प्रश्न यह है कि क्या समाप्ति से पाटित और क्षतिकारक आयातों के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है। यह कहना सही है कि भावी कीमत गिरावट को केवल मान नहीं लिया जा सकता।

संभावना संबंधी निष्कर्ष नीचे मुद्दा 17 के तहत परीक्षित भविष्योन्मुखी साक्ष्य पर टिका होना चाहिए और टिका है।

गैर-धनात्मक वर्तमान मार्जिन वाले सहयोगी निर्यातकों का उपचार और मौजूदा अवशिष्ट शुल्क का जारी रहना

366. प्राधिकारी ने उन सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के अंतिम पाटन और क्षति मार्जिनों की जांच की है जिनकी प्रतिक्रियाएं पूर्ण और सत्यापनीय पाई गईं। जहां ऐसे मार्जिन गैर-धनात्मक हैं, वहां प्राधिकारी उन निर्यातकों को पीओआई के दौरान पाटन करने वाला अथवा क्षति कारित करने वाला नहीं मानता। तथापि, वर्तमान कार्यवाही एक निर्णायक समीक्षा है। अतः वर्तमान मार्जिनों पर समग्र संभावना परीक्षा के भाग के रूप में विचार किया जाता है और वे, अपने आप में, जारी रखी जाने वाली शुल्क दर निर्धारित नहीं करते।
367. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान समीक्षा में पहली बार भाग लेने वाले सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को मूल जांच में व्यक्तिगत शुल्क दरें नहीं सौंपी गई थीं। उनके निर्यात संपूर्ण अवधि में मौजूदा अवशिष्ट दर के अधीन रहे हैं। संपूर्ण संभावना विश्लेषण के आधार पर मौजूदा उपाय को जारी रखने का निर्णय करने के पश्चात, प्राधिकारी यह नहीं मानता कि वर्तमान समीक्षा में मात्र इसलिए नई व्यक्तिगत अथवा शून्य दरों का सृजन अपेक्षित है कि इनमें से कुछ निर्यातकों के वर्तमान-अवधि मार्जिन गैर-धनात्मक हैं। उनके वर्तमान मार्जिनों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है, किंतु उनका मौजूदा शुल्क उपचार जारी रखा जाता है।
368. इस उपचार का यह अर्थ नहीं है कि ऐसे सहयोगी निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं अस्वीकार कर दी गई हैं अथवा उन्हें गैर-सहयोगी माना जा रहा है। उनके वर्तमान-अवधि डेटा को, जहां कहीं पूर्ण और सत्यापनीय पाया गया, स्वीकार किया गया है और पाटन, क्षति तथा संभावना की परीक्षा के लिए उपयोग किया गया है। अवशिष्ट दर का जारी रहना इस निर्णायक समीक्षा में मौजूदा शुल्क संरचना के जारी रहने संबंधी प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण को प्रतिबिंबित करता है, न कि उन निर्यातकों के विरुद्ध किसी प्रतिकूल अनुमान को।
369. डिंगशेंग, यिनबेंग तथा किसी अन्य ऐसे उत्पादक/निर्यातक पर, जिसकी प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं की गई है, भिन्न आधार लागू होता है। उनका उपचार उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है क्योंकि प्रस्तुत सूचना से विश्वसनीय व्यक्तिगत निर्धारण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, यद्यपि दोनों श्रेणियां अंततः उसी मौजूदा अवशिष्ट शुल्क प्रविष्टि के अंतर्गत आ सकती हैं, कारण भिन्न हैं: पहली बार सहयोग करने वाले स्वीकृत निर्यातक मौजूदा अवशिष्ट दर के अधीन इसलिए बने रहते हैं कि मौजूदा उपाय और शुल्क संरचना जारी रखी जा रही है; अस्वीकृत अथवा गैर-सहयोगी निर्यातक उस दर के अंतर्गत लागू उपलब्ध-तथ्य आधार पर आते हैं। अतः प्राधिकारी ने सहयोग स्थिति, वर्तमान-अवधि मार्जिन निर्धारण और निर्णायक समीक्षा में जारी रखे गए शुल्क उपचार के बीच स्पष्ट विभेद बनाए रखा है।

बाजार हिस्सेदारी, अन्य घरेलू उत्पादक, गैर-संबद्ध आयात और कारणात्मक संबंध

370. प्राधिकारी यह मानता है कि घरेलू उद्योग की बाजार-हिस्सेदारी की हानि और गिरावट को पूर्णतः संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्षति अवधि के दौरान, मांग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी घटी, जबकि गैर-संबद्ध आयात वार्षिकीकृत पीओआई आधार पर 34,205 मी.टन से बढ़कर 1,32,573 मी.टन हो गए और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री *** मी.टन से बढ़कर *** मी.टन हो गई। घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार ने, उच्चतर नियोजित पूंजी और स्थिर परिसंपत्तियों के साथ, मूल्यहास, स्थिर-लागत अवशोषण, लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रत्याय को भी स्वतंत्र रूप से प्रभावित किया हो सकता है। अतः इन कारकों को संबद्ध आयातों के प्रभाव से उपयुक्त रूप से पृथक किया गया है।

371. उपर्युक्त के बावजूद, संबद्ध आयात वार्षिकीकृत पीओआई आधार पर निरपेक्ष रूप से 1,51,878 मी.टन से बढ़कर 1,88,091 मी.टन हो गए और मौजूदा शुल्क के बावजूद पर्याप्त बाजार उपस्थिति बनाए रखते रहे। तदनुसार, जबकि चीन पीआर को पीओआई के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल संकेतक का एकमात्र कारण नहीं माना जाता, वर्तमान गैर-आरोपण विश्लेषण संभावित भविष्योन्मुखी परीक्षा से पृथक् बना रहता है।

पीओआई-पश्चात डेटा तथा जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

372. प्राधिकारी सहमत है कि पीओआई-पश्चात आयात डेटा किसी नई पाटन गणना अथवा क्षति निर्धारण का स्थान नहीं ले सकता। अतः उसका उपयोग केवल पीओआई के पश्चात बाजार दिशा के पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया गया है, जबकि चीन पीआर से संबंधित संरचनात्मक और उत्पाद-विशिष्ट संभावना साक्ष्य पर अधिक भार दिया गया है।
373. चूंकि पीओआई 18 माह की थी और पीओआई-पश्चात अवधि केवल 136 दिनों की, अतः तुलना मासिक और वार्षिकीकृत आधारों पर की गई है। संबद्ध आयात लगभग 1,88,090 मी.टन के वार्षिकीकृत पीओआई स्तर से बढ़कर 1,92,568 मी.टन हो गए, जबकि औसत मूल्यांकन योग्य मूल्य लगभग ₹***/मी.टन से घटकर ₹***/मी.टन रह गया। यह दर्शाता है कि आयात दबाव में सारभूत रूप से कमी नहीं आई, किंतु इसे पीओआई-पश्चात पाटन अथवा क्षति का स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं माना गया है।
374. संभावना का आकलन शुल्क के बावजूद संबद्ध आयातों की निरंतर पर्याप्त मात्रा, भारत को घटती निर्यात प्राप्ति, तथा लगभग 15 लाख मी.टन के अनुमानित चीनी अधिशेष से समर्थित है, जो सभी स्रोतों से भारत के लगभग 3,20,664 मी.टन के कुल वार्षिकीकृत पीओआई आयातों का 4.7 से अधिक है। ऐसे अधिशेष का सीमित पुनर्निर्देशन भी भारतीय मात्रा और कीमत स्थितियों को सारभूत रूप से प्रभावित कर सकता है।
375. चीन ने पीओआई के दौरान शीर्ष 7606 के अंतर्गत वैश्विक निर्यातों में लगभग 37% का योगदान भी किया और भारत में उसके स्थापित ग्राहक तथा वितरण चैनल हैं। उसका निर्यात अभिमुखीकरण, वैकल्पिक बाजारों में व्यापार-उपचारात्मक उपाय और बाजार-पहुंच संबंधी बाधाएं, तथा भारत का विस्तारित होता और तुलनात्मक रूप से आकर्षक बाजार, मिलकर शुल्क की समाप्ति की स्थिति में विपथन के जोखिम को बढ़ाते हैं।
376. प्राधिकारी ने तृतीय-देश उपायों और पूर्ववर्ती एल्युमीनियम-फॉयल अनुभव पर केवल सहायक संदर्भ के रूप में विचार किया है। सत्यापित मार्जिनों, निरंतर आयात उपस्थिति, कीमत प्रवृत्तियों, अधिशेष क्षमता, निर्यात अभिमुखीकरण, स्थापित भारतीय चैनलों, बाजार आकर्षण और विपथन जोखिम की समग्रता पर, उपाय की समाप्ति से संबद्ध देश से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

जांच की अवधि की लंबाई

377. नियम 5(3)(ii) सामान्यतः बारह माह की पीओआई का उपबंध करता है किंतु लिखित में दर्ज कारणों से छह से अठारह माह की अवधि की अनुमति देता है। 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की वर्तमान 18 माह की पीओआई जांच की शुरुआत के समय नियत की गई थी और सभी पक्षकारों पर एकसमान रूप से लागू की गई थी।
378. यह अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 के तुरंत पश्चात आती है, संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा उसके बाद के छह माह को कवर करती है, और जांच की शुरुआत से छह माह के भीतर समाप्त होती है। 1 अक्टूबर 2024 से बारह माह की पीओआई अप्रैल-सितंबर 2024 को पूर्ववर्ती वित्तीय-वर्ष डेटा और पीओआई दोनों से बाहर छोड़ देती। अतः अपनाई गई अवधि एक सतत और गैर-अतिव्यापी प्रवृत्ति शृंखला प्रदान करती है।

379. जहां कहीं बारह माह के वित्तीय वर्षों के साथ तुलना अपेक्षित थी, वहां पीओआई डेटा को वार्षिकीकृत किया गया है। सभी निर्यातक अधिसूचित अवधि के लिए डेटा प्रस्तुत करने में समर्थ थे। प्राधिकारी ने बीच के वर्षों, 2022-23 के पश्चात के सुधार, वार्षिकीकृत पीओआई और भविष्योन्मुखी साक्ष्य पर विचार किया है। पीओआई का चयन परिणाम को पूर्वनिर्धारित करने के लिए नहीं किया गया था।

क्षतिरहित कीमत: प्रकटन-पश्चात आपत्तियां

380. प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत संबंधी छह आपत्तियों पर पृथक रूप से पुनर्विचार किया है। क्षतिरहित कीमत बहीगत लागत का यांत्रिक पुनरुत्पादन नहीं है। परिशिष्ट III के तहत, असामान्य, असंबद्ध अथवा अकुशल तत्वों को अपवर्जित करने के पश्चात, केवल पीयूसी से आरोपणीय उचित और सत्यापित लागतों पर विचार किया जाता है।
381. वेतन, मजदूरी तथा कॉर्पोरेट/सामान्य व्ययों पर केवल उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक वे पीयूसी से आरोपणीय हैं और उपयुक्त तथा सत्यापित आवंटन कार्यप्रणाली के आधार पर हैं। कच्चे माल के अंतर-इकाई अंतरणों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ऐसे अंतरण उसकी बहियों में प्रचलित बाजार कीमत से ₹*** प्रति मी.टन की छूट घटाकर दर्ज किए जाते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग किसी औपचारिक आंतरिक मूल्य निर्धारण नीति के माध्यम से इस दावे को सिद्ध नहीं कर सका। तदनुसार, निर्धारण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने लेखा बहियों में दर्ज वास्तविक अंतरण मूल्य पर विचार किया है, जो जीएसटी के उद्ग्रहण का भी आधार बनता है, न कि किसी असमर्थित काल्पनिक अथवा समायोजित अंतरण मूल्य को अपनाया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के परिशिष्ट III के अनुसार, सत्यापित अभिलेखों के आधार पर तथा प्राधिकारी की स्थापित कार्यप्रणाली और पूर्व प्रथा के अनुरूप किया गया है।
382. कच्चे माल के उपयोग और स्क्रेप वसूली को सत्यापित खपत पर सामान्यीकृत किया गया है ताकि न तो असामान्य अकुशलता और न ही कोई अवास्तविक सर्वोत्तम परिणाम क्षतिरहित कीमत को विकृत करे। प्रशासनिक ऊपरिव्ययों का आवंटन संबंधित लागत के अनुरूप हर का उपयोग करके किया गया है। नवीन चालू किए गए आदित्य संयंत्र को भी, रैंप-अप अवधि को ध्यान में रखते हुए, प्रतिनिधिक मासिक प्राप्य उपयोग पर सामान्यीकृत किया गया है, ताकि प्रारंभिक अकुशलता का प्रभाव समाप्त किया जा सके।
383. इसके परिणामस्वरूप हुए सभी निर्धारण अंतिम क्षतिरहित कीमत और क्षति-मार्जिन गणनाओं में प्रतिबिंबित किए गए हैं।

सार्वजनिक हित और डाउनस्ट्रीम प्रभाव

384. प्राधिकारी विशिष्ट ऊष्मा-विनिमयक अनुप्रयोगों सहित एक औद्योगिक आदान के रूप में एफआरपी के महत्व को मान्यता देता है। सार्वजनिक हित पाटन, क्षति और संभावना की सांविधिक परीक्षा का स्थान नहीं लेता, किंतु यह अपेक्षा करता है कि कोई भी उपाय उपयोगकर्ताओं पर अनावश्यक बोझ डाले बिना अनुचित व्यापार का समाधान करे।
385. अभिलेख मौजूदा शुल्क के कारण किसी सामान्य कमी को स्थापित नहीं करता। संबद्ध आयात पर्याप्त मात्राओं में जारी रहे, गैर-संबद्ध देशों से आयात बढ़े, तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री और क्षमता का विस्तार हुआ। अतः उपयोगकर्ताओं के पास शुल्क के भुगतान पर चीनी आयातों, अन्य देशों से आयातों और घरेलू आपूर्ति तक निरंतर पहुंच है। उत्पाद-विशिष्ट आपूर्ति संबंधी मुद्दों को अर्थव्यवस्था-व्यापी कमी का साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

386. जहां विशिष्ट अनुपलब्धता स्थापित हुई, वहां प्राधिकारी ने उसका प्रत्यक्ष समाधान किया है। विनिर्दिष्ट एच24 ट्यूब सामग्रियां और सटीक रूप से परिभाषित 4343/3003-एच24 फिन स्ट्रिप पात्र वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए, अंतिम-उपयोग रक्षोपायों के अधीन, अपवर्जित की गई हैं। इससे उन संकीर्ण रूप से पहचाने गए उत्पादों से शुल्क हट जाता है जिनके लिए कोई विनिमेय घरेलू समकक्ष दर्शाया नहीं गया है, जबकि प्रतिस्पर्धी उत्पादों के लिए संरक्षण बना रहता है।
387. 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन के उच्चतम अवशिष्ट शुल्क पर आधारित प्रभाव आकलन, दृष्टांतगत प्रेशर-कुकर मामले में 2.8% को छोड़कर, पहचाने गए डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों के लिए 1% से नीचे भार दर्शाता है। किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने सारभूत रूप से अधिक सामान्य बोझ दर्शाने वाली कोई सिद्ध उत्पाद-वार गणना प्रस्तुत नहीं की है।
388. यह उपाय पहले ही लगभग पांच वर्षों से लागू है, जिसके दौरान मांग, आयात और घरेलू उत्पादन का विस्तार हुआ। यह आयातों को प्रतिषिद्ध नहीं करता। इन परिस्थितियों में, लक्षित वास्तविक-उपयोगकर्ता अपवर्जनों के साथ उपाय का जारी रहना डाउनस्ट्रीम उद्योग पर अनुपातहीन बोझ डालने वाला अथवा सार्वजनिक हित के विपरीत दर्शाया नहीं गया है।

नामों और लिपिकीय विवरणों में सुधार

389. ग्रेंजेस, हुआफोंग, आर्कोनिक और अलचा के सत्यापित विधिक नामों में अनुरोधित सुधार लिपिकीय हैं और सारभूत निर्धारण को प्रभावित नहीं करते। अंतिम निष्कर्षों और शुल्क तालिका में सत्यापित नामों का उपयोग किया जाएगा। सहायक उत्पादक का नाम भी “इनाल्को अलॉयज लिमिटेड” से सुधारकर “इनाल्को प्राइवेट लिमिटेड” किया जाएगा।

प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के पश्चात समग्र स्थिति

390. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर पुनर्विचार के पश्चात, प्राधिकारी 80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम की रंग-लेपित कॉइल, विनिर्दिष्ट एच24 क्लैड ट्यूब-सामग्री तथा परिभाषित 4343/3003-एच24 क्लैड फिन स्ट्रिप के अपवर्जन की पुष्टि करता है। व्यापक एसीपी, क्लैड/गैर-क्लैड ऊष्मा-विनिमयक तथा 1950 मिमी से अधिक संबंधी अपवर्जन अनुरोध अस्वीकार किए जाते हैं। सत्यापित और प्रशासनीय कोटा आधार के अभाव में टीआरक्यू का अनुरोध भी अस्वीकार किया जाता है।
391. निर्मित सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत को उनकी संबंधित विधिक कार्यप्रणालियों के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है। सभी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक समूहों की वर्तमान-अवधि सूचना की जांच की गई है और उसे पाटन, क्षति तथा संभावना विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है। तथापि, चूंकि वर्तमान कार्यवाही मौजूदा उपाय के जारी रहने से संबंधित एक निर्णायक समीक्षा है, अतः प्राधिकारी केवल वर्तमान पीओआई के आधार पर नई उत्पादक-विशिष्ट शुल्क दरों का सृजन उपयुक्त नहीं मानता। तदनुसार, ऐसे सभी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक मौजूदा अवशिष्ट शुल्क उपचार द्वारा शासित होते रहेंगे। डिंशेंग और यिनबैंग के मामले में, वही अवशिष्ट उपचार अतिरिक्त रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं की कमियों से भी उद्भूत होता है, जो विश्वसनीय व्यक्तिगत निर्धारण को रोकती हैं।
392. अंतिम क्षति और संभावना विश्लेषण में सभी प्रासंगिक वर्तमान तथा भविष्योन्मुखी कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिनमें ऋणात्मक पीओआई कीमत कटौती, सहयोगी निर्यातकों के वर्तमान पाटन और क्षति संबंधी परिणाम,

मांग में वृद्धि, अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा, गैर-संबद्ध आयात, क्षमता विस्तार, चीन पीआर में उपलब्ध और अधिशेष क्षमताएं, निर्यात अभिमुखीकरण तथा भारतीय बाजार का निरंतर आकर्षण शामिल हैं। अतः मौजूदा शुल्क जारी रखने की सिफारिश वर्तमान क्षति के किसी यांत्रिक निष्कर्ष अथवा किसी व्यक्तिगत निर्यातक के वर्तमान मार्जिन पर आधारित नहीं है। यह प्राधिकारी के इस समग्र भविष्योन्मुखी निष्कर्ष पर आधारित है कि उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है। तदनुसार, इन अंतिम निष्कर्षों में निर्धारित उत्पाद-विशिष्ट अपवर्जनों के अधीन, सभी उत्पादक/निर्यातकों के लिए मौजूदा अवशिष्ट शुल्क संरचना जारी रखी जाती है।

ठ निष्कर्ष

393. उपर्युक्त रूप से अभिलिखित उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना, किए गए अभिकथनों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि:-
- क. विचाराधीन उत्पाद चीन पीआर के मूल का अथवा वहां से निर्यातित “कतिपय फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पाद” है, जो इन अंतिम निष्कर्षों में निर्धारित अपवर्जनों के अधीन है। अपवर्जनों में 80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम की रंग-लेपित कॉइल, विनिर्दिष्ट एच24 क्लैड ट्यूब सामग्रियां और परिभाषित 4343/3003-एच24 क्लैड फिन स्ट्रिप शामिल हैं।
- ख. आवेदन हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है, जो नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है।
- ग. पाटन और क्षति मार्जिन
- i. उन सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की वर्तमान-अवधि सूचना की जांच की गई है जिनकी प्रतिक्रियाएं पूर्ण और सत्यापनीय पाई गईं। कुछ सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के पाटन मार्जिन धनात्मक हैं और अन्य के गैर-धनात्मक, जबकि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन ऋणात्मक हैं।
- ii. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित अवशिष्ट पाटन और क्षति मार्जिन धनात्मक हैं। डिंगशेंग और यिनबेंग का उपचार उपलब्ध तथ्यों पर किया गया है क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाओं की कमियों ने विश्वसनीय व्यक्तिगत निर्धारण की अनुमति नहीं दी।
- घ. घरेलू उद्योग की स्थिति और गैर-आरोपण
- i. क्षति अवधि के दौरान मांग में सारभूत वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने उत्पादन, घरेलू बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भी सुधार दर्ज किया, तथा पीओआई के दौरान कीमत कटौती ऋणात्मक रही।
- ii. साथ ही, संबद्ध आयात निरपेक्ष रूप से बढ़े; घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत में वृद्धि उसकी बिक्री लागत में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख सकी; मालसूची बढ़ी; और लाभप्रदता आधार वर्ष के स्तर से सारभूत रूप से नीचे बनी रही। पीओआई के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रत्याय लगभग 3% था।
- iii. प्राधिकारी ने गैर-संबद्ध आयातों में वृद्धि, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री तथा बाजार उपस्थिति के विस्तार, और स्वयं घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार के प्रभाव पर पृथक रूप से विचार किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के निष्पादन में संपूर्ण गिरावट को संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।
- ड. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना
- i. मौजूदा शुल्क के बावजूद संबद्ध आयात पर्याप्त बने रहे। भारत को निर्यात प्राप्तियां घटीं, जबकि पीओआई-पश्चात आयात कुछ उच्चतर वार्षिकीकृत दर पर और न्यूनतर औसत मूल्यांकन योग्य मूल्य पर जारी रहे।

- ii. चीन पीआर के पास एफआरपी की पर्याप्त अधिशेष उत्पादन क्षमता और महत्वपूर्ण निर्यात अभिमुखीकरण है। चीनी निर्यातकों के भारत में स्थापित वाणिज्यिक चैनल हैं, जबकि भारत एक बड़ा, बढ़ता हुआ और तुलनात्मक रूप से आकर्षक बाजार बना हुआ है। कतिपय अन्य प्रमुख बाजारों में बाजार-पहुंच संबंधी बाधाएं भारत की ओर निर्यातों के विपथन की संभावना को और बढ़ाती हैं।
- iii. ये कारक, समग्र रूप से, यह स्थापित करते हैं कि मौजूदा उपाय की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।
- च. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का उपचार
 - i. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की वर्तमान-अवधि पाटन और क्षति गणनाओं की पूर्ण रूप से जांच की गई है और उन्हें वर्तमान समीक्षा में पाटन, क्षति तथा संभावना के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है।
 - ii. तथापि, प्राधिकारी वर्तमान-अवधि मार्जिनों को, अपने आप में, इस निर्णायक समीक्षा में नई अथवा उपांतरित उत्पादक-विशिष्ट शुल्क दरों के सृजन की अपेक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं मानता। चूंकि उपाय का जारी रहना नियम 23 के साथ पठित धारा 9क(5) के तहत समग्र संभावना निर्धारण पर आधारित है, अतः उत्पादक/निर्यातक 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की अवशिष्ट दर द्वारा शासित होंगे, जैसा कि अंतिम शुल्क सिफारिश में प्रतिबिंबित है।
 - iii. इस उपचार का यह अर्थ नहीं है कि उन सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं अस्वीकृत अथवा अस्वीकार की गई हैं जिनकी सूचना अन्यथा पूर्ण और सत्यापनीय पाई गई है। डिंगशेंग और यिनबेंग के मामले में, अवशिष्ट उपचार अतिरिक्त रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं की कमियों और उपलब्ध तथ्यों के परिणामी अनुप्रयोग से उद्भूत होता है।
- छ. भारतीय उद्योग का हित और सार्वजनिक हित
 - i. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध वस्तुओं की किसी सामान्य कमी को स्थापित नहीं करता। चीन पीआर से आयात जारी रहे हैं, गैर-संबद्ध देशों से आयात बढ़े हैं, और घरेलू आपूर्ति आधार का विस्तार हुआ है।
 - ii. उच्चतम अवशिष्ट शुल्क 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन के परिमाणित प्रभाव का भार प्रेशर-कुकर मामले को छोड़कर पहचाने गए डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों के लिए 1% से कम है। अभिलेख पर स्थापित विशिष्ट उत्पाद-उपलब्धता संबंधी चिंताओं का समाधान संकीर्ण रूप से परिभाषित अपवर्जनों के माध्यम से किया गया है।
 - iii. अतः उपाय का जारी रहना डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं पर अनुपातहीन बोझ डालने वाला दर्शाया नहीं गया है।
- ज. समग्र निष्कर्ष
 - i. संपूर्ण जांच के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।
 - ii. अतः प्राधिकारी वर्तमान मामले में पाटनरोधी उपाय का जारी रहना आवश्यक मानता है। यह निष्कर्ष संचयी और भविष्योन्मुखी संभावना विश्लेषण पर आधारित है, न कि मात्र वर्तमान क्षति, वर्तमान कीमत कटौती अथवा किसी व्यक्तिगत उत्पादक/निर्यातक के वर्तमान मार्जिन पर।

ड सिफारिशें

- 394. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई, तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध

के पहलुओं पर तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना पर भी सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान मामले में मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का जारी रहना अपेक्षित है।

395. यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि पाटनरोधी शुल्क के निरंतर आरोपण की आवश्यकता है, क्योंकि पाटनरोधी उपाय को समाप्त होने दिए जाने पर पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है, प्राधिकारी यह मानता है कि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन अपेक्षित नहीं है, यह ध्यान में रखते हुए कि शुल्क को पाटन और क्षति की संभावना के आधार पर बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।
396. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकारी 6 दिसंबर 2021 की अधिसूचना संख्या 68/2021-कस्टम्स (एडीडी) द्वारा लगाए गए, चीन पीआर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने की सिफारिश करना उपयुक्त और आवश्यक मानता है, जो इन अंतिम निष्कर्षों में विनिर्दिष्ट उत्पाद अपवर्जनों के अधीन होगा। जिन सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की प्रतिक्रियाएं स्वीकार की गई हैं, उनके वर्तमान-अवधि पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं तथा वर्तमान समीक्षा में विधिवत विचार किए गए हैं। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपाय के जारी रहने की सिफारिश पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर की जा रही है, प्राधिकारी वर्तमान-अवधि मार्जिनों के आधार पर नई अथवा उपांतरित उत्पादक-विशिष्ट शुल्क दरों का सृजन उपयुक्त नहीं मानता। तदनुसार, ऐसे उत्पादक/निर्यातक 449 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की अवशिष्ट दर द्वारा कवर किए जाएंगे। इस उपचार का यह अर्थ नहीं है कि ऐसे सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को गैर-सहयोगी माना जा रहा है। डिंगशेंग समूह और यिनबेंग क्लैड मटेरियल कं., लि. के मामले में, जिनकी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं इन अंतिम निष्कर्षों में दर्ज कारणों से स्वीकार नहीं की गई हैं, तथा चीन पीआर के अन्य सभी गैर-भागीदार या गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में, अवशिष्ट दर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लागू होगी। यह किसी पात्र उत्पादक/निर्यातक को नियमावली के लागू प्रावधानों के तहत उपलब्ध किसी अनुतोष अथवा समीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।
397. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी चीन पीआर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने की सिफारिश करता है, जो इन अंतिम निष्कर्षों में विनिर्दिष्ट अपवर्जनों के अधीन होगा। शुल्क केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होने और आगामी **पांच (5) वर्षों** की अवधि के लिए लागू रहने की सिफारिश की जाती है, जब तक कि विधि के अनुसार उसे पहले प्रतिसंहत, अधिक्रांत अथवा संशोधित न कर दिया जाए।

शुल्क तालिका

क्रम संख्या	शीर्ष	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	मात्रक	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7606 और 7607	कुछ फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पाद*	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	आर्कोनिक (कुनशान) एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स कं., लि.	शून्य	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	ग्रेंजेस एल्युमीनियम (शंघाई) कं., लि.	शून्य	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से 2 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	449	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन पीआर के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन पीआर	कोई भी उत्पादक	449	मी.टन	अमेरिकी डॉलर

*विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित उत्पाद अपवर्जित हैं:

- कैन-बॉडी स्टॉक – इसमें एल्युमीनियम कैन बनाने के लिए प्रयुक्त कैन एंड स्टॉक (सीईएस) भी शामिल है;
- 80 माइक्रोन तक की एल्युमीनियम फॉयल;
- 5 से 80 माइक्रोन तक की संगत नॉन-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल सहित क्लैड;
- 1150 मिमी से अधिक चौड़ाई वाली लिथोग्रेड एल्युमीनियम कॉइल;
- 80 माइक्रोन से अधिक किंतु 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली रंग-लेपित कॉइल और;
- क्लैड का निम्नलिखित ग्रेड, अर्थात् "कॉइल स्वरूप में क्लैड एल्युमीनियम ट्यूब सामग्री, जिसमें एए3003 मॉडिफाइड अथवा एए3005 मिश्रधातु का कोर हो, जो एए4343 एल्युमीनियम-सिलिकॉन ब्रेजिंग क्लैड परत तथा एए7072 बलिदायी क्लैड परत के साथ धातुकर्मिक रूप से आवद्ध हो, और जो या तो (i) एच24 टेम्पर में 0.20 मिमी से 0.25 मिमी तक की मोटाई, दोनों सम्मिलित, फोल्डेड अथवा बी-टाइप रेडिएटर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए; अथवा (ii) एच24 टेम्पर में 0.265 मिमी से 0.35 मिमी और 0.40 मिमी से 0.45 मिमी तक की मोटाई, दोनों सम्मिलित, वेल्डेड रेडिएटर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए, के अनुरूप हो"; तथा वायु-शीतित कंडेंसर और औद्योगिक शुष्क-शीतलन उद्योग में प्रयुक्त एच24 उत्पाद, अर्थात् एए4343/एए3003-एच24 मिश्रधातु की क्लैड एल्युमीनियम फिन स्ट्रिप, जिसकी मोटाई 0.23 मिमी से 0.30 मिमी तक हो, दोनों सम्मिलित, चौड़ाई 200 मिमी

हो और मोटाई सह्यता ± 0.0075 मिमी हो, जो वायु-शीतित कंडेंसरों और औद्योगिक शुष्क-शीतलन प्रणालियों के लिए फिन ट्यूबों के विनिर्माण में उपयोग हेतु हो। यह अपवर्जन नीचे दी गई टिप्पणी 1 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने वाली वास्तविक-प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा। वास्तविक-प्रयोक्ता शर्त को सीमा शुल्क द्वारा सीमा शुल्क पोर्ट पर माल की निकासी के समय सीमा शुल्क (रियायती दर पर शुल्क अथवा विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 का पालन करते हुए लागू किया जाएगा।

टिप्पणी 1: (i) सुसंगत उत्पाद विवरण वाला वाणिज्यिक बीजक और क्रय आदेश; (ii) लागू ग्राहक अथवा ओईएम विनिर्देश या रेखांकन द्वारा समर्थित अंतिम-उपयोग प्रमाणपत्र; और (iii) संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष विधिक रूप से प्रवर्तनीय वचनबंध कि माल का उपभोग आयातक की अपनी विनिर्माण सुविधा में घोषित ट्यूब अथवा ऊष्मा-विनिमयक अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा और उसे बेचा, अंतरित अथवा विपणित नहीं किया जाएगा। व्यापारियों के माध्यम से किए गए आयात, पुनर्विक्रय के लिए आयात, भिन्न मिश्रधातु संयोजन, परत विन्यास, मोटाई, टेम्पर अथवा अंतिम उपयोग वाले उत्पाद, तथा दस्तावेजी शर्तों को पूरा न करने वाली खेपें अन्यथा लागू पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहेंगी।

टिप्पणी 2: उपर्युक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के किसी पदाधिकारी द्वारा, उसके नाम और पदनाम सहित, दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा निम्नलिखित रूप में अंकित हो:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु बेची गई (संबद्ध उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।” यदि ऐसा बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

ढ आगे की प्रक्रिया

398. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

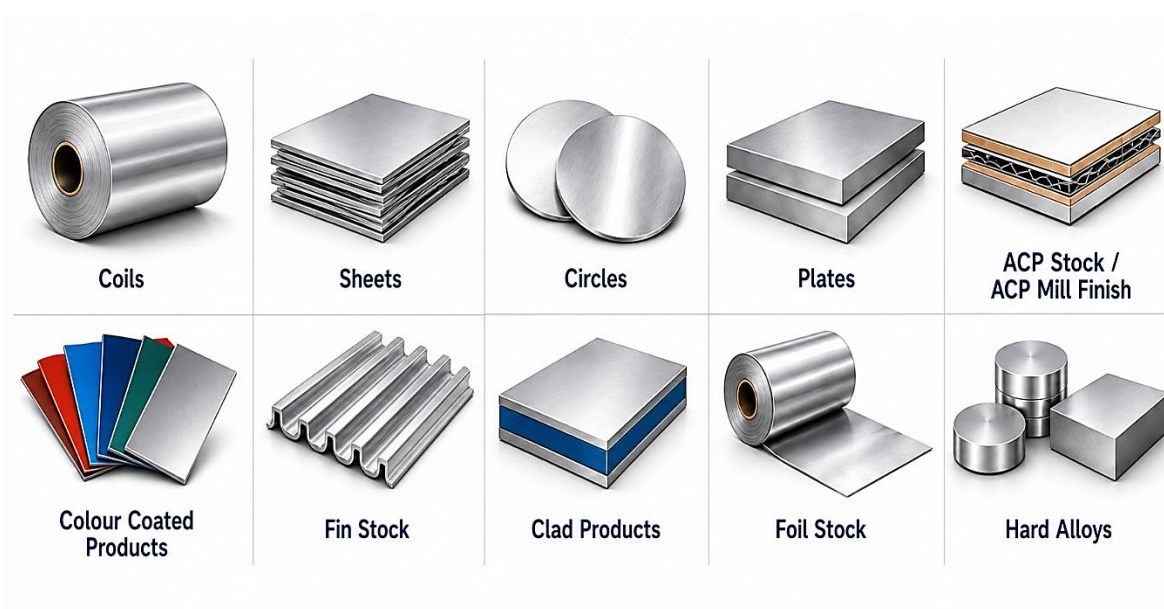
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 3rd September, 2026

Case No. AD (SSR) - 07/2026

SETU ID - AD/SSR/007/2026

Sunset Review investigation of anti-dumping duties on imports of “Certain Flat Rolled Aluminium Products” originating in or exported from China PR.



Pictographic presentation of Certain Flat Rolled Aluminium Products

F. No. 7/11/2026-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”);

A. Background of the Case

2. Whereas, the original anti-dumping investigation concerning imports of “Certain Flat Rolled Aluminium Products” from China PR was initiated by the Authority vide Notification No. 6/27/2020-DGTR dated 8th September 2020. The Authority issued its final findings vide Notification No. 6/27/2020-DGTR dated 7th September 2021, recommending the imposition of anti-dumping duties on imports of the subject goods from China PR for a period of five years.
3. And whereas, the Central Government, vide Notification No. 68/2021-Customs (ADD) dated 6th December, 2021 imposed the anti-dumping duties as recommended by the Authority for a period of five years. The duties are in force until 5th December, 2026. The duty table notified therein is as under:

S. No.	Country	Producer	Duty (USD/MT)
1.	China PR	Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd. / Inner Mongolia Liansheng New Energy Material Co. Ltd.	65
2.	China PR	Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co., Ltd.	NIL
3.	China PR	Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd.	NIL
4.	China PR	All Others	449

4. And whereas, Hindalco Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry” or “Hindalco”) filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on 31st January, 2026 in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review investigation of the anti-dumping duties in force on imports of “Certain Flat Rolled Aluminium Products” (hereinafter also referred to as the “product under consideration”, “PUC” or the “subject goods”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”), alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of expiry of the duties in force.
5. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 7/11/2026-DGTR dated 20th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the present sunset review investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, to examine whether the expiry of the duties in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. Procedure

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

6.1. *Initiation*

- i. In accordance with Rule 6, upon examination of the application and finding prima facie evidence of dumping, injury, likelihood and causal link, the Authority issued an initiation notification dated 20th March, 2026, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject countries.
- ii. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the government of the subject country was notified through their embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
- iii. In accordance with Rule 6(2), the interested parties were informed of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

6.2. *Period of investigation and injury period*

- i. The period of investigation (“POI”) for the purpose of the present investigation is 1st April 2024 to 30th September 2025 (18 months). The examination of trends in the context of the injury analysis covered the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the POI. Wherever appropriate, the data for the POI has also been annualised to a period of twelve months and is referred to in this Final Findings as “POI (A)”.

6.3. *Import data*

- i. A request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume and value of imports and the required analysis, after due examination of the transactions.

6.4. *Circulation of non-confidential version of the application*

- i. In accordance with Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was provided to the government of the subject country through their embassy in India, known producers/exporters of the subject goods and to other interested parties who requested in writing a copy of the application.

6.5. *Determination of the scope of the product under consideration and PCN methodology*

- i. Interested parties were granted an opportunity to comment on the scope of the product under consideration and the proposed PCN methodology. The time for comments was extended up to 11th April 2026. After considering comments received, the Authority issued the finalised PUC/PCN methodology on 13th May 2026 and directed parties to file questionnaire responses in accordance with that methodology by 28th May, 2026.

6.6. Participation by producers/exporters of the subject country

- i. The Authority sent the exporter's questionnaire to the known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire responses:
 - i. Xiamen Shengmao Co. Ltd.
 - ii. Hang Yue Tong Company Limited
 - iii. Dingsheng Aluminium Industries
 - iv. Xiashun Holdings Limited
 - v. Luoyang Longding Aluminium
 - vi. Henan Mingtai Aluminium Industry Company Limited
 - vii. Jiangsu Alcha Aluminium Group Co. Ltd.;
 - viii. Jiangsu Dingsheng New Materials Joint Stock Co. Ltd.;
 - ix. Hangzhou Dingsheng Import and Export Co. Ltd.;
 - x. Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Co. Ltd.;
 - xi. Inner Mongolia Liansheng New Energy Material Co. Ltd.;
 - xii. Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co. Ltd.;
 - xiii. Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd.
- ii. Exporter's Questionnaires were also sent to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country were requested to forward the Initiation Notification and the exporter's questionnaires to the producers/exporters of the subject goods in their respective country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- iii. In response to the above, the following producers/exporters from the subject country have responded and filed the exporter's questionnaire response:
 - i. Nantong Hengjin Composite Material Co. Ltd.;
 - ii. Alcha Shanghai International Trading Co. Ltd.;
 - iii. Alcha International Holdings Limited;
 - iv. Jiangsu Dingsheng New Materials Joint Stock Co. Ltd.;
 - v. Inner Mongolia Liansheng New Energy Material Co. Ltd.;
 - vi. Hangzhou Dingsheng Import and Export Co. Ltd.;
 - vii. Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Co. Ltd.;
 - viii. Jiangsu Alcha Aluminium Group Co. Ltd.;
 - ix. Yinbang Clad Material Co. Ltd.;
 - x. Huafo Aluminium Co. Ltd.;
 - xi. Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co., Ltd.;
 - xii. Shanghai Huafo Aluminium Trading Company;
 - xiii. Shanghai Huafo Aluminium Corporation;
 - xiv. Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd.

6.7. Participation by importers/users

- i. The Authority sent the importer's and user's questionnaire to the known importers and users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules. The following importers, users and associations of users have participated in the present investigation and have made submissions:
 - i. Technova Imaging Systems Pvt Ltd
 - ii. Skm Steel Limited
 - iii. Jindal (India) Limited
 - iv. Banco Products Ltd
 - v. Greenberry Foils India Limited
 - vi. Tata Toyo Radiator Ltd
 - vii. Amber Enterprises India Limited
 - viii. Alkraft Thermotechnologies Pvt. Ltd.
 - ix. Raviraj Foils Limited
 - x. Indomax Industries
 - xi. Aludecor Lamination Private Limited
 - xii. Mahle Anand Thermal Systems Pvt. Ltd.
 - xiii. Shree Venkateshwara Electrocast Privat
 - xiv. Hanon Automotive Systems India Pvt Ltd
 - xv. Aluminium Association of India
 - xvi. Aluminium Secondary Manufacturers Association
 - xvii. Automotive Component Manufacturers Association of India
 - xviii. All India Pressure Cooker Manufacturers Welfare Association
 - xix. Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association
 - xx. Packaging Industry Association of India
 - xxi. ACP Manufacturers Association
- ii. In response to the above, the following importers/users from India have responded and filed importer/user questionnaire response:
 - i. Unistone Panels Private Limited;
 - ii. Banco Products India Limited;
 - iii. MAHLE ANAND Thermal Systems Private Limited;
 - iv. Tata Toyo Radiator Ltd.;
 - v. Paharpur Cooling Towers Limited.

6.8. Registered interested parties

- i. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website of the Directorate vide communication dated 5th June, 2026. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

6.9. Economic interest questionnaire

- i. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassy of the subject country, all known exporters/producers, importers/users, the domestic industry as well as

other known producers in India, in order to allow all stakeholders to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of the continuation of anti-dumping duties on their operations. Responses to the Economic Interest Questionnaire were received from the domestic industry and some interested parties.

6.10. Oral hearing and post-hearing submissions

- i. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 28th July 2026. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally by 3rd August 2026, followed by rejoinder submissions by 10th August 2026. Written submissions and rejoinder submissions were duly filed by the domestic industry and by the participating producers, exporters, importers, users and associations of users, and have been considered by the Authority in these final findings to the extent found relevant.

6.11. Other Procedures

- i. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present final findings, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary. Verification of the data of the domestic industry and participating producers and exporters was carried out during the course of verification. They furnished the required documents pursuant to such verification.
- ii. The non-injurious price (“NIP”) based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- iii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- iv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided, necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative

- and recorded the views/observations on the basis of the facts available in accordance with Rule 6(8) of the Rules.
- v. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
 - vi. A disclosure statement dated 24.08.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final findings.
 - vii. ‘****’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - viii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is **1 US\$ = ₹ 86.**

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. The product under consideration in the present sunset review investigation, as defined in the initiation notification dated 20th March 2026 and as confirmed vide notification dated 13th May 2026, was as follows:

“The product under consideration is ‘Flat Rolled Products of Aluminium’ (‘FRP’). FRP is made in the form of Aluminium Rolled Coils, or Aluminium Rolled Sheets of various dimensions. The product scope includes all product forms and shapes of the products, inter alia, Coil, Sheets, Circles, Plates, etc., with patterns including mill finished or coated products. The scope of PUC includes products of all dimensions, diameters, thickness, widths, alloys, finish etc., excluding:

 - i. Can-body Stock - also including Can End Stock (CES) used to make aluminium cans;*
 - ii. Aluminium Foil up to 80 microns (It is clarified that ‘Aluminium composite panel stock’ or ‘ACP mill finish’ and Clad with compatible non-clad Aluminium Foil are included in the scope of this investigation); and*
 - iii. Lithograde Aluminium Coils of width above 1150 mm.”*
8. For the purpose of the sunset review investigations, the above initiation-stage description is to be read with the operative orders of the Hon'ble High Court of Delhi, and the additional product exclusions finalised in the examination below, including colour coated coils having thickness above 80 microns but below 120 microns and the specified Clad aluminium tube materials.
9. The product under consideration is classified under Chapter 76 of Schedule I to the Customs Tariff Act, under tariff headings 7606 and 7607. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C.1 Views of the other interested parties

10. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration, the like article and the PCN methodology. The submissions have been set out issue-wise below:

(i) *The scope of the product under consideration must give effect to the orders of the Hon'ble CESTAT as modified by the Hon'ble High Court of Delhi*

11. TATA Toyo Radiator Limited ("TTRL"), Mahle Anand Thermal Systems Private Limited ("Mahle Anand"), Paharpur Cooling Towers Limited ("Paharpur"), the Hengjin/ACP group of interested parties and the Huaфон Group have submitted that the scope of the measure under review is governed not by the final findings dated 7th September 2021 alone, but by the appellate orders passed thereafter. The Hon'ble CESTAT, vide its final orders dated 13th April 2023, excluded 'colour coated coils' and 'clad with compatible non-clad aluminium foil' from the scope of the product under consideration and directed modification of Notification No. 68/2021-Customs (ADD) accordingly.
12. It has been submitted that under the doctrine of merger, the appellate order becomes the governing order on the issue decided in appeal, and the original inclusion cannot operate independently of the CESTAT order. The Hon'ble High Court of Delhi has passed only interim orders; it has not restored the original scope without qualification, and in the case of clad with compatible non-clad aluminium foil it expressly directed that the exclusion "would have to be read as extending from 5 microns to 80 microns only".
13. Relying on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in *Shree Chamundi Mopeds Ltd. v. Church of South India Trust Association*, (1992) 3 SCC 1, the interested parties have submitted that a stay of operation merely suspends the enforceability of an order; it does not obliterate or wipe out the order from existence. The CESTAT orders have neither been quashed nor set aside, the writ proceedings remain pending, and no finding has been recorded reversing the factual conclusions of the Tribunal that the domestic industry was not manufacturing colour coated coils or clad with compatible non-clad aluminium foil in commercial quantities. The reasoning and factual findings of the CESTAT therefore continue to exist in law and retain their persuasive value in the present review.
14. It has been further submitted that a sunset review is not a route by which the original scope may be restored through an administrative finding when no court has restored that scope, and that inclusion of the disputed products would create one scope under the CESTAT orders and a different scope for the continuation of the very same duty.

(ii) *The 5 to 80 micron range of clad with compatible non-clad aluminium foil does not form part of the continuation sought by the domestic industry*

15. TTRL, Mahle Anand and Paharpur have submitted that domestic industry's own application records that the 5 to 80 micron range of clad with compatible non-clad aluminium foil stands excluded as a result of the CESTAT and High Court orders. A review under Section 9A(5) read with Rule 23 must correspond with the article for which continuation is sought and with the evidence supporting likelihood of dumping and injury. The domestic industry neither sought continuation of duty on the 5 to 80 micron range nor presented any likelihood case in respect of

it, and data pertaining to other FRP products cannot establish injury or likelihood for a product which the applicant itself treated as excluded. The notified scope was accordingly wider than the continuation actually requested, and the range should be excluded from the final scope.

16. The Huaфон Group has drawn attention to an inconsistency in the domestic industry's pleadings, in that the application refers to an order dated 25th May 2023 fixing the range at 5 to 80 microns, whereas the written submissions refer to an order dated 25th March 2023 fixing the range at 5.5 to 80 microns. The Authority has been requested to independently examine the operative judicial orders, clarify the correct position, and specify the products covered by and excluded from the product under consideration before undertaking the product-wise dumping and injury analysis. It is submitted that any product which stands judicially excluded should not be taken into account for the purposes of import volume, price comparison, dumping margin, injury analysis or likelihood analysis.

(iii) Request for exclusion of colour coated coils for ACP application

17. The ACP Manufacturers Association, Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd., Banco Products (India) Limited, Unistone Panels Private Limited, Alutech Panels Private Limited, Aldeko Panels Private Limited, Imperia Décor Industries, SRF Altech Limited, GLS Aluminium Industries Private Limited and Chiripal Poly Films Limited (collectively, the "ACP group") have sought the exclusion of "Colour Coated Coils for ACP application" from the scope of the product under consideration on the following grounds:
 - a. Colour coated coils for ACP are a distinct product from roofing sheets and bare aluminium coils. ACP coils are thin-gauge products, typically 0.02-0.50 mm, specially treated and coated on one side for lamination with LDPE and on the other side for decorative/weather-resistant use. Roofing sheets, by contrast, are thicker, generally 0.55-1.20 mm, coated on both sides and used directly as finished roofing products. The two are not interchangeable.
 - b. It is submitted that the domestic industry did not commercially supply colour coated coils for ACP application during the relevant period. The users continued to depend on imports despite the existing duty. The domestic industry had earlier relied on its 'Everlast' roofing sheet to demonstrate supply and admitted during the oral hearing that its own colour coating facility at Taloja was commissioned only recently, with earlier coating being undertaken through job work. The subsequent commissioning of a coating line, therefore, does not establish commercial supply of the ACP-grade product during the earlier period.
 - c. The interested parties also rely on the treatment of colour coated aluminium foil in the recent Aluminium Foil investigation. In that case, colour coated aluminium foil, whether coated on one or both sides, was excluded from the scope in the final findings dated 20 March 2025. It is therefore contended that, where such colour coated products were not considered to require protection in that investigation, the likelihood of injury in respect of comparable colour coated products in the present review has not been established.

(iv) Request for clarification regarding colour coated coils of 80 mm to 120 mm

18. The ACP group has submitted that anti-dumping duty is presently being levied on imports of colour coated coils of all thicknesses above 80 mm, whereas the PCN for colour coated coils commences at a width of 120 mm and above. Colour coated coils above 80 mm and up to 120 mm

therefore fall neither within the notified PCN methodology nor within the product profile of the domestic industry, which offers colour coated sheets of 120 mm and above only. The Authority has been requested to clarify the position.

(v) Request for exclusion of clad with compatible non-clad aluminium products used in heat exchangers and of identified unclad grades

19. The users seek exclusion of clearly identified clad and unclad products used in heat exchangers. TTRL, Mahle Anand, Banco and Paharpur seek exclusion of clad aluminium products made by metallurgically bonding aluminium-silicon clad layers to a compatible aluminium core, as well as specified unclad grades such as Alloy 1100, A3102, AA3003 and AA3003MOD in identified tempers. These products are used in radiators, condensers, intercoolers, heater cores, HVAC systems, battery cooling systems and other heat-exchanger applications. Paharpur has also specifically identified 4343/3003-H24 fin strip in 0.23 mm, 0.25 mm and 0.30 mm thickness.
20. They contend that these products are technically distinct and cannot be treated as interchangeable merely because they fall within the same broad FRP or alloy category. In clad products, the clad layer melts during brazing while the core must remain solid and retain strength. Therefore, alloy chemistry, clad ratio, layer structure, temper, thickness and end use directly affect forming, brazing, strength and corrosion performance. H24, for example, cannot simply be substituted by H14, H16 or O temper. The users therefore submit that like-article analysis must be based on actual technical and commercial substitutability and not merely on tariff classification, alloy series or generic descriptions such as “clad”, “fin stock” or “FRP”.
21. The users have placed specific evidence to show that the domestic industry has not commercially supplied several of the required grades and specifications. The record includes purchase orders, material test certificates, technical correspondence, meeting minutes, defect records and root-cause analyses. Paharpur has placed on record correspondence commencing January 2022 in which the domestic industry stated that it could not process H24 and offered soft temper, and correspondence of February and March 2026 in which the domestic industry again offered H14 and stated that H24 could be explored at a future date. Mahle Anand has shown that the domestic industry’s regular range was around 0.14 mm while material below 0.1 mm was required, and that samples did not meet specified yield and tensile strength requirements. TTRL has also placed instances of thickness, camber, edge-burr, clad-thickness and silicon-content deviations, short supplies and post-braze defects.
22. The users argue that products not manufactured and commercially supplied by the domestic industry, or not substitutable with domestic products, should be excluded from duty. They rely on Rule 2(d), the DGTR Manual and decisions in Oxo Alcohols Industries’ Association and Indian Refractory Makers Association to submit that mere capability, development trials, samples or captive production are insufficient; there must be actual manufacture and commercial sale of a comparable product. The ACP/radiator users have further identified specific clad items-such as clad fin, header plate, core channel, folded tube, welded tube and charge-air-cooler tube-which, according to them, are not manufactured domestically except in limited cases.
23. They also contend that the scope of the sunset review cannot effectively cover products that were not produced during the original investigation, and that uncovered demand should not be treated

as displaced domestic sales. The domestic industry stated at the oral hearing that production of H24 products commenced only in the last four to five years, which, according to the users, shows that such products were not produced during the original investigation. They therefore submit that a sunset review cannot expand the original scope and that, where domestic supply meets only part of the requirement, imposing duty on the entire import volume wrongly assumes that all such imports compete with or displace domestic production.

(vi) Request for exclusion of flat rolled products of aluminium of width above 1950 mm

24. The ACP group has submitted that the plant and machinery installed by the domestic industry cannot produce the product under consideration above 1950 mm width, and that the users consume significant quantities of foil stock of width above 1950 mm, specifically of 2000 mm, in order to match customer requirements and to utilise the rolling capacity of their mills. Although it is theoretically possible to use foil stock of 1950 mm and below, this is not commercially feasible as the leftover material would accumulate as inventory. The claim made at the oral hearing that a new aluminium foil plant is being set up in India for production of higher widths does not establish supply during the period under review. The Authority has been requested to examine the transaction-wise sales listing furnished by the domestic industry, which it is submitted will show no sales of FRP of width exceeding 1950 mm.

(vii) The scope of the product under consideration may be narrowed in a sunset review

25. The ACP group has submitted that while the scope of the product under consideration cannot be enhanced or new products added in a review, exclusion of product types and restriction of the product scope is not prohibited. Paragraph 3.28 of the Manual of Standard Operating Practices provides that although neither the applicant nor the Authority may alter the scope of the PUC during a sunset review, “there may be a case for narrowing down the scope of existing Anti-dumping Duty”, and paragraph 17.11 provides that the scope of the product “can be restricted on specific request from interested parties, after due consideration” but in no case widened or enlarged.

26. Reliance has been placed on the past practice of the Authority in the sunset review concerning Viscose Staple Fibre from China PR and Indonesia (final findings dated 31st July 2021), in which the Authority observed that there is no bar either under the Act or under the Rules on narrowing down the scope of the product under consideration in a sunset review; the sunset review concerning All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Drawn Yarn/Flat Yarn of Polyester from China PR and Thailand (final findings dated 23rd November 2020), in which low melt yarn was excluded as it was not produced by the domestic industry; and the sunset review concerning Certain Glass Fibre and Articles thereof from China PR (final findings dated 6th July 2016), in which wet chopped strands were excluded on the request of an interested party since the domestic producers had stopped manufacturing them despite the protection of anti-dumping duty.

(viii) PCN methodology

27. Shanghai Huafon Aluminium Corporation has submitted that it classifies its products by reference to the distinction between composite and non-composite materials, which does not correspond to the categories “Clad” and “Fin Stock” prescribed in the PCN table. The thickness ranges prescribed for “Clad” and “Fin Stock” overlap, with the result that certain composite materials fall within the thickness range of both categories and may be classified under either. The initiation notification provided no prioritisation rule for resolving such overlap, which could result in

inconsistent reporting, misclassification or double counting of the same product under different PCNs and could affect the accuracy of the dumping margin determination. It has been further submitted that the PCN structure provides no appropriate category for non-composite materials whose thickness falls outside the prescribed “Fin Stock” range, since classification of an unclad material under “Clad” would be technically incorrect. The Authority has been requested to define the relationship between the two categories, prescribe a uniform classification rule for overlapping products, and clarify the treatment of products falling outside the specified ranges.

28. The Dingsheng Group has requested removal of the “Length Range” specification from the PCN table and modification of the width range for lithographic aluminium coils from “600 to 1460 mm” to “600 to 1150 mm”. Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd. has sought a fresh PCN framework aligned with the clarified scope of the product under consideration. Banco Products (India) Limited and the ACP Manufacturers Association have submitted that, if clad with compatible non-clad aluminium foil and colour coated coils for ACP application are not excluded, separate PCN parameters may be prescribed for them.

C.2 Views of the domestic industry

29. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration, the like article and the PCN methodology:
- a. Since the present investigation is a sunset review of the duties in force, the scope of the product under consideration and the PCN methodology should remain the same as in the original investigation, subject to the orders passed by the Hon’ble High Court of Delhi.
 - b. The Hon’ble CESTAT, vide orders dated 13th April 2023, held that colour coated coils and clad with compatible non-clad aluminium coils are excluded from the scope of the product under consideration and modified Notification No. 68/2021-Customs (ADD) accordingly. The domestic industry challenged those orders before the Hon’ble High Court of Delhi, which granted a stay of the order concerning colour coated coils vide interim order dated 18th May 2023, observing prima facie that the CESTAT had failed to deal with the categorical findings returned by the Designated Authority with respect to domestic manufacturing, and that the order impugned amounted to the exclusion of articles which, at least on a prima facie evaluation, appeared to fall within the ambit of flat rolled products of aluminium.
 - c. In respect of clad with compatible non-clad aluminium foil, the Hon’ble High Court directed that Notification No. 68/2021-Customs (ADD) would be implemented bearing in mind that the exclusion “would have to be read as extending from 5 microns to 80 microns only”. The objective of the exclusion granted in the original FRP investigation was not to take away the exclusion already granted in the aluminium foil investigation covering foils of 5.5 microns to 80 microns. Consequently, colour coated coils and clad with compatible non-clad aluminium foil above 80 microns continue to fall within the scope of the product under consideration and remain subject to the duties in force.
 - d. The exclusion requests made by the interested parties in the present proceedings squarely fall within the ambit of the questions of law framed by the Hon’ble High Court in W.P.(C) 6655/2023, W.P.(C) 6731/2023 and CUSAA 50/2024, which include whether production in commercial volumes is a relevant criterion under Rules 2(b) and 2(d) for defining the domestic industry and for inclusion of an article within the scope of the product under

consideration; whether outsourcing part of the manufacturing process to a job worker disentitles a domestic producer from qualifying as domestic industry; whether paragraph 3.10 of the Manual of Standard Operating Practices can override the statutory Rules; and whether the CESTAT erred in holding that clad with compatible non-clad aluminium foil cannot be considered a flat rolled product of aluminium.

- e. Since the present sunset review pertains to the continuation of the duties imposed under a notification over which the Hon'ble High Court has issued directions, the Authority may not modify the scope of the product under consideration in the present investigation.
- f. As regards the exclusion of Lithograde Aluminium Coils of width above 1150 mm, the appeal before the Hon'ble High Court was disposed of in terms of a settlement between the parties, and the Authority has already clarified the exclusion vide amendment notification dated 10th December 2025.
- g. The domestic industry has no objection to the removal of the "Length Range" specification column from the PCN table or to modification of the width specification for lithographic aluminium coils to "600 to 1150 mm".
- h. The allegation of Huaфон regarding overlap between "Clad" and "Fin Stock" is vague and ambiguous, as Huaфон has not provided the technical specifications of the products in which such overlap is said to occur. The Authority may call for additional information and technical specifications of the overlapping products and examine the same during the course of the investigation, without modifying the timeline for filing questionnaire responses.
- i. PCNs are prescribed by the Authority for the limited purpose of ensuring a fair comparison and do not limit or define the scope of the product under consideration in any manner. The definition of the PUC is clear and unambiguous, and the PCN cannot form the basis of a request for exclusion of a product.
- j. There are no known differences between the subject goods exported from the subject country and the like article produced by the domestic industry. The two are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, distribution and marketing, and tariff classification, and are technically and commercially substitutable and have been used interchangeably by consumers.

C.3 Examination by the Authority

30. The Authority has examined the submissions of all interested parties with regard to the scope of the product under consideration, the like article and the PCN methodology. The examination is set out issue-wise below.

(a) Effect of the appellate orders on the scope of the measure under review

31. The Authority notes that the present proceedings are a review under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, initiated for the purpose of examining whether the expiry of the anti-dumping duties imposed vide Notification No. 68/2021-Customs (ADD) dated 6th December 2021 is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The subject matter of the review is therefore the measure as it presently stands and as it presently operates.
32. It is not in dispute that the Hon'ble CESTAT, vide final orders dated 13th April 2023, directed the exclusion of colour coated coils and of clad with compatible non-clad aluminium foil, or that those orders were carried in challenge before the Hon'ble High Court of Delhi. It is equally not in

dispute that the Hon'ble High Court, vide interim order dated 18th May 2023, stayed the operation of the order relating to colour coated coils, and, in respect of clad with compatible non-clad aluminium foil, directed that Notification No. 68/2021-Customs (ADD) be implemented bearing in mind that the exclusion is to be read as extending from 5 microns to 80 microns only. The writ proceedings remain pending and no final adjudication has taken place.

33. The Authority notes the submission founded on Shree Chamundi Mopeds Ltd. that a stay of operation suspends enforceability without effacing the order stayed. That proposition, as a statement of law, is not in doubt. However, the consequence which the interested parties seek to draw from it does not follow. The distinction drawn in Shree Chamundi Mopeds is between an order which has been quashed, in which case the position stands restored to what it was prior to the order, and an order whose operation has been stayed, in which case the order continues to exist but cannot be acted upon during the duration of the stay. It is precisely because the operation of the CESTAT orders stands suspended that the Authority is presently disabled from giving effect to them. The Authority is an authority created by statute and is bound to give effect to the orders of the Hon'ble High Court as they presently stand, and not to a state of affairs which may or may not come into existence upon final adjudication.
34. Accordingly, the Authority decides to proceed on the basis that the starting scope of the product under consideration is the scope of the measure as it presently operates, namely the scope defined in the final findings dated 7th September 2021 as modified by the interim orders of the Hon'ble High Court of Delhi and the amendment notification dated 10th December 2025. The Authority has thereafter examined whether, on the evidence in the present review, that scope should be prospectively narrowed for the specifically identified product types set out below. The determination and any recommendation made in the present review shall remain subject to the outcome of the proceedings pending before the Hon'ble High Court of Delhi.
- (b) The 5 to 80 micron range of clad with compatible non-clad aluminium foil**
35. The Authority notes the submission that there is an inconsistency between the application, which refers to an order dated 25th May 2023 and to a range of 5 to 80 microns, and the written submissions, which refer to an order dated 25th March 2023 and to a range of 5.5 to 80 microns. The Authority has examined the operative order of the Hon'ble High Court of Delhi. The direction contained therein is that the exclusion of "Clad with compatible non-clad aluminium foil" is to be read as extending from 5 microns to 80 microns only. The Authority decides to give effect to the order in those terms, and the reference to 5.5 microns in the written submissions of the domestic industry is treated as an inadvertent error which does not alter the operative position.
36. It follows that clad with compatible non-clad aluminium foil of thickness from 5 microns to 80 microns stands excluded from the scope of the measure, and that clad with compatible non-clad aluminium foil of thickness above 80 microns ordinarily falls within the scope of the measure and of the present review, subject to the additional narrowly defined exclusions mentioned below. The Authority confirms that imports falling within the 5 to 80 micron excluded range have not been taken into account for determination of import volumes, landed price, dumping margin, injury margin or likelihood in the present review.

37. The Authority does not accept the further contention that the range from 5 to 80 microns must be affirmatively excluded from the final scope on the ground that the applicant did not seek continuation in respect of it. The range is already outside the measure. The relief sought is in that sense already available, and no separate determination is called for.
- (c) Requests for exclusion of colour coated coils for ACP application, clad products for heat-exchanger application, identified unclad grades and FRP of width above 1950 mm**
38. The Authority notes at the outset that the requests for blanket exclusion of colour coated coils for ACP application and of all Clad with compatible non-clad aluminium products overlap with the broader questions pending before the Hon'ble High Court of Delhi. The Authority does not, in the present review, determine that all Clad is outside the definition of FRP or that the entire Clad class must be excluded. It has, however, separately examined the narrower request concerning precisely identified Clad tube materials as a prospective product-specific determination under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23, Rule 4(b), Rule 2(d) and Rule 11 of the Rules.
39. The Authority has examined the evidence placed on record by the users and by the domestic industry. The verified information of the domestic industry establishes manufacture and supply of Clad aluminium products covering a range of alloys, tempers and specifications, including products in H24 and other tempers. The record, therefore, does not support the exclusion of Clad products as a class from the scope of the product under consideration. The Authority has, however, separately examined the specifically identified product combinations used for folded or B-type radiator tubes, welded radiator tubes and charge-air-cooler/intercooler applications in order to determine whether corresponding or technically and commercially substitutable products of the domestic industry are available in respect of those precisely identified combinations.
40. The Authority notes that the present investigation is a sunset review under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules. Continuation of the measure is required to be based on a determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in respect of the article concerned. Rule 4(b) requires identification of the article liable to duty, while Rule 11 requires injury and causal relationship to be determined on the basis of positive evidence. The Authority has accordingly examined the exclusion requests with reference to the precise physical and technical characteristics of the products concerned, the corresponding products manufactured by the domestic industry, and the degree of technical and commercial substitutability between them.
41. The transaction-level information submitted by users establish actual and repeated procurement during the injury period and the period of investigation of: (i) Clad material for folded or B-type radiator tubes having thickness of 0.20 mm to 0.25 mm in H24 temper; and (ii) Clad material for welded radiator tubes having thickness of 0.265 mm to 0.35 mm in H24 temper. These represent specifically identifiable product combinations actually imported and consumed in India and are not merely hypothetical or notional specifications. The information also identifies material of thickness 0.40 mm to 0.45 mm for charge-air-cooler/intercooler applications; however, the supporting information concerning the temper and certain other specifications of that product is examined separately.
42. For the purpose of examining whether a corresponding domestic product exists, the Authority has considered the product as a complete technical combination. A product has been regarded as

corresponding to the imported article only where the relevant core alloy, clad alloy or alloys, layer configuration, thickness, temper and application are considered cumulatively. Evidence relating to one alloy in one product, the relevant temper in another product and the relevant thickness in a separate product cannot, by itself, demonstrate manufacture of the specifically identified combination under examination. While the information furnished by the domestic industry establishes manufacture and supply of Clad products generally, the material placed on record does not establish manufacture and supply, during the relevant period, of the precise folded-tube and welded-tube product combinations identified above.

43. The technical information on record further establishes that the core alloy, brazing clad, sacrificial clad, layer configuration, temper and gauge operate together to determine brazability, mechanical strength, corrosion resistance and tube-forming performance. These characteristics form part of customer/OEM specifications and cannot necessarily be altered independently without technical evaluation, testing and approval. No evidence has been placed on record demonstrating that another product manufactured by the domestic industry, having a materially different alloy combination, layer configuration, temper or other relevant specification, is technically and commercially interchangeable with the precise folded-tube and welded-tube combinations under examination.
44. The Authority clarifies that it has not applied any minimum quantity of production or sales, or any requirement of production or sale in “commercial volumes”, as a condition for inclusion of a product within the scope of the product under consideration. Nor has the absence of any particular level of sales been treated, by itself, as a ground for exclusion. Statements regarding technical capability, development efforts, samples, trials or willingness to manufacture have been considered together with the other evidence on record. In the present case, the exclusion is based on the cumulative finding that, for the precisely defined product combinations concerned, the record does not establish a corresponding product of the domestic industry having the complete combination of relevant characteristics, nor does it establish another domestic product that is technically and commercially substitutable for those combinations. The Authority has also not treated any demand-supply gap, by itself, as a ground for exclusion.
45. As regards the charge-air-cooler/intercooler tube material having thickness of 0.40 mm to 0.45 mm, the Authority notes that the product has been reported as H14 temper in Exhibit D1 but as H24 temper in the transaction-level purchase information. The width range of 30 mm to 145 mm has also not been substantiated through transaction-linked mill test certificates, purchase orders or packing records, and the record does not establish the relevant tube products in H22 temper. In the absence of consistent and verifiable evidence identifying the complete product combination, the Authority does not exclude the charge-air-cooler/intercooler grade, products in H22 temper, the unverified width range, the intervening thickness ranges, or the entire continuous range of 0.20 mm to 0.50 mm.
46. Having regard to the foregoing examination, the Authority excludes from the proposed continuation of the measure the following narrowly and objectively defined products: Clad aluminium tube material in coil form comprising a core of AA3003 Modified or AA3005 alloy, metallurgically bonded with an AA4343 aluminium-silicon brazing clad layer and an AA7072 sacrificial clad layer, conforming to either: (i) thickness from 0.20 mm to 0.25 mm, both inclusive,

in H24 temper, for manufacture of folded or B-type radiator tubes; or (ii) thickness from 0.265 mm to 0.35 mm and 0.40 mm to 0.45 mm, both inclusive, in H24 temper, for manufacture of welded radiator tubes. The exclusion is confined to the specified product combinations and shall be available to every eligible actual user satisfying the prescribed product, documentary and end-use conditions. The actual user condition would be implemented by Customs at the time of clearance of goods at the Customs port by following the Customs (Import of goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022. This exemption is not importer-specific.

47. For the purpose of the final quantitative determination, transactions pertaining to the specifically excluded products shall be treated as outside the product under consideration and shall, wherever applicable, be excluded from the determination of import volume, market share, landed value, price effects, dumping margin, injury margin and likelihood, as well as from the corresponding domestic sales, cost and non-injurious-price information. This treatment is consequential to the product-specific exclusion determined above and does not affect the treatment of other Clad products falling within the scope of the product under consideration.
48. As regards the identified unclad grades, namely Alloy 1100, Alloy A3102 and AA3003/AA3003MOD in various tempers, the Authority notes that these grades fall within the 1xxx and 3xxx alloy series covered by the product under consideration and the notified PCN categories of Fin Stock and General Engineering and Industrial Applications. The evidence on record establishes manufacture and supply by the domestic industry of products within these alloy series. The material relied upon by the users indicates instances of quality deviation, delay in delivery and short supply against particular consignments or schedules. Such instances do not establish absence of manufacture of the corresponding article or absence of a domestic like article. Issues relating to conformity of particular consignments with contractual specifications, delivery schedules or individual quality complaints cannot, without further evidence establishing material differences in the article itself, constitute a basis for exclusion under Rule 2(d). The Authority, therefore, does not exclude the identified unclad grades from the scope of the product under consideration.
49. As regards temper, the Authority accepts that temper affects forming, mechanical behaviour and downstream processing. Temper does not, by itself and in every case, require exclusion from the product scope, since the notified PCN methodology provides for temper as a comparison parameter. However, where temper forms part of a complete product combination governed by customer or OEM specifications and the evidence establishes that a product in another temper is not technically and commercially interchangeable, it is relevant to product exclusion as well as fair comparison. This is the basis on which H24 has been considered as one element of the specific folded-tube and welded-tube exclusions above. For the remaining products, differences in temper continue to be addressed through the PCN methodology unless the complete-product and non-substitutability tests are independently satisfied.
50. As regards FRP of width above 1950 mm, the Authority notes that the notified PCN for Foil Stock covers widths of “540 and above”, and the PCN for General Engineering and Industrial Applications covers widths of 10 to 1950 mm. The interested parties have submitted that the domestic industry has neither the capacity nor the capability to produce FRP above 1950 mm and

that no such sales appear in the transaction-wise listing filed by it. The domestic industry has stated that a new aluminium foil plant is being established in India for production of higher widths. The Authority notes that a capacity under establishment is not production, and mere competence without production or merchant sales may not be sufficient to include an item within the definition of the product under consideration. The Authority has examined the transaction-wise sales listing furnished by the domestic industry for the period of investigation.

51. Having regard to the above, and the post disclosure comments of the various interested parties and the domestic industry, the Authority has examined this issue further at the stage of the final findings.
52. The Authority has excluded from consideration the earlier statement concerning a future higher-width plant. A plant under construction or a statement of future capability cannot establish production during the POI. The issue has therefore been determined only on actual contemporaneous evidence.
53. The domestic industry's rejoinder and the transaction-wise material referred to in Exhibit 12 contain entries showing commercial manufacture and merchant sale during the relevant period of FRP having width above 1950 mm. The users have not demonstrated that those entries relate to a product materially different from the broad width category for which exclusion is sought, or that the imported products above 1950 mm as a class possess characteristics rendering them non-substitutable.
54. The factual premise that no domestic product above 1950 mm was commercially produced is therefore not sustained. Since the request is framed as a blanket width-based exclusion and would remove products for which domestic supply is on record, it is rejected.

(d) Colour coated coils of thickness above 80 microns and below 120 microns

55. The Authority has examined the request concerning colour coated coils having thickness above 80 microns and below 120 microns. It is noted that aluminium foil up to 80 microns is expressly excluded from the product under consideration, whereas, in the original investigation, the PCN for colour coated coils covered products having thickness of 120 microns and above. Thus, colour coated coils in the intervening thickness range, namely, above 80 microns but below 120 microns, were not covered within the thickness range prescribed for that PCN in the original investigation. Since a sunset review cannot be used to modify the product scope or PCN coverage beyond that of the original investigation, the Authority accepts the request and clarifies that colour coated coils having thickness above 80 microns and below 120 microns stand excluded from the scope of the product under consideration and the present review.
56. The Authority has re-examined the issue in light of the post-disclosure submissions and the material placed on record. The Disclosure Statement had proposed exclusion of colour-coated aluminium products above 80 microns and below 120 microns on the basis that the specific PCN for "Colour Coated" products in the original investigation referred to a thickness range of 0.12 mm to 1.63 mm (120-1,630 microns), while aluminium foil up to 80 microns stood expressly excluded. However, pursuant to the post-disclosure submissions, it has been brought to the notice

of the Authority that the existing anti-dumping duty is presently applicable to colour-coated aluminium products falling in the thickness range above 80 microns and below 120 microns. Hindalco has accordingly submitted that the continued applicability of the existing anti-dumping duty to this thickness range demonstrates that such products form part of the product under consideration, notwithstanding the lower thickness limit reflected in the specific colour-coated PCN.

57. The Authority notes that the continued levy of anti-dumping duty on colour-coated aluminium products in the thickness range above 80 microns and below 120 microns is a relevant and material fact for determining the existing scope of the PUC. A PCN is principally a mechanism for ensuring fair comparison between different product types and does not, by itself, determine or restrict the legal scope of the PUC. In view of the fact that the existing anti-dumping measure extends to colour-coated products in the disputed thickness range, the Authority considers that the said products cannot be considered as falling outside the existing PUC merely because the specific colour-coated PCN in the original investigation commenced from 120 microns. The issue raised by the interested parties is, therefore, examined as a request for exclusion of 80-120 microns from the PUC, principally on the ground that the domestic industry did not manufacture and/or sell the disputed colour-coated products in the thickness range above 80 microns and below 120 microns during the POI. The merits of such exclusion are accordingly examined below.
58. Hindalco's contention regarding the production and sales of colour-coated coils of 80-120 microns has been examined from its own transaction-wise sales register for the POI. The register contains 1,472 sales entries classified by Hindalco itself under "Colour Coated", and the thickness of these products ranges from 0.40 mm to 1.22 mm, i.e. 400 to 1,220 microns. There is not a single sale below 400 microns, and consequently no sale in the disputed 80-120 micron range. Even the entries described as "Everlast (Coils/Sheets)" range from 400 to 1,000 microns. The Authority has additionally examined the historical invoices placed on record for the preceding period; the lowest thickness identified therein is 0.18 mm (180 microns). Thus, neither the POI sales register nor the historical sales (period since August 2020) evidence establishes commercial sale of colour-coated coils in the 80-120 micron range.
59. This evidence assumes particular significance because Hindalco has expressly contended in its post-disclosure comments that it submitted invoices demonstrating production and sales of colour-coated coils of 80-120 microns. The Authority has not accepted that assertion merely on its description. Any sample invoice relied upon for such a claim must necessarily reconcile with the domestic industry's complete sales record. Where the complete POI register maintained and furnished by the domestic industry itself contains no transaction in the claimed thickness range, an isolated document or a general statement of manufacturing capability cannot be treated as evidence of commercial manufacture and merchant sale of that product during the POI. The Authority therefore finds that the record does not substantiate Hindalco's claim of commercial supply of colour-coated coils of 80-120 microns during the POI.
60. **CESTAT in Association of Man Made Fibre Industry of India v. Designated Authority** has expressly recognised that the scope of the PUC may be **restricted in a sunset review**, particularly where continuation of protection is no longer sought or justified in respect of particular grades or product types. Such restriction is consistent with the underlying principle governing review

investigations that an anti-dumping measure should continue only for so long and to the extent necessary to counteract injurious dumping.

61. **Similarly, the Gujarat High Court in *Epigral Limited v. Union of India*** recognized that different grades, forms, types, strengths and sizes may constitute PCNs, but the product scope, once fixed, **may be narrowed** and cannot be enlarged. Therefore, an expansion of PCN limits relating to thickness, width, alloy, temper, grade or size cannot be justified merely as a change in PCN methodology if it brings within the investigation products that were outside the original scope. This is also consistent with **WTO jurisprudence under Article 11.3. In *US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review***, the Appellate Body clarified that an SSR concerns the “**product subject to the duty**” and the continuation of the existing measure. Thus, an SSR **may narrow the existing PUC/PCN coverage**, but cannot enlarge it, directly or indirectly, to cover additional products or technical ranges not covered by the original measure.

62. Having regard to the above, the Authority therefore confirms the exclusion of colour-coated coils having thickness above 80 microns but below 120 microns. Transactions falling in this excluded range shall be treated consistently as outside the PUC for import volume, landed value, price effects, dumping margin, injury margin and likelihood analysis, wherever applicable.

(e) Whether the scope of the product under consideration may be narrowed in a sunset review

63. The Authority accepts, as a proposition of law and of its own consistent practice, that while the scope of the product under consideration cannot be widened or enlarged in a sunset review, there is no bar under the Act or the Rules on narrowing the scope of the existing measure. This is also supported by the determinations relied upon by the interested parties, including the sunset reviews concerning Viscose Staple Fibre, Fully Drawn or Fully Oriented Yarn of Polyester and Certain Glass Fibre and Articles thereof.

64. The Authority notes that opposition by the domestic industry does not, by itself, preclude narrowing of scope where the statutory requirements for continuation are not established for an objectively defined product type. The Authority is required to make an independent determination on the evidence. In the present case, the record establishes commercial production of Clad generally and therefore does not justify blanket exclusion; it nevertheless supports a narrower exclusion of the specified folded-tube and welded-tube products for which the complete-product and non-substitutability tests are satisfied. This limited exercise does not enlarge the original PUC and does not decide the broader questions pending before the Hon'ble High Court.

(f) PCN methodology

65. The Authority notes that the PCN methodology was finalised, after considering the comments of all interested parties, vide notification dated 13th May 2026. In finalising the methodology, the Authority removed the “Length Range” specification column and modified the width range for lithographic aluminium coils to “600 to 1150 mm”, as requested by the Dingsheng Group and as accepted by the domestic industry, and modified the width range for Foil Stock to “540 and above”. The requests of Mahle Anand and of the ACP Manufacturers Association for separate PCN parameters for clad with compatible non-clad aluminium foil and for colour coated coils for

ACP application were found to be already addressed, as both parameters are covered by existing categories in the PCN table.

66. As regards the submission of Huafoan concerning the overlap between the thickness ranges of “Clad” and “Fin Stock”, the Authority notes that the two categories are distinguished not by thickness alone but by construction and application. “Clad” denotes a composite material comprising one or more aluminium-silicon layers metallurgically bonded to a core, while “Fin Stock” denotes material, whether clad or unclad, of the alloy series and gauge used for fin applications in heat exchangers. The overlap in the thickness ranges of the two categories does not therefore give rise to ambiguity in classification, because thickness is not the operative criterion of distinction between them. The Authority notes that the participating producers and exporters have in fact reported their transactions under the two categories without apparent difficulty, and that the Huafoan Group, the Dingsheng Group and the Alcha Group have each reported quantities separately under Clad, Fin Stock, Colour Coated and Foil Stock. The Authority has verified the PCN-wise classification adopted by each responding producer and exporter against its product catalogues, material test certificates and invoices, and is satisfied that the reporting is consistent and that no double counting has occurred.
 67. As regards non-composite material whose thickness falls outside the range prescribed for Fin Stock, the Authority clarifies that such material is to be reported under the PCN for “Applications including General Engineering and Industrial Applications”, and not under “Clad”. To the extent any producer or exporter has reported such material under a different category, the Authority has reclassified the transactions accordingly for the purpose of comparison.
- (g) Like article**
68. The Authority notes that, save for the specific product types examined above, no interested party has established that the product manufactured by the domestic industry is not a like article to the product imported from the subject country. The domestic and imported products retained within the scope are comparable in physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution, marketing and tariff classification, and are used interchangeably by consumers. The specified folded-tube and welded-tube Clad materials are excluded because the evidence does not establish production and accepted merchant supply of the complete combinations or a technically and commercially interchangeable domestic product. Subject to those exclusions, the Authority holds that the product manufactured by the domestic industry is a like article within the meaning of Rule 2(d) of the Rules.
 69. Having regard to the foregoing and the on the basis of examination of requests made by the various users in the post disclosure comments, the Authority retains the scope of the product under consideration as notified in the initiation notification dated 20th March 2026 and confirmed vide notification dated 13th May 2026, read with the orders of the Hon'ble High Court of Delhi and the amendment notification dated 10th December 2025, subject to (i) the exclusion of colour coated coils having thickness above 80 microns but below 120 microns, and (ii) the exclusion, under the prescribed actual-user and end-use conditions, of the specified Clad aluminium tube materials for folded or B-type radiator tubes and welded radiator tubes and H24 product used in the air-cooled condenser and industrial dry-cooling industry, namely, Clad Aluminium Fin Strip of alloy AA4343/AA3003-H24, having thickness from 0.23 mm to 0.30 mm, both inclusive, width of 200 mm and thickness tolerance of ± 0.0075 mm, for use in the manufacture of fin tubes for air-cooled

condensers and industrial dry-cooling systems. All other Clad products above 80 microns, and products in H22 temper, remain within the scope. The PCN methodology notified on 13th May 2026 is otherwise retained, but transactions relating to the excluded products shall not form part of the PUC data universe.

70. In view of the above, the final PUC is as under:-

“The product under consideration is ‘Flat Rolled Products of Aluminium’ (‘FRP’). FRP is made in the form of Aluminium Rolled Coils, or Aluminium Rolled Sheets of various dimensions. The product scope includes all product forms and shapes of the products, inter alia, Coil, Sheets, Circles, Plates, etc., with patterns including mill finished or coated products.

The scope of PUC includes products of all dimensions, diameters, thickness, widths, alloys, finish etc., excluding:

i. Can-body Stock - also including Can End Stock (CES) used to make aluminium cans;

ii. Aluminium Foil up to 80 microns (It is clarified that ‘Aluminium composite panel stock’ or ‘ACP mill finish’ is included in the scope of this investigation);

iii. Clad with compatible non-clad Aluminium Foil from 5 to 80 microns;

iv. Lithograde Aluminium Coils of width above 1150 mm;

v. Colour coated coils having thickness above 80 microns but below 120 microns and;

vi. The following grade of Clad, namely, “Clad aluminium tube material in coil form comprising a core of AA3003 Modified or AA3005 alloy, metallurgically bonded with an AA4343 aluminium-silicon brazing clad layer and an AA7072 sacrificial clad layer, conforming to either (i) thickness from 0.20 mm to 0.25 mm, both inclusive, in H24 temper, for manufacture of folded or B-type radiator tubes; or (ii) thickness from 0.265 mm to 0.35 mm and 0.40mm to 0.45mm, both inclusive, in H24 temper, for manufacture of welded radiator tubes” and H24 product used in the air-cooled condenser and industrial dry-cooling industry, namely, Clad Aluminium Fin Strip of alloy AA4343/AA3003-H24, having thickness from 0.23 mm to 0.30 mm, both inclusive, width of 200 mm and thickness tolerance of ± 0.0075 mm, for use in the manufacture of fin tubes for air-cooled condensers and industrial dry-cooling systems. The exclusion is product-specific and shall be available to importer under actual user condition.

71. The Final PCN methodology is mentioned herein as below:

S. No.	PCN	Thickness Range (mm)	Width Range (mm)	Temper	Alloy Series	Primary Application
1	ACP Stock / ACP Mill Finish (ACP)	0.12 to 0.98	760 to 1550	H12, H14, H16, H18 H22, H24, H28	1xxx, 3xxx, 5xxx,	Aluminium composite panels, for façade, Partitions, Signage etc.

S. No.	PCN	Thickness Range (mm)	Width Range (mm)	Temper	Alloy Series	Primary Application
2	Colour Coated	0.12 to 1.63	760 to 1550	H12, H14, H16, H18, H22, H24, H28, H4X	1xxx, 3xxx, 5xxx,	Aluminium composite panel, for façade, insulation, roofing/ cladding
3	Fin Stock	0.04 to 1.5	10 to 1220	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, & F	1xxx, 3xxx, 8xxx	HVAC applications for automotive/transport, industrial heat exchanger and air conditioning
4	Clad	0.045 to 4.0	10 to 1200	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, & F	3xxx, 4xxx, 5xxx, 7xxx	HVAC applications for automotive/transport
5	Circles	0.6 to 7.25	102 to 1350 (Diameter)	O, H12, H14, H16, H18, H24, T6	1xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx	Pressure Cooker & Cookwares
6	Foil Stock	More than 0.08 to 0.60	540 and above	H14, H16, H18, H24 & F	1xxx, 3xxx, 8xxx,	Packaging
7	Hard Alloys	0.20 to 5	20 to 1900	O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24,	2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx	Industrial, Construction and Defense Applications

S. No.	PCN	Thickness Range (mm)	Width Range (mm)	Temper	Alloy Series	Primary Application
				H26, H28, H32, H34, H36, H38, T4, T5, T6		
8	Lithographic Aluminium	0.20 to 0.35	600 to 1150	H18	1xxx	Printing plates
9	Plates	5 to 300	140 to 1900	T6, F, O, H111	1xxx, 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx	Defense and Industrial Applications
10	Closure Stock	0.13 to 0.52	38 to 1940	O, H14, H16, H18, H34, H36, H39	1xxx, 3xxx, 5xxx, 8xxx	PP Caps and Packaging
11	Applications including General Engineering and Industrial Applications (which may be called GEQ)	0.07 to 5	10 to 1950	O, H12, H14, H15, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, F, H2X, H3X, H4X, T4, T6	1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx	Industrial, Automotive, Construction, Durables, Insulations etc.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Views of the other interested parties

72. No interested party has disputed the standing of the applicant or its eligibility to constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. The Alcha Group, the Dingsheng Group, the Huafo Group and Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd. have, however, submitted that the significant improvement in the sales and market share of other domestic producers during the injury period is a relevant consideration in the assessment of injury and causation, and that the applicant's performance cannot be viewed in isolation from the competitive pressure exerted by those producers.

D.2 Views of the domestic industry

73. The domestic industry has submitted that it accounts for *** % of the total domestic production of the product under consideration in India, and that the applicant together with its supporters, namely Virgo Aluminium Limited, Inalco Private Limited and Bharat Aluminium Company Limited, accounts for *** % of the total domestic production in India. It therefore constitutes "a major proportion" of the total domestic production of the like article in India and qualifies as the domestic industry in terms of Rule 2(b), and the application has been filed by or on behalf of the domestic industry in terms of Rule 23(1B) of the Rules. The applicant has not imported the subject goods from the subject country. The domestic industry has further submitted that the entry of additional producers into the market is a positive development which reaffirms the need for continuation of the duties, and has relied upon the support letters filed with its application in which Inalco Private Limited states that it established a plant for production of the PUC with a capacity of *** MT in 2023 and Virgo Aluminium Limited states that it expanded its manufacturing capacity from *** MT to *** MT, both stating that such establishment and enhancement of capacity would not have been possible without the anti-dumping duties.

D.3 Examination by the Authority

74. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:
"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".
75. The Authority notes that the application has been filed by Hindalco Industries Limited and is supported by Virgo Aluminium Limited, Inalco Private Limited and Bharat Aluminium Company Limited. The applicant has not imported the subject goods from the subject country and is not related to any exporter or importer of the subject goods. The information furnished by the applicant with regard to total domestic production has been examined and verified. The applicant accounts for *** % of the total domestic production of the like article in India during the period

of investigation and, together with the supporters, accounts for *** % of the total domestic production in India.

76. The Authority accordingly holds that the applicant constitutes “a major proportion” of the total domestic production of the like article in India, qualifies as the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and that the application satisfies the requirement of standing under Rule 5(3) read with Rule 23(1B) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of the other interested parties

77. The other interested parties have submitted that the domestic industry has claimed excessive confidentiality over information relating to production, capacity, sales, market share, costs and profitability, and have requested that adequate non-confidential summaries be made available so as to permit a meaningful understanding of the substance of the information submitted. It has been further submitted that the impact of the duties on downstream users, as assessed by the domestic industry, has been placed on record without a sufficient non-confidential summary.

E.2 Views of the domestic industry

78. The domestic industry has submitted that all information for which confidentiality has been claimed is by its nature confidential, and that disclosure would be of significant competitive advantage to its competitors and would have a significantly adverse effect on its business. It has submitted that adequate non-confidential summaries have been provided in indexed form wherever the information relates to a period, in accordance with Trade Notice No. 10/2018, and that the interested parties have themselves claimed confidentiality over comparable categories of information in their questionnaire responses.

E.3 Examination by the Authority

79. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible

of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information”.

80. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
81. It is seen that the applicant and the other interested parties have claimed confidentiality over information such as production, capacity, capacity utilisation, sales volumes, market share, inventories, selling prices, costs, profits, cash profits, return on capital employed, non-injurious price, cost of production, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, sales channels, purchase and sale documents, and the names of customers and suppliers. It is also seen that wherever the information relates to the injury period, the same has been provided on an indexed basis. The Authority is satisfied that the confidentiality claims of the interested parties, to the extent accepted, are warranted, and that adequate non-confidential summaries have been placed on record to permit a reasonable understanding of the substance of the information filed.

F. PROCEDURAL ISSUES

F.1 Views of the other interested parties

(i) The adoption of an 18-month period of investigation

82. The Alcha Group and the Dingsheng Group have submitted that the fixation of an 18-month period of investigation is contrary to Rule 5(3A)(ii) of the Anti-Dumping Rules and lacks adequate justification. Rule 5(3A)(ii) provides that the period of investigation shall “be for a period of twelve months normally and for reasons to be recorded in writing, the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months”. The rule therefore establishes twelve months as the norm, and an 18-month period as an exception requiring justification. Since the enactment of the rule in 2021 there are hardly any investigations or reviews in which an 18-month period of investigation has been adopted.
83. It is submitted that the reasons recorded in the initiation notification are generic and are not specific to the facts of the present case. The reasoning that an 18-month period would permit a more comprehensive analysis over a financial year and the following six months could apply to every sunset review initiated in the month of March, and it is not explained how a financial year together with the following six months yields a more representative likelihood analysis than the most recent twelve-month period. The further reason that an 18-month period ensures that there are no intervening periods in the injury analysis is said to be incorrect, since overlapping periods

between the period of investigation and the preceding financial year are routinely adopted to avoid gaps.

84. It is submitted that the investigation having been initiated on 20th March 2026, a twelve-month period of investigation from 1st October 2024 to 30th September 2025 would have satisfied the requirement that the period of investigation not be more than six months old as on the date of initiation, and that the injury period would have covered 2022-23, 2023-24 and 2024-25. The 18-month period appears to have been adopted only in order to present an injury picture more favourable to the domestic industry, and had the most recent twelve-month period been adopted, the absence of likelihood of injury would have been more evident.

(ii) Request for sampling

85. The Alcha Group and the Dingsheng Group have submitted that the Authority should undertake sampling in the present investigation under Rule 17(3) of the Anti-Dumping Rules, in accordance with its consistent recent practice. It is submitted that, as is evident from the registered interested parties notice dated 5th June 2026, there are seven to eight producer/exporter groups participating in the present investigation, and that the Authority has resorted to sampling in both original and review investigations where the number of cooperating producer/exporter groups is five or more. Reliance has been placed on the sampling determinations in the investigations concerning Belting Fabric from China PR (5th January 2026), PET Film from Bangladesh, China PR, Thailand and USA (9th January 2026), Nylon Filament Yarn from China PR and Vietnam (5th June 2025) and TPU-based Surface/Paint Protection Film from China PR (15th April 2026).

F.2 Views of the domestic industry

86. The domestic industry has submitted that the period of investigation was proposed and justified in the application, and has been adopted by the Authority for reasons recorded in writing in the initiation notification, in accordance with Rule 5(3A)(ii). Had a twelve-month period of investigation from October 2024 to September 2025 been adopted, the period from April 2025 to September 2025 would not have been covered in either the dumping or the injury analysis, since the injury period covers the financial years 2021-22, 2022-23 and 2023-24. The adoption of the full financial year 2024-25 together with the first six months of the financial year 2025-26 ensures that the period of investigation is representative of the import and injury trend through the entire period without any intervening period going unexamined, and causes no prejudice to any interested party but in fact permits a more comprehensive analysis over a longer period.
87. The domestic industry has not made any submission on the question of sampling.

F.3 Examination by the Authority

(a) Period of investigation

88. The Authority notes that Rule 5(3A) of the Anti-Dumping Rules provides that the period of investigation shall not be more than six months old as on the date of initiation of the investigation, and shall be for a period of twelve months normally, the Authority being empowered, for reasons to be recorded in writing, to consider a minimum of six months or a maximum of eighteen months. The rule therefore expressly contemplates a period of eighteen months, subject to the recording

of reasons. It is not in dispute that reasons have been recorded in the initiation notification. The question is whether those reasons are adequate.

89. The Authority notes that the application in the present case was filed on 31st January 2026 and the investigation was initiated on 20th March 2026. In order to satisfy the requirement that the period of investigation not be more than six months old as on the date of initiation, the period of investigation was required to end not earlier than 30th September 2025. The injury period proposed by the applicant and subsequently adopted, comprises the financial years 2021-22, 2022-23 and 2023-24 together with the period of investigation. Had a twelve-month period of investigation from 1st October 2024 to 30th September 2025 been adopted, the six-month period from 1st April 2024 to 30th September 2024 would have fallen outside both the injury period and the period of investigation and would have gone entirely unexamined.
90. The Authority does not accept the submission that overlapping periods are routinely adopted so as to avoid such a gap. An overlap between the period of investigation and a financial year forming part of the injury period would require the same six-month period to be counted twice, once as part of a financial year in the injury period and again as part of the period of investigation, which would distort the year-on-year comparison of trends that the injury analysis is intended to yield. The adoption of a period of investigation commencing on 1st April 2024, immediately upon the conclusion of the last financial year of the injury period, avoids both a gap and a duplication and produces a continuous and non-overlapping series for the purposes of the trend analysis.
91. The Authority further notes that the adoption of a longer period of investigation is, if anything, of assistance in a review of this nature. The examination required under Section 9A(5) read with Rule 23 is forward-looking, and a determination of likelihood is better founded upon a longer and more recent series of data than upon a shorter one. The Authority also notes that no interested party has demonstrated any prejudice arising from the adoption of the longer period; the responding producers and exporters have furnished data for the full period of investigation, and the Authority has, in the analysis set out in Section III below, presented the data for the period of investigation on an annualised twelve-month basis as well, so that a like-for-like comparison with the preceding financial years is available.
92. The Authority accordingly finds that the period of investigation of 1st April 2024 to 30th September 2025 has been fixed in accordance with Rule 5(3A) of the Rules and for reasons duly recorded, retains the same.
- (b) Sampling**
93. The Authority notes that Rule 17(3) of the Anti-Dumping Rules permits, but does not require, the Authority to limit its examination to a reasonable number of interested parties where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved is so large as to make an individual determination impracticable. The power is one to be exercised in the interest of the orderly and timely conduct of the investigation, and its exercise depends upon whether an individual determination in respect of each responding party is in fact impracticable.
94. In the present case, questionnaire responses have been received from fourteen producers and exporters constituting seven groups, namely the Dingsheng Group, the Alcha Group, the Huaфон Group, Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co., Ltd., Granges Aluminium (Shanghai) Co.,

Ltd., Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd., and Yinbang Clad Material Co., Ltd. It is noted that given the factual matrix of the case, and the responses received, the Authority has not found it appropriate to resort to sampling in this case. Individual determination has therefore not been rendered impracticable. However, an individual margin can be accorded only where the response of the producer/exporter concerned is found complete, reliable and capable of satisfactory verification; a mere filing of a questionnaire response does not, by itself, confer cooperative or individual treatment.

95. In respect of each producer/exporter group whose response has been found complete, reliable and verifiable, the Authority has undertaken a current-period individual determination. Where a response has not satisfied this threshold, the Authority has proceeded in accordance with Rule 6(8) of the Rules on the basis of facts available.
96. The Authority further notes that the present proceeding is a sunset review under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules. Rule 23(3) expressly provides that, subject to Rule 23(2), Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis to a review. The review is therefore not confined to a mechanical reproduction of the producer-wise rates determined in the original investigation. The Authority is competent and required, wherever the necessary current information is available, to determine normal value, export price, dumping margin, landed price and injury margin on the basis of the data pertaining to the present POI, while separately examining the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
97. Accordingly, participation in the original investigation is neither a perpetual entitlement to an individual rate nor a condition precedent for individual treatment in the present review. A producer/exporter which participated in the original investigation may cease to qualify for individual treatment if its present response is not acceptable under the Rules; conversely, a producer/exporter participating for the first time in the present review may be accorded individual treatment where its present response is complete, reliable and verifiable and permits determination of an individual margin in accordance with the Rules.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Views of the other interested parties

(i) *The proposed normal value methodology based on the import price from Malaysia is not appropriate*

98. The Alcha Group and the Dingsheng Group have submitted that the methodology proposed by the domestic industry for determination of the normal value, namely the price from Malaysia to India, is incorrect and ought not to be accepted, for the following reasons:
- a. The Authority itself did not accept the methodology at the stage of initiation, having recorded in the initiation notification that the applicant had not sufficiently justified the basis for considering Malaysia as an appropriate third country, and having determined the normal value on the basis of the price payable in India.
 - b. Paragraph 7 of Annexure I to the Rules does not permit selective adoption of the export price from a chosen third country to one specific importing country merely because such a price yields a favourable dumping margin. If such a methodology were to be adopted at

all, the average export price from the third country to all other countries collectively should be taken, failing which the domestic industry would be able to inflate the dumping margin artificially by picking and choosing.

- c. The volume of imports from Malaysia into India during the period of investigation was 16,716 MT, which constitutes only 4.51% of total imports into India and 6.29% of the imports from China PR. Such a low volume cannot be representative. Further, the product under consideration is defined by reference to eleven PCN categories, and a volume of that order will necessarily be confined to a small number of those categories and will not cover all product types.
- d. The Authority has consistently examined the volume of imports from a third country when a third country price was proposed as the basis of normal value. In the preliminary findings dated 21st March 2026 concerning imports of Polyethylene Terephthalate Film, the Authority declined to adopt imports into India from a market economy third country for the determination of normal value on the ground that such imports were low in volume, and determined the normal value as the price payable in India computed on the basis of the cost of production of the domestic industry duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
- e. There is no reason to depart from the methodology adopted by the Authority in the original investigation, in which the normal value for China PR was constructed on the basis of the cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and additional reasonable profits.

(ii) Request for individual rates of duty

99. The Alcha Group has submitted that Jiangsu Alcha Aluminium Group Co., Ltd. did not participate in the original investigation because it exported very low volumes to India during the period of investigation of that proceeding, and could not have applied for a new shipper review for the same reason. It is participating for the first time in the present review, together with its related exporters, and has filed a complete questionnaire response. It has submitted that it is the consistent practice of the Authority to prescribe an individual rate of anti-dumping duty for a producer or exporter which participates for the first time in a sunset review, and has relied upon the determinations in the sunset reviews concerning Sodium Citrate from China PR, Atrazine Technical from China PR, Textured Tempered Glass from Malaysia, Acrylonitrile Butadiene Rubber from Germany and South Korea, Nylon Tyre Cord Fabric from China PR, Jute Products from Bangladesh and Nepal, Viscose Staple Fibre from China PR and Indonesia, Nylon Filament Yarn from Indonesia, Hexamine from Saudi Arabia and Aluminium Foil from China PR. It has submitted that if the Authority decides to continue the existing rates, Jiangsu Alcha should be assigned the rate applicable to cooperating producers/exporters in the original investigation, and that if the Authority decides to modify the existing rates, an individual rate should be determined for it on the basis of its own verified data.
100. The Dingsheng Group has submitted that it has fully cooperated in the present review and has requested that it be granted an individual rate. Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd. has submitted that it has fully cooperated and provided all information required for determination of an individual margin, that its exports are significant and therefore representative, and that since it is presently attracting the residual rate of duty, the quantum of duty being paid on its exports

exceeds the extent of its dumping and injury margins. It has requested determination of an individual dumping margin, injury margin and quantum of duty.

(iii) *The present review is not applicable to an exporter excluded from the measure*

101. Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd. (“GSH”) has submitted that it participated and fully cooperated in the original investigation, that the Authority determined a negative dumping margin as well as a negative injury margin in respect of its exports, and that consequently no anti-dumping duty was recommended against it and a NIL rate was notified in the duty table. It has submitted that:

- a. Section 9A(5) of the Act and Rule 23(1B) of the Rules link the likelihood analysis to the cessation or expiry of an existing duty. Since no duty was imposed on GSH in the original investigation, there is no duty applicable to GSH whose cessation or expiry can be examined in the present review.
- b. Article 11.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement is similarly worded and proceeds on the basis that a definitive duty is already in force. Reliance has been placed on the report of the WTO Appellate Body in Mexico - Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice, WT/DS295/AB/R, in which it was observed that an investigating authority does not impose duties, including duties at zero per cent, on exporters excluded from the definitive anti-dumping measure, and that the logical consequence is that such exporters cannot be made subject to review proceedings.
- c. The domestic industry has itself sought only the continuation of the duties already imposed under Notification No. 68/2021-Customs (ADD) and the extension of the period of operation of that notification, without re-determination of the duty applicable to individual exporters, and reiterated that position at the oral hearing.
- d. In the event the Authority recommends extension of the period of operation of the existing duty notification, the existing NIL rate applicable to goods produced and exported by GSH should be continued. In the alternative, the Authority may determine on the basis of the questionnaire response filed by GSH that its exports to India during the period of investigation were not made at dumped prices.

(iv) *The existing duties should be allowed to expire*

102. The Alcha Group and the Dingsheng Group have submitted that Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement establishes expiry of the duty after five years as the mandatory rule and continuation as an exception which can apply only after a rigorous examination. Reliance has been placed on the observations of the Appellate Body in US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review that the mandatory rule in Article 11.3 applies in addition to and irrespective of the obligations in Articles 11.1 and 11.2, and that authorities must conduct a rigorous examination in a sunset review before the exception of continuation of the duty can apply; on Section 9A(5) of the Act and Rule 23(1B) of the Rules; and on the decision of the CESTAT in All India Laminated Fabrics Manufacturers Association v. Designated Authority, in which it was held that a determination in a sunset review cannot be based on guesswork, assumption or presumption but must rest on tangible and positive evidence, and that the Authority must conduct a rigorous examination with an appropriate degree of diligence.

G.2 Views of the domestic industry

103. The domestic industry has made the following submissions with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin:
- a. No interested party has claimed market economy treatment in respect of China PR by responding to the supplemental questionnaire on market economy conditions issued by the Authority, and the record contains no evidence that market economy conditions prevail in China PR. The normal value for the participating producers and exporters must accordingly be determined in terms of paragraph 7 of Annexure I to the Rules.
 - b. The Hon'ble Supreme Court in *Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. & Ors.*, (2005) 3 SCC 39, observed that an attempt must first be made to determine the normal value on the basis of the first or the second of the methodologies set out in paragraph 7, and that only where this is not possible may the Authority resort to the third methodology, namely any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India.
 - c. The domestic industry has provided sufficient evidence to compute the normal value on the basis of the second methodology, namely the price from a market economy third country to other countries including India. China accounts for the largest volume of imports into India, followed by Thailand and Malaysia. The major producers and exporters in Thailand procure raw material from China and are affiliated to Chinese entities, and the European Commission has determined that goods produced in China have been routed through Thailand to circumvent the anti-dumping duties imposed on China. It would therefore not be appropriate to compute the normal value on the basis of prices from Thailand, and the domestic industry proposed the price from Malaysia to India.
 - d. On that basis, the normal value is ₹ *** per MT and the export price of China is ₹ *** per MT, yielding a dumping margin of ₹ *** per MT or ***%. The dumping margin therefore remains positive and significant notwithstanding the existence of anti-dumping duties.
 - e. The questionnaire responses filed by the exporters from China demonstrate a significant decrease in the export price to India during the period of investigation. The trend of sales realisation from exports to India of each responding producer/exporter, expressed in indexed terms with the third preceding year as the base, shows a decline in the case of every responding party. The producers and exporters from China PR have therefore reduced their prices to India despite the existence of anti-dumping duties, and the existing duties have not deterred their unfair trade practices.
 - f. The domestic industry has sought continuation of the existing anti-dumping duties imposed under Notification No. 68/2021-Customs (ADD) and extension of the period of operation of that notification.

G.3 Examination by the Authority

G.3.1 Determination of Normal Value

104. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following.

15. (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or

sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

105. The Authority notes that a supplemental questionnaire on market economy conditions was issued to the producers and exporters of the subject country. None of the responding producers or exporters has claimed market economy treatment or furnished a response to the supplemental questionnaire, and no evidence has been placed on record to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the like article in China PR. The normal value has accordingly been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I to the Rules, which provides as follows:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection...”

106. The Authority notes the submission of the domestic industry that the normal value should be determined on the basis of the price from Malaysia to India, being the second of the methodologies prescribed in paragraph 7 of Annexure I. The Authority notes that it declined to adopt this methodology at the stage of initiation, having recorded that the applicant had not sufficiently justified the basis for considering Malaysia as an appropriate third country. The domestic industry has not, in the course of the investigation, placed on record any further material justifying the selection of Malaysia.
107. The Authority notes that paragraph 7 of Annexure I requires that an appropriate market economy third country be selected “in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question”. A price which is to serve as a surrogate for the normal value of the subject goods must be representative of the product as a whole. The product under consideration in the present investigation comprises eleven distinct product control number categories spanning a wide range of thicknesses, widths, tempers, alloy series and end applications, and the prices of those categories differ materially from one another. The imports into India from Malaysia during the period of investigation amounted to 16,716 MT, being 4.51% of the total imports into India. A volume of that order cannot be assumed to be distributed across the eleven PCN categories in a manner comparable to the imports from the subject country, and the Authority finds that the price of such imports is not representative of the product under consideration as a whole.
108. The Authority further notes that no interested party has brought forward any evidence of the price or the constructed value prevailing in a market economy third country, which is the first of the methodologies prescribed. The first and second methodologies being therefore unavailable on the present record, the Authority has proceeded to the third methodology, namely the price actually

paid or payable in India for the like article, duly adjusted to include a reasonable profit margin. This is also the methodology adopted by the Authority in the original investigation, and is consistent with its determination in the preliminary findings dated 21st March 2026 concerning Polyethylene Terephthalate Film, relied upon by the interested parties.

109. The normal value has accordingly been constructed on the basis of the cost of production of the domestic industry in India, duly adjusted, and having regard to the best utilisation of raw materials and utilities and the optimum utilisation of production capacity, with the addition of selling, general and administrative expenses and a reasonable profit margin. The constructed normal value so determined is at the ex-factory level and has been adopted uniformly for all producers and exporters of the subject country. The constructed normal value determined for the subject country is *** US\$/MT, and is reflected in the dumping margin table below.

G.3.2 Determination of export price

110. For each producer/exporter group whose response has been accepted as cooperative, the export price has been determined on the basis of the price charged to the first unrelated customer in India, as reported and satisfactorily verified, after allowing only such adjustments as have been established on the basis of the record and are necessary to arrive at the ex-factory level. The Authority has used the transaction-wise DG Systems import data as an independent corroborative control while examining the reported export universe. Where the material information necessary for an individual determination has not been found reliable, internally consistent or capable of satisfactory reconciliation and verification, the Authority has proceeded on the basis of facts available under Rule 6(8), read with Rule 23(3) of the Rules.

Export price for the Alcha Group

111. Jiangsu Alcha Aluminium Group Co., Ltd. is the producer of the subject goods, and Alcha Shanghai International Trading Co., Ltd. and Alcha International Holdings Limited are its related exporters involved in exports to India. During the period of investigation, the group exported *** MT of the subject goods to India, all falling within the PCN category of Fin Stock, of which *** MT was exported directly by the producer and *** MT through the related traders. The net export price at the ex-factory level, determined after the adjustments is given in the dumping margin table given below.

Export price for the Huaфон Group

112. Shanghai Huaфон Aluminium Corporation and Huaфон Aluminium Co., Ltd. are related producers of the subject goods, and Shanghai Huaфон Aluminium Trading Company is their related exporter. During the period of investigation, the group exported *** MT of the subject goods to India, comprising Clad and Fin Stock, exported directly by the producer as well as through the related trader. The net export price at the ex-factory level, determined after the adjustments is given in the dumping margin table given below.

Export price for Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co., Ltd.

113. Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co., Ltd. is a producer of the subject goods and has exported the subject goods to India directly. During the period of investigation, it exported ***MT of the subject goods to India, falling within the PCN category of Clad. The invoice price of such

exports was US\$ *** per MT. The net export price at the ex-factory level, determined after the adjustments is given in the dumping margin table given below.

Export price for Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd.

114. Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd. is a producer of the subject goods and has exported the subject goods to India directly. During the period of investigation, it exported *** MT of the subject goods to India, comprising *** MT of Clad, *** MT of Fin Stock and ***MT of General Engineering and Industrial Applications. The net export price at the ex-factory level, determined after the adjustments is given in the dumping margin table given below.
115. The Authority notes that Nantong Hengjin has computed a dumping margin by comparing its export price with its own domestic selling price in China PR. For the reasons recorded above, no producer or exporter having claimed or established that market economy conditions prevail in the industry producing the like article in China PR, therefore, the domestic prices in China PR cannot be adopted as the basis of the normal value. The comparison made by Nantong Hengjin has accordingly not been adopted, and its export price has been compared with the constructed normal value determined for the subject country.

Export price for Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd.

116. Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd. has filed a questionnaire response and has cooperated in the present investigation. Its export price has been determined on the same basis as set out above and is reflected in the dumping margin table below.

Export price for the Dingsheng Group

117. Jiangsu Dingsheng New Materials Joint Stock Co., Ltd. and Inner Mongolia Liansheng New Energy Material Co., Ltd. are related producers of the subject goods and export directly as well as through the related entities Hangzhou Dingsheng Import and Export Co., Ltd. and Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Co., Ltd. The four entities have filed questionnaire responses as the Dingsheng Group. During examination of the responses, the Authority considered it necessary to seek a consolidated producer-wise, exporter-wise, trader-wise and channel-wise reconciliation of the reported export universe and the material information relevant to determination of export price. A specific reconciliation opportunity was afforded to the Group and additional time was also allowed. The Authority has examined the revised response, master statement, certifications and supporting records filed by the Dingsheng Group. Despite the opportunity given to explain and reconcile the information, major differences remain in the basic export data. These differences affect the quantity of exports, related-trader sales, export-price calculation and the reliability of the revised database. The material deficiencies are set out below.
118. First, the total export quantity reported by the Group does not reconcile with the official DG Systems import data. The Group has reported exports of *** MT to India during the POI, whereas the corresponding quantity identified in DG Systems is approximately *** MT, leaving a difference of about *** MT. The issue is not that the two figures must be exactly identical, but that such a large difference must be clearly explained invoice-wise. The Group has not provided

a satisfactory reconciliation showing which transactions account for this difference. The Authority is therefore unable to confirm the complete export quantity reported by the Group.

119. Second, the sales quantity reported by Dingsheng HK does not match the quantity used for calculating the trader's expenses and profitability. Appendix 3A reports final sales to India of *** MT, whereas the profitability calculation covers only *** MT. Thus, ***MT, or about ***% of the reported sales, is not covered by the trader profitability calculation. Since trader expenses and profit have to be considered while determining the net export price, the Authority cannot reliably determine the export price for the complete quantity routed through Dingsheng HK.
120. Third, a significant part of the exports is made through related traders, but the complete sales chain has not been satisfactorily reconciled. The related traders are not claimed to be mere extended sales departments of the producers. Therefore, the Authority has to trace the price from the producer through the related trader up to the first unrelated customer in India and appropriately account for trader expenses and profit or loss. However, the trader-level sales and profitability data do not reconcile with the complete Indian-sales quantity. As a result, a reliable ex-factory export price cannot be determined for the related-trader channels.
121. Fourth, the revised master statement only consolidates the earlier data; it does not resolve the underlying differences. The Group has itself stated that the master statement was prepared mainly from the original Appendices 3A and 3B. Therefore, bringing the same transactions into one consolidated statement does not explain the differences between the original appendices, the trader profitability data and the DG Systems data. The Authority had sought the master statement to reconcile the discrepancies, not merely to rearrange the earlier information. That reconciliation remains incomplete.
122. Fifth, the certifications given by the Group are not fully consistent with the manner in which the transactions have actually been reported. The certifications indicate that the reported transactions represent imports into India during the POI. However, the Group has also explained that some invoices raised during the POI may result in imports after the POI, and some invoices raised before the POI may result in imports during the POI. Such timing differences by themselves are not a ground for rejection. However, together with the unresolved quantity differences, they make it difficult to identify one clear and common set of transactions on which the individual export price should be determined.
123. Sixth, the revised data does not provide a clear audit trail from the original response to the final revised database. The Authority accepts that genuine errors may be corrected. However, where material figures or adjustments are revised, the respondent must clearly show what was originally reported, what was changed, why it was changed, and how the change affects the export price. This has not been adequately demonstrated for the material revisions. In view of the other unresolved discrepancies, the Authority is unable to satisfy itself that the final database is complete and reliable for determining an individual export price.
124. Taken together, these are not isolated clerical errors. They affect the basic export quantity, trader-level profitability, related-party sales chain and the reliability of the final database. The Authority

is therefore unable to accept the Dingsheng Group's questionnaire response for an individual determination.

125. The Authority clarifies that the non-acceptance of the Dingsheng Group response is not founded upon a requirement that a responding producer/exporter furnish the underlying commercial and shipping documents in respect of every individual transaction. The same standard of examination has been applied to all responding producer/exporter groups. In respect of a cooperating respondent, the Authority has considered whether the questionnaire response, its supporting records, the transaction-wise data and the reconciliations furnished, taken together, enable the Authority to satisfactorily establish the material parameters necessary for determination of an individual margin. The responses of the other cooperating producer/exporter groups have been accepted to the extent that the relevant sales universe, quantities, channels, prices and material adjustments could be satisfactorily reconciled and verified for the purpose of determination of export price. In the case of the Dingsheng Group, however, the deficiencies identified above remained unresolved even after the specific reconciliation opportunity afforded to the Group and materially affected the very data and methodology from which its individual export price was required to be determined. The differential treatment therefore follows from material differences in the reliability and verifiability of the respective responses and not from the quantity or percentage of supporting documents furnished.
126. The Authority has considered each of the aforesaid discrepancies individually as well as cumulatively. No single clerical discrepancy or absence of a particular supporting document has been treated as sufficient for rejection of the response. The material concern is that the unresolved differences relate to the fundamental elements necessary for determination of an individual export price, namely the identification of a consistent export-sales universe, reconciliation with independent import information, allocation of transactions amongst the producers and related exporters/traders, reconciliation of the related-trader profitability universe, and the reliability of the final revised transaction database. The Group was specifically informed of the discrepancies noticed and was afforded reasonable opportunity, including additional time, to furnish a consolidated reconciliation and supporting explanation. Nevertheless, the material inconsistencies described above continue to prevent a satisfactory determination of a producer-wise/exporter-wise/channel-wise net export price from the information submitted by the Group. Accordingly, the Authority considers that the information necessary for determination of an individual margin has not been provided in a form capable of satisfactory verification and use in the investigation. The Authority has therefore not accepted the questionnaire responses of the Dingsheng Group for determination of an individual margin and has proceeded, in respect of the Group, on the basis of facts available in accordance with Rule 6(8), read with Rule 23(3) of the Rules. Consequently, the Dingsheng Group is not considered eligible for separate producer-specific treatment in the present review and is treated as to be placed under the residual category applicable to other/non-cooperating producers and exporters from China PR.

Export price for Yinbang Clad Material Co., Ltd. and for non-cooperating producers and exporters

127. The Authority has examined the questionnaire response, supplementary information, certifications and supporting documents filed by Yinbang Clad Material Co., Ltd. The response does not establish one consistent and verifiable database for determination of an individual

dumping margin. Most importantly, Appendix-1 and the transaction-wise India sales statement report exports to India of ***MT, whereas the PCN-wise cost and expense schedules use an India quantity of ***MT, resulting in an unreconciled difference of ***MT, equivalent to about ***% of the reported India sales. The sales values and PCN allocations in the cost schedules also do not satisfactorily reconcile with the transaction-wise sales data. Since these quantities and schedules form the basis for determination of export price, PCN-wise cost and normal value, the Authority is unable to determine a reliable individual margin unless the two figures are fully reconciled.

128. The Authority also finds that the transaction-wise export database is not fully consistent with the underlying commercial documents. The questionnaire requires the commercial invoice date to be used for transaction-wise reporting during the POI; however, the dates reported in Appendix-3A do not correspond with the commercial-invoice dates in the supporting documents examined. Similar differences were found across the sample invoices placed on record. The date field is material for POI inclusion, exchange-rate selection, credit-period computation and reconciliation with customs records. In addition, despite varying credit terms on India sales, the corresponding credit-period and credit-cost information has not been consistently reported. These deficiencies further affect the auditability of the claimed ex-factory export price.
129. The Authority has considered the above deficiencies cumulatively. They are not confined to an isolated clerical error or a single unsupported adjustment, but affect the basic quantity universe, PCN allocation, cost information, transaction dates and export-price adjustments required for an individual determination. The general certifications furnished by the respondent cannot cure the underlying inconsistencies in the data. Accordingly, the Authority has not accepted the questionnaire response of Yinbang Clad Material Co., Ltd. for determination of an individual normal value, export price, dumping margin or landed price, and has treated Yinbang on the basis of facts available in accordance with Rule 6(8), read with Rule 23(3) of the Rules. For Yinbang and other non-cooperating producers/exporters, the export price has therefore been determined having regard to reliable information available on record, including transaction-wise DG Systems data for the POI.

Export price for non-cooperating producers

G.3.3 Dumping margin

130. Where related producers and exporters form part of a cooperative group and the response has been accepted, they have been regarded as a single economic entity and attributed a single dumping margin calculated on the basis of the weighted-average determination for the accepted related producer/exporter channels. Where the response has not been accepted, no individual weighted-average margin has been accorded and the applicable facts-available/residual treatment has been adopted.
131. Considering the normal value constructed as set out above and the export price as determined, the dumping margins determined for the subject country are as follows:

Dumping Margin Table

S. No.	Name of the producer	Normal Value (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Range
1	Alcha Group	***	***	***	***	10-20
2	Huafon Group	***	***	***	***	(0-10)
3	Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
4	Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd.	***	***	***	***	(0-10)
5	Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd.	***	***	***	***	(0-10)
6	Any other producer	***	***	***	***	25-35

132. The Authority notes that the current-period dumping margins for the cooperating producers/exporters whose responses have been accepted have been determined on the basis of the methodology set out above. The Dingsheng Group has not been accorded an individual current-period margin and has been treated on facts available for the reasons recorded above. Yinbang Clad Material Co., Ltd. has likewise not been accorded an individual current-period margin and has been treated on facts available for the reasons recorded above. The Authority further notes that the margins determined during the POI reflect a period in which anti-dumping duties were in force. In a review under Section 9A(5) read with Rule 23, the current-period determination is an essential factual input but is not, by itself, determinative of whether the measure should expire; that issue additionally requires the forward-looking examination of likelihood set out in Section III.

G.3.4 Requests for individual rates and the position of exporters excluded from the measure

133. In the Disclosure Statement, the Authority had proposed to determine individual treatment for producers/exporters participating for the first time in the present review on the basis of their verified responses and the margins determined for the present POI. Accordingly, where such producers/exporters had furnished complete and acceptable questionnaire responses, their normal value, export price, dumping margin and injury margin were proposed to be determined on the basis of the current record, with the consequential duty treatment being linked to such present-review determination.
134. The Authority has re-examined the issue in light of the post-disclosure submissions. The Authority notes that the present proceeding is a sunset review under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, the essential purpose of which is to determine whether expiry of the existing anti-dumping measure is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The sunset review is therefore principally concerned with continuation or cessation of the existing measure

and does not, merely by reason of participation and cooperation, require a fresh individual duty determination for producers/exporters which were not accorded an individual rate under the existing measure.

135. Accordingly, the Authority considers that producers/exporters participating for the first time in the present sunset review shall, upon continuation of the existing anti-dumping measure, remain subject to the duty applicable to the residual category under the existing duty structure. The information furnished by such cooperating producers/exporters, including their export prices and margins during the present POI, may be examined and taken into account for the purposes of the likelihood analysis; however, such cooperation or the determination of a negative or lower current dumping margin does not, by itself, confer an entitlement to a fresh NIL or other individual rate in the sunset review.
136. The Authority notes that a sunset review under Section 9A(5) read with Rule 23 is fundamentally a prospective exercise to determine whether cessation of the existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. It is not a fresh original investigation requiring determination of individual dumping margins for every producer/exporter participating in the review. In *P.T. Asahimas Chemicals v. Designated Authority*, 2015 (328) E.L.T. 417 (Tri.-Del.), the Tribunal categorically held that there is **no legal requirement to determine an exporter-specific dumping margin in a sunset review**. Likewise, in *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. v. Designated Authority*, 2010 (253) E.L.T. 564 (Tri.-Del.), the Tribunal upheld continuation of the existing duty notwithstanding a lower current dumping margin, emphasizing that the relevant inquiry is the likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury.
137. This principle is equally reflected in **WTO jurisprudence**. In *US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*, WT/DS244/AB/R, paras 124, 149 and 155, the WTO Appellate Body held that Article 11.3 neither requires calculation of dumping margins in a sunset review nor requires company-specific likelihood determinations; specifically, the obligation under Article 6.10 to determine individual margins for known exporters is not, in principle, applicable to sunset reviews. Thus, mere participation or cooperation of a producer/exporter for the first time in an expiry review does not create an entitlement to a fresh individual rate.
138. The Rules, in fact, provide a distinct mechanism for determining an individual margin for a genuine new producer/exporter. Rule 22 specifically provides for a New Shipper Review for exporters/producers not investigated in the original period, and *CESTAT in H & R Johnson (India) Ltd. v. Designated Authority*, 2005 (185) E.L.T. 125 (Tri.-Del.), expressly distinguished such a review-whose purpose is determination of an individual margin—from a Rule 23 review concerning the continued need for the existing anti-dumping measure. Accordingly, where the Authority concludes in the present sunset review that the existing measure should continue, producers/exporters participating for the first time shall remain covered by the applicable residual rate of the continued measure; any claim to a separate individual rate must be pursued through the appropriate review mechanism available under the Rules, subject to satisfaction of the prescribed conditions.
139. It is further noted that the producers/exporters which had participated and were accorded an individual rate in the original investigation shall, upon continuation of the measure, continue to

be governed by the same individual rate, unless their response in the present review is rejected or they are otherwise found ineligible for such treatment in accordance with the Rules. In contrast, producers/exporters participating for the first time in the present sunset review, including new producer/exporter groups which were not individually investigated in the original investigation, shall be subject to the applicable residual rate under the existing duty structure.

H. ASSESSMENT OF INJURY, CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

H.1 Views of the other interested parties

140. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The submissions have been set out issue-wise below.

(i) Negative price undercutting and negative injury margin establish the absence of any adverse price effect

141. The Alcha Group, the Dingsheng Group, the Huaфон Group and Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd. have submitted that the domestic industry's own injury table demonstrates that price undercutting was negative during the period of investigation, the landed value of imports being above the domestic selling price. The injury margin disclosed in the application is likewise negative, and has been determined on the basis of the landed value of imports without even taking into account the anti-dumping duty in force, which means that the landed value of imports into India is higher than the non-injurious price of the domestic industry. There is therefore no adverse price effect attributable to imports from China PR. Where imports are already entering at prices above both the domestic selling price and the non-injurious price, there is no basis to conclude that their withdrawal would result in continuation or recurrence of injury, and no reason to presume that exporters would reduce their prices to India if the duty were withdrawn.

142. The Huaфон Group has further submitted that the domestic industry has acknowledged that price undercutting was negative during the period of investigation and has sought to rely instead upon the positive undercutting observed in the immediately preceding year, 2023-24. The domestic industry cannot rely upon an earlier year while disregarding the actual position during the period of investigation. The assertion that undercutting "would be more pronounced" upon withdrawal of the duty is an assumption unsupported by positive evidence, and the Authority is required to make a forward-looking assessment on the evidence on record, giving due weight to the actual pricing position during the period of investigation.

(ii) The economic parameters of the domestic industry have improved and do not indicate injury

143. The Alcha Group, the Dingsheng Group and Granges have submitted that the domestic industry's own data show improvement across the operational and volume parameters during the injury period: domestic sales increased from 100 to 127 in indexed terms, installed capacity from 100 to 126, production from 100 to 120, the number of employees from 100 to 111 and productivity per employee from 100 to 120, while capacity utilisation remained broadly stable notwithstanding the substantial addition to capacity. These figures are inconsistent with the position of an industry facing a likelihood of recurrence of injury upon expiry of the duty.

(iii) The decline in the domestic industry's market share is attributable to other domestic producers and to non-subject imports

144. The Alcha Group, the Dingsheng Group, the Huaфон Group and Granges have submitted that the domestic industry's loss of market share cannot be attributed to imports from the subject country. The market share of subject imports declined by 1 indexed point over the injury period, while the market share of the domestic industry declined by 16 indexed points. Over the same period the sales of other domestic producers increased by 82 indexed points and their market share by 20 indexed points, and the market share of imports from non-subject countries increased by 48 indexed points. The domestic industry has itself stated that the sales volume of other domestic producers improved on account of the entry of multiple new entrants into the market. Where subject imports themselves lost market share while other domestic producers substantially increased their presence, the evidence points to increased competition within the Indian industry and to non-subject imports as the operative causes, and the Authority is required to examine those causes separately before attributing any injury to the subject imports.

(iv) The increase in the cost of sales and the decline in profitability are attributable to the domestic industry's capacity expansion

145. The Alcha Group and the Dingsheng Group have submitted that the information on record shows that the domestic industry increased its installed capacity from 100 to 126 in indexed terms, its average capital employed from 100 to 142 and its net fixed assets from 100 to 241 during the period of investigation, and that the cost of sales increased from 100 to 110 over the same period. The decline in profitability is therefore linked to the increase in capacity, fixed assets and capital employed, and not to imports. Granges has similarly submitted that the consequences of the capacity expansion, including any temporary increase in fixed costs and the time required for stabilisation of the new capacity, cannot be attributed to subject imports, and has requested the Authority to examine the impact of other factors including changes in raw material costs, energy and finance costs, product mix and domestic competition.

(v) The increase in the volume of imports is a consequence of the increase in demand

146. The Alcha Group, the Dingsheng Group and Granges have submitted that the increase in imports from the subject country is commensurate with the increase in demand and has not replaced the sales of the domestic industry or of the other Indian producers. Demand increased from 100 to 152 in indexed terms while imports from the subject country increased from 100 to 150. The movement in imports is therefore demand-driven. Imports have only supplemented supply in a growing market, and the sales of both the domestic industry and the other domestic producers increased over the same period.

(vi) The existence of imports during the duration of the duty does not establish that expiry will cause injury

147. The Huaфон Group has submitted that the conclusion sought to be drawn by the domestic industry does not follow from the evidence relied upon. The fact that imports continued or increased while anti-dumping duty was in force does not establish that expiry of the duty would result in injurious imports; were that proposition accepted, the existence of any imports during the duration of a duty would automatically establish likelihood of injury upon expiry, which cannot be the correct test in a sunset review. The relevant question is whether there is positive evidence demonstrating that upon expiry of the duty imports are likely to increase materially or to enter at prices that would

cause injury. Further, while imports from China PR increased in absolute terms, total demand increased by 52 indexed points and the market share of subject imports declined by 1 indexed point, so that the increase in volume must be viewed in the context of the expansion of the Indian market.

(vii) *The individual export performance of the responding producers does not indicate any likelihood of injury*

148. The Alcha Group has submitted that exports to India during the period of investigation accounted for only ****% of the total sales quantity of Jiangsu Alcha, that its export price to India increased from CNY *** per kg in 2022 to CNY *** per kg in the period of investigation, and that its capacity remained unchanged at ***MT with capacity utilisation of ****% to ****% throughout, so that there is no excess capacity situation warranting an inference of likelihood of injurious exports to India.

149. The Dingsheng Group has submitted that exports to India accounted for only ****% of its total sales during the period of investigation, that its total exports to India moved from ***MT in 2021-22 to ***MT in the period of investigation, showing no increase over the injury period, and that this is notwithstanding that a duty of only US\$ ****per MT was applicable to it.

(viii) *Reliance on the earlier aluminium foil investigation is misplaced*

150. The Huaфон Group has submitted that the facts of an earlier investigation concerning Aluminium Foil cannot automatically establish likelihood in the present investigation concerning Certain Flat Rolled Products of Aluminium. Likelihood must be determined on the basis of evidence relating to the specific product under consideration, market, exporters, pricing, capacity and demand conditions prevailing in the present review. The fact that imports increased following the expiry of duties in another investigation involving another product does not establish that the same result will necessarily follow here.

(ix) *Third-country trade remedy measures and the alleged attractiveness of the Indian market do not establish likelihood*

151. The Huaфон Group has submitted that the anti-dumping and countervailing measures imposed by the United States, the European Union, Argentina, Armenia, the GCC countries and other jurisdictions cannot automatically establish a likelihood of increased exports to India, since the products covered by those measures are not necessarily identical to the product under consideration and the scope, specifications, producers, market conditions and reasons for those measures may differ.

152. As regards the attractiveness of the Indian market, it has been submitted that the data relied upon by the domestic industry, being ITC Trade Map data showing that the average export price from China to India was higher than the export price to certain other destinations, does not establish that India would become a preferred destination upon expiry of the duty. On the contrary, if Chinese exporters are presently able to obtain a higher price in India than in several other markets, the data arguably demonstrates that India is not being targeted on account of an ability to sell at dumped or distressed prices. The data is in any event broad trade-level information which does not establish the future export behaviour of the producers and exporters participating in the present investigation.

(x) *The alleged threat of material injury is founded on speculation*

153. The Huaafon Group has submitted that the domestic industry itself recognises that a determination of threat must be based on facts and not on allegation, conjecture or remote possibility, and that the alleged change in circumstances must be clearly foreseen and imminent, but that its submissions do not meet that standard. The mere existence of production capacity in China does not establish that such capacity is available for the specific product under consideration or that it will be utilised; nor does the existence of idle capacity establish that additional production will be exported, that such exports will be directed to India, or that any such imports will be made at dumped prices and cause injury. The domestic industry is in effect asking the Authority to presume the entire chain of events, from excess capacity to increased production, from increased production to exports, from exports to diversion to India, and from such imports to injury, without placing positive evidence establishing each link in that chain.

(xi) *There is no likelihood of injury in respect of products which the domestic industry does not produce*

154. The ACP group, TTRL, Mahle Anand and Paharpur have submitted that there cannot be a case for likelihood of continuation or recurrence of injury with respect to the likely dumping of colour coated coils for ACP application, clad products or FRP above 1950 mm, where the domestic industry has not developed production facilities or has not supplied such products in any measurable volumes. A product which is not produced by the domestic industry cannot cause injury to it, and duty on such a product only increases the cost to the importer without affording any protection to the domestic producer.

H.2 Views of the domestic industry

155. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury, causal link and likelihood:
- a. In terms of Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement and Section 9A(5) of the Act, anti-dumping duties cease to have effect upon expiry of five years unless it is determined that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The examination required in a sunset review is forward-looking, and the Appellate Body in US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review held that the Authority must answer the question of “what would be likely to occur if the duty were terminated”.
 - b. The Panel in EU - Cost Adjustment Methodologies II (Russia) observed that in an original investigation the focus is on the existence of material injury at the time of the determination, whereas in an expiry review the measure has been in place for some time and the authorities must, on a fresh analysis, determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to continuation or recurrence of injury. The Panel further held that a determination of injury under Article 3 is not required under Article 11.3, and that an investigating authority is not obliged to comply with the provisions of Article 3 in making a likelihood determination unless that determination is based on a finding of material injury.
 - c. The use of the word “recurrence” in Article 11.3 and in Section 9A(5) itself indicates that current injury is not decisive, since the word presupposes that dumping or injury may have ceased but may recur upon revocation. The Panel in US- DRAMS observed that an

- interpretation which required revocation as soon as present dumping was found to have ceased would render part of Article 11.3 ineffective.
- d. Notwithstanding the above, the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation. Import volumes from the subject country increased from 1,18,280 MT in the base year to 1,77,192 MT in the period of investigation on an annualised basis, an increase of 50%, and were at the highest level during the observed period. Subject imports in relation to the production of the domestic industry increased by 32 indexed points.
 - e. Demand increased by 52 indexed points from the base year to the period of investigation whereas the sales of the domestic industry increased by only 27 indexed points. The domestic industry has been unable to capitalise on the growth in domestic demand on account of the continued dumping of the subject goods, notwithstanding that a significant portion of its installed capacity remains unutilised.
 - f. Price undercutting was negative during the period of investigation, but there was significant positive price undercutting during the immediately preceding year, 2023-24. This establishes that the levy of anti-dumping duty did not deter the Chinese exporters from undercutting the prices of the domestic industry, and such action would be more pronounced if the duties were withdrawn. The market conditions with regard to prices are precarious and would recur if the duties are withdrawn.
 - g. The net sales realisation of the domestic industry increased by only 2 indexed points from the base year to the period of investigation while the cost of sales increased by 11 indexed points. There was positive price suppression during 2022-23, 2023-24 and the period of investigation, and the increase in domestic selling prices did not cover even *** % of the increase in the cost of sales.
 - h. The market share of the domestic industry declined by 16 indexed points while that of subject imports declined by only 1 indexed point. The improvement in the position of other domestic producers is a positive sign reaffirming the requirement for continuation of the duties; those producers have stated on record that the anti-dumping duties permitted them to establish and expand their capacities, and they support the continuation of the duties. Revocation would have a negative impact not only on the applicant but also on the other domestic producers.
 - i. The opening, closing and average inventories of the domestic industry increased continuously during the injury period, the average inventory increasing by 23 indexed points from the base year to the period of investigation, indicating a significant accumulation of stock.
 - j. Profit before tax declined by 86 indexed points from the base year to the period of investigation, turning negative in 2022-23 and 2023-24 and improving only marginally in the period of investigation. Return on capital employed declined by 88 indexed points and, at ***% in the period of investigation, remains significantly below the rate of 22% allowed by the Authority for the computation of the non-injurious price, demonstrating that the financial position of the industry remains fragile.
 - k. The producers and exporters from China PR have reduced their prices to India despite the existence of anti-dumping duties, as evidenced by the declining trend in the sales realisation from exports to India of each responding producer and exporter.
 - l. Reliance is placed on the experience of the anti-dumping duties in force on aluminium foils from China PR, which expired on 15th May 2022 following the decision of the Ministry of Finance not to implement the recommendation of the Authority. Import volumes rose from

- 20,524 MT in the period April 2021 to September 2022 (annualised) to 61,546 MT in the period October 2022 to September 2023, nearly tripling within a year, which prompted the domestic industry in that case to approach the Authority afresh, resulting in the imposition of duties vide Notification No. 15/2025-Customs (ADD). This is a clear indication that producers in China are export-oriented and engage in aggressive dumping in the absence of anti-dumping duties.
- m. Producers in the subject country are dumping the subject goods in various third countries, as established by the trade remedial measures imposed by the United States, the European Union, Argentina, Armenia, the Eurasian Economic Union States, Ghana, the GCC States and Korea RP against various categories of aluminium flat rolled products from China. The USITC, in its sunset review determination of 7th May 2024 concerning Common Alloy Aluminium Sheets, extended the anti-dumping duties on imports from China by a further period of five years.
 - n. Recent developments in global trade have created severe vacuums in the global market for aluminium products. On 3rd June 2025 the United States enhanced the rate of Section 232 duties on aluminium products from 25% to 50% and revoked all country exemptions, with the result that Chinese exporters would not have access to the US market. With effect from 1st January 2026 the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism entered its definitive phase, under which EU importers must purchase and surrender certificates for embedded emissions and free allowances are to be phased out. As the European Union constitutes one of China's top four export markets, producers and exporters from China may face difficulties in exporting to the European Union and may look to alternative markets such as India.
 - o. The Indian market is attractive in terms of price. The export price from China to India was US\$ *** per MT during the period of investigation, as against US\$ *** per MT to the rest of the world, US\$ *** per MT to Mexico, US\$ *** per MT to Korea RP and US\$ *** per MT to Viet Nam. Notwithstanding the dumping of the subject goods, producers from the subject country obtain more favourable prices on exports to India than to the rest of the world, and India is the fourth largest export destination for Chinese producers and exporters of the subject goods.
 - p. Producers in China are highly export-oriented, China having accounted for 34% to 38% of total global exports of goods classifiable under heading 7606 throughout the observed period, and 37% during the period of investigation.
 - q. China has a secondary aluminium production capacity of 14 million MT. In 2023 China produced 12.5 million MT of aluminium flat products and consumed about 11 million MT, so that its domestic consumption was 1.5 million MT less than its production and 3 million MT less than its capacity. Secondary aluminium production is expected to grow to 11.5 million MT by 2025 and 18 million MT by 2030 under the five-year plan. The USITC has taken note of concerns that China's capacity under construction of aluminium flat rolled products would be 4.44 million short tons in 2025, arising from approximately 25 aluminium plate, sheet, strip and foil projects under construction.
 - r. In addition to the injury suffered and the likelihood of continuation and recurrence of injury, there is a clear and imminent threat of material injury within the meaning of Article 3.7 of the Anti-Dumping Agreement, having regard to the significant rate of increase of dumped imports, the freely disposable and increasing capacity in the subject country, and the global trade dynamics referred to above.

- s. The imposition of the duties has had an overall positive effect on the Indian aluminium industry and the continuation of the duties is in the public interest. The duties have facilitated the establishment and enhancement of production capacity in India, and Hindalco is undertaking an investment of approximately INR *** billion] in the coming years to increase its upstream aluminium capacity by *** KT. The product under consideration is manufactured and supplied by several Indian producers and is readily available through imports from various countries; the increase in imports during the period of investigation indicates that downstream users have faced no difficulty in importing the subject goods. The impact of the duties on end-users is minuscule, as demonstrated by the duty impact assessment furnished with the economic interest questionnaire response, which has been computed on the basis of the highest applicable rate of US\$ 449 per MT.

H.3 Examination by the Authority

H.3.1 Legal framework

156. Rule 11 of the Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is necessary to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.
157. The present proceedings being a review under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, the determination which the Authority is required to make is whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority accepts the submission of the interested parties, founded upon US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review and upon the decision of the CESTAT in All India Laminated Fabrics Manufacturers Association, that the expiry of the duty after five years is the rule and its continuation the exception, and that a determination of likelihood cannot rest upon guesswork, assumption or presumption but must be founded upon tangible and positive evidence arrived at after a rigorous examination.
158. The Authority equally accepts the submission of the domestic industry, founded upon EU - Cost Adjustment Methodologies II (Russia) and US - DRAMS, that the examination in a review is forward-looking, that the absence of current material injury is not by itself decisive, and that the word “recurrence” presupposes that dumping or injury may have ceased during the duration of the measure and may nonetheless recur upon its expiry. These two propositions are not in conflict. The absence of current injury does not compel revocation, but it does mean that the affirmative case for continuation must be made out on positive evidence relating to what is likely to occur upon expiry, and cannot be made out by inference from the present state of the domestic industry alone.

159. The Authority has accordingly first examined the state of the domestic industry during the injury period and the period of investigation, and has thereafter examined separately whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

H.3.2 Assessment of demand and apparent consumption

160. The Authority has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is as under:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
Imports from subject country	MT	1,51,878	1,74,413	1,62,570	1,88,091	2,82,136
Imports from non-subject countries	MT	34,205	41,011	46,445	1,32,573	1,98,859
Domestic sales of domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	105	127	191
Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	132	129	182	274
Total demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	113	155	233

161. It is noted that the demand for the subject goods in India has grown consistently and substantially throughout the injury period, increasing by 55 indexed points from the base year to the period of investigation. It is further noted that the imports from subject country as well as the sales of domestic industry increased in POI as compared to the base year.

H.3.3 Volume effect of the dumped imports

162. With regard to the volume of the dumped imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
Imports from subject country	MT	1,51,878	1,74,413	1,62,570	1,88,091	2,82,136
Trend	Indexed	100	115	107	125	187
Domestic industry production net of captive consumption	MT	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
Subject imports in relation to demand	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	95	80	80
Subject imports in relation to production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	108	109	109
Subject imports in relation to total imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	95	72	72

163. It is noted that:

- The volume of imports from the subject country increased from 1,51,878 MT in the base year to 1,88,091 MT during the period of investigation on an annualised basis, representing an increase of approximately 24%. The imports during the period of investigation were at their highest level over the injury period. This increase occurred notwithstanding the anti-dumping duties in force throughout the injury period.
- In relation to the production of the domestic industry, net of captive consumption, subject imports increased from ***% in the base year to ***% during the period of investigation. The ratio had increased to ***% in 2022-23, declined to ***% in 2023-24 and thereafter stood at ***% during the period of investigation.
- In relation to demand, the share of subject imports declined from ***% in the base year to ***% during the period of investigation.
- In relation to total imports, the share of subject imports declined from ***% in the base year to ***% during the period of investigation, indicating a corresponding increase in the share of imports from non-subject countries.

H.3.4 Price effect of the dumped imports

Price undercutting

164. For the purpose of the price undercutting analysis given as under, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject country. It is noted that price undercutting was positive in 2023-24, and was negative in 2021-22, 2022-23 and during the period of investigation.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)
Domestic selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	124	131
Landed value	₹/MT	2,86,100	3,15,120	2,87,498	3,23,981
Trend	Indexed	100	110	100	113
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)
Trend	Indexed	(100)	(39)	34	(9)
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	(0-15)	(0-10)	0-10	(0-5)

Price suppression and depression

165. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree, or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the Authority has examined the movement of the cost of sales and the net sales realisation of the domestic industry over the injury period, together with the landed price of the subject imports.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)
Net sales realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	91	102
Cost of sales (ex-factory)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	101	111
Landed price	₹/MT	2,86,100	3,15,120	2,87,498	3,23,981
Trend	Indexed	100	110	100	113

166. The Authority notes that over the injury period the cost of sales of the domestic industry increased by 11 indexed points whereas its net sales realisation increased by only 2 indexed points. The domestic industry has therefore been unable to recover the increase in its costs through a corresponding increase in its prices, and therefore, there is price suppression.

H.3.5 Economic parameters of the domestic industry

167. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of the dumped imports on the domestic producers of the subject goods, including an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry. Accordingly, the performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

Capacity, production, capacity utilisation and sales

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
Installed capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	126	189
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	99	120	180

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
Production net of captive consumption	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	99	113	170
Capacity utilisation	%	***	***	***	***	***
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	105	127	191
Total demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	113	155	233

168. It is noted that the installed capacity of the domestic industry increased by 26 indexed points, its production by 20 indexed points and its domestic sales by 27 indexed points from the base year to the period of investigation, while capacity utilisation declined marginally by 1 indexed point.
169. It is noted that, while demand increased by 55 indexed points over the injury period, the sales of the domestic industry increased by only 27 indexed points and, therefore, did not keep pace with the growth in demand.

Market share

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
Imports from Subject Country	MT	1,51,878	1,74,413	1,62,570	1,88,091	2,82,136
Imports from non-subject Countries	MT	34,205	41,011	46,445	1,32,573	1,98,859
Domestic Sales of DI	MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	104	105	127	191
Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	132	129	182	274
Total Demand	MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	114	113	155	233
Market Share of imports from subject country	%	***	***	***	***	***
	Trend	100	101	95	80	80
Market Share of imports from non-subject countries	%	***	***	***	***	***
	Trend	100	105	121	250	250
Market Share of DI	%	***	***	***	***	***
	Trend	100	91	93	82	82
Market Share of Other Producers	%	***	***	***	***	***
	Trend	100	116	114	117	117

170. It is noted that the market share of the domestic industry declined by 18 indexed points over the injury period, whereas, the market share of the subject imports declined by 20 indexed point in the same period.

171. The submission of the domestic industry is herein noted that the improvement in the position of the other domestic producers is a positive development attributable to the protection afforded by the duties, and that those producers support the continuation of the duties. It is evident from the establishment of Inalco Private Limited's plant and the expansion of Virgo Aluminium Limited's capacity which are the developments which the existing duties have facilitated.

Inventories

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
Opening	MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	101	120	116	116
Closing	MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	119	115	129	129
Average	MT	***	***	***	***	***
Trend	MT	100	110	118	123	123

172. It is noted that the average inventory of the domestic industry increased by 23 indexed points from the base year to the period of investigation and was at its highest level during the period of investigation.

Profits, cash profits and return on capital employed

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
Profit/Loss	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	-71	-2	14	14
Profit before Interest & Tax	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	- 63	-0	14	14
Profit before Depreciation, Interest & Tax	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	-39	16	30	30
Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	-45	16	32	32
Return on Capital Employed	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	100	- 56	-0	12	12

173. It is noted that the profitability of the domestic industry declined sharply in 2022-23 and recovered only marginally during the period of investigation. During the period of investigation, profit before tax was only 14 indexed points compared to the base year, while the return on capital employed was only ***, substantially below the ***% return considered for determining the non-injurious price.

Employment, productivity and wages

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI (A)	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***	***
	Trend	100	98	97	111	111
Salaries and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	100	106	106	119	179
Productivity per day	Nos.	***	***	***	***	***
	Trend	100	96	99	120	120
Productivity per employee	Nos.	***	***	***	***	***
	Trend	100	98	101	109	109

174. It is noted that the number of employees, salaries and wages, productivity per day and productivity per employee have each increased from the base year to the period of investigation.

H.3.6 Observations on the state of the domestic industry during the period of investigation

175. Having regard to the foregoing, it is noted that the position of the domestic industry during the period of investigation is as follows:

- Demand grew substantially, by 55 indexed points over the injury period.
- Subject imports increased in absolute terms, while their share in demand declined from ***% in the base year to ***% during the POI.
- Price undercutting was negative during the period of investigation, the landed price of the subject imports being above the selling price of the domestic industry.
- The subject imports led to the price suppression of domestic industry, which is evident from the fact that the cost of sales rose by 11 indexed points against an increase of 2 indexed points in the net sales realisation during the injury period.
- The domestic industry's capacity, production, domestic sales, employment and productivity increased, and capacity utilisation reduced marginally during the injury period.
- The market share of the domestic industry declined by 18 indexed points, that is, from ***% in base year to ***% in the POI.
- Inventories increased by 23 indexed points, broadly in proportion to the increase in production and sales.
- Profitability deteriorated significantly in all price injury parameters. Profit before tax declined by 86 indexed points and the return on capital employed stood at only ***% during the period of investigation.
- The dumping margins determined for some of the cooperating producers and exporters are positive, and the injury margins determined for all cooperative producers and exporters are negative.

H.3.7 Causal link and non-attribution analysis

176. Having examined the state of the domestic industry, the Authority has examined whether such deterioration as has occurred in the parameters of the domestic industry can be attributed to any factor other than the dumped imports, as listed under the Rules.

Volume and prices of imports from third countries

177. The Authority notes that imports from non-subject countries increased from 34,205 MT in the base year to 1,32,573 MT during the period of investigation on an annualised basis, and that their share in demand increased from ****% to ****%. Over the same period the share of the subject imports in demand declined marginally. A part of the market share ceded by the domestic industry has therefore been taken up by imports from non-subject countries, and to that extent the loss of market share cannot be attributed to the subject imports.

Competition from other domestic producers

178. The Authority notes that the sales of the other domestic producers increased from *** MT in the base year to *** MT during the period of investigation on an annualised basis, an increase of 82 indexed points, and that their market share increased from ***% to ***% in POI. The domestic industry has itself stated that this is attributable to the entry of multiple new producers into the market, and has described the development as a positive one. The Authority accordingly finds that the decline in the market share of the domestic industry is to some extent attributable to increased competition from other domestic producers.

Capacity expansion by the domestic industry

179. The Authority notes that the domestic industry increased its installed capacity by 26 indexed points, its average capital employed by 42 indexed points and its net fixed assets by 141 indexed points during the period of investigation. As noted above, a part of the decline in the return on capital employed is attributable to the enlargement of the capital base, and the fixed costs associated with newly commissioned capacity are ordinarily absorbed over a period during which the capacity is stabilised.

Contraction in demand and pattern of consumption

180. There has been no contraction in demand; demand has grown by 55 indexed points over the injury period. No change in the pattern of consumption has been identified which could have caused injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices, developments in technology and productivity

181. There are no trade restrictive practices or conditions of competition which may have caused injury to the domestic industry. The investigation has not revealed any change in technology which could have led to obsolescence of the technology held by the domestic industry. The productivity of the domestic industry, whether measured per day or per employee, has increased over the injury period, and injury is therefore not on account of any decline in productivity.

Export performance and performance of other products

182. The injury information examined above relates only to the performance of the domestic industry in the domestic market, and the injury claimed pertains to the product under consideration only. The performance of the domestic industry in the export market and in respect of its other products has accordingly not been taken into account.

Observations on causal link

183. Having regard to the above, the Authority holds that such deterioration as has occurred in the parameters of the domestic industry during the period of investigation, principally in its market

share and its profitability, is attributable mainly to subject imports, and to some extent to increased competition from other domestic producers, and to the increase in imports from non-subject countries.

H.3.8 Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

184. It is noted that the domestic industry has suffered price injury on account of the dumped imports during the period of investigation. The question which arises is whether the expiry of the duties in force would be likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority has examined this question having regard to each of the grounds relied upon by the domestic industry and to the objections raised by the other interested parties.

(a) Increase in the volume of imports notwithstanding the duties in force

185. The domestic industry has relied upon the increase in the volume of subject imports from 1,51,878 MT in the base year to 1,88,091 MT during the period of investigation on an annualised basis. The Authority accepts that the imports have increased in absolute terms and that the increase has occurred notwithstanding the duties in force.

186. The Authority notes, however, the force of the objection raised by the Huaфон Group that the existence or increase of imports during the duration of a measure does not by itself establish that the expiry of the measure would result in injurious imports. Were that proposition accepted, every measure under which imports had continued would have to be continued, which is not the test contemplated by Section 9A(5) of the Act or by Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement.

187. The Authority notes at the same time that a duty of US\$ 449 per MT applies to all producers and exporters other than the three named in the duty table, and that the volume of imports has increased notwithstanding that duty. The extent to which the imports would increase further upon its removal is a matter to be assessed in the light of the price and capacity considerations examined below.

(b) Pricing behaviour of the producers and exporters of the subject country

188. The domestic industry has relied upon the trend of sales realisation from exports to India of each responding producer and exporter, which, expressed in indexed terms with the third preceding year as the base year, is as under:

S. No.	Producer / exporter	Previous Year 3	Previous Year 2	Previous Year 1	POI
1.	Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Co., Ltd.	100	81	80	87
2.	Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd.	100	90	79	80
3.	Huaфон Aluminium Co., Ltd.	-	-	100	95
4.	Inner Mongolia Liansheng New Energy Material Co., Ltd.	100	89	93	97

S. No.	Producer / exporter	Previous Year 3	Previous Year 2	Previous Year 1	POI
5.	Jiangsu Alcha Aluminium Group Co., Ltd.	100	91	89	91
6.	Jiangsu Dingsheng New Materials Joint Stock Co., Ltd.	100	95	95	97
7.	Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd.	100	91	93	95
8.	Yinbang Clad Material Co., Ltd.	100	92	94	97

189. The Authority notes that the sales realisation from exports to India has declined over the observed period in the case of every responding producer and exporter, the decline ranging from 3 to 20 indexed points. The Authority notes that this trend has obtained during a period in which anti-dumping duties were in force, and that the decline has occurred notwithstanding the incidence of those duties.

(c) Post-POI import volume and value

190. The Authority has examined the transaction-wise import data obtained from DG Systems for the post-POI period from 1st October 2025 to 13th February 2026 and compared the same with the imports recorded during the period of investigation, namely, April 2024 to September 2025. Since the period of investigation covered 18 months whereas the post-POI period covers 136 days, the absolute import quantities for the two periods are not directly comparable. The Authority has, therefore, compared the imports on a monthly and annualised basis.
191. During the period of investigation, the volume of subject imports was 2,82,135 MT, equivalent to an average of approximately 15,674 MT per month and an annualised volume of 1,88,090 MT. During the post-POI period, imports amounted to *** MT, equivalent, on a day-adjusted basis, to approximately *** MT per month and an annualised volume of *** MT. Thus, the rate of imports increased by approximately ****% after the period of investigation. The post-POI data therefore shows that imports from the subject country have not moderated but have continued at an even higher rate.
192. The Authority further notes that the average assessable value of the subject imports declined from ₹ 3,08,136 per MT during the period of investigation to ₹ 3,00,638 per MT during the post-POI period, representing a decline of approximately ****%. The increase in the rate of imports has thus occurred simultaneously with a decline in their average unit value. This combination of increasing import volumes and declining import values indicates that exporters from the subject country continue to maintain and expand their presence in the Indian market through increasingly lower-priced exports.
193. The Authority recognises that the post-POI assessable value does not, by itself, constitute a determination of dumping, which requires a comparison of the normal value and the export price in accordance with the Rules. Nevertheless, when considered together with the dumping margins determined during the present review and the other relevant likelihood factors on record, the post-

POI trend constitutes important corroborative evidence. The continued entry of substantial and increasing volumes at declining unit values demonstrates the continuing ability and commercial inclination of exporters from the subject country to direct the subject goods to India at progressively lower prices. The trend therefore strengthens the conclusion that dumping is likely to continue or recur in the event of expiry of the existing anti-dumping duties.

194. The Authority also considers the post-POI development relevant to the likelihood of continuation or recurrence of injury. An increasing volume of imports at declining unit values is likely to intensify price competition in the Indian market and exert downward pressure on the prices and profitability of the domestic industry. Read together with the substantial capacities available in the subject country, its export orientation, the attractiveness of the Indian market and the trade-remedial measures restricting access to alternative export markets, the post-POI data demonstrates that the risk of renewed price depression and consequent injury is real and reasonably foreseeable. The Authority accordingly considers that the post-POI import trend materially reinforces its conclusion that the expiry of the existing duties is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

(d) Excess capacity and capacity expansion in the subject country

195. The domestic industry has submitted that China has a secondary aluminium production capacity of 14 million MT, that in 2023 it produced 12.5 million MT of aluminium flat products against domestic consumption of about 11 million MT, and that secondary aluminium production is expected to grow to 18 million MT by 2030 under the five-year plan. It has further relied upon the finding of the USITC that the Chinese industry has approximately 25 million MT of aluminium plate, sheet, strip and foil projects under construction with a combined capacity of 4.44 million tons.
196. The Authority notes that the figure of 12.5 million MT of aluminium flat rolled products produced in 2023 against consumption of about 11 million MT relates to flat rolled products specifically, and that the capacity under construction identified by the USITC likewise relates to aluminium plate, sheet, strip and foil.
197. The Authority notes that the surplus capacity of approximately 1.5 million MT of flat rolled products is more than 4.7 times the total annualised imports into India from all sources during the POI, which stood at *** MT. Even if small portion of this surplus capacity were redirected to India, it would cover India's present total demand. The magnitude of the available surplus is, therefore, sufficient to cause a substantial increase in import volumes and materially alter the demand-supply and price conditions in the Indian market.
198. The Authority further notes that India is a large and expanding market in which the subject-country producers and exporters already have established customers and distribution channels. Their continued substantial exports despite the anti-dumping duty demonstrate their sustained commercial interest in the Indian market. In these circumstances, cessation of the duty would make India more accessible and price-attractive for utilisation of the available surplus capacity. The resulting diversion of even a limited portion of such surplus is likely to cause a significant increase in subject imports, intensify price competition, suppress or depress domestic prices and lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

(f) Export orientation and third-country trade remedy measures

199. The Authority notes that China accounted for 34% to 38% of total global exports of goods classifiable under heading 7606 throughout the observed period and 37% during the period of investigation, which establishes a significant degree of export orientation on the part of the industry of the subject country.
200. The Authority notes that trade remedial measures are presently in force against various categories of aluminium flat rolled products from China in the United States, the European Union, Argentina, Armenia, the Eurasian Economic Union States, Ghana, the Gulf Cooperation Council States and Korea RP, and that the USITC extended the anti-dumping duties on Common Alloy Aluminium Sheets from China for a further period of five years by its determination of 7th May 2024. It is also noted that the products covered by the measures of the United States, the European Union and the Gulf Cooperation Council States fall within tariff headings 7606 and 7607 and are, on the material on record, subsets of the product under consideration in the present investigation. The existence of measures in the principal alternative markets would likely divert the direction of exports upon the removal of the measure in India.

(g) Global trade developments

201. The Authority notes that on 3rd June 2025 the United States enhanced the rate of Section 232 duties on aluminium products from 25% to 50% and revoked all country exemptions, and that with effect from 1st January 2026 the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) entered its definitive phase, requiring EU importers to purchase and surrender certificates for embedded emissions and providing for the phasing out of free allowances. These are matters of record and are not disputed. Their effect is to restrict access to two of the principal export markets for the subject goods, and thereby to increase the likelihood that exports will be directed towards markets like India, which remain open.

(h) Attractiveness of the Indian market

202. The domestic industry has relied upon ITC Trade Map data showing that the export price from China to India during the period of investigation was US\$ *** per MT, as against US\$ *** per MT to the rest of the world, US\$ *** per MT to Mexico, US\$ *** per MT to Korea RP and US\$ *** per MT to Viet Nam.
203. The Authority notes the objection of the Huaфон Group that if Chinese exporters are presently able to obtain a higher price in India than in several other markets, the data demonstrates that India is not being targeted on account of an ability to sell at dumped or distressed prices. The Authority notes, however, that the data relied upon establishes a different and more relevant proposition, namely that India is a market in which the exporters of the subject country presently realise a premium over their realisation in the rest of the world, and that this premium subsists notwithstanding the incidence of anti-dumping duties on exports to India. A market which yields a higher realisation is, other things being equal, a market to which exports are likely to be directed in preference to others, and the removal of a duty of US\$ 449 per MT would enlarge that premium further. The Authority also notes that India is the fourth largest export destination for Chinese producers and exporters of the subject goods and that demand in India has grown by 55 indexed

points over the injury period, whereas Chinese domestic consumption of flat rolled products has remained below its production.

(i) The experience following the expiry of the anti-dumping duties on aluminium foil

204. The domestic industry has relied upon the experience following the expiry on 15th May 2022 of the anti-dumping duties on aluminium foil of 5.5 to 80 microns from China PR, the Ministry of Finance having declined to implement the recommendation of the Authority for continuation of those duties. Imports rose from 20,524 MT in the period April 2021 to September 2022 on an annualised basis to 61,546 MT in the period October 2022 to September 2023, and the Authority thereafter recommended, and the Central Government imposed, fresh anti-dumping duties vide Notification No. 15/2025-Customs (ADD).
205. The Authority notes the objection that the facts of an investigation concerning a different product cannot establish likelihood in the present case, and that likelihood must be determined on the basis of evidence relating to the specific product under consideration. The Authority accepts that the experience in the aluminium foil case is not determinative and cannot be transposed. The Authority notes, however, that the product in that case is a closely adjacent product, falling within Chapter 76 and produced by an overlapping set of producers in the same subject country, several of whom, including Huafon Aluminium Co., Ltd. and Yinbang Clad Material Co., Ltd., are among the responding parties in the present investigation. The experience is accordingly relevant as evidence of the responsiveness of exports from the subject country to the removal of a measure, though it is evidence of a general rather than a product-specific character and has been weighed as such.

(j) Threat of material injury

206. The domestic industry has additionally submitted that there is a clear and imminent threat of material injury within the meaning of Article 3.7 of the Anti-Dumping Agreement. Article 3.7 requires that a determination of a threat of material injury be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility, and that the change in circumstances which would create a situation in which dumping would cause injury be clearly foreseen and imminent.
207. The Authority notes that in a review under Section 9A(5) of the Act, the examination of a threat of material injury does not stand independently of the examination of the likelihood of recurrence of injury; the two enquiries are directed to the same question, namely what is likely to occur upon the expiry of the measure. The Authority has considered the factors listed in Article 3.7 while examining the likelihood of injury and, therefore, does not consider a separate finding on threat of material injury necessary.
208. The Authority notes that the case for continuation does not only rest upon the present condition of the domestic industry, but also upon the conditions prevailing in the subject country and in the global market for the subject goods, and upon the pricing behaviour of the exporters as disclosed by the declining trend in their realisation from exports to India.

209. Having regard to the totality of the material on record, the Authority holds that the expiry of the anti-dumping duties in force would be likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, and that the duties in force accordingly warrant continuation.

I. NON-INJURIOUS PRICE AND INJURY MARGIN

210. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information and data relating to the cost of production for the period of investigation. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It has been ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax) of 22% on the average capital employed, that is to say, the average net fixed assets plus the average working capital, for the product under consideration has been allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price, as prescribed in Annexure III to the Rules.
211. For each cooperating producer/exporter whose response has been accepted, the landed price has been determined on the basis of the verified current-POI import/export information, together with the applicable basic customs duty and social welfare surcharge, on a comparable product basis. For non-cooperative producers/exporters, and for any responding party whose relevant data have not been accepted, the landed price has been determined on the basis of facts available under Rule 6(8), read with Rule 23(3), having regard to reliable information on record. The use of current POI data for this purpose is consistent with the mutatis mutandis application of Rules 10, 11 and 17 in a review.
212. In the case of the Dingsheng Group, the Authority has not accepted the Group's claimed landed-price computation as an independent basis for an individual injury-margin determination. Apart from the unresolved difference between the Group's reported export universe and the DG Systems import universe, the Group's landed-price working converts substantial FOB/CFR transactions to a CIF-equivalent basis by applying common freight/insurance factors derived from a limited set of transactions across materially different producers, routes and channels. Such constructed factors do not establish the actual transaction-specific landed value of the complete universe. Once the underlying group response has not been accepted for individual treatment, the Authority considers it appropriate to determine the landed price for the Group on the same facts-available basis applicable to the residual/non-cooperative category, rather than to preserve a separate individual landed-price computation derived from the rejected response.
213. In the case of Yinbang Clad Material Co., Ltd., the Authority has not accepted the claimed landed-price computation or other respondent-specific data as an independent basis for an individual injury-margin determination, for the reasons recorded in paragraphs 127 to 129 above. Since the underlying response has not been found complete, reliable and capable of satisfactory verification, the Authority considers it appropriate to determine the landed price for Yinbang on the same facts-

available basis applicable to the residual/non-cooperative category, rather than to preserve a separate individual landed-price computation derived from the rejected response.

214. Based on the landed price and the non-injurious price determined as above, the injury margin for the producers and exporters has been determined by the Authority as follows:

Injury Margin Table

S. No.	Name of the producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Price (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Range
1	Alcha Group	***	***	***	***	(5-15)
2	Huafon Group	***	***	***	***	(10-20)
3	Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co., Ltd.	***	***	***	***	(0-10)
4	Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd.	***	***	***	***	(10-20)
5	Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd.	***	***	***	***	(5-15)
6	Any other producer	***	***	***	***	10-20

215. The injury margins reflected above are current-period determinations made on the basis of the information accepted for each cooperating producer/exporter and, in the case of non-cooperating or rejected responses, on the basis of facts available. The Authority notes that these current-period injury margins must be read together with the likelihood analysis under Section 9A(5) and Rule 23(1B).
216. H Having regard to the nature and scope of the present sunset review under Section 9A(5) read with Rule 23, the Authority considers that the existing duty structure should ordinarily continue upon extension of the measure, subject to the cooperation status of the producers/exporters concerned. Accordingly, producers/exporters which had participated in the original investigation and were accorded individual rates shall continue to be governed by their respective existing individual rates, provided their responses in the present review are accepted and they continue to qualify for cooperative treatment. Producers/exporters participating for the first time in the present review, which were not accorded individual rates in the original investigation, shall be covered by the applicable residual rate under the existing duty structure. Conversely, where the response of an existing producer/exporter is rejected, as proposed in the case of the Dingsheng Group, such producer/exporter shall cease to qualify for continuation of its earlier individual treatment and shall fall within the residual/non-cooperative category. All other non-participating or non-cooperating producers/exporters shall likewise be subject to the residual rate applicable under the continued measure

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST, PUBLIC INTEREST AND OTHER ISSUES**J.1 Views of the other interested parties****(i) Request for an actual-user and end-use based exclusion**

217. TTRL, Mahle Anand and Paharpur have submitted that, without prejudice to their request for product exclusion, the Authority may exclude the identified clad and unclad products when imported by an actual user for the manufacture of heat exchangers. Reliance has been placed on the final findings concerning Low Ash Metallurgical Coke, in which actual-user conditions and a Customs undertaking were adopted for product exclusions linked to ferroalloy and pig-iron manufacture. It is submitted that the same mechanism may require import by the heat exchanger manufacturer or another actual user, an undertaking as to import and end use, and certification or verification of consumption, and that such a condition would address the possibility that the same tariff description covers use in another sector, removing the duty from products required by the heat exchanger sector while preserving the measure on products which compete with the domestic industry in other uses.

(ii) Request for imposition of a tariff-rate quota

218. TTRL, Mahle Anand and Paharpur have requested a tariff-rate quota (TRQ) for clad products and specified unclad grades, under which imports up to a prescribed annual quantity would be allowed at nil anti-dumping duty, while imports beyond the quota would remain subject to the applicable duty. The quota may be product-specific and available to eligible actual users.
219. The proposed quota is intended to cover only the quantity that the domestic industry is unable to manufacture or supply, so that user requirements are met without removing protection from imports that compete with domestic production. Reliance has also been placed on the EU fused alumina measure as an example of combining duty-free quota access with anti-dumping duty beyond the quota.

(iii) Impact of the continuation of duties on the downstream industry

220. The user industry has submitted that the domestic industry has failed to supply the products required by it even after the imposition of anti-dumping duties, and that the users have been compelled to import on payment of the residual rate of duty. It is submitted that where domestic supply covers only part of the demand, duty on the entire volume of imports treats the uncovered demand as if it displaced domestic sales. It is further submitted that the imposition of duty on products which the domestic industry does not manufacture raises the cost to the user without affording any protection to the domestic producer.

J.2 Views of the domestic industry

221. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest and public interest:
- a. The imposition of the duties has had an overall positive effect on the Indian aluminium industry and has facilitated the establishment and enhancement of production capacity in India. Inalco Private Limited established a plant with a capacity of *** MT in 2023 and Virgo Aluminium Limited expanded its capacity from *** MT to ***MT, both stating that this would not have been possible without the anti-dumping duties. Hindalco is undertaking an investment of approximately ₹ *** billion] to increase its upstream aluminium capacity by *** KT.

- b. The establishment and expansion of capacity by other domestic producers is a clear indication that there is no monopolisation by the domestic industry, and that the duties have ensured the growth and expansion of the Indian industry as a whole.
- c. The product under consideration is manufactured and supplied by several Indian producers and is readily available through imports from various countries. The increase in imports during the period of investigation indicates that downstream users have faced no difficulty or constraint in importing the subject goods. The sales of other domestic producers increased from ***MT in the base year to *** MT during the period of investigation, indicating that the domestic producers are capable of meeting domestic demand.
- d. The duties have had and will continue to have a minuscule impact on end-users. The impact assessment furnished with the economic interest questionnaire response, computed on the basis of the highest applicable rate of US\$ 449 per MT and an exchange rate of 1 US\$ = ₹ 92, shows an impact on the cost of the end product ranging from 0.0% to 2.8%, the impact being 0.1% in the case of an LED bulb, 0.4% in the case of an air conditioner, 0.074% and 0.100% in the case of building façade using ACP mill finish and colour coated material respectively, 0.2% in the case of newsprint, 0.2% in the case of CNC machine components, 0.5% in the case of formwork, 0.1% in the case of a pharmaceutical bottle closure, 2.8% in the case of a pressure cooker and 0.1% in the case of a motor car.

J.3 Examination by the Authority

a. Assessment of impact of the continuation of the duties on the user industry

- 222. The Authority has considered the interests of the domestic industry as well as those of importers, users and downstream consumers. Anti-dumping measures are trade-remedial measures intended to address the injurious effects of unfairly priced imports. In a sunset review, the relevant examination is whether expiry of the existing measure is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. At the same time, the Authority considers it appropriate to examine whether continuation of the measure would impose a disproportionate burden upon downstream industries or materially impair the availability of the product under consideration in the Indian market. The purpose of such examination is to ensure that the remedial measure, if continued, restores conditions of fair competition without unnecessarily restricting legitimate trade or imposing an excessive burden upon the user industry.
- 223. The Authority notes that, following initiation of the present investigation, an opportunity was provided to all interested parties, including producers, exporters, importers, users and user associations, to place relevant information on record. The Authority also prescribed an Economic Interest Questionnaire specifically to enable stakeholders to provide information regarding, inter alia, the likely effect of continuation of the anti-dumping duties upon their operations. Several users and associations have participated in the present investigation and have raised issues concerning product availability, cost of imports, actual-user exclusions and the availability of particular product grades. The Authority has considered these submissions together with the information furnished by the domestic industry and the other material available on record.
- 224. The Authority observes that Flat Rolled Products of Aluminium constitute an important industrial intermediate having applications across a number of downstream sectors. Depending upon alloy, temper, gauge, width, finish and other technical characteristics, the subject goods are used, inter alia, in aluminium composite panels and building façades, roofing and cladding, air-conditioning and heat-exchange applications, automotive components, pressure cookers and cookware,

packaging, printing, formwork, closures and other industrial applications. The public-interest assessment in the present case must therefore recognise the importance of continued availability of the subject goods at competitive prices to downstream manufacturing industries.

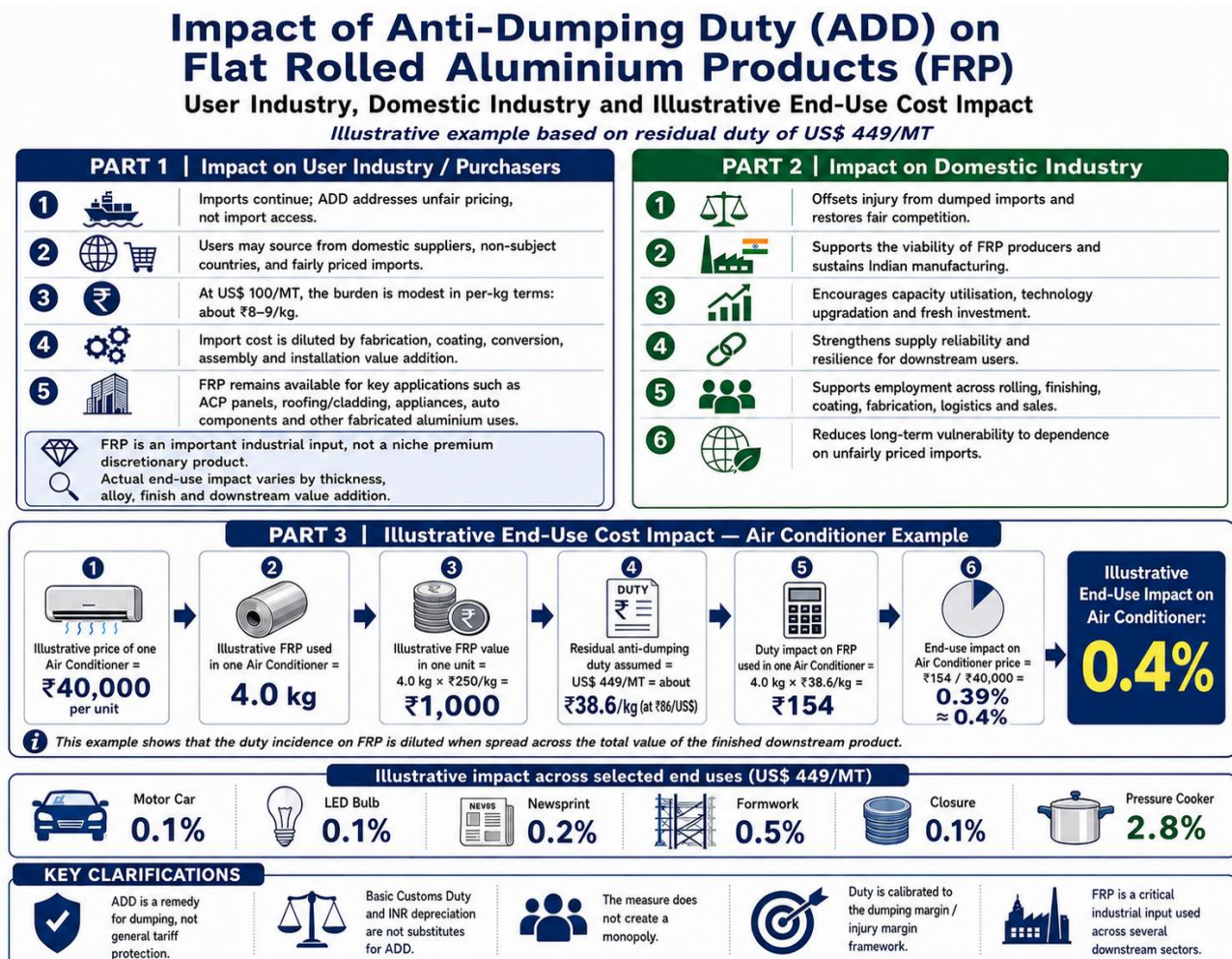
225. The importance of the product as an industrial input, however, does not by itself establish that continuation of an anti-dumping measure is contrary to the interests of users. The relevant question is whether the measure materially restricts access to the input or results in a cost burden which is disproportionate when viewed in relation to the value of the downstream product. Anti-dumping duty does not prohibit imports, impose a quantitative restriction, or reserve the Indian market for the domestic industry. Subject goods may continue to be imported from China PR upon payment of the applicable duty and may also be sourced from non-subject countries or from domestic producers. The measure operates only upon the price conditions under which dumped imports enter the Indian market.

b. Availability of the product and alternative sources of supply

226. The evidence on record does not indicate that the duties presently in force have resulted in any general shortage of Flat Rolled Products of Aluminium in India. On the contrary, the Indian market has expanded materially during the injury period. Demand increased by 55 indexed points, while imports from the subject country increased from 1,18,280 MT in the base year to 1,77,192 MT during the period of investigation on an annualised basis. Thus, substantial quantities of the subject goods continued to enter India notwithstanding the anti-dumping duties in force. The continuation of imports during the duration of the measure demonstrates that the measure has not operated as a prohibition on imports.
227. The Authority further notes that imports from non-subject countries increased from 34,205 in the base year to 1,32,573 MT during the period of investigation on an annualised basis. At the same time, sales of other domestic producers increased from *** MT to *** MT. The Indian user industry therefore has access to three distinct channels of supply, namely, imports from the subject country, imports from non-subject countries and supplies from Indian producers. The material available on record consequently does not establish an economy-wide supply constraint attributable to the existing anti-dumping duties.
228. The position is reinforced by the expansion of domestic production capacity after imposition of the existing measures. It is noted that the additional producers have entered or expanded in the Indian market. Inalco Private Limited established capacity of approximately *** MT, while Virgo Aluminium Limited expanded its capacity from approximately *** MT to *** MT. The applicant has also undertaken significant capacity expansion and investment. The emergence and expansion of several domestic producers is relevant from the perspective of users since it broadens the domestic supply base and reduces dependence upon a single source of supply.
229. The Authority accordingly does not consider the continuation of an anti-dumping measure, by itself, to create a monopoly or to eliminate competitive choice. The product under consideration is manufactured by several Indian producers, while imports continue from the subject country and from other countries. The specific claims concerning the availability of particular clad products or particular grades have been examined separately in the sections dealing with the scope of the product under consideration. Those product-specific disputes cannot, without supporting quantification, be extrapolated into a finding that the product under consideration as a whole is unavailable to the Indian user industry.

c. **Quantification of the impact of anti-dumping duty on downstream products**

230. The Authority considers quantification of the likely end-user impact to be particularly relevant in the present investigation. A duty imposed upon an industrial intermediate may affect a downstream producer through an increase in the cost of the input. The significance of such incidence, however, depends upon the quantity of the subject input consumed in the downstream product, the value of that input in the overall cost structure, the extent of further processing and value addition, and the value of the finished product. A mere increase in the procurement cost of the subject goods cannot therefore be equated with an equivalent increase in the price or cost of the downstream product.
231. The domestic industry has furnished a product-wise impact assessment with its Economic Interest Questionnaire response. The said assessment has been prepared by applying the highest presently applicable residual anti-dumping duty of US\$ 449 per MT and an illustrative exchange rate of ₹92 per US dollar. The Authority notes that the exchange rate adopted elsewhere in the present investigation is ₹86 per US dollar and, therefore, the ₹92 rate used in the impact assessment is treated only as part of the illustrative exercise furnished by the domestic industry and not as the exchange-rate basis for determination of dumping, injury or the amount of duty.
232. On the basis of the information furnished, the illustrative impact of the highest existing residual duty on the cost of representative downstream products is as follows:



233. The Authority notes that the assessment covers a diverse range of applications and indicates that, even when the highest residual duty of US\$ 449 per MT is assumed, the resulting impact on the value of the downstream product remains below 1% in all of the identified applications other than the illustrative pressure-cooker example. In the case of pressure cookers, where aluminium constitutes a relatively larger component of the finished product, the estimated impact is 2.8%. The magnitude of the effect therefore depends primarily upon the proportion of FRP in the overall cost of the downstream article and is progressively diluted where the downstream product incorporates other materials, components, fabrication, machining, coating, assembly, technology, labour, distribution and other value addition.
234. The Authority further notes that the foregoing computation has been undertaken at the highest residual rate of US\$ 449 per MT. The existing duty applicable to the individually named producers/exporters is substantially lower or nil. The cost incidence upon users sourcing the product from such producers would therefore be correspondingly lower or nil. Further, should the duty ultimately considered appropriate upon completion of the present review be lower than the existing residual rate, the resulting incidence upon downstream products would necessarily be lower than the illustrative impact shown above, other factors remaining unchanged. The Authority accordingly considers the assessment based upon US\$ 449 per MT to provide a useful upper-side illustration of the possible downstream impact rather than an indication that every import transaction attracts that level of duty.
235. The Authority also notes that no interested party has placed on record an alternative product-wise quantification demonstrating that the continuation of the duty would result in a materially higher incidence upon the final downstream products. The user industry has raised concerns regarding the availability and cost of particular product types, and those concerns have been examined on their merits. However, in the absence of a substantiated alternative calculation showing a significant downstream cost escalation, the available quantitative evidence does not demonstrate that continuation of the measure would impose a disproportionate financial burden upon the downstream industry.
236. The Authority further considers it relevant that the present proceeding concerns continuation of a measure which has already remained in force for nearly five years. Continuation of the measure would therefore not, in itself, constitute introduction of an entirely new cost element for the downstream industry. During the duration of the duties, the Indian market has continued to expand, subject imports have continued in substantial volumes, non-subject imports have increased and domestic production has expanded. The available evidence consequently does not indicate that the duties have impaired the growth of downstream consumption or prevented users from obtaining the subject goods.
- d. Effect of the measure on competition, investment and domestic supply capability**
237. The Authority has also considered the wider effect of the measure upon the Indian aluminium industry. The information available on record indicates that the period during which the duties have remained in force has witnessed entry and expansion by other domestic producers. The establishment of additional domestic capacity is relevant to public interest not merely from the

perspective of the applicant but also because a broader Indian production base provides users with an additional source of supply and contributes to greater resilience of the domestic supply chain.

238. In this regard, the Authority notes the statements made by Inalco Private Limited and Virgo Aluminium Limited that the anti-dumping measures facilitated their investment and capacity creation or expansion. The Authority has also taken note of the substantial investment being undertaken by the applicant in its aluminium operations. These developments do not establish that domestic producers should be insulated from fair import competition; rather, they demonstrate that a market in which imports remain available at fair prices can coexist with investment and additional production capacity in India.
239. The Authority considers that long-term user interest is not necessarily served by dependence upon unfairly priced imports merely because such imports may provide a short-term reduction in input prices. A sustainable competitive market requires the coexistence of viable domestic production, imports from multiple origins and fair competition between suppliers. Where the statutory requirements for continuation of an anti-dumping measure are otherwise satisfied, the public-interest inquiry is therefore whether the remedial benefit is accompanied by an excessive or disproportionate downstream burden. On the material presently available, no such disproportionate burden has been demonstrated.
240. The Authority further notes that the Indian anti-dumping framework itself contains safeguards against excessive protection. The amount and form of any duty that may ultimately be recommended remain subject to the applicable statutory framework, including the Authority's determination of the relevant margins and non-injurious price. The user-impact examination does not predetermine the rate of duty and should not be understood as an endorsement of a duty greater than what is required under law to address the consequences of dumping and likely injury.

e. Request for an actual-user and end-use based exclusion

241. The Authority notes that an actual-user or end-use based exclusion is appropriate where a precisely identifiable product, when imported for the specified use, does not compete with an identical or closely resembling product supplied by the domestic industry. The Authority has adopted such conditions in appropriate cases, including the final findings concerning Low Ash Metallurgical Coke. For the reasons recorded in the product-scope examination above, the Authority decides to apply an actual-user and end-use based exclusion to the two specified folded-tube and welded-tube Clad materials pertaining to H24 temper along with AA3003 and AA3005 alloys as specified above. The exclusion shall apply equally to every eligible actual user satisfying the objective product and end-use conditions and shall not be confined to any named importer.
242. Each consignment claiming the exclusion shall be supported by (i) a commercial invoice and purchase order carrying a consistent product description; (ii) an end-use certificate supported by the applicable customer or OEM specification or drawing; and (iii) a legally enforceable undertaking before the concerned Customs authority that the goods will be consumed in the importer's own manufacturing facility for the declared tube or heat-exchanger application and will not be sold, transferred or diverted. Imports through traders, imports for resale, products having a different alloy combination, layer configuration, thickness, temper or end use, and consignments

not satisfying the documentary conditions shall remain subject to the anti-dumping duty otherwise applicable.

f. Request for a tariff-rate quota

243. The Authority has examined the request of the interested parties for allowing a tariff-rate quota in respect of certain Clad products and identified unclad grades. The Authority notes that no tariff-rate quota has been adopted as a form of anti-dumping measure in the present investigation or under the existing Indian anti-dumping practice relied upon by the interested parties. The reference made by the interested parties to the measure adopted by the European Union in respect of fused alumina pertains to a measure adopted under the legal and institutional framework applicable in that jurisdiction and does not, by itself, provide a basis for adopting a similar mechanism in the present investigation. In the present case, the concerns relating to the two specifically established folded-tube and welded-tube Clad materials have been addressed through a narrowly defined actual-user exclusion. For the remaining Clad products and the identified unclad grades, no reliable quantification of a residual product-specific supply gap has been established which could form the basis of an administrable tariff-rate quota.
244. The Authority further notes that no interested party has placed on record a quantification of the volume which it says the domestic industry is unable to supply, in respect of which a quota might be framed. In the absence of such a quantification, a tariff-rate quota could not be administered. The Authority accordingly does not recommend a tariff-rate quota in the present investigation.

g. Overall assessment of impact on the user industry and public interest

245. Having regard to the foregoing, the Authority notes that:
- i. the subject goods constitute an important industrial input used across a wide range of downstream industries, and the interests of such users have therefore been specifically considered;
 - ii. anti-dumping duty does not prohibit imports and substantial quantities of the subject goods have continued to be imported from China PR during the duration of the existing measure;
 - iii. users also have access to supplies from non-subject countries and from an expanding base of Indian producers;
 - iv. demand for the subject goods has increased substantially during the injury period and no general shortage attributable to the anti-dumping measure has been demonstrated;
 - v. the quantitative assessment furnished on record, even when the highest existing residual duty of US\$ 449 per MT is assumed, shows an impact below 1% upon each of the identified downstream applications other than the illustrative pressure-cooker application, where the impact is 2.8%;
 - vi. the highest residual rate does not apply to all imports, the existing rates applicable to individually named producers/exporters being lower or nil;
 - vii. the measure has been in force for nearly five years, during which the downstream market, imports and Indian production have continued to expand; and

viii. the available material does not establish that continuation of an appropriately calibrated anti-dumping measure would create a monopoly, materially restrict product availability or impose a disproportionate burden upon downstream users.

246. **The Authority therefore holds that the quantitative and qualitative evidence available on record does not establish that continuation of an appropriately calibrated anti-dumping measure would have a significant adverse impact upon the downstream user industry.**

247. At the same time, the Authority recognises that the object of an anti-dumping measure is remedial and not protective in the ordinary tariff sense. Continuation of the measure, if ultimately warranted upon examination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, should preserve legitimate access to imports while removing the unfair price advantage arising from dumping. On the evidence presently available, continued access to imports, expansion of domestic capacity and the limited quantified impact upon representative downstream products indicate that these objectives are capable of being achieved simultaneously.

248. Accordingly, subject to the Authority's final determination on likelihood and on the appropriate amount and form of the measure, the Authority holds that continuation of the anti-dumping duties on the product under consideration would support fair competition and a diversified domestic supply base without imposing a disproportionate burden upon the user industry, and would therefore not be contrary to the public interest.

249. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unfair trade practice of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country or to restrict competition, but to ensure a level playing field.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1. COMMENTS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

Adequacy of disclosure, time for comments and consideration of earlier submissions

250. Alcha and Dingsheng submit that the time allowed for comments on the Disclosure Statement was inadequate after accounting for holidays and the weekend. Exporters also request fresh disclosure if any essential confidential calculation is materially changed. Importers/Users submit that each exclusion request must be separately reasoned in the Final Findings. Dingsheng further says that the DG Systems transactions relied upon and the six deficiencies later recorded were not separately disclosed before the Disclosure Statement, and asks that the grounds raised in its Delhi High Court writ petition also be considered.

Colour-coated coils above 80 microns but below 120 microns

251. The ACP Manufacturers Association and users support exclusion of colour-coated coils above 80 microns but below 120 microns. They submit that the original colour-coated PCN began at 120 microns, while foil up to 80 microns was excluded; therefore, the intervening range was not part

of the product universe actually compared in the original investigation. Continued imports and Hindalco's later ACP-related supplies, according to them, do not change that original scope.

Request to exclude colour-coated coils of 120 microns and above for ACP application

252. The ACP Association and users also seek exclusion of colour-coated coils of 120 microns and above for ACP use. They submit that Hindalco did not commercially supply the required ACP-grade material during the relevant period, roofing-grade coated material is not an adequate substitute, and an application-specific product should not remain covered merely because it falls under the same broad tariff heading. They also rely on an exclusion granted for a different colour-coated aluminium product in another proceeding.

Specified H24 clad tube material for folded/B-type and welded radiator tubes

253. Users support the proposed exclusion of the two specified H24 clad tube materials. They submit that the product must be examined as a complete combination of core alloy, clad layers, layer configuration, temper, thickness and end-use; supply of another H24 or 3003/3005 product does not prove supply of the specific tube material required by the customer/OEM.

Additional clad and unclad heat-exchanger products sought by Mahle, Tata Toyo and the ACP/user group

254. Mahle and Tata Toyo identify additional clad products for radiators, condensers, charge-air coolers, evaporators and other heat exchangers, involving different alloys, clad layers, cladding configurations, tempers and gauges. They also seek exclusion of specified unclad grades or, alternatively, a wider class of clad with compatible non-clad heat-exchanger material. Relying on purchase orders, mill certificates, correspondence, quality records, development trials, delayed supply and rejected samples, they submit that the products were not commercially interchangeable. The ACP/user group separately seeks exclusion of 0.40-0.45 mm clad material for charge-air-cooler/intercooler use.

Paharpur request for 4343/3003-H24 clad aluminium fin strip

255. Paharpur seeks exclusion of one-side Clad Aluminium Fin Strip comprising an AA4343 aluminium-silicon clad layer metallurgically bonded to an AA3003 core, in H24 temper, thickness 0.23-0.30 mm, width 200 mm and thickness tolerance ± 0.0075 mm, for manufacture of fin tubes used in air-cooled condensers and industrial dry-cooling systems. It relies on transaction-linked procurement evidence, Hindalco's offer of H14 material and statement that H24 could be explored, and technical tests said to show that H14 was not an interchangeable substitute. It seeks a narrow actual-user/end-use exclusion supported by mill certificates, purchase records and Customs safeguards, and also highlights the power-sector and industrial-cooling applications of the downstream equipment.

Flat rolled aluminium products having width above 1950 mm

256. The user parties seek exclusion of FRP above 1950 mm, contending that actual domestic production and commercial supply were not established and that requirements continued to be

met through imports. They submit that capability or future investment cannot substitute for evidence of actual supply during the relevant period.

Actual-user/end-use exclusions and request for a tariff-rate quota

257. Mahle, Tata Toyo, Paharpur and other users seek actual-user/end-use exclusions for products shown to be unavailable or non-substitutable in India, supported by mill certificates, purchase orders, invoices, end-use records and Customs undertakings. In the alternative, Mahle and Tata Toyo seek a TRQ for identified retained products, arguing that the absence of an earlier Indian anti-dumping TRQ is not, by itself, a reason to reject the mechanism.

Sampling of producers/exporters

258. Alcha and Dingsheng submit that the Authority should have used sampling under Rule 17(3). They rely on recent investigations where sampling was adopted with a comparable number of responding groups. Dingsheng adds that the Disclosure Statement's reference to the 'factual matrix' did not explain why individual examination was practicable here.

Methodology for constructed normal value

259. The accepted cooperating exporters rely on the disclosed constructed normal value methodology and seek confirmation of their final individual dumping margins.

Individual treatment of cooperating exporters in a sunset review and requests for NIL duty

260. Huaфон, Alcha, Nantong Hengjin, Arconic and Granges seek individual treatment based on their final margins. Huaфон and Granges state that both dumping and injury margins are negative; Arconic states that its dumping margin is positive but injury margin negative; Alcha and Nantong rely on negative injury margins. They seek NIL duty under the lesser-duty rule. Granges also argues that Section 9A(5) should not be used to impose a positive duty on it when it was not subject to a positive rate in the original measure. Dingsheng separately challenges its residual treatment.

Dingsheng Group: questionnaire response, reconciliation, individual treatment and landed value

261. Dingsheng states that it fully cooperated by filing questionnaire responses, a consolidated master statement, invoices, supporting documents and certifications, and argues that Rule 6(8) cannot be invoked merely because the Authority has reconciliation concerns. It seeks the transaction-wise DG Systems data and confidential aggregate figures used for comparison, citing earlier investigations and arguing that importer names could be masked and Section 135AA does not bar disclosure of its own export transactions.
262. Dingsheng also submits that apparent DG Systems differences may arise from non-PUC foil under heading 7607, invoice/import-clearance timing, units, multiple invoices under one bill of entry and product-description sorting. For Dingsheng HK, it accepts that Appendix 3A reports *** MT while the profitability working covers *** MT, a gap of *** MT (***%). It says Appendix 3A follows invoice date while Appendix 5 follows revenue recognition, that timing differences explain the gap, and that trader expenses/profit could in any case be applied per MT. It notes that Dingsheng HK accounts for about ***% of group exports and that more than ***% of exports were direct producer sales.

263. The Group further says the master statement was prepared at the Authority's request and links the producers, related traders, Indian customers, quantities and values; normal timing differences do not undermine its certifications; and any limited trader issue should be confined to the affected transactions. On landed value, it defends common freight/insurance factors used to convert FOB/CFR sales to CIF-equivalent values and says the Authority could adopt another reasonable method. It also objects to the absence of an in-person verification meeting and requests an individual rate.

Yinbang Clad Material Co., Ltd.: request for individual margin and challenge to facts-available treatment

264. Yinbang submits that Appendix 1 and Appendix 3A contain the same India-sales quantity and that the disclosed difference arose from an inadvertent link between Appendices 8 and 9. Since it did not claim market-economy treatment, it argues that Appendix 8 cost data should not determine acceptance of its export price. It also relies on PCN-wise net export and landed prices filed on 10 August 2026, says some date and credit-period fields can be corrected from source documents, and attributes the DG Systems difference partly to shipping/import-clearance timing. It argues that official import data is only a cross-check and seeks a further opportunity for reconciliation and an individual margin.

Negative price undercutting, negative injury margins and present injury

265. Alcha, Dingsheng and users rely on negative POI price undercutting and negative injury margins for accepted cooperators. They submit that these imports were above the domestic industry's NIP and were not causing current price injury. They also point to improvements in production, sales, capacity, productivity, employment and wages, and argue that any likelihood finding must explain why prices would fall after expiry rather than rely on earlier positive undercutting or inventory in isolation.

Treatment of non-dumped/non-injurious cooperative imports and residual imports

266. Alcha submits that imports from exporters with negative dumping margins cannot be treated as dumped imports and that a positive residual injury margin cannot override negative cooperative margins. Dingsheng adds that three accepted groups have negative dumping margins and challenges the 10-20% residual injury-margin range, relying on the original investigation and the Electrogalvanized Steel case. Users similarly rely on the negative injury margins of accepted exporters.

Market share, other domestic producers, non-subject imports and causation

267. Alcha and Dingsheng submit that the domestic industry's market-share loss cannot be attributed mainly to China because subject-import share declined while non-subject imports and other Indian producers gained share. They also point to growth in domestic production and sales and argue that capacity expansion affected return on capital. Users add that imports must be viewed in the context of strong demand growth and product-specific supply needs.

Post-POI data and likelihood of continuation or recurrence

268. Alcha objects to reliance on post-POI imports without comparable post-POI domestic-industry data and says a short-term change in import rate or assessable value is not a dumping

determination. Exporters argue that growing demand, global capacity, third-country measures and India's price attractiveness cannot by themselves prove recurrence. Dingsheng cites other sunset reviews and says post-POI production, sales, cost and profitability should also be examined if post-POI import data is relied upon.

Length of the period of investigation

269. Alcha and Dingsheng object to the 18-month POI of 1 April 2024 to 30 September 2025. They submit that 12 months is the normal period, that case-specific reasons were required for 18 months, and that a more recent 12-month period would show stronger recovery. They also argue that reliance on 2021-22 as a base can overstate deterioration because profitability improved after 2022-23.

Non-injurious price: post-disclosure objections to cost and allocation methodology

270. The other interested parties do not raise a separate detailed challenge to the NIP methodology. They principally rely on the negative injury margins of accepted exporters and ask that those final margins be respected in the duty determination.

Public interest and downstream impact

271. Users submit that technical availability of specific heat-exchanger inputs and downstream competitiveness weigh against duty on products not available in India. Paharpur highlights power-sector, public-sector and nuclear-power applications. Users also argue that accepted exporters with negative injury margins should not bear positive duty merely to support domestic investment.

Corrections to names and other clerical particulars

272. Granges, Huaфон, Arconic and Alcha seek correction of their legal names in the Final Findings and duty table.

K.2. COMMENTS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

Adequacy of disclosure, time for comments and consideration of earlier submissions

273. Hindalco submits that parts of its rejoinder dated 10 August 2026 were not reflected in the Disclosure Statement, particularly on the 80-120 micron product, proposed clad exclusions and widths above 1950 mm. It asks that the rejoinder be fully considered and seeks a fresh disclosure.

Colour-coated coils above 80 microns but below 120 microns

274. Hindalco opposes exclusion of the 80-120 micron range. It submits that the original legal PUC covered FRP of all dimensions, including coated products, except the express exclusions, and that a PCN is only a comparison tool and cannot narrow the PUC.

Request to exclude colour-coated coils of 120 microns and above for ACP application

275. Hindalco opposes a blanket ACP-use exclusion for colour-coated products of 120 microns and above. It submits that these products are within the original scope, that it has facilities to supply colour-coated material, and that coating, end-use or customer specifications do not automatically create a separate product.

Specified H24 clad tube material for folded/B-type and welded radiator tubes

276. Hindalco opposes the two H24 tube-material exclusions. It says the exact specification was not earlier put to it in the same form, FRP is a broad product family, and made-to-order combinations cannot each be treated as separate articles. It relies on sales of H24 clad products using 3003/3005 alloys in overlapping thicknesses as evidence of production capability and supply.

Additional clad and unclad heat-exchanger products sought by Mahle, Tata Toyo and the ACP/user group

277. Hindalco submits that the PUC contains many grades and customer-specific variants and that it need not prove sales of every possible combination. It relies on production and sales across alloys, tempers and thicknesses, characterises the users' evidence as customization/quality disputes, and opposes exclusion of unclad 1xxx and 3xxx products because it manufactures those alloy series.

Paharpur request for 4343/3003-H24 clad aluminium fin strip

278. Hindalco relies on its manufacture of H24 clad material in 3003/3005 alloy families and overlapping thicknesses and opposes exclusion of a customized Paharpur variant merely because that customer did not procure it during the POI.

Flat rolled aluminium products having width above 1950 mm

279. Hindalco states that the Disclosure Statement wrongly referred to a future plant. It relies instead on Exhibit 12 and transaction-wise sales said to show existing commercial manufacture and supply of FRP above 1950 mm, and asks that the exclusion be rejected.

Actual-user/end-use exclusions and request for a tariff-rate quota

280. Hindalco opposes wider exclusions and maintains that it can supply the retained products. It does not propose a quantified TRQ and seeks continuation of the existing remedial framework.

Sampling of producers/exporters

281. The domestic industry makes no specific post-disclosure submission on sampling.

Methodology for constructed normal value

282. Hindalco submits that the disclosed CNV wrongly imported 'best utilization' and 'optimum capacity utilization' concepts from Annexure III, which applies to NIP. It asks that CNV be based on verified actual cost, with appropriate SG&A and reasonable profit, under Annexure I.

Individual treatment of cooperating exporters in a sunset review and requests for NIL duty

283. Hindalco objects to fresh individual rates for exporters that did not participate in the original investigation, particularly Alcha, Huaфон and Nantong, arguing that prices in a sunset-review POI can be managed with knowledge of the existing duty. It also supports facts-available treatment where a response does not permit reliable calculation and asks that final normal value be corrected before margins are confirmed.

Dingsheng Group: questionnaire response, reconciliation, individual treatment and landed value

284. Hindalco supports rejection of Dingsheng's response where the data do not permit a reliable individual determination and says such respondents should be placed in the residual/facts-available category.

Yinbang Clad Material Co., Ltd.: request for individual margin and challenge to facts-available treatment

285. Hindalco similarly supports rejection of Yinbang's response, submitting that the disclosed deficiencies are material and cumulative and that an unreconciled database should not receive an individual rate.

Negative price undercutting, negative injury margins and present injury

286. Hindalco relies on the widening gap between cost of sales and net sales realization, weak profits, low return on capital, inventory accumulation and substantial imports despite duty. It submits that the review is forward-looking and negative POI undercutting does not by itself require termination.

Treatment of non-dumped/non-injurious cooperative imports and residual imports

287. Hindalco seeks continuation of the measure against China PR and submits that cooperative margins do not exhaust the likelihood inquiry because substantial exports are made by other or non-cooperating suppliers.

Market share, other domestic producers, non-subject imports and causation

288. Hindalco submits that its sales did not keep pace with demand and that it could not earn an adequate return despite market growth. It attributes this, in part, to continued large-scale imports from China.

Post-POI data and likelihood of continuation or recurrence

289. Hindalco relies on continued/import growth despite duty, declining export realizations of responding Chinese suppliers, post-POI volume and unit values, China's large capacity and export orientation, India's relatively attractive prices, third-country measures and possible diversion from the United States and European Union. It also cites the post-expiry experience of aluminium foil as corroboration.

Length of the period of investigation

290. Hindalco does not seek any change to the notified 18-month POI and relies on the continuous injury series used in the Disclosure Statement.

Non-injurious price: post-disclosure objections to cost and allocation methodology

291. Hindalco raises six NIP issues: treatment of salary/wage and corporate/general expenses; export incentives; value of captive raw material; raw-material utilization and scrap; the denominator for administrative overheads; and normalization of the newly commissioned Aditya plant during ramp-up.

Public interest and downstream impact

292. Hindalco submits that the measure supported domestic capacity creation without stopping imports and that the quantified incidence of the highest residual duty is small for most downstream products. It points to continued access to subject imports, non-subject imports and other Indian suppliers.

Corrections to names and other clerical particulars

293. Hindalco seeks correction of the supporting producer's name from 'Inalco Alloys Limited' to 'Inalco Private Limited'.

K.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**Adequacy of disclosure, time for comments and consideration of earlier submissions**

294. The Authority has examined the objections concerning the time allowed for post-disclosure comments, the alleged omission of earlier submissions and the request for a further disclosure. Rule 16 requires disclosure of the essential facts under consideration which form the basis of the final determination. It does not require the Disclosure Statement to reproduce every pleading or every document filed by the parties. The relevant test is whether the parties were informed of the relevant facts, methodology and proposed conclusions with sufficient clarity to make an effective response.
295. The Disclosure Statement set out the proposed product scope, the basis of the dumping and injury calculations, the treatment proposed for each responding producer/exporter, the principal injury indicators, the likelihood factors and the proposed product exclusions. The detailed post-disclosure comments filed by the parties, including Alcha, Dingsheng, Mahle, Tata Toyo and Paharpur, demonstrate that the parties understood the proposals made in the disclosure statement and were able to contest them on facts, methodology and law. No party has identified any specific submission which it was prevented from making solely because of the time allowed. The Authority therefore finds that a reasonable and effective opportunity to comment was available.
296. A fresh disclosure is required only where the Authority proposes to rely upon a new essential fact or a materially different adverse methodology on which the affected party has had no opportunity to comment. A correction of an arithmetic error, incorporation of a verified figure, or finalisation of a calculation within the methodology already disclosed does not, by itself, require a second disclosure. If any conclusion in the Final Findings rests upon a materially new adverse factual basis, that basis cannot be used without following the applicable disclosure requirement. No such new basis is introduced in the examination below.
297. As regards Dingsheng, the Authority has considered its submissions concerning DG Systems data, the six identified deficiencies, the master statement, trader profitability, timing differences, certifications, audit trail, landed value and verification. The communication dated 28 July required a complete producer-wise, exporter-wise, trader-wise and channel-wise reconciliation and support for all material adjustments. The later six points are the specific unresolved results of examining

the information furnished in response to that requirement; they do not constitute an unrelated new methodology. The Group received the Disclosure Statement identifying those concerns and filed a detailed response to each of them. The Authority further notes that the writ petition filed by the Group before the High Court of Delhi, inter alia seeking disclosure of the DG Systems data and alleging denial of adequate opportunity, was taken up by the Division Bench and dismissed at the threshold by order dated 31 August 2026. The Court did not accept those grounds as warranting admission of the petition or interference with the investigation. The dismissal confirms that no procedural ground was established before the Court for interfering with the statutory process. Independently of the dismissal, the Authority has examined every ground repeated on the investigation record on its own merits. The treatment of the Group's response therefore rests upon the specific and cumulative deficiencies recorded in these Final Findings and not merely upon the dismissal of the writ petition.

298. The Authority also accepts that the earlier reference to a proposed future plant for higher-width products should not form the basis of the final determination. The width issue has therefore been decided only on the evidence of actual production and merchant sales during the relevant period. In view of the foregoing, the request for a second Disclosure Statement is not accepted.

Colour-coated coils above 80 microns but below 120 microns

299. The Authority has re-examined the issue in light of the post-disclosure submissions and the material placed on record. The Disclosure Statement had proposed exclusion of colour-coated aluminium products above 80 microns and below 120 microns on the basis that the specific PCN for “Colour Coated” products in the original investigation referred to a thickness range of 0.12 mm to 1.63 mm (120-1,630 microns), while aluminium foil up to 80 microns stood expressly excluded. However, pursuant to the post-disclosure submissions, it has been brought to the notice of the Authority that the existing anti-dumping duty is presently applicable to colour-coated aluminium products falling in the thickness range above 80 microns and below 120 microns. Hindalco has accordingly submitted that the continued applicability of the existing anti-dumping duty to this thickness range demonstrates that such products form part of the product under consideration, notwithstanding the lower thickness limit reflected in the specific colour-coated PCN.
300. The Authority notes that the continued levy of anti-dumping duty on colour-coated aluminium products in the thickness range above 80 microns and below 120 microns is a relevant and material fact for determining the existing scope of the PUC. A PCN is principally a mechanism for ensuring fair comparison between different product types and does not, by itself, determine or restrict the legal scope of the PUC. In view of the fact that the existing anti-dumping measure extends to colour-coated products in the disputed thickness range, the Authority considers that the said products cannot be considered as falling outside the existing PUC merely because the specific colour-coated PCN in the original investigation commenced from 120 microns. The issue raised by the interested parties is, therefore, examined as a request for exclusion of 80-120 microns from the PUC, principally on the ground that the domestic industry did not manufacture and/or sell the disputed colour-coated products in the thickness range above 80 microns and below 120 microns during the POI. The merits of such exclusion are accordingly examined below.

301. Hindalco's contention regarding the production and sales of colour-coated coils of 80-120 microns has been examined from its own transaction-wise sales register for the POI. The register contains 1,472 sales entries classified by Hindalco itself under "Colour Coated", and the thickness of these products ranges from 0.40 mm to 1.22 mm, i.e. 400 to 1,220 microns. There is not a single sale below 400 microns, and consequently no sale in the disputed 80-120 micron range. Even the entries described as "Everlast (Coils/Sheets)" range from 400 to 1,000 microns. The Authority has additionally examined the historical invoices placed on record for the preceding period; the lowest thickness identified therein is 0.18 mm (180 microns). Thus, neither the POI sales register nor the historical sales (period since August 2020) evidence establishes commercial sale of colour-coated coils in the 80-120 micron range.
302. This evidence assumes particular significance because Hindalco has expressly contended in its post-disclosure comments that it submitted invoices demonstrating production and sales of colour-coated coils of 80-120 microns. The Authority has not accepted that assertion merely on its description. Any sample invoice relied upon for such a claim must necessarily reconcile with the domestic industry's complete sales record. Where the complete POI register maintained and furnished by the domestic industry itself contains no transaction in the claimed thickness range, an isolated document or a general statement of manufacturing capability cannot be treated as evidence of commercial manufacture and merchant sale of that product during the POI. The Authority therefore finds that the record does not substantiate Hindalco's claim of commercial supply of colour-coated coils of 80-120 microns during the POI.
303. The Authority notes that the domestic industry did not claim any separate NIP for colour-coated aluminium coils in the thickness range above 80 microns and below 120 microns, nor was any separate NIP or corresponding CNV determined for this range. The NIP determined for colour-coated products relates only to the specific PCN range commencing from 120 microns and above, and therefore cannot be applied to the 80-120 micron category. In the absence of a separately determined NIP and CNV, no reliable injury margin can be calculated for this thickness range. More importantly, the absence of any separate cost, NIP or injury data for the 80-120 micron range clearly indicates that the domestic industry did not manufacture or commercially produce colour-coated coils in this range during the POI; had such production existed, the corresponding cost and NIP data would ordinarily have formed part of the domestic industry's injury claim and the Authority's determination. The record therefore supports the conclusion that colour-coated coils in the thickness range above 80 microns and below 120 microns were not manufactured by the domestic industry during the POI.
304. Having regard to the above, the Authority therefore accepts the request of the importers/users and thereby decides to exclude colour-coated coils having thickness above 80 microns but below 120 microns from the scope of PUC. Transactions falling in this excluded range shall be treated consistently as outside the PUC for import volume, landed value, price effects, dumping margin, injury margin and likelihood analysis, wherever applicable.
305. **CESTAT in Association of Man Made Fibre Industry of India v. Designated Authority** has expressly recognised that the scope of the PUC may be **restricted in a sunset review**, particularly where continuation of protection is no longer sought or justified in respect of particular grades or

product types. Such restriction is consistent with the underlying principle governing review investigations that an anti-dumping measure should continue only for so long and to the extent necessary to counteract injurious dumping.

306. Similarly, the **Gujarat High Court in *Epigral Limited v. Union of India*** recognized that different grades, forms, types, strengths and sizes may constitute PCNs, but the product scope, once fixed, may be narrowed and cannot be enlarged. Therefore, an expansion of PCN limits relating to thickness, width, alloy, temper, grade or size cannot be justified merely as a change in PCN methodology if it brings within the investigation products that were outside the original scope. This is also consistent with WTO jurisprudence under Article 11.3. **In *US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review***, the Appellate Body clarified that an SSR concerns the “product subject to the duty” and the continuation of the existing measure. Thus, an SSR may narrow the existing PUC/PCN coverage, but cannot enlarge it, directly or indirectly, to cover additional products or technical ranges not covered by the original measure.

Request to exclude colour-coated coils of 120 microns and above for ACP application

307. The request concerning colour-coated coils of 120 microns and above stands on a different footing. This thickness range formed part of the original colour-coated comparison universe and cannot be excluded merely because the imported material is intended for ACP application or because individual users prefer particular coating, finish, colour or customer specifications.
308. The requesting parties have not defined one narrow and objectively verifiable technical combination covering the entire ACP category, nor have they established that every colour-coated coil of 120 microns and above used in ACP lacks an identical, closely resembling or technically and commercially interchangeable product manufactured in India. Evidence of continuing imports, customer preference or isolated supply difficulty does not establish non-production or non-substitutability of the entire product class.
309. The exclusion granted in another investigation concerned the evidence and product definition in that proceeding and cannot be applied mechanically here. Since the requested exclusion would remove a broad end-use category that overlaps with domestic production, the blanket request for exclusion of colour-coated coils of 120 microns and above for ACP application is rejected.

Specified H24 clad tube material for folded/B-type and welded radiator tubes

310. The Authority has re-examined the specified H24 Clad tube materials by applying a complete-product test. For these products, correspondence with the domestic article cannot be established by matching alloy, temper, thickness or end use separately. The core alloy, brazing clad, sacrificial clad, layer sequence, temper, gauge, coil form and specified tube application operate together to determine brazability, corrosion resistance, forming behaviour, mechanical strength and OEM acceptance. Each of these characteristics must therefore be considered cumulatively.
311. The transaction-wise POI sales register of the domestic industry was examined by applying all of these parameters together. The register contains sales of Clad products generally, H24 products generally, and products having broadly related alloy series or gauges. However, the entries

matching H24 alone, a broadly related Clad construction alone, or a relevant thickness alone do not establish a merchant sale of the complete excluded combinations. No exact sale was identified which simultaneously satisfied the specified AA3003 Modified or AA3005 core, AA4343 brazing clad, AA7072 sacrificial clad, H24 temper, relevant thickness, coil form and tube application.

312. The domestic industry's evidence of general H24 capability and sales in 3003/3005 alloy families is therefore relevant but not conclusive. It shows that H24 Clad is not absent as a broad class; it does not show that the precise tube materials were produced and commercially supplied during the relevant period. Nor has an alternative domestic product with a different clad layer, layer sequence, temper or gauge been shown to have obtained the required customer/OEM approval or to be technically and commercially interchangeable for the specified tube-forming and brazing operations.
313. The exclusion is not based merely on a demand-supply gap, the size of an individual user's requirement, or a statement of future development capability. It rests on the cumulative absence of evidence of domestic merchant supply of the complete product combinations and the absence of an established interchangeable domestic product. This is a narrow product-specific finding and does not support exclusion of Clad products as a class.
314. Accordingly, the Authority confirms exclusion of: (i) Clad aluminium tube material in coil form comprising an AA3003 Modified or AA3005 core metallurgically bonded with an AA4343 aluminium-silicon brazing clad layer and an AA7072 sacrificial clad layer, in H24 temper and thickness from 0.20 mm to 0.25 mm, both inclusive, for manufacture of folded or B-type radiator tubes; and (ii) the same construction in H24 temper and thickness from 0.265 mm to 0.35 mm and from 0.40 mm to 0.45 mm, both inclusive, for manufacture of welded radiator tubes. The reference to AA3003 Modified or AA3005 provides only an alternative core alloy; every other technical and end-use condition remains cumulative.
315. The exclusion is product-specific and not importer-specific. It shall be available to every eligible actual user satisfying the prescribed product, own-consumption, documentary and end-use conditions. Products with a different alloy combination, layer configuration, temper, thickness, form or end use remain within the PUC.

Exclusion request for 4343/3003-H24 clad aluminium fin strip, additional clad and unclad heat-exchanger products sought by various users.

316. The Authority has examined together the further exclusion requests made by Mahle Anand, Tata Toyo, Paharpur and other participating users in respect of H24 and related aluminium materials used in heat-exchanger applications. Although the individual requests cover different alloy constructions, product forms, thicknesses and end uses, they raise the common issue whether a narrowly identified product should remain within the scope where the complete product combination is not commercially supplied by the domestic industry and no technically and commercially interchangeable domestic substitute has been established. The Authority has, therefore, applied to all such requests the same complete-product test adopted in paragraphs 56-61, having regard cumulatively to the core and clad alloys, layer configuration, temper, thickness, dimensions, product form, technical approval and intended application.

317. On this basis, the Authority does not consider it appropriate to accept the broader requests made in respect of all Clad materials, compatible non-Clad materials, identified unclad alloy series, or the wider range of charge-air-cooler, intercooler and other heat-exchanger materials sought to be excluded by some users. These requests encompass multiple product configurations and have not been supported, for every configuration, by a precise and Customs-verifiable technical description, consistent transaction-linked evidence and proof that the corresponding domestic product is neither commercially available nor technically and commercially interchangeable. The evidence concerning the CAC/intercooler products also contains material differences regarding temper, cladding structure and application. Accordingly, except to the extent of the narrowly established products expressly identified by the Authority, the broader and residual exclusion requests are rejected.
318. However, the Authority considers it appropriate to exclude from the scope of the PUC Clad Aluminium Fin Strip of alloy AA4343/AA3003-H24, having thickness from 0.23 mm to 0.30 mm, both inclusive, width of 200 mm and thickness tolerance of ± 0.0075 mm, for use in the manufacture of fin tubes for air-cooled condensers and industrial dry-cooling systems. The record establishes this as a narrowly defined H24 product used in the air-cooled condenser and industrial dry-cooling industry. The transaction-linked procurement documents, technical correspondence and product-testing evidence establish the specific requirement for the H24 temper and demonstrate that the H14 material offered as an alternative did not satisfy the relevant technical and performance requirements. Further, the material placed on record does not establish production and commercial sale by the domestic industry of the complete product combination, or of an accepted technically and commercially interchangeable substitute. The Authority, therefore, considers this product to constitute a third, separately defined category within the H24 exclusion framework adopted in the relevant paragraphs of these findings.
319. The Authority accordingly modifies the proposed H24 exclusion by adding the product identified in paragraph above to the two H24 Clad tube-material categories already specified in relevant paragraphs in these findings. The exclusion shall be product-specific and shall be available equally to every eligible actual user satisfying the prescribed technical, documentary, own-consumption and end-use conditions. All other products having a different alloy combination, clad configuration, temper, thickness, dimension, product form or end use shall continue to remain within the scope of the product under consideration.

Flat rolled aluminium products having width above 1950 mm

320. The Authority has excluded from consideration the earlier statement concerning a future higher-width plant. A plant under construction or a statement of future capability cannot establish production during the POI. The issue has therefore been determined only on actual contemporaneous evidence.
321. The domestic industry's rejoinder and the transaction-wise material referred to in Exhibit 12 contain entries showing commercial manufacture and merchant sale during the relevant period of FRP having width above 1950 mm. The users have not demonstrated that those entries relate to a product materially different from the broad width category for which exclusion is sought, or that

the imported products above 1950 mm as a class possess characteristics rendering them non-substitutable.

322. The factual premise that no domestic product above 1950 mm was commercially produced is therefore not sustained. Since the request is framed as a blanket width-based exclusion and would remove products for which domestic supply is on record, it is rejected.

Actual-user/end-use exclusions and request for a tariff-rate quota

323. An actual-user/end-use condition is appropriate where the excluded product can be objectively identified, its non-competitive end use is established, and safeguards can prevent the exclusion from being used for products that compete with the domestic like article. Those requirements are satisfied for the two H24 Clad tube materials and for the 4343/3003-H24 fin strip mentioned above. The actual-user mechanism is not extended to the wider Clad or unclad categories for which the complete-product and non-substitutability tests have not been met.
324. For each excluded product, the importer must be an actual user importing for its own consumption. Each consignment must be supported by a manufacturer-issued mill test certificate or certificate of analysis identifying the alloy of every layer, layer sequence, thickness, temper, width and coil form; a commercial invoice and purchase order carrying a consistent description; an end-use certificate supported by the applicable customer/OEM specification or drawing; and an enforceable undertaking that the goods will be consumed in the declared manufacturing facility and will not be sold, transferred or diverted. The conditions shall be administered at Customs clearance under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022. A consignment failing any condition remains subject to the otherwise applicable duty. All transactions meeting these exclusions shall be treated as outside the PUC in the final calculations.
325. The Authority has examined the request for a TRQ. The request is not rejected because a TRQ is legally impermissible, but because the necessary factual basis is not available in the present case. The record does not establish the exact supply gap, the appropriate quota quantity, the products and users eligible for the quota, or a workable and objective mechanism for allocation and monitoring. Therefore, a TRQ cannot be recommended on the available evidence.
326. The identified non-availability concerns that have been substantiated are addressed more precisely through the three narrow actual-user exclusions. For the remaining products, a quota without a reliable volume basis could either remove protection from imports that compete with domestic supply or arbitrarily restrict legitimate user access. The request for a TRQ is therefore rejected on the present record.

Sampling of producers/exporters

327. Rule 17(3) permits the Authority to limit individual examination when the number of exporters, producers, importers or product types is so large that individual determination becomes

impracticable. The provision does not prescribe a numerical threshold and does not make sampling mandatory whenever a particular number of groups participates.

328. In the present case, fourteen producers/exporters from seven groups filed questionnaire responses. Since the Authority was able to examine all seven groups within the available time, sampling was not necessary. The cases cited by Alcha and Dingsheng involved different facts, such as heavier workload, different response patterns and greater product complexity. They only show that sampling may be used when required; they do not mean that sampling must be used whenever the number of responding groups is similar.
329. No respondent was denied examination because sampling was not adopted. Each group was considered individually, and individual treatment has been granted wherever the current response was complete, reliable, reconciled and verifiable. The sampling objection is therefore rejected.

Methodology for constructed normal value

330. The Authority agrees that constructed normal value and non-injurious price are separate statutory exercises. Constructed normal value is determined under Section 9A(1)(c) read with Annexure I, whereas non-injurious price is determined under Annexure III. Efficiency or capacity-utilisation adjustments applicable to NIP cannot be imported mechanically into CNV merely because both calculations use cost information.
331. The CNV has therefore been re-examined on the verified cost basis found reasonable for the purpose of Annexure I, together with appropriate selling, general and administrative expenses and a reasonable profit. Only adjustments independently justified for CNV have been made. Conversely, an asserted book figure is not accepted merely because it appears in the accounts if the supporting allocation or relation to the PUC is not verified.

Individual treatment of cooperating exporters in a sunset review and requests for NIL duty

332. The Authority notes that the present proceeding is a sunset review under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules. The central question in such a review is whether expiry of the existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. For this purpose, the Authority has examined the current information of every cooperating producer/exporter whose response was found complete and verifiable, including those participating for the first time. Their normal value, export price, dumping margin, landed price and injury margin have accordingly been determined and taken into account. These current-period determinations are important evidence, but they are only one part of the wider likelihood examination.
333. The Authority has also reconsidered the position stated in paragraphs 87 and 204 of the Disclosure Statement regarding individual treatment of first-time participating exporters. The Disclosure Statement recorded the Authority's proposed approach at that stage of the investigation, before consideration of the post-disclosure comments and before the final determination on the form of the measure. It proposed that first-time cooperating exporters may receive individual treatment where their responses permitted an individual determination. Upon further examination of the

statutory purpose of a sunset review and the submissions received after disclosure, the Authority considers it necessary to clarify that determination of an individual current-period margin does not, by itself, require creation of a fresh exporter-specific duty rate.

334. These producers/exporters were not individually examined in the original investigation and no separate duty rate was created for them under the measure now being reviewed. Their exports have therefore remained subject to the existing residual rate throughout the life of the measure. Participation in the present sunset review gives the Authority the information necessary to examine their current conduct and to assess likelihood; however, cooperation in the review does not automatically change the duty status under which they have operated during the existing measure. The present POI margins were also observed while the anti-dumping duty was already in force and must therefore be read together with the likely position if that duty were removed.
335. The Authority has therefore considered the individual current-period margins together with the complete likelihood evidence, including the volume and trend of imports, available and surplus capacities in China PR, export orientation, third-country exports, attractiveness of the Indian market, prevailing price conditions and the continued presence of subject imports. On this overall assessment, the Authority finds that a lower or NIL current dumping or injury margin for a first-time participating exporter, viewed in isolation, is not sufficient to displace the broader likelihood finding or to require restructuring of the existing duty table. The enquiry in a sunset review is forward-looking: the relevant question is not merely how an exporter priced its goods while the duty was in force, but what is likely to happen if the protection is withdrawn.
336. Accordingly, the Authority has fully considered the questionnaire responses and the individual margins determined for these first-time cooperating producers/exporters, but considers it appropriate, on the basis of the investigation as a whole, to continue the duty treatment already applicable to them under the existing measure, namely the residual rate of USD 449/MT. This treatment is not based on non-cooperation, rejection of their responses or any adverse inference regarding their transactions. It follows from the Authority's final conclusion that cooperation and determination of current-period margins are relevant to the review, but do not automatically require creation of a new duty rate where the overall likelihood examination supports continuation of the existing measure and duty structure. Nothing in this conclusion prevents an eligible producer/exporter from seeking appropriate exporter-specific relief under the applicable provisions of the Act and the Rules, where the prescribed conditions are satisfied.
337. The Authority further notes that a sunset review under Section 9A(5) read with Rule 23 is fundamentally a prospective exercise to determine whether cessation of the existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. It is not a fresh original investigation requiring determination of individual dumping margins for every producer/exporter participating in the review. In *P.T. Asahimas Chemicals v. Designated Authority*, 2015 (328) E.L.T. 417 (Tri.-Del.), the Tribunal categorically held that there is **no legal requirement to determine an exporter-specific dumping margin in a sunset review**. Likewise, in *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. v. Designated Authority*, 2010 (253) E.L.T. 564 (Tri.-Del.), the Tribunal upheld continuation of the existing duty notwithstanding a lower current dumping margin, emphasizing that the relevant inquiry is the likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury.

338. This principle is equally reflected in WTO jurisprudence. In *US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*, WT/DS244/AB/R, paras 124, 149 and 155, the WTO Appellate Body held that Article 11.3 neither requires calculation of dumping margins in a sunset review nor requires company-specific likelihood determinations; specifically, the obligation under Article 6.10 to determine individual margins for known exporters is not, in principle, applicable to sunset reviews. Thus, mere participation or cooperation of a producer/exporter for the first time in an expiry review does not create an entitlement to a fresh individual rate.
339. The Rules, in fact, provide a distinct mechanism for determining an individual margin for a genuine new producer/exporter. Rule 22 specifically provides for a New Shipper Review for exporters/producers not investigated in the original period, and *CESTAT in H & R Johnson (India) Ltd. v. Designated Authority, 2005* (185) E.L.T. 125 (Tri.-Del.), expressly distinguished such a review-whose purpose is determination of an individual margin-from a Rule 23 review concerning the continued need for the existing anti-dumping measure. Accordingly, where the Authority concludes in the present sunset review that the existing measure should continue, producers/exporters participating for the first time shall remain covered by the applicable residual rate of the continued measure; any claim to a separate individual rate must be pursued through the appropriate review mechanism available under the Rules, subject to satisfaction of the prescribed conditions.

Dingsheng Group: questionnaire response, reconciliation, individual treatment and landed value

340. The Authority has reconsidered the complete post-disclosure response of the Dingsheng Group, comprising Jiangsu Dingsheng New Materials Joint Stock Co., Ltd., Inner Mongolia Liansheng New Energy Material Co., Ltd., Hangzhou Dingsheng Import and Export Co., Ltd. and Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Co., Ltd. The issue is not whether the Group participated extensively or intended to cooperate. The legal question is whether the final information permits one complete, internally consistent and verifiable determination of the export-sales universe, related-trader adjustments, ex-factory export price and landed price.
341. Rule 6(8) is not invoked for a minor clerical mistake, the absence of one document or a mere difference between customs and exporter data. The Authority has examined each discrepancy separately and cumulatively. Facts available become necessary only because the unresolved differences concern the basic quantities, channels and adjustments from which an individual margin must be calculated. Extensive filings and certifications cannot replace reconciliation of those fundamental elements.
342. First, the Group reported exports of *** MT to India during the POI, whereas the corresponding PUC quantity identified in DG Systems was approximately *** MT, leaving a difference of about *** MT. Exact identity is not expected in every case because invoice date, shipment date and customs-clearance date may differ, and official data can contain product-description or unit issues. The Authority has therefore treated DG Systems as an independent cross-check and corroborative source, not as the sole ground for rejection.
343. Dingsheng identified several possible explanations, including non-PUC foil under heading 7607, timing differences, multiple invoices under one bill of entry and product-description sorting.

Those explanations are plausible in the abstract, but they do not identify, transaction by transaction, which reported sales account for the ***MT difference. A list of possible causes is not a reconciliation. The necessary bridge would map the reported invoice to shipment and customs-clearance information, identify non-PUC entries, explain cut-off transactions and arrive at one supported PUC universe. That bridge remains incomplete.

344. The request for the entire transaction-wise DG Systems database has also been reconsidered. The non-confidential version of the Disclosure Statement shared with interested parties did not disclose the exact aggregate quantity identified in DG Systems, the precise numerical difference between that quantity and the quantity reported by the Group, or the underlying transaction-wise customs database. These figures and records form part of confidential customs information relating to importers and other commercial parties and were therefore protected under the applicable confidentiality framework. Rule 16 requires disclosure of the essential facts under consideration; it does not require disclosure of confidential source records or exact confidential figures protected under Rule 7. The Disclosure Statement disclosed the essential adverse fact, namely, that the Group's reported export universe did not reconcile with the DG Systems data, that a complete invoice-wise reconciliation had not been established, and that the unresolved discrepancy affected acceptance of the response for an individual determination. The communication dated 28 July had already required a complete producer-wise, exporter-wise, trader-wise and channel-wise reconciliation, and the Group thereafter furnished detailed explanations in its post-disclosure comments. The Group thus had notice of the nature and relevance of the concern and an opportunity to respond, while the confidentiality of the customs data was preserved. The Authority has treated DG Systems only as an external cross-check and has not relied upon any undisclosed individual customs transaction as an independent adverse finding; the final treatment rests cumulatively upon the unreconciled and internally inconsistent information identified in the examination above.
345. Second, Dingsheng HK reported *** MT of India sales in Appendix 3A, whereas the trader expenses and profitability working covers only *** MT. The uncovered *** MT represents ***% of Dingsheng HK's reported India sales. This is material because the price charged by a related trader to the first unrelated Indian customer must be adjusted for the trader's expenses and profit or loss to derive a reliable ex-factory export price. If part of the trader's sales universe is outside the profitability working, the adjustment cannot be verified for the complete channel.
346. The explanation based on invoice date in Appendix 3A and revenue recognition in Appendix 5 does not, by itself, resolve the difference. The questionnaire defines the POI transaction universe by commercial invoice date. Accounting recognition can legitimately occur in another period, but the respondent must then provide a cut-off bridge showing how invoice-date sales reconcile with the books before and after the POI. A pre-POI invoice cannot become a POI invoice merely because it cleared customs or was recognised later, and a POI invoice cannot be removed merely because revenue was recognised after the POI. The required transaction-wise bridge to the adjacent accounting periods has not been satisfactorily established.
347. The suggestion that trader expenses and profit may simply be applied as an average per MT does not cure the missing universe. An average adjustment is reliable only when the underlying numerator and denominator relate to the same representative sales population and the omitted

transactions are shown to have the same expense and profitability characteristics. That foundation has not been established here. Applying an unverified average would replace a reconciliation with an assumption and could distort the export price.

348. Third, a significant part of the Group's exports moved through related traders. The Group's statement that more than ***% of exports were direct, and that Dingsheng HK represented about ***%, does not render the related-trader channel immaterial. A group-wide weighted margin must cover the complete accepted universe. The producer-to-trader sale, trader-to-unrelated-customer sale, trader expenses and trader profit or loss must be linked so that the price can be traced back to the ex-factory level. The incomplete trader-profitability universe prevents that exercise for the affected channel and, consequently, for the consolidated Group determination.
349. Fourth, the consolidated master statement is useful as a presentation of producers, traders, customers, quantities and values, but it does not automatically reconcile the underlying records. The Group states that the master statement was prepared mainly from Appendices 3A and 3B. Consolidating the same source entries into a new table cannot explain the separate differences with DG Systems, the trader-profitability working or the accounting cut-off. The Authority required a bridge showing the origin and resolution of each difference, not merely a rearrangement of the earlier data.
350. Fifth, the certifications furnished by the Group have been considered, but a general certification cannot override inconsistencies in the underlying transaction data. The certifications describe the reported universe as imports or exports to India during the POI, while the Group's explanations alternate between invoice date, import-clearance date and accounting-recognition date. Timing differences are not objectionable when transparently reconciled; they become material when different timing bases are used to define the same universe without a common transaction-level bridge.
351. Sixth, the revised information does not provide a complete audit trail from the original response to the final database. Corrections are permissible and, where genuine, should be accepted. However, a material revision must show the original entry, the revised entry, the reason for change, the supporting source and the effect on quantity, value and adjustment. The Group's filings do not provide that trail for all material revisions. The Authority is therefore unable to establish that the final database is the complete and verified successor to the original response.
352. The landed-value working presents an additional difficulty. A CIF-equivalent adjustment may be required for FOB or CFR transactions, but it must be based on actual freight and insurance or on a demonstrably representative allocation. Common factors derived from a limited number of CIF transactions across different producers, routes, shipment terms and sales channels were not shown to represent the substantial FOB/CFR universe. The Group's offer that the Authority may use another reasonable method cannot shift to the Authority the respondent's obligation to substantiate its claimed adjustments. No alternative respondent-specific method can be adopted without a verified evidentiary base.
353. The absence of an in-person verification meeting does not invalidate this conclusion. The Rules do not make a physical meeting a condition precedent to rejection of information that remains

unreconciled. The Group received a written reconciliation request, additional time, disclosure of the material concerns and a full opportunity to submit explanations and supporting records. A meeting could clarify the response, but it could not substitute for the missing transaction-level bridge and audit trail.

354. The Authority also examined whether the problems could be limited only to Dingsheng HK or to a few transactions. However, the deficiencies affect the overall Group sales data, including how total sales are identified, how sales are divided among related producers and traders, and how ex-factory and landed prices are calculated. Unless the complete and correct sales universe is first established, the Authority cannot reliably separate the valid transactions from the doubtful ones. Accepting only selected parts of the data could therefore give a distorted result, because it would not be clear whether those parts are complete or representative of the Group's actual sales.
355. Taken together, the deficiencies are material, interrelated and outcome-relevant. They prevent a satisfactory producer-wise, exporter-wise and channel-wise determination of the net export price and landed price. The response is therefore not accepted for an individual determination under Rule 6(8), read with Rule 23(3), and the Group is treated on the basis of reliable facts available in the residual/non-cooperative category. This treatment is not punitive and does not arise merely from the DG Systems difference; it is the necessary consequence of the inability to compute a reliable current-review margin from the Group's own final data.

Yinbang Clad Material Co., Ltd.: request for individual margin and challenge to facts-available treatment

356. The Authority has reconsidered Yinbang's submission that Appendix 1 and Appendix 3A contain the same India-sales quantity and that one disclosed difference arose from an inadvertent link between cost appendices. The Authority also accepts the legal point that, in the absence of a market-economy claim, Yinbang's own domestic cost does not determine normal value in the same manner as a market-economy producer's cost. These points, however, do not resolve whether the export database required for net export price and landed price is complete and auditable.
357. The transaction-wise India-sales quantity of *** MT does not reconcile with the *** MT used in the PCN-wise cost and expense schedules, leaving *** MT, or about **%, unexplained. The sales values and PCN allocations derived from those schedules also do not satisfactorily tie to the transaction-wise statement. Because PCN allocation, quantity and value directly affect the comparison and export-price adjustments, this is not immaterial merely because normal value is constructed on another basis.
358. The date field used in the transaction statement must correspond to the commercial invoice date prescribed in the questionnaire, since it determines POI inclusion, exchange rate, credit period and reconciliation with customs records. The supporting documents examined show use of internal or accounting dates in some records, and credit-period and credit-cost fields are incomplete. Shipping or customs-clearance timing can explain a difference with DG Systems only if an invoice-wise bridge identifies the cut-off transactions and ties the final universe to the PCN and adjustment schedules.

359. The PCN-wise net export and landed prices filed on 10 August are derived results; they do not cure the source-level inconsistency in quantities, dates, PCN allocation and adjustments. General certifications likewise cannot replace reconciliation of the underlying data. Yinbang was given an opportunity to explain these matters, but one consistent and verifiable India-sales universe was not established.
360. The deficiencies have therefore been considered cumulatively and not as isolated clerical errors. Since they affect the basic transaction universe and the material adjustments required for an individual determination, the request for an individual margin is rejected and facts-available treatment under Rule 6(8), read with Rule 23(3), is retained.

Negative price undercutting, negative injury margins and present injury

361. The Authority accepts that negative POI price undercutting and the negative injury margins of the accepted cooperating exporters are material facts and must not be diluted or ignored. The landed price during the POI was above the domestic selling price, and the accepted cooperative channels with negative injury margins cannot be treated as having caused current price injury merely because another or residual channel has a positive margin.
362. The Authority has also taken account of improvement in production, sales, capacity, employment, wages and productivity. These indicators show that the domestic industry's operational position did not uniformly deteriorate. At the same time, other indicators remained weak: the cost of sales rose much more than net sales realisation, inventories increased, profit before tax remained only a small fraction of the base-year level, and return on capital employed was about ***%, materially below the benchmark used for NIP.
363. These financial trends are not automatically attributed to subject imports. Capacity expansion, enlargement of the capital base, increased competition from other Indian producers, growth of non-subject imports, product mix and cost movements can affect cost absorption, price and return on capital. Those factors are separately recognised in the non-attribution analysis.
364. The correct finding is therefore that the present injury picture is mixed. Continuation is not founded on a mechanical conclusion that every current import is undercutting or that the domestic industry is presently injured by every accepted exporter. The POI evidence is used to establish the current condition and the exporter-specific margins.
365. The separate statutory question in a sunset review is whether expiry is likely to lead to continuation or recurrence of dumped and injurious imports. It is correct to say that a future price decline cannot simply be assumed. The likelihood conclusion must, and does, rest on the forward-looking evidence examined under Issue 17 below.

Treatment of cooperative exporters with non-positive current margins and continuation of the existing residual duty

366. The Authority has examined the final dumping and injury margins of all cooperating producers/exporters whose responses were found complete and verifiable. Where such margins are non-positive, the Authority does not treat those exporters as having dumped, or caused injury, during the POI. However, the present proceeding is a sunset review. The current margins are therefore considered as part of the overall likelihood examination and do not, by themselves, determine the duty rate to be continued.
367. The Authority notes that the cooperating producers/exporters participating for the first time in the present review were not assigned individual duty rates in the original investigation. Their exports have throughout remained subject to the existing residual rate. Having decided, on the basis of the complete likelihood analysis, to continue the existing measure, the Authority does not consider the present review to require creation of fresh individual or NIL rates merely because some of these exporters have non-positive current-period margins. Their present margins have been fully considered, but their existing duty treatment is continued.
368. This treatment does not mean that the questionnaire responses of such cooperating exporters have been rejected or that they are being treated as non-cooperative. Their current-period data have been accepted and used for examination of dumping, injury and likelihood wherever found complete and verifiable. The continuation of the residual rate reflects the Authority's final determination regarding continuation of the existing duty structure in this sunset review, and not any adverse inference against those exporters.
369. A different basis applies to Dingsheng, Yinbang and any other producer/exporter whose response has not been accepted. Their treatment is based on facts available because a reliable individual determination could not be made from the information furnished. Thus, while both categories may ultimately fall under the same existing residual duty entry, the reasons are different: accepted first-time cooperating exporters remain under the existing residual rate because the existing measure and duty structure are being continued; rejected or non-cooperating exporters fall under that rate on the applicable facts-available basis. The Authority has therefore maintained a clear distinction between cooperation status, current-period margin determination and the duty treatment continued under the sunset review.

Market share, other domestic producers, non-subject imports and causation

370. The Authority recognises that the domestic industry's market-share loss and deterioration cannot be attributed entirely to subject imports. During the injury period, the share of subject imports in demand declined, while non-subject imports increased from 34,205 MT to 1,32,573 MT on an annualised POI basis and sales of other Indian producers increased from *** MT to *** MT. The domestic industry's capacity expansion, with higher capital employed and fixed assets, could also have independently affected depreciation, fixed-cost absorption, profitability and return on capital. These factors have therefore been appropriately separated from the effect of subject imports.

371. Notwithstanding the above, subject imports increased in absolute terms from 1,51,878 MT to 1,88,091 MT on an annualised POI basis and continued to maintain a substantial market presence despite the existing duty. Accordingly, while China PR is not treated as the sole cause of every adverse indicator during the POI, the present non-attribution analysis remains distinct from the prospective likelihood examination.

Post-POI data and likelihood of continuation or recurrence

372. The Authority agrees that post-POI import data cannot substitute a fresh dumping calculation or injury determination. It is therefore used only as **corroborative evidence of market direction** after the POI, while greater weight is placed on the structural and product-specific likelihood evidence concerning China PR.
373. Since the POI covered 18 months and the post-POI period only 136 days, the comparison has been made on monthly and annualised bases. Subject imports increased from an annualised POI level of about *** MT to *** MT, while average assessable value declined from about ₹***/MT to ₹***/MT. This indicates that import pressure did not materially moderate, but is not treated as an independent finding of post-POI dumping or injury.
374. The likelihood assessment is supported by the continued substantial volume of subject imports despite duty, declining export realisation to India, and an estimated Chinese surplus of about 1.5 million MT, which is more than 4.7 times India's total annualised POI imports from all sources of about 3,20,664 MT. Even limited redirection of such surplus could materially affect Indian volume and price conditions.
375. China also accounted for about 37% of global exports under heading 7606 during the POI and has established customers and distribution channels in India. Its export orientation, trade-remedial measures and market-access constraints in alternative markets, and India's expanding and relatively attractive market together increase the risk of diversion if the duty expires.
376. The Authority has considered third-country measures and the earlier aluminium-foil experience only as supporting context. On the totality of verified margins, continuing import presence, pricing trends, surplus capacity, export orientation, established Indian channels, market attractiveness and diversion risk, expiry of the measure is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury from the subject country.

Length of the period of investigation

377. Rule 5(3A)(ii) normally provides for a twelve-month POI but permits a period of six to eighteen months for reasons recorded in writing. The present 18-month POI from 1 April 2024 to 30 September 2025 was fixed at initiation and applied uniformly to all parties.
378. The period immediately follows FY 2023-24, covers the complete FY 2024-25 and the following six months, and ends within six months before initiation. A twelve-month POI from 1 October 2024 would have left April-September 2024 outside both the preceding financial-year data and the POI. The adopted period therefore provides a continuous and non-overlapping trend series.

379. The POI data have been annualised wherever comparison with twelve-month financial years is required. All exporters were able to furnish data for the notified period. The Authority has considered the intervening years, the recovery after 2022-23, the annualised POI and the forward-looking evidence. The POI was not selected to predetermine the result.

Non-injurious price: post-disclosure objections

380. The Authority has reconsidered the six objections to the NIP separately. NIP is not a mechanical reproduction of book cost. Under Annexure III, only reasonable and verified costs attributable to the PUC are considered, after excluding abnormal, unrelated or inefficient elements.
381. Salary, wages and corporate/general expenses have been considered only to the extent attributable to the PUC and on the basis of an appropriate and verified allocation methodology. With regard to inter-unit transfers of raw materials, the domestic industry has claimed that such transfers are recorded in its books at the market price less a discount of ₹***per MT. Accordingly, for the purpose of determination, the Authority has considered the actual transfer value recorded in the books of account, which also forms the basis for levy of GST, rather than adopting an unsupported notional or adjusted transfer value. The non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III to the Anti-Dumping Rules, on the basis of verified records and consistent with the established methodology and past practice of the Authority.
382. Raw-material utilisation and scrap recovery are normalised on verified consumption so that neither abnormal inefficiency nor an unrealistic best result distorts the NIP. Administrative overheads are allocated using a denominator consistent with the related cost. The newly commissioned Aditya plant is also normalised on a representative monthly wise achievable utilisation after taking account of the ramp-up period, to nullify the start-up inefficiency.
383. All resulting determination have been reflected in the final NIP and injury-margin calculations.

Public interest and downstream impact

384. The Authority recognises the importance of FRP as an industrial input, including for specialised heat-exchanger applications. Public interest does not replace the statutory examination of dumping, injury and likelihood, but requires that any measure should address unfair trade without imposing an unnecessary burden on users.
385. The record does not establish a general shortage caused by the existing duty. Subject imports continued in substantial volumes, imports from non-subject countries increased, and sales and capacity of other Indian producers expanded. Users therefore continue to have access to Chinese imports on payment of duty, imports from other countries and domestic supply. Product-specific supply issues cannot be treated as evidence of an economy-wide shortage.

386. Where specific non-availability was established, the Authority has addressed it directly. The specified H24 tube materials and precisely defined 4343/3003-H24 fin strip are excluded for eligible actual users subject to end-use safeguards. This removes duty from narrowly identified products not shown to have an interchangeable domestic counterpart while preserving protection for competing products.
387. The impact assessment based on the highest residual duty of US\$ 449/MT shows an incidence below 1% for the identified downstream applications, except the illustrative pressure-cooker case at 2.8%. No interested party has provided a substantiated product-wise calculation showing a materially higher general burden.
388. The measure has already remained in force for nearly five years, during which demand, imports and domestic production expanded. It does not prohibit imports. In these circumstances, continuation of the measure, together with targeted actual-user exclusions, is not shown to impose a disproportionate burden on the downstream industry or to be contrary to public interest.

Corrections to names and clerical particulars

389. The requested corrections to the verified legal names of Granges, Huaфон, Arconic and Alcha are clerical and do not affect the substantive determination. The Final Findings and duty table shall use the verified names. The supporting producer's name shall also be corrected from "Inalco Alloys Limited" to "Inalco Private Limited".

Overall position after post-disclosure comments

390. After reconsideration of the post-disclosure comments, the Authority confirms exclusion of colour-coated coils above 80 microns but below 120 microns, the exclusion specified H24 clad tube-material and the defined 4343/3003-H24 clad fin strip. The broader ACP, clad/non-clad heat-exchanger and above-1950 mm exclusion requests are rejected. The TRQ request is also rejected for want of a verified and administrable quota basis.
391. CNV and NIP have been finalised in accordance with their respective legal methodologies. The current-period information of all cooperating producer/exporter groups has been examined and taken into account for the purposes of dumping, injury and likelihood analysis. However, since the present proceeding is a sunset review concerning continuation of the existing measure, the Authority does not consider it appropriate to create fresh producer-specific duty rates on the basis of the current POI alone. Accordingly, all such cooperating producer/exporters shall continue to be governed by the existing residual duty treatment. In the case of Dingsheng and Yinbang, the same residual treatment follows additionally from the deficiencies in their responses, which prevent a reliable individual determination.
392. The final injury and likelihood analysis takes into account all relevant current and forward-looking factors, including negative POI price undercutting, the current dumping and injury outcomes of cooperating exporters, growth in demand, competition from other Indian producers, non-subject imports, capacity expansion, available and surplus capacities in China PR, export orientation and

the continued attractiveness of the Indian market. The recommendation to continue the existing duty is therefore not based on a mechanical finding of present injury or on the current margin of any individual exporter. It is based on the Authority's overall forward-looking conclusion that expiry of the measure is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Accordingly, the existing residual duty structure is continued for all producer/exporters, subject to the product-specific exclusions determined in these Final Findings.

L. CONCLUSION

393. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that: -
- a. The product under consideration is "Certain Flat Rolled Aluminium Products" originating in or exported from China PR, subject to the exclusions determined in these Final Findings. The exclusions include colour-coated coils above 80 microns but below 120 microns, the specified H24 clad tube materials and the defined 4343/3003-H24 clad fin strip.
 - b. The application has been filed by Hindalco Industries Limited, which constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.
 - c. Dumping and injury margins
 - i. The current-period information of the cooperating producers/exporters whose responses were found complete and verifiable has been examined. The dumping margins are positive for some cooperating producers/exporters and non-positive for others, while the injury margins determined for the cooperating producers/exporters are negative.
 - ii. The residual dumping and injury margins determined on the basis of facts available are positive. Dingsheng and Yinbang have been treated on facts available because the deficiencies in their responses did not permit reliable individual determinations.
 - d. Position of the domestic industry and non-attribution
 - i. Demand increased substantially during the injury period. The domestic industry also recorded improvement in production, domestic sales, employment and productivity, and price undercutting was negative during the POI.
 - ii. At the same time, subject imports increased in absolute terms; the increase in the domestic industry's selling price did not keep pace with the increase in its cost of sales; inventories increased; and profitability remained materially below the base-year level. Return on capital employed was about ***% during the POI.
 - iii. The Authority has separately considered the increase in non-subject imports, the expansion of sales and market presence of other Indian producers, and the effect of the domestic industry's own capacity expansion. Accordingly, the entire deterioration in the domestic industry's performance has not been attributed to the subject imports.
 - e. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

- i. Subject imports remained substantial despite the existing duty. Export realisations to India declined, while post-POI imports continued at a slightly higher annualised rate and at a lower average assessable value.
 - ii. China PR has substantial surplus production of FRP and a significant export orientation. Chinese exporters have established commercial channels in India, while India remains a large, growing and comparatively attractive market. Market-access constraints in certain other major markets further increase the possibility of diversion of exports towards India.
 - iii. These factors, taken together, establish that expiry of the existing measure is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- f. Treatment of cooperating producers/exporters
 - i. The current-period dumping and injury calculations of the cooperating producers/exporters have been fully examined and taken into account for the purposes of dumping, injury and likelihood in the present review.
 - ii. However, the Authority does not consider the current-period margins, by themselves, sufficient to require creation of fresh or modified producer-specific duty rates in this sunset review. Since continuation is based on the overall likelihood determination under Section 9A(5) read with Rule 23, the producer/exporters shall be governed by the residual rate of USD 449 per MT, as reflected in the final duty recommendation.
 - iii. This treatment does not amount to rejection or non-acceptance of the questionnaire responses of those cooperating producers/exporters whose information has otherwise been found complete and verifiable. In the case of Dingsheng and Yinbang, residual treatment additionally follows from the deficiencies in their responses and the consequent application of facts available.
- g. Indian industry interest and public interest
 - i. The evidence on record does not establish any general shortage of the subject goods due to the existing anti-dumping duty. Imports from China PR have continued, imports from non-subject countries have increased, and the domestic supply base has expanded.
 - ii. The quantified impact of the highest residual duty of USD 449 per MT is below 1% for the identified downstream applications except the pressure-cooker case. Specific product-availability concerns established on record have been addressed through narrowly defined exclusions.
 - iii. Continuation of the measure is therefore not shown to impose a disproportionate burden on downstream users or consumers.
- h. Overall conclusion
 - i. On the basis of the investigation as a whole, the Authority concludes that expiry of the existing anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

- ii. The Authority, therefore, considers continuation of the anti-dumping measure necessary in the present case. This conclusion is based on the cumulative and forward-looking likelihood analysis and not merely on current injury, current price undercutting or the current margin of any individual producer/exporter.

M. RECOMMENDATIONS

394. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and also on likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Pursuant to the sunset review, the Authority has arrived at the conclusion that continuation of the existing anti-dumping duties is required in the present case.
395. Having concluded that there is a need for continued imposition of anti-dumping duty as there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury if the anti-dumping measure are allowed to cease, the Authority considers that the quantum of anti-dumping duty is not required to be modified, considering that the duty is proposed to be extended on the grounds of likelihood of dumping and injury.
396. In view of the above, the Authority considers it appropriate and necessary to recommend continuation of the definitive anti-dumping duty on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR, as imposed vide Notification No. 68/2021-Customs (ADD) dated 6th December 2021, subject to the product exclusions specified in these Final Findings. In respect of the cooperating producers/exporters whose responses have been accepted, their current-period dumping and injury margins have been determined and duly considered in the present review. However, having regard to the fact that continuation of the measure is being recommended on the basis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority does not consider it appropriate to create fresh or modified producer-specific duty rates on the basis of the current-period margins. Accordingly, such producers/exporters shall be covered by the residual rate of USD 449 per MT. This treatment does not amount to treating such cooperating producers/exporters as non-cooperative. In the case of the Dingsheng Group and Yinbang Clad Material Co., Ltd., whose questionnaire responses have not been accepted for the reasons recorded in these Final Findings, and in the case of all other non-participating or non-cooperating producers/exporters from China PR, the residual rate shall apply on the basis of facts available. This is without prejudice to any remedy or review available to an eligible producer/exporter under the applicable provisions of the Rules.
397. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Authority recommends continuation of anti-dumping duty at the amount indicated in Column (7) of the duty table below on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR, subject to the exclusions specified in these Final Findings. The duty is recommended to take

effect from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government and to remain in force for a further period of **five (5) years**, unless revoked, superseded or amended earlier in accordance with law.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7606 and 7607	Certain Flat Rolled Aluminium Products*	China PR	Any country including China PR	Arconic (Kunshan) Aluminum Products Co., Ltd.	NIL	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd.	NIL	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S. No. 1 to 2	449	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any Producer	449	MT	USD

*The following products are excluded from the scope of the product under consideration:

- Can-body Stock - also including Can End Stock (CES) used to make aluminium cans;
- Aluminium Foil up to 80 microns;
- Clad with compatible non-clad Aluminium Foil from 5 to 80 microns;
- Lithograde Aluminium Coils of width above 1150 mm;
- Colour coated coils having thickness above 80 microns but below 120 microns and;
- The following grade of Clad, namely, "Clad aluminium tube material in coil form comprising a core of AA3003 Modified or AA3005 alloy, metallurgically bonded with an AA4343 aluminium-silicon brazing clad layer and an AA7072 sacrificial clad layer, conforming to either (i) thickness from 0.20 mm to 0.25 mm, both inclusive, in H24 temper, for manufacture of folded or B-type

radiator tubes; or (ii) thickness from 0.265 mm to 0.35 mm and 0.40mm to 0.45mm, both inclusive, in H24 temper, for manufacture of welded radiator tubes” and H24 product used in the air-cooled condenser and industrial dry-cooling industry, namely, Clad Aluminium Fin Strip of alloy AA4343/AA3003-H24, having thickness from 0.23 mm to 0.30 mm, both inclusive, width of 200 mm and thickness tolerance of ± 0.0075 mm, for use in the manufacture of fin tubes for air-cooled condensers and industrial dry-cooling systems. This exclusion is subject to actual user condition satisfying Note 1 given below. The actual user condition would be implemented by Customs at the time of clearance of goods at the Customs port by following the Customs (Import of goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022.

Note 1: (i) A commercial invoice and purchase order carrying a consistent product description; (ii) an end-use certificate supported by the applicable customer or OEM specification or drawing; and (iii) a legally enforceable undertaking before the concerned Customs authority that the goods will be consumed in the importer's own manufacturing facility for the declared tube or heat-exchanger application and will not be sold, transferred or diverted. Imports through traders, imports for resale, products having a different alloy combination, layer configuration, thickness, temper or end use, and consignments not satisfying the documentary conditions shall remain subject to the anti-dumping duty otherwise applicable.

Note 2 : The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to Customs Authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.” If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs Authorities under the applicable customs law and regulations.

N. Further procedure

398. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority